लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ४२, १९६०/१८८२ (शक)

[४ से १६ अप्रैल १९६०/१५ से २७ चैत्र १८८२ (शक)]

2nd Lok Sabha

दसवां सत्र, १९६०/१८८२ (शक)

(खण्ड ४२ में अंक ४१ से ५० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

पृष्ठ

द्वितीयमाला, खण्ड ४२–अंक ४१ से ५०–४ से १६ अप्रैल १९६०/१५ से २७ चैत्र १८८२ (शक)

अंक ४१—सोमवार, ४ अप्रैल, १९६०/१५ चैत्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२६७ से १२७१, १२७४, १२७६ से १२७८, १२८१ से १२८५ और १२८९ से १२९१ ४४०७–३४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ . . ४४३४–३७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२७२, १२७३, १२७५, १२७९, १२८०, १२८६, १२८७, १२८८ और १२९२ से १२९६ ४४३७–४३

अतारांकित प्रश्न संख्या १७१७ से १७५९ ४४४३–६१

स्थगन प्रस्ताव के बारे में—

वायुक्षेत्र के उल्लंघन के बारे में प्रतिरक्षा मंत्री के वक्तव्यों में कथित विरोधाभास . ४४६२–६३

सभा पटल पर रखा गया पत्र ४४६३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नौसेना के प्रशिक्षण विमान की दुर्घटना . . . ४४६३–६४

अनुपस्थिति की अनुमति . ४४६४

समवाय (संशोधन) विधेयक . ४४६५

लाभ-पद सम्बन्धी संयुक्त समिति ४४६५

अनुदानों की मांगें ४४६६–४५१३

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय . . ४४६६–४५११

स्वास्थ्य मंत्रालय . ४५११–१३

दैनिक संक्षेपिका . . . ४५१४–१७

अंक ४२— बुधवार, ६ अप्रैल, १९६०/१७ चैत्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९८, १२९९, १३०१ से १३०६, १३०८ से १३११, १३१५ और १३१७ से १३२१ ४५१९–४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर —	पृष्ठ
तारांकित प्रश्न संख्या १२९७, १३००, १३०७, १३१२ से १३१४, १३१६, १३२२ और १३२३ . . .	४५४८–५२
अतारांकित प्रश्न संख्या १७६० से १८३१ .	४५५२–८७
विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में . . .	४५८७
स्थगन प्रस्तावों के बारे में	४५८७
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	४५८७–८९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	
बासठवां प्रतिवेदन .	४५८९
प्राक्कलन समिति	
अस्सीवां प्रतिवेदन . . .	४५९०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
पाकिस्तान को पानी का दिया जाना . . .	४५९०–९१
अमृत बाजार पत्रिका में लेख के बारे में . . .	४५९१
सदस्य को सजा	४५९१
अनुदानों की मांगें	
स्वास्थ्य मंत्रालय	४५९२–४६५८
कल्याण विस्तार परियोजनाओं के बारे में आधे घंटे की चर्चा . .	४६५९–६२
दैनिक संक्षेपिका	४६६३–६८
अंक ४३—गुरुवार, ७ अप्रैल, १९६०/१८ चैत्र, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३२४ से १३३४ और १०९१ . .	४६६९–९१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३३५ से १३४५	४६९१–९६
अतारांकित प्रश्न संख्या १८३२ से १८६४ . . .	४६९६–४७०८
सभा पटल पर रखे गये पत्र	४७०८
प्राक्कलन समिति	
तिरासीवां प्रतिवेदन	४७०९
अनुदानों की मांगें	
खान, इस्पात और ईंधन मंत्रालय	४७०९–५६
चीनी के मूल्य में वृद्धि के बारे में आधे घंटे की चर्चा . .	४७५६–६१
दैनिक संक्षेपिका . . .	४७६२–६५

अंक ४४—शुक्रवार, ८ अप्रैल, १९६०/१९ चैत्र, १८८२ (शक) पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३४६, १३४७, १३५०, १३५२, १३५६ से १३५८, १३६३ से १३६५, १३६७, १३६९ से १३७५, १३५३, १३६२ और १३६६ . . . . . ४७६७—९२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ . . . . . ४७९२—९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३४८, १३४९, १३५१, १३५४, १३५५, १३५९ से १३६१ और १३६६ . . . . . ४७९५—९८

अतारांकित प्रश्न संख्या १८६५ से १९१२ . . . . ४७९८—४८२३

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में . . ४८२३—२५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ४८२५—२६

राज्य सभा से सन्देश . . ४८२६—२७

अनुदानों की मांगें . . . ४८२७—६४

इस्पात, खान और इंधन मंत्रालय . . ४८२७—४९

प्रतिरक्षा मंत्रालय . . . . . ४८४९—६४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी—

बासठवां प्रतिवेदन ४८६५

तीसरी पंचवर्षीय योजना में पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के बारे में संकल्प . ४८६५—८६

विभिन्न प्रतिरक्षा परिषदों की स्थापना के बारे में संकल्प . . ४८८६—८८

दैनिक संक्षेपिका . . . ४८८९—९३

अंक ४५—शनिवार, ९ अप्रैल, १९६०/२० चैत्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३७६, १३७७, १३८० से १३८८, १३९१ और १३९४ से १३९८ . . . . . ४८९५–४९२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३७८, १३७९, १३८९, १३९०, १३९२, १३९३ और १२३० . . . . ४९२२—२४

अतारांकित प्रश्न संख्या १९१३ से १९५३ . . ४९२४—४२

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र	४९८२
प्राक्कलन समिति—	
बयासीवां प्रतिवेदन	४९८२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
जबलपुर में प्रतिरक्षा कर्मचारियों की बेदखली . . .	४९४३–४४
सभा का कार्य	४९४४–४५
कांडला पत्तन के बारे में वक्तव्य	४९४५–४६
अनुदानों की मांगें—	
प्रतिरक्षा मंत्रालय	४९४६—९४
दैनिक संक्षेपिका	४९८२—९४
अंक ४६—सोमवार, ११ अप्रैल, १९६०।२२ चैत्र, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३९९, १४०१ से १४०४, १४०६, १४०८, १४१०, १४११ और १४१४ से १४१८	४९९९—५०२२
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १४००, १४०५, १४०७, १४०९, १४१२, १४१३, और १४१९ से १४२२ . . .	५०२२—२६
अतारांकित प्रश्न संख्या १९५४ से १९८९ और १९९१ से १९९३	५०२६—४२
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५०४२–४३
प्राक्कलन समिति—	
कार्यवाही—सारांश	५०४३
याचिकाओं का उपस्थापन	५०४३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की पूर्व सूचना के बारे में . .	५०४३
अनुदानों की मांगें . .	५०४४—५११४
श्रम तथा रोजगार मंत्रालय .	५०४४—९७
पुनर्वास मंत्रालय . . .	५०९७—५११४
दैनिक संक्षेपिका	५११५—१८

विषय	पृष्ठ
अंक ४७—मंगलवार, १२ अप्रैल, १९६०।२३ चैत्र, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १४२३ से १४३६ .	५११९—४५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १४३७ से १४५४ .	५१४५—५३
अतारांकित प्रश्न संख्या १९९४ से २०३३ और २०३५ से २०४१	५१५४—७६
स्थगन प्रस्ताव के बारे में .	५१७७
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	५१७७
सदस्य द्वारा पद त्याग . .	५१७८
समिति के लिये निर्वाचन	५१७८
केन्द्रीय रेशम बोर्ड	५१७८
अनुदानों की मांगें .	५१७८—५२३६
पुनर्वास मंत्रालय . .	५१७८—५२१२
सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय . .	५२१२—३६
दैनिक संक्षेपिका .	५२३७—४१
अंक ४८—बुधवार, १३ अप्रैल, १९६०।२४ चैत्र, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १४५५–१४५८, १४६०, १४६१, १४६३–६६, १४६८, १४७० और १४७१ . .	५२४३—६६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १४५९, १४६२, १४६७, १४६९ और १४७२ से १४८०	५२६६—७२
अतारांकित प्रश्न संख्या २०४२ से २०८०	५२७२—९१
प्रश्न की शुद्धि	५२९१
राज्य-सभा से सन्देश	५२९१
उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक—सभा पटल पर रखा गया	५२९१
अनुदानों की मांगें	५२९१—५३५२
सिंचाई और विद्युत मंत्रालय	५२९१—५३३६

पृष्ठ

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय : . . . ५३३६—४२

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ५३५३—५६

अंक ४६—गुरुवार, १४ अप्रैल, १९६०।२५ चैत्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८१ से १४८४, १४८६, १४८७, १४९० से १४९४, १४९६, १४९७, १५००, १५०१ और १५०५ . . . ५३५७—८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८५, १४८८, १४८९, १४९५, १४९८, १४९९, १५०२ से १५०४ और १५०६ से १५१४ . . . ५३८२—९२

अतारांकित प्रश्न संख्या २०८१ से २१४७ . ५३९२—५४२०

सभा पटल पर रखा गया पत्र . . . ५४२०

प्राक्कलन समिति—

कार्यवाही—सारांश ५४२०

प्राक्कलन समिति—

नवासीवां प्रतिवेदन ५४२०

बम्बई पुनर्गठन विधेयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन ५४२१

अनुदानों की मांगें . . . . . ५४२१—७६

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय . . . ५४२१—६४

वित्त मंत्रालय . . . . . ५४६४—७६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ५४७७—८१

अंक ५०—शनिवार, १६ अप्रैल, १९६०।२७ चैत्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५१५ से १५१८, १५२१, १५२२, १५२६, १५२९, १५३०, १५३३ से १५३६, १५४० और १५४१ . . ५४८३—५५०६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५१९, १५२०, १५२३ से १५२५, १५२७, १५२८, १५३१, १५३२, १५३७, १५३८ और १५३९ . . . ५५०६—११

अतारांकित प्रश्न संख्या २१४८ से २१९८ . . . . ५५११—३२

पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव के बारे में--

आसाम के मिज़ो हिल्स ज़िलों में अकाल की स्थिति ५५३२

सभा पटल पर रखे गये पत्र ५५३४

राज्य-सभा से सन्देश ५५३५

प्राक्कलन समिति--

चौरासीवां प्रतिवेदन ५५३६

तारांकित प्रश्न संख्या १४३० और ९१९ के उत्तरों की शुद्धि ५५३६-३७

सभा का कार्य ५५३७

अनुदानों की मांगें--

वित्त मंत्रालय ५५३७--५४

वेतन की अधिकतम सीमा (ग़ैर-सरकारी क्षेत्रों में) विधेयक--श्री अ० मु० तारिक द्वारा पुरस्थापित ५५५४-५५

कैथोलिक चर्च परिसर और पादरी संघ (राजनीतिक गतिविधि पर प्रतिबंध) विधेयक--श्री नागी रेड्डी का विचार करने के लिये प्रस्ताव--अस्वीकृत ५५५५--७२

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (नये खंड ७क का रखा जाना)--श्री त० ब० विट्ठल राव का विचार करने के लिये प्रस्ताव ५५७२--७४

संविधान (संशोधन) विधेयक--(अनुच्छेद ३४३ का संशोधन) श्री च० का० भट्टाचार्य का--पुरस्थापित ५५७४-७५

कार्य मंत्रणा समिति--

पचासवां प्रतिवेदन ५५७५

दैनिक संक्षेपिका ५५७६--८१

नोट :--मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

GMGIPND--LS III--329 (Ai) LSD--4-6-60--135.

लोक-सभा

मंगलवार, १२ अप्रैल, १९६०
२३ चैत्र, १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

जूतों का निर्यात

+

†* १४२३. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री कर्णी सिंहजी :
श्री दिनेश सिंह :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २७ नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ३७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि फालतू जूतों के अन्य खरीदारों का पता लगाने के लिये राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम तथा राज्य व्यापार निगम ने जो प्रयास किया था उसका क्या परिणाम रहा ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : इन फालतू जूतों को निबटाने के लिये अब भी प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : किन-किन देशों में इन जूतों की बिक्री के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

†श्री कानूनगो : हमने पूर्वी यूरोपीय देशों में कोशिश की है । हम दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों, पश्चिम एशियाई देशों तथा अफ्रीका में कोशिश कर रहे हैं ।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : कितने जूते अब भी फालतू हैं ?

†श्री कानूनगो : १० लाख रुपये के होंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री पद्म देव : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस समय विदेशों से जूते इम्पोर्ट भी किये जाते है या उस पर कतई बैन लगा हुआ है।

श्री कानूनगो : नहीं, इम्पोर्ट नहीं होता है।

†श्री हेम बरुआ : सोवियत रूस को इन फालतू जूतों को खरीदने के हेतु समझाने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ? यदि हां, क्या वे असफल हुये, यदि ऐसा मामला है तो इन जूतों को खरीदने के लिये उन्हें समझाने के लिये सरकार की असफलता के क्या कारण हैं ?

†श्री कानूनगो : सोवियत रूस जिस प्रकार के जूते चाहता है, वैसे जूते नहीं हैं।

इंजीनियरी के सामान का निर्यात

+

†*१४२४. { श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ मासों में की गई विशेष कार्यवाही के परिणामस्वरूप बर्मा को इंजीनियरी के सामान के निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) किन अन्य देशों को इस इंजीनियरी के सामान का निर्यात होता है ;

(घ) क्या वस्तुओं की कोटि (क्वालिटी) के बारे में कोई शिकायत मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) अगस्त १९५९ से बर्मा के लिये निर्यात में कुछ वृद्धि हुई है।

(ग) १९५९ में लगभग ९८ देशों को निर्यात किया जाता था किन्तु मुख्यतः दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया तथा अफ्रीका के देशों के लिये ही।

(घ) और (ङ) वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़ों के महानिदेशक को कुछ निर्यातकों की चीजों के खिलाफ कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। कुछ निबटा दी गई हैं और कुछ की जांच की जा रही है।

†श्री स० चं० सामन्त : बर्मा के साथ १९५६ के समझौते के शिष्टाचार में दर्ज कौन-कौन सी चीजों की इस समय बहुत मांग है ?

†श्री कानूनगो : मैं यह नहीं कह सकता। किन्तु प्रश्न इंजीनियरिंग के सामान के बारे में है। वे दिखा दी गई हैं।

†श्री स० चं० सामन्त : यह समझौता कब तक रहेगा ? क्या इसकी तारीख बढ़ाये जाने की कोई गुंजाइश होगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री कानूनगो : यह समझौता तब तक जारी रहेगा जब तक कोई देश इसको खत्म नहीं करना चाहता ।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : अभी यह बताया गया था कि इन चीजों के कुछ निर्माताओं के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई हैं । इन निर्माताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

†श्री कानूनगो : ऐसे मामले बहुत कम हैं । झगड़ा चीजों की अच्छाई के बारे में नहीं था अपितु व्यापार की शर्तों के बारे में था । ६ करोड़ रुपये से अधिक के कुल व्यापार में से पांच या छः से अधिक शिकायतें नहीं थीं । इनमें से ३ या ४ निबटा दी गई हैं और शेष की जांच की जा रही है ।

टेलीफोन के तार तथा को-एक्सियल केबल[1]

+

†*१४२५. श्री रा० च० माझी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आजकल देश में को-एक्सियल केबल और टलीफोन के तार बनाने के लिये मुख्य कच्चे पदार्थ उपलब्ध हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इनकी पूर्ति स्वदेशीय साधनों से करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

टेलीफोन के तार तथा को-एक्सियल केबल बनाने में इस्तेमाल किये जाने वाले मुख्य कच्चे सामान का विवरण नीचे दिया जाता है :—

टेलीफोन के तार . . १. तांबे का तार
२. अन्तरयन कागज तथा कागज की डोरियां
३. एण्टीमोनियल जस्ता
४. स्टील टैप
५. बिट्युमन
६. हेसियन
७. इमारती लकड़ी; और
८. कलई

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Co-oxial Cable.

को-एक्सियल केबल . . १. स्पेशल सिल्वर फ्री सेण्टर कान्डक्टर
२. तांबे का तार तथा टैप
३. पाली चीन वाशर तथा ग्रनूल्स
४. अन्तरयन कागज तथा कागज की डोरियां
५. एण्टीआक्सीडेन्ट तथा कलरिंग मास्टर बैच
६. एण्टीमोनियल जस्ता
७. स्टील टैप
८. बिट्युमन
९. हैसियन
१०. इमारती लकड़ी; और
११. कलई

उपरोक्त वस्तुओं में से एण्टीमोनियल जस्ता, बिट्युमन, हेसियम, इमारती लकड़ी तथा कलई देश में ही प्राप्त हो जाती है। स्टील टैप के सम्बन्ध में मांग को केवल १५ प्रतिशत मात्रा देश में प्राप्त होती है। अब तक तांबे के तार तथा अन्तरयन कागज और कागज की डोरियों का देश में कोई सप्लाई करने वाला नहीं है। अन्तरयन कागज तथा कागज की डोरियों के लिये कई देशी निर्माताओं से कहा गया था किन्तु जो नमूने प्राप्त हुये हैं वे उपयुक्त नहीं हैं। पालीचीन वाशरों तथा ग्रेनूल्स को भी देश में ही प्राप्त करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। अन्य कच्चे माल के बारे में अभी तक किसी भी देशी साधन का पता नहीं लगाया गया है।

†**श्री रा० च० माझी** : को-एक्सियल केबल का निर्माण कार्य कब पूरा होगा और कब से उत्पादन कार्य आरम्भ किया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हम इस वर्ष जून में उत्पादन प्रारम्भ करना चाहते हैं।

†**श्री रा० च० माझी** : प्रति वर्ष कितना को-एक्सियल तार बनाया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह**: मशीनरी का परीक्षण होने पर यह पता चल जायेगा। किन्तु प्रति वर्ष लगभग ३०० मील लम्बा केबल बनाया जायेगा।

†**श्री स० च० सामन्त** : स्टील टैप के बारे में देश में १५ प्रतिशत ही उपलब्ध है। क्या निर्माताओं ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से सहायता की मांग की है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जो नहीं, यहां पर प्रश्न धातु के रूप में ठीक प्रकार से कच्चे माल के प्राप्त करने का है। अतः स्ट्रिप्स तैयार करने के लिये धातु प्राप्त करना ठीक नहीं होगा। अतः तार बनाने के लिये आवश्यक स्ट्रिप्स मंगाये जा रहे हैं।

कलकत्ता में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का अस्पताल

+

†*१४२६. **श्री तंगामणि** :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री २७ नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ३८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कलकत्ता में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र)**: २४ परगनों में अस्पताल के लिये एक प्लाट चुना गया है। उसकी योजना तैयार की जा रही है तथा यह भी देखा जा रहा है कि कितना व्यय होगा। अन्य अस्पतालों के लिये प्लाट लेने का काम भी किया गया है।

†**श्री तंगामणि** : पिछली बार हमें बताया गया था कि सागर दत्त अस्पताल के लिये २४ परगनों का क्षेत्र नियत कर दिया गया है और प्लाट चुन लिया गया है। क्या प्लाट प्राप्त कर लिया गया है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : प्लाट प्राप्त कर लिया गया है। हम सागर दत्त अस्पताल में सौ स्थानों की व्यवस्था करने का विचार कर रहे हैं।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : इस अस्पताल में कितने रोगियों के लिये व्यवस्था की जायेगी।

†**श्री ल० ना० मिश्र** : कलकत्ता में ८ से १० तक अस्पताल होंगे। सागर दत्त अस्पताल में १०० रोगियों के लिये व्यवस्था की जायगी।

†**श्री तंगामणि** : इस अस्पताल के बनने तथा बिस्तरों की व्यवस्था करने में कितना समय लगेगा।

†**श्री ल० ना० मिश्र** : राज्य सरकार निर्माण करायेगी। कोई ठीक समय देना कठिन होगा।

†**श्री तंगामणि** : क्या यह सच नहीं है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने दो वर्ष पहले ही अस्पताल स्थापित करने के बारे में निश्चय कर लिया था ? यदि हां, तो इतनी देर क्यों हुई है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : हम कई स्थानों में कई अस्पताल खोलना चाहते हैं। देरी हुई है क्योंकि भूमि प्राप्त नहीं हुई है और निर्माण सामग्री भी प्राप्त नहीं हुई है। किन्तु अब हमने एक कार्य-क्रम बनाया है और हमें आशा है कि दूसरी योजना काल में बहुत से अस्पताल खुल जायेंगे।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : हमें बताया गया था कि पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा कुछ संवैधानिक आपत्तियां उठाई गई थीं। क्या उनकी जांच कर ली गई है तथा निर्णय कर लिया गया है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : उसे ठीक कर दिया गया है।

†**श्री अरविंद घोषाल** : यह देखते हुये कि हावड़ा जिले में एक लाख कर्मचारी काम में लगे हुये हैं, क्या हावड़ा में कोई अस्पताल खोला जायेगा ? यह अस्पताल केवल २४ परगनों के जिले में है।

†**श्री ल० ना० मिश्र** : पश्चिम बंगाल में कई अस्पताल खोले जायेंगे। जहां तक हावड़ा का सम्बन्ध है, मुझे इस समय जानकारी नहीं मिली है। किन्तु मेरे विचार में वहां भी अस्पताल खोला जायेगा।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या देश के अन्य भागों में भी ऐसे अस्पताल खोलने का कोई विचार है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : अवश्य होगा। किन्तु मैं उसका ठीक ठीक ब्यौरा नहीं दे सकता।

†**डा० सुशीला नायर** : क्या यह सच है राज्य लोक निर्माण विभाग की ओर से प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण ही मुख्यतः अस्पतालों के निर्माण में देरी हुई है ? यदि हां, कोई ऐसा प्रस्ताव है जीवन बीमा निगम की तरह कर्मचारी राज्य बीमा निगम भी सीधे निर्माण कराये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ल० ना० मिश्र** : राज्यों के श्रम मन्त्रियों की पिछली बैठक में इस प्रश्न पर चर्चा हुई थी। निर्माण में गति लाने के लिये कुछ तरीके निकाले गये हैं। जहां तक निगम द्वारा निर्माण कराने का सम्बन्ध है, यह अभी तक तय नहीं हुआ है ।

†**श्री तंगामणि** : यह प्रश्न सागर दत्त अस्पताल के बारे में है। माननीय सभा सचिव ने बताया है कि द्वितीय योजना के अन्त तक अस्पताल बन जायेंगे। क्या २४ परगनों में यह अस्पताल भी द्वितीय योजना काल के दौरान बन जायेगा ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : मैं नहीं कह सकता। किन्तु जैसा मैं ने बताया, बहुत से अस्पताल द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में बन जायेंगे। जहां तक सागर दत्त अस्पताल का सम्बन्ध है, भूमि प्राप्त कर ली गई है और अन्य प्रारम्भिक कार्यवाही कर ली गई है। निर्माण कार्य शीघ्र ही आरम्भ किया जायेगा।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्योंकि इस अस्पताल के बनने में कुछ और समय लगने की सम्भावना है, कलकत्ता के वर्तमान अस्पतालों में तथा जहां-जहां अस्पताल हैं, उन स्थानों में कितने रोगियों के के लिये स्थान सुरक्षित रखा गया है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : यह ठीक है कि अस्पतालों के बन जाने तक हमने कलकत्ता के वर्तमान असैनिक अस्पतालों में स्थान सुरक्षित रखे हैं। नये क्षेत्रों के लिये हमारा विचार आर० जी० कार मेडिकल कालेज में १०० स्थान, मेयो अस्पताल, कलकत्ता में ५० स्थान और कलकत्ता नेशनल मेडिकल संस्था में १०० स्थान सुरक्षित रखने का विचार है।

दिल्ली के सिनेमाओं में "मैटिनी शो"

†***१४२७. श्री अ० मु० तारिक** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के मुख्य आयुक्त ने यह आदेश निकाला है कि १८ वर्ष से कम आयु के बच्चे शनिवार तथा रविवार के अतिरिक्त अन्य किसी भी दिन सिनेमाओं के "मैटिनी शो" नहीं देख सकते ;

(ख) यदि हां, तो क्या माता-पिताओं ने अपनी असुविधा के कारण उपरोक्त आदेश का विरोध किया है, और

(ग) यदि इस मामले में कोई कार्यवाही की जा रही है, तो क्या ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा-सचिव (श्री प्रा० चं० जोशी)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) कुछ इधर उधर की शिकायतें हुई हैं।

(ग) शिक्षा अधिकारियों, लोक संबंधी समिति तथा संबंधित हितों से प्राप्त अभ्यावेदनों के विचारों पर पूर्ण रूप से विचार करने के बाद ही दिल्ली प्रशासन ने यह आदेश निकाले हैं।

†**श्री अ० मु० तारिक** : बच्चों को केवल मैटिनी शो में जाने से ही रोका गया है किन्तु वे ६.३० वाले शो में जा सकते हैं जो मां बाप तथा बच्चों को अधिक कष्टदायक है। यदि आप १८ से कम की आयु वाले बच्चों को रोकना चाहते हैं तो आप उन्हें सभी शो में जाने से रोकिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सूचना और प्रसारणमंत्री (डा० केसकर)** : मैं दिल्ली प्रशासन की ओर प्रत्येक बात का उत्तर नहीं दे सकता। जो कुछ मैं समझता हूं यह वैसा ही है। दिल्ली प्रशासन का आदेश केवल यह देखना है कि स्कूल के घंटों में बच्चे सिनेमा शो देखने की ओर आकर्षित न हों। जब गत वर्ष से पहले एक बार एक आदेश जारी किया गया था तो ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुये कि उस आदेश से बड़ी असुविधा हो रही है और प्रशासन ने उन अभ्यावेदनों पर पूरी तरह से विचार किया। और बाद में उन्होंने उसमें रूप भेद कर दिया, जैसा कि वह आज कल है।

†**श्री अ० मु० तारिक** : यह बताया गया था कि ऐसा इसलिये किया गया क्योंकि बच्चों को स्कूल के समय सिनेमा जाने से रोकने का इरादा था। किन्तु दिल्ली में अधिकांश स्कूल १.३० बजे बन्द हो जाते हैं। यह भी बताया गया था कि यह इसलिए किया गया क्योंकि कुछ विद्यार्थी स्कूल नहीं जाते थे। स्कूल जाने वाले अधिकांश बच्चे स्कूल के बाद सिनेमा जाना चाहते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य तर्क क्यों करते हैं? प्रश्न क्या है?

†**श्री अ० मु० तारिक** : माननीय मंत्री ने कहा था कि मैटिनी शो हमेशा स्कूल के समय होते हैं। मेरा कहना यह है कि यह सही नहीं है। कुछ स्कूल १.३० बजे बंद हो जाते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि क्या माता पिताओं से उसके विरोध में ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं जिसमें उन्होंने मांग की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए।

†**डा० केसकर** : जहां तक वास्तविक स्थिति का संबंध है, बात यह है कि प्रातःकाल के शो भी बच्चों के लिये बंद कर दिये गये हैं। केवल शाम को तथा उसके बाद वे जा सकते हैं।

सरदार अ० सिंह सहगल : क्या यह सत्य है कि स्कूलों से विद्यार्थियों की बहुत बड़ी संख्या में गैर हाजिर होने के कारण चीफ कमिश्नर महोदय को यह आदेश निकालने पर विवश होना पड़ा था?

डा० केसकर : जी हां, यह ठीक है।

†**श्री पहाड़िया** : क्या १८ वर्ष से कम के स्कूल जाने वाले बच्चों पर ही प्रतिबन्ध है या १८ वर्ष से कम के सभी लड़कों और लड़कियों पर भी प्रतिबन्ध है।

†**डा० केसकर** : १८ वर्ष से कम के सभी बच्चों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है, यह विचार करके कि १८ वर्ष से कम के अधिकांश बच्चे स्कूल अथवा कालेज में पढ़ने वाले होते हैं।

†**डा० सुशीला नायर** : अभी शनिवार व रविवार को छोड़कर छुट्टियों में भी बच्चों को ३.३० के शो में नहीं जाने दिया जाता है। क्या माननीय मंत्री इस बात की ओर ध्यान देंगे कि शनिवार व रविवार के अलावा छुट्टियों के दिनों भी बच्चों को मैटिनी शो देखने की अनुमति मिल जाये?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें कौन रोकता है?

---

†मूल अंग्रेजी में

कपड़ा मिलों का नवीकरण

†*१४२८. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कपड़ा मिलों के नवीकरण में विलम्ब हो गया है क्यों कि पिछले छ: मास में मशीनों का कोई लाइसेन्स नहीं दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या यह सच है कि मर्सेराइजिंग मशीनरी आदि जो कि देश में बनने वाली थीं, कपड़ा मिलों की मांग के मुताबिक नहीं बनाई जाती है ? यदि हां, तो इस मशीनरी को बाहर से मंगाने के लिये सरकार की क्या नीति होगी ?

†**श्री कानूनगो** : सच बात यह है कि हमने सीमायें बना ली हैं जिनके अन्तर्गत आयात की अनुमति दी जायेगी ; और गत दो वर्षों से उसके मुताबिक माल नहीं मंगाया गया है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : हम विदेशों से कितनी मशीनरी मंगवा रहे हैं तथा कपड़ा मशीनरी के निर्माण में आत्म-निर्भरता करने की हमारी योजना किस अवस्था में है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : सभा को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि वर्ष १९५९ में हमने कपड़ा तैयार करने की काफी मशीनें बनाईं । लगभग १२ करोड़ रुपये की मशीनें बनाई गईं । वस्तुत: देश की मांग ३० करोड़ रुपये की मशीनरी की है । अत : एक कार्यकारी दल नियुक्त कर दिया गया है और हमें आशा है कि अगले तीन वर्षों में प्रति वर्ष २० करोड़ रुपये की मशीनरी का उत्पादन होने लगेगा ।

†**श्री स०.मो० बनर्जी** : किस प्रकार की मशीनें मंगाई जा रही हैं और हम उन्हें देश में कब तक बना पायेंगे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : अगर मैं उनके नाम बताऊं तो माननीय सदस्य कुछ भी नहीं समझ पायेंगे । वे मशीनें कंघा करने, धुनाई, कताई, कपड़ा तैयार करने, मर्सेराइज करने, रंग देने, धोने आदि की हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा को इन बातों में दिलचस्पी नहीं है ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : पिछले प्रश्नकर्ता यह पूछना चाहते थे कि क्या मशीनरी के महत्वपूर्ण पुर्जे अभी तक देश में बनाये जा रहे हैं अथवा नहीं ।

†**श्री मनुभाई शाह** : मिलों में सभी मशीन आवश्यक हैं क्योंकि उनकी एक मिली जुली प्रक्रिया है । अत: सभी महत्वपूर्ण मशीनें बनाई जा रही हैं । मशीनरी के पुर्जों का कोई प्रश्न नहीं उठता । वर्तमान नीति कम से कम समय में देश में सब प्रकार की मशीनरी बनाने की है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : माननीय मंत्री ने कहा था २० करोड़ रुपये तक कपड़ा मशीनरी बनाई जाने लगेगी ? क्या ऐसा वर्तमान कारखानों का विस्तार करके किया जायेगा अथवा नये कारखानों को लाइसेंस दे कर ?

†**श्री मनुभाई शाह** : दोनों साधनों के द्वारा ।

पर्वतीय क्षेत्रों के लिये परामर्शदात्री समिति

\+

* १४२६. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री सरजू पांडेय :

क्या योजना मंत्री १२ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए परामर्शदात्री समितियां नियुक्त करने का जो सुझाव योजना आयोग ने पंजाब व उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों को दिया था उस के बारे में उन की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना०मिश्र) : राज्य सरकारों ने योजना कमीशन का सुझाव मान लिया है ।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सुझाव केवल मान ही लिया गया है या उस पर अमल भी किया जा रहा है और ऐसी समितियां बन भी चुकी हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : वहां से तार द्वारा सूचना आई है । हाल ही में इन लोगों ने सुझाव माना है और उसको कोई बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं । जनवरी में उन्होंने लिखा था जिसको कि उन्होंने स्वीकार किया है और उस सुझाव को कार्यान्वित करना चाहते हैं ।

श्री भक्त दर्शन : चीन से मिले हुए जो हमारे सीमावर्त्ती इलाके हैं वहां नये जिलों का निर्माण किया गया है जैसे उत्तर प्रदेश में तीन नये जिले बनाये गये हैं वैसे ही पंजाब में भी लाहौल और स्पिती के नये जिले बनाये गये हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस नई परिस्थिति के कारण इन परामर्श-दात्री समितियों के संगठन में कोई परिवर्तन किया जा रहा है या उन्हें विशेष अधिकार दिये जा रहे हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र: यह ऐडवाइजरी कमेटी की तरह बनेगी जिसके कि सदस्य संसद्, विधान सभाओं और वहां के जो सार्वजनिक कार्यकर्त्ता होंगे उनमें से बनेंगे और उन का यह काम होगा कि उस इलाके की योजना को बनावें और उसके कार्य में सरकार की मदद करें।

श्री आसर : क्या योजना आयोग द्वारा बम्बई राज्य को इस संबंध में कोई सुझाव दिया गया है ? यदि हां, तो उस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री ल० ना० मिश्र : नहीं, श्रीमान् । हमने केवल पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में ऐसा किया है ।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि पंजाब और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों ने क्या कोई सूचना दी है कि कब तक यह समितियां अपना काम चालू कर देंगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री ल० ना० मिश्र : जी नहीं, ऐसी सूचना नहीं दी है लेकिन उन्होंने योजना कमिशन का जो सुझाव था उस को माना है और वह उस लाइन पर कमेटी बना रहे हैं ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या इन दो राज्यों में अन्य पिछड़े क्षेत्रों के लिये ऐसी परामर्शदात्री समितियां नियुक्त करने का कोई सुझाव है !

†**श्री ल० ना० मिश्र** : नहीं श्रीमान् । जहां तक अन्य क्षेत्रों का संबंध है, कोई समिति नियुक्त नहीं की जायेगी ।

श्री पद्म देव : क्या यह जो तृतीय पंचवर्षीय योजना बन रही है और बहुत सारे विभागों के सम्बन्ध में बन भी चुकी है तो क्या वह कंसल्टेटिव कमेटी इसके सम्बन्ध में भी कोई कार्य शुरू करेगी ?

श्री ल० ना० मिश्र: जी उम्मीद तो की जाती है कि उन के हलके के बारे में तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्या काम होना चाहिए उसके बारे में वे राय दे सकेंगे ?

सेठ गोविन्द दास : इस योजना के अनुसार जिन जिन क्षेत्रों पर विचार किया जायेगा उन में क्या उत्तराखंड के बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्तरी और यमुनोत्तरी के तीर्थस्थल भी आयेंगे ?

श्री ल० ना० मिश्र : यह हम नहीं कह सकते हैं लेकिन इतना कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं जैसे गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल और देहरादून और पंजाब के हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, शिमला डिस्ट्रिक्ट इनक्लूडिंग कंडाघाट सबडिवीजन डुनेरा ब्लोक ओफ गुरुदासपुर डिस्ट्रिक्ट इनक्लूडिंग डलहौजी तो इन सब को हम पहाड़ी इलाका मानते हैं ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या योजना आयोग ने दूरवर्ती आदिम क्षेत्रों के गहन विकास के प्रश्न की जांच करने के लिए नियुक्त की गयी डा० वेरियर समिति की रिपोर्ट पर भी विचार किया था ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : प्रश्न पंजाब और उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में है और मैंने कहा है कि इन दो राज्यों के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए ही समिति स्थापित की जायेगी ।

†**श्री हेम बरुआ** : जी नहीं । सम्पूर्ण देश में आदिमजाति क्षेत्रों के विकास के लिए अग्रिम परियोजनाओं की परीक्षा करने तथा मार्गोपाय सुझाने के लिए यह समिति स्थापित की गई थी ।

†**श्री ल० ना० मिश्र** : यह बात तो मैंने आप से ही जानी है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या उत्तर प्रदेश और पंजाब की राज्य सरकारों को सुझाव दिया गया है कि इन परामर्शदात्री समितियों में उन इलाकों के संसद सदस्यों को अवश्य रखा जाये ताकि उनकी राय से लाभ उठाया जा सके ?

श्री ल० ना० मिश्र: यह बात तो है ही । उनमें संसद सदस्य रहेंगे और स्थानीव एम० एल० ए० रहेंगे ।

श्री पद्म देव : मंत्री जी ने यहां केवल कांगड़ा और उत्तर प्रदेश का जिक्र किया है । क्या हिमाचल के अन्दर इस किस्म की कंसल्टेटिव कमेटी बनेगी, या जो अभी मौजूद है वही रहेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री ल० ना० मिश्र : यह समस्या है पंजाब और उत्तर प्रदेश की । हिमाचल तो पंजाब का हिस्सा अभी तक नहीं है ।

श्री पद्म देव : यह प्रश्न नहीं किया गया कि हिमाचल पंजाब का हिस्सा है या नहीं । मैं ने यह निवेदन किया था कि हिमाचल के अन्दर भी क्या इस किस्म की कंसल्टेटिव कमेटी बनेगी जो कि पर्वतीय क्षेत्रों का ही सबसे अधिक ज्ञान रखे ?

श्री ल० ना० मिश्र : वह छोटा सूबा है और वह तो सारा क्षेत्र ही पर्वतीय है । वहां पर इस लाइन पर कमेटी बनेगी या नहीं यह मैं नहीं बतला सकता ।

भारत-चीन सीमा विवाद

†*१४३०. **श्री दिनेश सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत-चीन विवाद सम्बन्धी जानकारी देश के जनसाधारण को देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अ ुबन्ध संख्या ८५]**

†**श्री दिनेश सिंह** : विवरण से यह प्रतीत होता है कि मंत्रालय ने विभिन्न भाषणों तथा प्रकाशनों को विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कराने का कुछ प्रयत्न किया है । क्या उसने कोई पुस्तक तथा पैम्फलेट तैयार किया है जिसमें सरल भाषा में स्थिति बताई गई हो जिसे सम्पूर्ण देश में समझा जा सके ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : विवरण में यह भी बताया गया है कि मंत्रालय द्वारा एक छोटा सा पैम्फलेट तैयार किया गया था । इसका भी कई भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है ।

†**श्री दिनेश सिंह** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने कहा है "जी हां, हमने एक पैम्फलेट निकाला है और उसमें सभी बातों का ध्यान रखा गया है, जोकि माननीय सदस्य चाहते हैं ।"

†**श्री हेम बरुआ** : विवरण के अनुसार पैम्फलेट प्रादेशिक भाषाओं में अनुवादित किये जाते हैं किन्तु प्राथमिकता हिन्दी, गुजराती, मराठी, उर्दू, तमिल और मलयालम को दी जाती है । असमिय जैसी अन्य महत्वपूर्ण भाषाओं की, जहां कि मुख्यतः आक्रमण किया जा रहा है, उपेक्षा की गई है । क्या सरकार का उन क्षेत्रों विशेषतः लद्दाख और नेफा के लिये उनकी अपनी बोलियों में हमारी स्थिति बताने वाले पैम्फलेट निकालने का विचार है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : सीमान्त क्षेत्रों की उपेक्षा क्यों की गई है ? यह पैम्फलेट मलयालम में निकाला गया है जिसका सीमा की समस्या से बहुत थोड़ा अथवा कुछ भी सम्बन्ध नहीं है ।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : यह सब क्षेत्र हिन्दी के अन्तर्गत आ जाते हैं ।

†**श्री हेम बरुआ** : नेफा हिन्दी के अन्तर्गत नहीं आता । लद्दाख के बारे में मुझे पता नहीं है ।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : तेलुगु, कन्नड़, बंगला, असमिया, उड़िया, गुरुमुखी, उर्दू तथा नेपाली में अनुवाद शीघ्र ही निकाले जा रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरूआ** : इन भाषाओं को प्राथमिकता नहीं दी जाती जबकि इन क्षेत्रों के सम्बन्ध में मलयालम, तमिल, गुजराती और हिन्दी को प्राथमिकता दी जाती है ।

†**श्रीमती मफीदा अहमद** : यह देखते हुए कि सीमा की अशांतिपूर्ण स्थिति से सीमान्त क्षेत्रों के निवासियों के अन्दर स्वभावतः भ्रम पैदा होता है, क्या सीमान्त के लोगों विशेषतः नेफा की आदिमजातियों के लोगों का साहस कायम रखने के लिए उचित उपाय किये जा रहे हैं, क्या उनको भी सारी बातें बताई जा रही हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : इन सब पुस्तिकाओं तथा पैम्फलेटों का उद्देश्य लोगों को सारे तथ्यों की जानकारी देना ही है । जहां तक लोगों के साहस को बढ़ाने का प्रश्न है, यह बात इस प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आती ।

†**श्री त्यागी** : क्योंकि इन मामलों के बारे में अत्यधिक अनभिज्ञता है, क्या इन पैम्लेफटों में उत्तरी सीमा के विस्तृत नकशे तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दी जाती है ? क्या ऐसा कोई साहित्य समाचारपत्रों को दिया गया है ताकि लोग उसके बारे में जान सकें ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : इस प्रकार की सभी सामग्री अर्थात् ऐतिहासिक तथ्य, नीतियां, नक्शे आदि समाचारपत्रों को दे दिये गये हैं और समय-समय पर अंग्रेजी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं के सभी समाचारपत्रों में समय-समय पर प्रकाशित होते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या उन पम्फलेटों में नक्शे भी होते हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मेरे विचार में नक्शे नहीं होते ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : इस मामले की मुख्य बात यह है कि चीन ने आक्रमण किया है और हमारे देश के १२,००० वर्ग मील के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है । यह साहित्य उस काम के लिए परिचालित किया जा रहा है । इन बातों को देखते क्या सरकार का ध्यान प्रतिरक्षा मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन की ओर गया है जिसके पृष्ठ ५ पर यह स्पष्ट रुप से बताया गया है कि तिब्बत की लद्दाख सीमा पर कुछ घटनायें हुई थीं ? सरकार इसमें कब शुद्धि करने जा रही है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैं पूर्व सूचना चाहती हूं . . . . (**अन्तर्बाधा**)

†**अध्यक्ष महोदय** : वह पूर्व सूचना चाहती हैं ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : इसमें विशेषाधिकार का प्रश्न है । यह मामला प्रतिरक्षा पर वाद-विवाद के समय उठाया गया था और प्रतिरक्षा मंत्री ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा था । यदि सरकार की ओर से प्रामाणिक रूप में जो चीजें प्रकाशित होती हैं उनके बारे में सरकार को कुछ पता नहीं है, तो मेरी तो समझ में यह आता नहीं कि हम क्या करें और इस प्रकार की सामग्री परिचालित करने से भी क्या लाभ है . . . . . (**अन्तर्बाधा**)

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री अब उत्तर दे सकेंगी ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : यदि यह काम प्रतिरक्षा मंत्री पर छोड़ दिया गया होता तो उन्होंने उत्तर दे दिया होता . . . . . (**अन्तर्बाधा**)

†**अध्यक्ष महोदय** : किन्तु माननीय सदस्य पूछ वैदेशिक-कार्य मंत्री से रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दिनेश सिंह** : यह प्रश्न मूल रूप से सूचना और प्रसारण मंत्री से पूछा गया था, जिन्होंने इसे वैदेशिक-कार्य मंत्री को भेज दिया। इन पुस्तिकाओं का वितरण कौन करता है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : प्रेस सूचना ब्यूरो यह काम करता है। अन्य विभाग भी यह काम करते हैं . . . . . (**अन्तर्बाधा**)

†**डा० राम सुभग सिंह** : इस विवरण के दूसरे पैरे में बताया गया है कि उसने भारत के उत्तरी सीमा की एक एटलस निकाली है जो कि मोल बिकती है। इससे पहले विवरण के प्रथम पैरा में यह कहा गया है कि भारत के उत्तरी सीमा की एक एटलस भी तैयार की गई थी जो बेची भी गई है। ये दोनों एटलसें एक ही हैं अथवा अलग-अलग ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : एक ही हैं।

†**डा० राम सुभग सिंह** : तो फिर यह गलती इस विवरण में क्यों की गई है ? क्या मैं जान सकता हूं कि फिर वह एटलस संसद् सदस्यों को क्यों नहीं दी जा रही है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : ये दोनों एटलसें, जिनका उल्लेख किया गया है, एक ही हैं। माननीय सदस्य को पता ही है कि चूंकि इसका मूल्य १५ रुपया है, इस कारण वह निःशुल्क नहीं बांटी गई।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि यह एटलस पुस्तकालय में है।

†**श्री त्यागी** : संसद् सदस्य जो कि भारत के उत्तरदायी अभिभावक हैं, उन्हें स्थिति से पूर्णरूपेण परिचित रखा जाना चाहिए और मेरा प्रस्ताव यह है कि यह एटलस सारे संसद् सदस्यों को दी जानी चाहिए जिससे कि वे स्थिति के बारे में जानकारी रख सकें।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरी समझ में यह नहीं आता कि माननीय सदस्य कितनी सरलता से सुझाव दे देते हैं। माननीय सदस्य देखेंगे कि अनेक कागजात उन्हें मिलते रहते हैं। एटलस इतनी बड़ी है कि उसे कोई अपनी जेब में रखकर नहीं ले जा सकता।

†**श्री त्यागी** : इसका मूल्य ५ रुपये से बढ़ा कर १५ रुपये कर दिया गया है। क्या यह मूल्य इस एटलस के महत्व को बढ़ाने की दृष्टि से ही बढ़ाया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : संसद् सदस्यों को हम रियायत तो नहीं दे सकते।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : ये एटलसें मंत्रणा समिति के सदस्यों को निःशुल्क भेजी गई थीं।

†**श्री च० द० पांडे** : क्या सरकार का ध्यान उसके द्वारा प्रकाशित नक्शे की ओर आकर्षित किया गया है? भारत के मूल नक्शे और अब तैयार किये गये नक्शे में कुछ अन्तर है। नये नक्शे के अनुसार काराकोरम दर्रा सीमा पर दिखाया गया है जबकि पहले दर्रे को सीमान्त के लगभग ४० मील अन्दर दिखाया गया था।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न केवल प्रचार के तरीके से सम्बन्ध रखता है प्रचार किया जा रहा है अथवा नहीं। माननीय मन्त्री से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह साहित्य के बारे में विस्तार से उत्तर दे सकें।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : हम ठीक-ठीक जानकारी चाहते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० राम सुभग सिंह** : भारत सरकार की ओर से यह जो एटलस प्रकाशित की गई है उसमें लद्दाख की उत्तरी सीमा भारत सरकार और चीन द्वारा प्रकाशित नक्शों में एक सीधी रेखा में दिखाये गये हैं। किन्तु हाल के नक्शों में उसे टेढ़ा दिखाया गया है, अतः हमारे नक्शों में कराकोरम पर्वतमाला चीन में दिखाई जा रही है। बात यह है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह अत्यन्त महत्वपूर्ण बात हो सकती है। इस बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि यह प्रश्न एटलस अथवा नक्शे के सम्बन्ध में नहीं है। प्रश्न यह पूछा गया है कि क्या लोगों को पूरी स्थिति बताई गई है। ऐसा किया गया है। यदि माननीय सदस्यों को इस बारे में कोई बात कहनी है कि इसमें परिवर्तन क्यों किया गया है, सीमा २० मील के बजाय २५ मील क्यों दिखाई गई है इस बारे में वे अलग प्रश्न पूछ सकते हैं।

†**हेम बरुआ** : इस विवरण से ऐसा कुछ पता नहीं लगता कि यह बड़े भद्दे ढंग से किया गया है और उसमें मांगी गई जानकारी नहीं है। उदाहरण के लिये लोग इसे जानना चाहेंगे। मान लीजिये कि लद्दाख और उत्तरी-पूर्वी सीमान्त अभिकरण के लोग हिन्दी समझते हैं जैसा कि माननीय उपमंत्री का कथन है, इस बारे में उन्हें बताने के लिये उनमें कितने समाचार पत्रों अथवा पुस्तिकाओं का वितरण किया गया है ? यह बड़ा भद्दा सा विवरण है, अतः उस पर भला हम किस प्रकार निर्भर कर सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस पर मुझे वास्तव में आश्चर्य हो रहा है। मैं नहीं समझ पाता कि यदि माननीय सदस्य सरकारी पक्ष में होते तो क्या करते ?

†**श्री हेम बरुआ** : तो हमने थोड़ी-थोड़ी न करके सम्पूर्ण अलग दिखाई होती।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे विश्वास है कि सभी लोग इच्छुक हैं। जहां तक इसका सम्बन्ध है, मैं यही कह सकता हूं कि वह यह आशा नहीं कर सकते कि उन्हें वितरित की गई प्रतियों के बारे में जानकारी मिल सके। यद्यपि पुस्तिकायें तथा अन्य जानकारी छाप कर परिचालित की गई हैं, किन्तु विवरण में ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो अनुपूरक प्रश्न में यह पूछ सकते हैं कि कितनी पुस्तिकायें आदि बांटी गई हैं और यदि उपमंत्री महोदया के पास इसकी जानकारी होगी तो वह माननीय सदस्य को मिल जायेगी।

†**श्री हेम बरुआ** : मान लीजिये कि लद्दाख और उत्तरी पूर्वी सीमान्त के लोग हिन्दी जानते हैं जैसा कि उपमंत्री महोदया का कथन है तो उन्हें इस बारे में जानकारी देने के लिये उनमें कितनी पुस्तिकाएं बांटी गई हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : विवरण में बताया जा चुका है कि १,२०,००० प्रतियां बांटी गई थीं।

†**श्री हेम बरुआ** : लद्दाख और उत्तरी-पूर्वी सीमान्त अभिकरण में ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हम नहीं कह सकते।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : एटलस की कितनी प्रतियां बिक चुकी हैं क्योंकि यह एक कीमती प्रकाशन है और मैं समझता हूं कि जनता उसे नहीं खरीद सकेगी ? क्या सरकार कालेजों, सामाजिक संस्थाओं और राजनीतिक दलों को उसका निःशुल्क संभरण करने को तैयार है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० मु० तारिक :** माननीय उपमंत्री महोदया ने कहा है कि एटलस परामर्शदात्री समितियों के सदस्यों को निःशुल्क दी गई हैं। मुझे कहते हुए खेद होता है कि यह सच नहीं है। मैं भी परामर्श-दात्री समिति का एक सदस्य हूं किन्तु मुझे अभी तक एटलस की कोई प्रति नहीं मिली है।

†**अध्यक्ष महोदय :** अच्छा, उन्हें मिल जायेगी।

†**श्री मनायन :** क्या यह सच है कि भारत सरकार के वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का एक पदाधिकारी कलिम्पोंग से नियमित रूप से नेपाली भाषा में विशेष पुस्तिकाएं निकाल रहा है? यदि ऐसा है, तो क्या सरकार इस प्रकार की पुस्तिकाओं और पर्चों को और विशद रूप से बांटने के लिये क्या कार्रवाई कर रही है? क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कलिम्पोंग और सिक्किम में तिब्बती शरणार्थियों की संख्या अधिक है, इस कारण तिब्बती भाषा में भी पुस्तिकाएं और पर्चे निकालने के बारे में कार्रवाई करेगी? भूटान के लिये और अधिक पुस्तिकायें निकालने की आवश्यकता है।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह कार्रवाई के लिये सुझाव है। यदि माननीय सदस्य वर्तमान प्रबन्ध से सन्तुष्ट नहीं हैं तो वे इस बारे में सुझाव भेज सकते हैं कि प्रचार किस प्रकार बढ़ाया जाये।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** मैं तो यह जानना चाहता था कि एटलस की कितनी प्रतियां बिक चुकी हैं। क्या हम उपमंत्री महोदया से यह जानकारी नहीं मांग सकते हैं?

†**अध्यक्ष महोदय :** वह इसे अभी नहीं मांग सकते।

कपड़ा उद्योगों को ऋण

†

†*१४३१. **श्री अरविंद घोषाल :**
श्री बि० दास गुप्त :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६० में कपड़ा मिलों में मशीनों के आधुनिकीकरण तथा पुनः स्थापन के लिए कोई नया ऋण मंजूर किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस ऋण को क्या शर्तें हैं?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). मांगी गयी जानकारी बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८६]**

†**श्री अरविंद घोषाल :** विवरण से पता लगता है कि सूती कपड़ा मिलों की मंजूरी के बाद भी लगभग २ करोड़ रुपये मंजूर कर दिये गये थे। इस राशि को अस्वीकार करने के क्या कारण हैं?

†**श्री मनुभाई शाह :** कभी कभी मिलों के अपने संसाधन निकल आते हैं, अतः वे राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम से ऋण लेने से पहले अपनी रक्षित निधि का इस्तेमाल करना चाहेंगी। जैसा कि राशि से पता लगता है यह स्वीकार किया गया है कि १२ करोड़ रुपयों से ५२ मिलों ने लाभ उठाया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अरविन्द घोषाल** : ऋण किन शर्तों पर दिया गया है ? विवरण में कोई भी शर्त नहीं दी गई है । इस ऋण का भुगतान कितने वर्षों में होगा और ऋण कितनी ब्याज दर पर दिया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : ब्याज दर ५।। से ६ प्रतिशत के बीच रहती है । अगले वर्ष से शुरू होकर आधुनिकीकरण पूरा हो जाने के बाद १५ किस्तों में भुगतान करने की सामान्य शर्त रखी गई है ।

†**श्री बि० दास गुप्त** : क्या ऋण की शर्तें अन्तिम रूप से तय हो गई हैं अथवा नहीं ? यदि वे अन्तिम रूप से तय हो गई हैं तो यह शर्त लगा दी गई है या नहीं कि आधुनिकीकरण हो जाने के पश्चात् कारखानों में मजदूरों की छंटनी नहीं होगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : ये दोनों भिन्न पहलू हैं—एक आर्थिक और वाणिज्यिक है और दूसरा श्रम सम्बन्धी। जहां तक पहले का सम्बन्ध है,पिछले चार वर्षों से योजना कार्य कर रही है और राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम के परिणामस्वरूप काफी संख्या में मिलों का आधुनिकीकरण किया जा चुका है । दूसरे पहलू के बारे में जैसा कि सदन को विदित है, सारा आधुनिकीकरण बिना छंटनी के हो रहा है अर्थात् सामान्यतः एवजी पर काम करने वाले और आकस्मिक मजदूरों के निकल जाने के बाद विस्तार का समायोजन कर लिया जाता है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : इस बात की जांच के लिये क्या ठोस उपाय किये गये हैं कि जिससे सरकार द्वारा ऋण के रूपमें स्वीकृतराशि का दुरुपयोग न हो अथवा कपड़ा उद्योग के अलावा अन्य किसी काम में यह धन न लगाया जाये और इसके लिये क्या प्रतिबन्ध लगाये गये हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वास्तविक नियन्त्रण तो यह है कि १२ करोड़ रुपयों में से जो मंजूर हो चुके हैं, केवल उतना रुपया दिया जा रहा है जो कि स्थान पर मशीनों के लिये दिया जाना है । जब तक कि आयात करके या स्थानीय खरीद के द्वारा मशीनें प्राप्त नहीं कर ली जातीं तब तक रुपया निकालने की अनुमति नहीं दी जाती है । यह सबसे अधिक सुरक्षित उपाय है, इस कारण बाकी रुपया हमारे पास जमा ही रहता है ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या यह सम्भव है कि राष्ट्रीय उद्योग विकास ऋण और आगे आधुनिकीकरण की आवश्यकता पड़ने पर दो प्रक्रमों पर आवेदन करने पर मिल सकता है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : सामान्य नीति तो यह है कि योजना के प्रथम चरण के लिये जितनी वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो वह तो लेनी चाहिये अन्यथा वह व्यर्थ चला जायेगा और उसका उपयोग नहीं हो सकेगा । अतः दूसरा ऋण प्राप्त करने की स्थिति में पहुंचने से पूर्व प्रथम चरण को कार्यान्वित कर लेना चाहिये ।

†**श्री हेडा** : इस खतरे को दृष्टि में रखते हुए कि कपड़ा मिल मजूरी बोर्ड पंचाट निकल जाने के बाद यह हो सकता है कि बहुत सी मिलें बन्द हो जायें इस कारण क्या सरकार ने शर्तों में कोई छूट दी है अथवा उन उद्योगों को स्वावलम्बी बनाने के लिये उनके प्रति कुछ उदारतापूर्ण व्यवहार किया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह प्रश्न इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता किन्तु मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि सरकार द्वारा घोषित मजूरी बोर्ड के निर्णय में ऐसी सारी मिलें—इस प्रकार के ऋण जिन मिलों को दिये गये हैं नहीं किन्तु जिनके बारे में उद्योग अधिनियम की धारा १५ के अन्तर्गत

---

†मूल अंग्रेजी में

जांच की गई है, उनके साथ कुछ भिन्न व्यवहार किया जायेगा जिससे कि मिलें जो बन्द हो गई हैं अथवा जो अत्यधिक अनार्थिक हैं, उनके ऊपर भी उतना ही बोझ न पड़े जितना कि उन मिलों पर जो चल रही हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : माननीय मंत्री ने जो उत्तर दिया है उससे क्या मैं यह समझूं कि वे मिलें जिनके बन्द होने की नौबत आ गई थी किन्तु जिन्हें केन्द्र द्वारा सहायता मिल जाने से फिर मुनाफे पर चलने लगी हैं, उनका स्थान भी भिन्न समझा जायेगा कि अथवा वे मजूरी बोर्ड में बताई गई नीति के अधीन काम करेंगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मजूरी बोर्ड के संकल्प की भाषा बड़ी स्पष्ट है। उसम कहा गया है कि उन मिलों में जिनमें राज्य सरकारें अधिकृत रूप से नियन्त्रकों के रूप में काम कर रही हैं, यदि वे ऋण पाने की हकदार होंगी तो निस्सन्देह अन्य मिलों की भांति उनकी भी सहायता की जायेगी। किन्तु जहां तक मजूरी बोर्ड के निर्णय का सम्बन्ध है, यदि उन्हें धारा १५ के परिणामस्वरूप ले लिया गया है तो उनमें भी वही निर्णय लागू किया जायेगा किन्तु यदि उन्हें किसी अन्य प्रकार की समापन कार्यवाही के कारण लिया गया है, जैसा कि बम्बई की कुछ मिलों के बारे में हुआ है, तो व इस निर्णय के अन्तर्गत नहीं आती हैं।

†**श्री पुन्नूस** : मैं आशा करता हूं कि ऋण के लिये मांगे गये आवेदन-पत्रों की जांच कर लेने के पश्चात् ही ऋण दिया जाता है। फिर कुछ ऋण कम कैसे हो गये हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : विस्तृत जांच करने में कभी-कभी तो ९ महीने का समय लग जाता है क्योंकि काफी राशि का मामला होता है। इस बीच कुछ मिलें अपना खुद ही कुछ प्रबन्ध कर लेती हैं। अतः वे राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम की सहायता प्राप्त किये बिना ही अपना काम करने लगती हैं। मैं सदन को जानकारी के लिये बताना चाहूंगा कि यह योजना बड़ी लाभदायक सिद्ध हुई है और इस योजना के अन्तर्गत मंजूर की गई राशि दो तीन बार आधुनिकीकरण में इस्तेमाल की गई है।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : आवेदनों पर विचार और अन्तिम निर्णय करने में कितनी विदेशी मुद्रा लगेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वह बिल्कुल स्पष्ट भिन्न प्रश्न है लेकिन हमारा आज औसत उत्पादन कपड़े की मशीनों की आवश्यकता वाले एकक का ३३ से ५० प्रतिशत है और वही अनुपात इन ऋणों के लिये भी रखा जायेगा।

†**श्री तंगामणि** : १९५९ के लिये मंजूर ऋण में से कितनी राशि का इस्तेमाल किया जा चुका है ? मदुरा मिल्स को जो एक करोड़ रुपया ऋण मंजूर किया गया था उस सबका इस्तेमाल कर लिया गया है अथवा उसके कुछ अंश का ही इस्तेमाल किया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जहां तक मदुरा मिल्स का सम्बन्ध है वह उसका उपयोग कर रहे हैं किन्तु विभिन्न राज्यों के भिन्न-भिन्न वर्षों के अलग-अलग आंकड़े बताना कठिन है। यदि माननीय सदस्य चाव रखते हों तो हमने अनौपचारिक मंत्रणा समिति के सदस्यों में एक विस्तृत टिप्पण परिचालित किया है। यदि अन्य मित्र भी चाव रखते हों तो उन्हें भी जानकारी देने में मुझे हर्ष होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री तंगामणि : जानकारी अन्य सदस्यों को भी दी जा सकती है।

†श्री काशीनाथ पाण्डे : कानपुर की कपड़े की वे मिलें कौन-कौन सी हैं जिन्होंने आधुनिकीकरण के लिए ऋण प्राप्त करने के बारे में आवेदन भेजे हैं ?

†श्री मनुभाई शाह : वे सभी शामिल कर ली गई हैं। कानपुर उद्योग की आधुनिकीकरण योजना का एक अंग है।

†श्री स० मो० बनर्जी : कानपुर की कुछ मिलों के बन्द होने की नौबत आ जाने के कारण वे बन्द हो गई हैं और उन्होंने ऋण के लिये आवेदन किया है ? कानपुर की मिलों के लिए कुल कितनी राशि मंजूर की गई है ?

†श्री मनुभाई शाह : मैं निस्सन्देह माननीय सदस्यों को आंकड़े दूंगा। किन्तु मैं बताना चाहुंगा कि कानपुर काटन मिल्स के केवल एक आवेदन के अलावा जिसमें जमानत पर्याप्त नहीं थी, शेष सारे आवेदन पत्र शामिल कर लिये गये हैं।

†श्री मो० ब० ठाकुर : क्या सरकार का विचार गुजरात की सभी बन्द मिलों को ऋण देने का है ?

†श्री मनुभाई शाह : जी हां, जहां कभी भी मिल बन्द हो गई हो, चाहे वह गुजरात में हो अथवा अन्य कहीं किन्तु जहां धन सुरक्षित रहे और योजना अच्छी हो तथा प्रबन्ध बदल जाने से आर्थिक उन्नति की सम्भावना हो, ऐसी मिलें ऋण पाने की अधिकारिणी हैं।

"लिंक" पत्रिका के लिये भमि देना

†*१४३२. श्री रघुनाथ सिंह : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "लिंक" पत्रिका को अपनी इमारत बनाने के लिए भमि दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त हस्तान्तरण की क्या शर्तें हैं ?

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) और (ख). सम्भवतः प्रश्न मेसर्स युनाइटेड इण्डिया पीरियाडिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड को आवंटित प्लाट के बारे में है जो कि 'लिंक' पत्रिका का प्रकाशन कर रहा है। इस पक्ष को दिल्ली में दिल्ली-मथुरा रोड पर आधा एकड़ भूमि आवंटित की गई है। उन्होंने किस्त का भुगतान करके जमीन पर कब्जा ले लिया है। पट्टे आदि के बारे में करार अभी पूरा होना बाकी है। शाश्वत पट्टे की शर्तों में अन्य बातों के साथ–साथ १,२५,००० रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किस्त का भुगतान करने और जमीन का वार्षिक लगान २ ½ प्रतिशत देने, दो वर्षों के अन्दर इमारत बन कर तैयार हो जाने, जिस प्रयोजन के लिये भूमि आवंटित की गई है उसी के लिये उसका उपयोग करने, पट्टेदाता की अनुमति बिना उसे किसी और को किराये पर देने अथवा उसका हस्तांतरण करने की मनाही और हर तीस साल के बाद जमीन के लगान का पुनरीक्षण करने की शर्तें शामिल हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री रघुनाथ सिंह : इस भूमि की बाजार लागत इस समय दिल्ली में प्रचलित दरों से ६ लाख रुपया अधिक है। क्या यह सच नहीं है कि सभी समाचारपत्र जिनको भूमि आवंटित की गई है उनमें से 'लिंक' के अलावा अन्य सभी के पास प्रस हैं ? इसके साथ अपवाद क्यों है ?

†श्री अनिल कु० चन्दा : उस क्षेत्र में भूमि का भाव क्या है, मुझे मालूम नहीं किन्तु दस वर्ष बीते दिल्ली में अखबारों को आकर्षित करने के लिये दिल्ली-मथुरा रोड के पूर्वी इलाके में दस प्लाट आवंटित किये जायेंगे। नौ प्लाट पहले ही आवंटित किये जा चुके हैं यह दसवां है। दिल्ली में अखबारों को प्रोसाहन देने के लिये यह रियायती दर रखी गई है। यह कहना सच नहीं कि जिन जिन को भूमि आवंटित की गई है उन सब के पास अपने प्रेस हों।

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : मेरे साथी ने जो कुछ कहा है मैं उसमें कुछ और बढ़ाना चाहूंगा। जहां तक इस भूमि के बाजार भाव का सम्बन्ध है, हमारे पास इसका कुछ आधार है। गृह-कार्य मंत्रालय ने दिल्ली की भिन्न-भिन्न बस्तियों में भूमि के भावों का पता लगाने और भूमि के भावों पर नियंत्रण रखने की सिफारिश करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी। उस समिति को जानकारी उपलब्ध हुई है उसके अनुसार इस बस्ती में भूमि का भाव २ लाख रुपये से लेकर ३ लाख रुपये प्रति एकड़ तक है : जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, अखबारों को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ प्लाट उनके लिए सुरक्षित कर दिये गये थे। मेरा विचार है कि लगभग नौ वर्ष पहले ऐसा किया गया था जबकि श्री गाडगिल निर्माण मंत्री थे। विभिन्न प्रकार के अखबारों को लगभग नौ से दस प्लाट दिये गये हैं और उन्हीं शर्तों पर जिन पर कि यूनाइटेड इण्डिया परियाडिकल्स को दिये गये हैं।

†श्री रघुनाथ सिंह : मेरा साधारण सा प्रश्न यह है। सभी समाचार पत्र जिनको भूमि आवंटित की गई है उनके पास उनके अपने प्रेस हैं। इस पत्र का अपना प्रेस नहीं है और यह साप्ताहिक पत्र है। आधे एकड़ भूमि में वे क्या कर लेंगे ?

†श्री क० च० रेड्डी : मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चका हूं। यूनाइटेड इण्डिया पीरियाडिकल्स के अन्तर्नियमों में उल्लिखित उद्देश्यों के अनुसार उसका उद्देश्य न केवल अपना प्रेस लगाना ही है अपितु विभिन्न पत्रिकाओं का निकालना भी है। अभी तक उन्होंने केवल 'लिंक' नामक यह पहली पत्रिका निकाली है। वे प्रेस भी लगाने वाले हैं।

†श्री अन्सार हरवानी : क्या सरकार को पता है कि कतिपय ज़मीनों के मालिकों ने, जिन्हें वहां पर भूमि आवंटित की गई है, वहां प्रेस लगाने के बजाये इमारतों को किराये पर उठा दिया है और इस प्रकार उन पर लगाई गई कुछ शर्तों का उन्होंने उल्लंघन किया है ?

†श्री क० च० रेड्डी : जी हां, दो मामले ऐसे हैं जिनमें भूमि दे दी गई है और पट्टे की शर्तों के अनुसार उसका उचित उपयोग नहीं किया जा रहा है। सरकार ने इन भूमियों पर निर्बाध प्रवेश के अधिकार का इस्तेमाल किया है और कुछ झगड़ा चल रहा है। मामला न्यायाधीन है।

†सरदार अ० सिंह० सहगल : और कितनी पत्रिकाओं ने इमारतें बनाने के लिए आवेदन किया है और क्या सरकार ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है ?

†श्री क० च० रेड्डी : समय-समय पर अनेक प्रार्थनायें की गई हैं और प्राप्त होने पर धीरे-धीरे उनका निबटारा किया गया था। इस समय भी अनेक निवेदन विचाराधीन पड़े हुए हैं किन्तु खेद है कि उस क्षेत्र विशेष में भूमि उपलब्ध नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** : क्या यह रियायत केवल पहले से स्थापित समाचारपत्रों को ही मिलती है या उनको भी मिलती है जो समाचारपत्र स्थापित करना चाहते हैं ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जाता है। (**अन्तर्बाधा**)

†**श्री रघुनाथ सिंह** : इन्डियन ऐक्सप्रेस से, जिस के पास लगभग एक एकड़ भूमि है, भूमि के लिये क्या मूल्य लिया गया था ? जहां तक मुझे मालूम है उनसे एक एकड़ भूमि के लिये १६ लाख रुपये लिये गये थे।

†**श्री क० च० रेड्डी** : इस क्षेत्र में जिन को भूमि दी गई है उन सब मामलों में प्रति एकड़ १,२५,००० रुपये लिये गये थे। इस में कोई अन्तर नहीं किया गया। हम ने एक पत्र या दूसरे पत्र में कोई भेदभाव नहीं किया। इन्डियन ऐक्सप्रेस के बारे में, जिसका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है, भूमि केवल १,२५,००० रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दी गई है। मैं नहीं समझता कि यह एक एकड़ होगी, या कुछ कम है।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : इस लिंक ने भूमि के लिये कब प्रार्थना की थी और उस समय सरकार के पास भूमि के लिये और कितने प्रार्थना पत्र लम्बित थे ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : बहुत सी अर्जियां थीं, उदाहरण के लिये टाइम्ज़ आफ इंडिया ने भूमि के लिये अर्जी दी थी। उन्हें भी आधा एकड़ भूमि दी गई है। कुछ अन्य अर्जियां थीं जो लम्बित पड़ी थीं और उन सब पर यथायोग्य विचार किया गया है। कुछ प्रारम्भिक अवस्था में थे। उन्होंने, जो हमने जानकारी मांगी थी, वह नहीं दी थी। जैसा कि मैं ने कहा, प्रत्येक मामले पर गुण-दोषों के आधार पर विचार किया गया था।

†**श्री त्यागी** : भूमि के लिये प्रार्थना पत्र किस तिथि को दिया गया था ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

†**श्री वाजपेयी** : 'लिंक' तुलना की दृष्टि से नई पत्रिका है, इसको ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि जब लिंक ने भूमि के लिये अर्जी दी और उसे प्राथमिकता दी गई, कई प्रार्थनापत्र लंबित पड़े थे ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : जी नहीं, मैं माननीय सदस्य के प्रश्न में अन्तर्निहित बात को स्वीकार नहीं करता।

कई माननीय सदस्य उठ खड़े —

†**श्री वाजपेयी** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। मैं तथ्य प्रश्न पूछना चाहता हूं (**अन्तर्बाधा**)।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। मैं समझता हूं कि यही प्रश्न इस पक्ष के दूसरे सदस्य ने पूछा था कि क्या अन्य प्रार्थना पत्र लम्बित थे। मुझे स्मरण है कि माननीय मंत्री ने उत्तर में कहा था कि टाइम्स आफ इण्डिया की प्रार्थना थी कि इसे आध एकड़ भूमि दी गई थी। कुछ दूसरे पत्रों को भी दी गई थी। जहां तक दूसरों का संबंध है, वे प्रारंभिक स्थिति में थे, और जो सूचना मांगी

---

†मूल अंग्रेजी में

गई थी वह नहीं दी गई थी। इन सब प्रश्नों का पर्याप्त उत्तर दिया जा चुका है। उत्तर प्रत्युत्तर का क्या उत्तर है ?

†श्री प्रभात कार : क्या यह सच है कि जहां तक इन्डियन एक्सप्रेस का संबंध है, भूमि को अधिग्रहण करके और इमारत बना कर इसने सब फ्लेट छोड़ दिये हैं जो इमारत में हैं, अतः उसने करार के उपबंधों का उल्लंघन किया है ?

†श्री क० च० रेड्डी : इन्डियन एक्सप्रेस के प्रति उचित न्याय करते हुए, जिन पत्रों को भूमि दी गई थी उनमें इन्डियन एक्सप्रेस ही अकेला पत्र है जिसने निर्धारित समय के अन्दर करार की शर्तों के अनुसार इमारत बना ली है। अन्य पत्रों ने जिन्हें भूमि दी गई थी, ऐसा नहीं किया। यह सच है कि इमारत बनाने के तुरन्त बाद, सारी इमारत की उसे आवश्यकता नहीं है और उन्होंने इमारत के कुछ भाग को अन्य कामों के लिये किराये पर देने की सरकार से प्रार्थना की। उद्देश्य परिवर्तन स्वीकार किया गया और कुछ परस्पर माने गये निबंधनों के अनुसार उन्हें इमारत के एक भाग को अन्य काम के लिये किराये पर देने की अनुमति दे दी गई।

†श्री रघुनाथ सिंह : उद्देश्य परिवर्तन जब स्वीकार किया गया तो इन्डियन एक्सप्रेस से क्या लिया गया ?

†श्री क० च० रेड्डी : माननीय सदस्य जो सूचना मांग रहे हैं वह तथा और अधिक देने वाला विवरण मैं सभा पटल पर रखने को तैयार हूं।

कुछ माननीय सदस्य उठे

†अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

विकिरण का प्रभाव

\+

†*१४३३. **श्री नरसिंहन् :**
श्री सूपकार :
डा० सामन्त सिंहार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहारा में हाल में किये गये फ्रांसीसी आणविक परीक्षण के बाद भारत में आणविक विकरण के 'फाल आउट' से उत्पन्न तरगों का और मापन किया गया था ; और

(ख) क्या सरकार का ध्यान जापान में किये गये ऐसे मापन की ओर आकर्षित किया गया है जिन्हें समाचारपत्रों में, विशेषकर दिनांक १३ मार्च, १९६० के "हिन्दू" में प्रकाशित किया गया है ?

†प्रधान मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) जी, हां।

संसार के इर्द गिर्द रेडियो सक्रिय बादल के दूसरे सर्किट के दौरान रेडियो सक्रियता में अत्यधिक वृद्धि देखी गई। तथापि वृद्धि अनुज्ञय स्तर से नीचे थी।

(ख) जी, हां।

†श्री नरसिंह : हालांकि समुद्र जल का पीले रंग का धातु स्तर खतरनाक नहीं होता, समुद्र में रहने वाली मछलियां पीली धातु का खतरनाक स्तर समा जाती है, और यह उपभोक्ताओं के लिये

---

†मूल अंग्रेजी में

खतरनाक हो सकता है, इसे ध्यान में रखते हुए तटीय क्षेत्रों में रहने वाले जलीय जन्तुओं द्वारा पीली धातु खाने की मात्रा को रोकने के लिये क्या कार्रवाई की जा रही है ?

†**श्री सादत अली खां :** मैंने इस प्रश्न का सामान्य उत्तर दिया है। रेडियो सक्रियता द्वारा वायु, जल, खाद्यान्न और मिट्टी दूषण न होने पाये इस के लिये, भारतीय अणुशक्ति आयोग ने देश में ३० नमूने के केन्द्र स्थापित किये हैं, जिनसे दूध के नमूने लिये जाते हैं, जिन का रेडियो सक्रिय मिशन वस्तुओं अर्थात सेशियम–१३७ और स्ट्रौंटियम ९० का विश्लेषण किया जाता है। इस के अतिरिक्त समूचे देश के लिये, श्रीनगर, दिल्ली, कलकत्ता, नागपुर, बम्बई, उटाकमंड और बंगलौर में ७ स्थायी मौनीटरिंग स्टेशन स्थापित किये गये हैं।

†**श्री सूपकार :** जैसा कि जापान ने रेडियो सक्रिय विकिरण की घनता को जानने के लिये अपना तंत्र स्थापित किया है, क्या हमने इन प्रयोगों से रेडियो सक्रिय विकिरण की घनता को मापने के लिये कोई तंत्र स्थापित किया है ?

†**श्री सादत अली खां :** मैं ने ठीक यही कहा है ; नमूने के स्टेशन और अन्य तंत्र स्थापित किये गये हैं।

†**डा० सामन्त सिंहार :** क्या देश के कुछ भागों में हुई हाल की वर्षा से बढ़ी हुई रेडियो सक्रियता पर कुछ असर पड़ता है ?

†**श्री सादत अली खां :** समस्त सांख्यिकी का विस्तृत विश्लेषण ट्राम्बे के आणविक शक्ति प्रतिष्ठान में किया जा रहा है और मैं समझता हूं कि शीघ्र ही परिणाम मालूम हो जायेंगे।

†**श्री दिनेश सिंह :** क्या इस बम से रेडियो सक्रिय विकिरण सोवियत संघ में और प्रशान्त महासागर में गिराये गये पुराने बमों के रेडियो सक्रिय विकिरण से अधिक है ?

†**श्री सादत अली खां :** मैं उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। मैं नहीं समझता कि अन्य बमों के समान बड़ा बम था। तथापि, रेडियो सक्रिय बादलों के कारण भी विश्व के गिर्द इसके दूसरे सर्किट तथा कथित दूसरी लहर के दौरान रेडियो सक्रिय में अत्यधिक वृद्धि हुई और वृद्धि ३ मार्च से ५ मार्च १९६० तक कई केन्द्रों में मालूम की गई।

†**श्री नरसिंहन् :** क्या सरकार ने तट जलीय जंतुओं और उनके द्वारा रेडियो सक्रिय विकिरणों को समाने के बारे में विशेष उपाय करने की वांछनीयता पर विचार किया है ?

†**श्री सादत अली खां :** जी, हां, इस पर विचार किया जा सकता है।

†**श्री नरसिंहन् :** क्या हाल में विस्फोटित दूसरे बम के प्रभावों को दर्शाने के लिये सरकार के पास आंकड़े हैं ?

†**श्री सादत अली खां :** इस समय मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

केन्द्रीय उर्वरक प्रौद्योगिकीय संस्था

†*१४३४. **श्री हो० ना० मुकर्जी :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय उर्वरक प्रोद्यौगिकीय संस्था की स्थापना में यदि कोई प्रगति हुई है, तो क्या ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कुछ समय पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों के एक निकाय द्वारा इस सम्बन्ध में एक रिपोर्ट पेश की गई थी ;

(ग) क्या इस कार्य के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों ने कुछ धन देने का प्रस्ताव किया था ;

(घ) यदि हां, तो कितना ; और

(ङ) उक्त संस्था की स्थापना में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :(क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) सिन्दरी की वर्तमान अनुसन्धान प्रयोगशाला का देश के उर्वरक उद्योग के लिये पूर्ण केन्द्रीय प्रोद्योगिक संस्था के रूप में विकास संतोषपूर्ण ढंग से किया जा रहा है। जून-जुलाई १९६० तक संस्था की इमारत पूर्ण होने की आशा है और विस्तार के लिये अपेक्षित बहुत सा सामान स्थान पर पहुंच चुका है।

(ख) जी, हां। संयुक्त राष्ट्र के एक विशेषज्ञ (प्रोफैसर इवानोवस्की) ने, जो अक्तूबर--दिसम्बर, १९५८ में सिन्दरी आये थे, प्रतिवेदन दे दिया है।

(ग) तथा (घ). संयुक्त राष्ट्र के अभिकरणों ने इस संस्था के विस्तार के बारे में नकदी के रूप में कोई सहायता पेश नहीं की।

(ङ) विकास कार्यक्रम संतोषपूर्ण ढंग से चल रहा है।

†श्री ही० ना० मुकर्जी : विवरण से पता चलता है कि परियोजित संस्था के विकास कार्यक्रम में संतोषपूर्ण प्रगति हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि इमारत के अतिरिक्त, जो शायद इस वर्ष जुलाई तक पूरी हो जाएगी, संस्था कब पूर्ण संगठन के रूप में काम करना आरम्भ करेगी ?

†श्री मनुभाई शाह : इस वर्ष के अंत में। शायद इमारत जून या जुलाई में तैयार हो जाएगी। सामान पहले पहुंच चुका है और भारत के चार विशेषज्ञ मास्को और रूस जा चुके हैं। वे वहां से अपना अनुभव साथ लाये हैं। रूस के विशेषज्ञ भी आयेंगे। शायद इस वर्ष के अन्त तक पूर्ण संस्था काम आरम्भ कर देगी।

†श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या इस संस्था की स्थापना में केवल रूस ही हमें सक्रिय सहायता दे रहा है ?

†श्री मनुभाई शाह : जी, नहीं एसी बात नहीं। एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन यू० एन० टी० ए० है जो सब अविकसित देशों को प्रविधिक सहायता, अनुसंधान, मशीनों के डिज़ाइन बनाने और विभिन्न प्रकार के कर्मचारी प्रशिक्षण में सहायता देता है। जो संस्था विशेष हमें रूस से मिली है वह समस्त विश्व सहायता में आवंटित की गई थी।

†श्री हेम बरुआ : क्या इस संस्था की स्थापना में दिलचस्पी रखने वाले रूस और अन्य देश हमें विदेशी मुद्रा के बिना, सामान भी दे रहे हैं ?

†श्री मनुभाई शाह : वे हमें सामान भी दे रहे हैं।

†श्री तंगामणि : क्या परियोजित संस्था के बारे में प्रोफैसर इवनोवस्की का प्रतिवेदन सदस्यों को भी दिया जाएगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : जहां तक प्रतिवेदन का संबंध है, ऐसा कोई व्यापक प्रतिवेदन नहीं है। परन्तु निस्सन्देह ज्यों ही संस्था आरम्भ होती है वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सिंदरी उर्वरक कम्पनी की कार्रवाइयों का अंग बनेगा और सदस्यों को दिया जाएगा।

†**श्री तंगामणि** उठे —

†**अध्यक्ष महोदय** : वह जानते हैं माननीय सदस्य क्या चाहते हैं। वह कहते हैं कि ऐसा कोई प्रतिवेदन नहीं जो सभा पटल पर रखा जा सके।

†**श्री तंगामणि** : विवरण म कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र का एक विशेषज्ञ भारत आया था जिसने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। उस अकेले प्रतिवेदन के आधार पर, विस्तार कार्य किया जा रहा है। मैं प्रतिवेदन का स्वरूप जानना चाहता हूं और यह कि क्या प्रतिवेदन की बातें सदस्यों तक पहुंचाई जायेंगी।

†**श्री मनुभाई शाह** : ऐसे कोई व्यापक और पूर्ण प्रतिवेदन नहीं हैं। रूसी विशेषज्ञों समेत विभिन्न विशेषज्ञों की सिफारिशें हैं, जो यहां आये थे। हमारे चार भारतीय विशेषज्ञ रूस गये थे। सब का परीक्षण किया जा रहा है। पूर्ण संस्था उर्वरक मशीनरी के निर्माण और विकास और उर्वरक उत्पादन के विज्ञान तथा प्रौद्योगिकरण के लिये है।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : मैं ने दक्षिण भारत में पास विरोधी दंगों के बारे में प्रश्न संख्या १४५० की सूचना दी है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसे लिया जाना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री रघुनाथ सिंह ने मुझे पत्र लिखा है कि मैं दक्षिण अफ्रीका में पास विरोधी दंगों संबंधी प्रश्न संख्या १४५० को लूं। क्या सभा इसके पक्ष में है। मैं माननीय सदस्यों को बता दूं।

†**कुछ माननीय सदस्य** जी, नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस के बारे में सभा का एकमत नहीं है।

भविष्य निधि से रुपया निकालना

†*१४३५. **श्री एन्थनी पिल्ले** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास मंत्रियों के सम्मेलन में यह सिफारिश की गई थी कि मजदूरों को औद्योगिक आवास सहकारी समिति बनाने के लिए भविष्य निधि से रुपया निकालने की अनुमति देने की कार्यवाही की जाये ;

(ख) क्या इसने वित्त मंत्रालय को भविष्य निधि योजना में संशोधन करने या भविष्य निधि योजनाओं में छूट देने की अनुमति देने के लिए लिखा है ताकि मजदूर राज सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत मकानों के निर्माण के लिए भविष्य निधि में से अपना जमा रुपया निकाल सकें ; और

(ग) क्या वित्त मंत्रालय मंजूरी देने के लिए सहमत हो गया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) तथा (ग). इस काम के लिये कर्मचारी भविष्य निधि से ऋण लेने की अनुमति देने के लिये कर्मचारी भविष्य निधि योजना में संशोधन कर दिया गया है। मुक्त भविष्य निधि के बारे में, आयकर अधिकारियों को, संविहित योजना के उपबन्धों के अनुसार, अपने नियमों में परिवर्तन का अनुमोदन करने के लिये सुझाव दिया जा चुका है।

†**श्री एंथनी पिल्ले**: वित्त मंत्रालय से प्रार्थना की गई है। किन्तु मैं वित्त मंत्रालय का उत्तर और आय कर आयुक्त द्वारा की गई कार्रवाई को जानना चाहता हूं।

†**श्री आबिद अली**: मैं ने बताया है कि इन परिवर्तनों को स्वीकार करने और ऋण देने के लिये आय कर अधिकारियों को हिदायतें जारी की गई हैं।

†**श्री तंगामणि**: क्या कर्मचारियों को अपनी भविष्य निधि में से इस वर्ष जहां उन्होंने कर्मचारी सहकारी संस्थायें बना ली हैं, रुपया निकालने दिया जायेगा ?

†**श्री आबिद अली**: हां, यदि वे अन्यथा निकाल सकते होंगे।

†**श्री एंथनी पिल्ले**: क्या यह भविष्य निधि से रुपया निकाला गया माना जायेगा जिसे वापिस लौटाने की जरूरत न होगी, अथवा यह भविष्य निधि से ऋण होगा ?

†**श्री आबिद अली**: मकान बनाने या खरीदने के लिये दिये गये ऋण वापिस नहीं लिये जायेंगे।

†**श्री काशी नाथ पांडे**: क्या सरकार भविष्य निधि नियमों में ढील करना चाहती है ताकि ऋण अपने कामों के लिये भी लिये जा सकें ?

†**श्री आबिद अली**: लम्बी बीमारी और बीमा किश्त के लिये दिये जाते हैं।

†**श्री तंगामणि**: इस योजना के अन्तर्गत कोई कर्मचारी कम से कम कितनी राशि भविष्य-निधि से निकाल सकता है ?

†**श्री आबिद अली**: शायद उन का मतलब अधिकतम से है, जो १००० रुपये से अधिक हो सकती है।

आंध्र प्रदेश में उर्वरक कारखाना

+

†*१४६. { **श्री वेंकटा सुब्बैया**:
श्री मं० वें० कृष्ण राव: }

क्या वाणिज्य तथा उद्योग यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने संघ सरकार से प्रार्थना की है कि वह उस राज्य में बनने वाले उर्वरक कारखाने में कुछ पूंजी लगाये ; और

(ख) इस मामले में संघ सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) आंध्र प्रदेश सरकार ने पहले एक सुझाव दिया था कि उन्हें उन की उर्वरक कारखाने की पूंजी में केन्द्र द्वारा अंश लगाने में कोई आपत्ति नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) राज्य सरकार के अफसरों के साथ चर्चा करने के उपरान्त बाद में यह निर्णय किया गया कि अंश पूंजी में भाग न लिया जाये क्योंकि राज्य सरकार के पास आवश्यक वित्तीय साधन हैं और वह प्रविधिक रूप से सक्षम है ।

†श्री वेंकटा सुब्बैया : क्या उर्वरक फैक्टरी बनाने के लिये पर्याप्त विदेशी मुद्रा जुटाने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है ?

†श्री मनुभाई शाह : जी हां, निर्यात आयात बैंक से उन्हें ऋण मिलेगा ; और उन्हें आवश्यक विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी और उस के लिये १ करोड़ रुपया आवंटित किया जा चुका है ।

†श्री वेंकटा सुब्बैया : उर्वरक फैक्टरी का पूंजी व्यय क्या है ?

†श्री मनुभाई शाह : ३० करोड़ अधिकृत पूंजी है, २४ करोड़ रुपये शुद्ध विनियोजन और इस समय की प्रदत्त पूंजी २ करोड़ रुपये होगी ।

†श्री रामी रेड्डी : क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने पूंजी में भाग लेने के लिये केन्द्र से प्रार्थना नहीं की ?

†श्री मनुभाई शाह : मैं ने ठीक यही बात उत्तर में कही है । हमारी उन के साथ बातचीत हुई थी और पहले उन्होंने हमारे भाग के लिये प्रार्थना की थी और हम मान गये थे । परन्तु, बाद में, उन्होंने कहा कि उन के पास अपने साधन हैं, और यह कि वे राज्य के किसान और जनता से अंश खरीदने को कह रहे हैं । इसलिये केन्द्र द्वारा भाग लेने की आवश्यकता नहीं थी ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : इस से राज्य सरकार पर बड़ा भार पड़ेगा इसे ध्यान में रखते हुए क्या पूंजी में भारत सरकार द्वारा भाग लेने से इनकार करने के कारण क्या हैं ?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को प्रश्न दूसरे ढंग से पूछना चाहिये,—कि किन कारणों से आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा भाग लेने को इनकार किया ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : उन्होंने इनकार नहीं किया ; बल्कि उन्होंने तो केन्द्र द्वारा भाग लेने की प्रार्थना की थी ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को प्रश्न पूछने से पूर्व माननीय मंत्री के उत्तर को ध्यान-पूर्वक सुनना चाहिये । पहले आंध्र सरकार चाहती थी कि केन्द्र सरकार भाग ले, परन्तु बाद में उन्होंने कहा कि उन्हें अपने राज्य से पर्याप्त साधन उपलब्ध हो जायेंगे, इसलिये वे नहीं चाहते कि केन्द्र कारखाने की अंश पूंजी में योग दे । उन्होंने ऐसा क्यों किया ?

†श्री मनुभाई शाह : जी, हां । उन्हों ने कहा कि उन के पास तेलंगाना निधि है, और वे उन प्रत्याभूतियों से दान लेंगे । उन्हें केन्द्रीय भागीकरण की इच्छा नहीं थी ।

†श्री रामी रेड्डी : क्या औद्योगिक वित्त निगम ने इस उपक्रम के लिये ऋण दिया है ?

†श्री मनुभाई शाह : यह एक कारण है । वर्तमान योजना के अन्तर्गत, आंध्र प्रदेश सरकार ५१ प्रतिशत धन लगायेगी, । अन्य २५ या ३० प्रतिशत राज्य की जनता और किसानों के लिये होगा । लगभग २० से ३० प्रतिशत तक वे औद्योगिक वित्त निगम से उधार लेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हेडा : क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इस बात पर, कि केन्द्र ने इस बात पर जिद की कि वे तभी अंश पूंजी में भाग लेंगे यदि उन्हें ५१ प्रतिशत अंश दिये जाते हैं, केन्द्रीय भागीकरण से इनकार कर दिया ?

†श्री मनुभाई शाह : जी, नहीं । हम केवल अल्पसंख्यक भागीदार रहना चाहते थे । चूंकि आंध्र उर्वरक फैक्टरी के बारे में बड़ा वाद विवाद रहा, इसलिये मैं सभा को बता दूं कि आंध्र उर्वरक फैक्टरी के बारे में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच विचारों का कोई मतभेद नहीं था ।

†श्री रामी रेड्डी : क्या यह सच नहीं है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र राज्य के उत्पादकों से कुछ ऋण लिया है ?

†श्री मनुभाई शाह : यह मैं पहले कह चुका हूं । उन्हों ने ऋण नहीं लिये, किन्तु वे उर्वरक फैक्टरी को अंश पूंजी में किसानों और जनता को भाग लेने को कह रहे हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

एशिया तथा सुदूरपूर्व के लिये आर्थिक आयोग की बैठक

†*१४३७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशिया तथा सुदूरपूर्व के लिये आर्थिक आयोग का आगामी सत्र नई दिल्ली में होगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस का ब्यौरा क्या है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूगो): (क) जी, हां । एशिया तथा सुदूरपूर्व के लिये आर्थिक आयोग के १६वें सत्र में जो ६ से २१ मार्च, १९६० के बीच बंगकोक में हुआ था, भारतीय शिष्ट मण्डल के नेता ने एक घोषणा की थी कि भारत आगामी (१७वें) सत्र को १९६१ में भारत में करने के लिये सब प्रकार की सुविधायें प्रदान करेगा ।

(ख) भारत सरकार के सम्बन्ध मंत्रालयों और आयोग के कार्यपालिका सचिव की सलाह से ब्यौरा तैयार किया जायेगा, जब आयोग का सचिवालय हमारी घोषणा के सम्बन्ध में औपचारिक अनुमति दे देगा ।

सरकारी उपक्रम

†*१४३८. **श्री राम गरीब** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नये सरकारी उपक्रमों में कर्मचारियों की आवश्यकता साधारणतया ऐसे कार्यालयों के बनने से पहिले ही निश्चित कर दी जाती है और भरे जाने वाले पदों का विज्ञापन दे कर या उन्हें परिचालित कर के सभी व्यक्तियों को अवसर नहीं दिया जाता ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). सभा पटल पर विवरण रखा जाता है ।

विवरण

कोई नवीन सरकारी उपक्रम स्थापित करने से पूर्व, समवाय अधिनियम तथा अन्य नियमों और विनियमों के अधीन बहुत सी कार्रवाइयां करनी पड़ती हैं ; विदेशी सरकारों और कंपनियों आदि के साथ बातचीत भी पूरी करनी पड़ती है । आरम्भ में इस काम को करने वाले कर्मचारी सामान्यतया जारी रखे जाते हैं, नवीन उपक्रम की स्थापना होने के पश्चात् भी, जबकि नई इकाई इस के लिये चुने गये किसी स्थान पर अपनी जड़ें न जमा ले । इस आरंभिक स्थिति में इकाई वास्तव में स्थापित होने से पूर्व इकाई के लिये कुछ आवश्यक प्रविधिक, प्रबन्धक और अन्य प्रशासनिक कर्मचारियों को चुनना तथा नियुक्त करना पड़ता है ताकि इकाई का काम आरंभिक स्थिति में अच्छी तरह चलाया जा सके ।

जब एक बार सरकारी उपक्रम के लिए नया समवाय या संगठन स्थापित हो जाता है, तो उपक्रम में उन सब पदों की भर्ती, जिन में वे भी सम्मिलित हैं जो आरम्भिक स्थिति में इस में थे, उपक्रम के निदेशक बोर्ड की अनुमति से इस उद्देश्य के लिये बनाये गये भर्ती नियमों या अन्तर्नियमों के अनुसार की जाती है ।

शेव करने के ब्लेडों और ब्रुशों का आयात

†*१४३९. **श्री आचार** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ और १९५९-६० में कितने और कितने मूल्य के शेव करने के ब्लैड तथा ब्रुश आयात किये गये;

(ख) क्या आयात किये जाने वाले ब्लेडों व ब्रुशों के समान स्तर व कोटि वाले ब्लेड व ब्रुश देश में बनाने के लिये कोई प्रस्ताव या योजनायें हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन योजनाओं की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). सभा पटल पर विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क)	१९५८-५९		१९५९-६० (अप्रैल-दिसम्बर)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
सेफ्टी रेज़र ब्लेड (गुर्स) .	४४६२	३६,००० रुपये	६९७	५,००० रुपये
टुआयलट ब्रुर्श (दर्जन) .	४९०८	२५,००० ,,	२१४०	२,००० ,,

(सेविंग ब्रुशों के आंकड़े पृथक से उपलब्ध नहीं हैं)

(ख) तथा (ग). देश में रेज़र ब्लेड पहले ही तैयार किये जा रहे हैं और उनकी किस्म और स्तर सामान्यतया अच्छे हैं । इस समय रेज़र ब्लेडों के निर्माण के लिये आठ अनुमोदित इकाइयां

†मूल अंग्रेज़ी में

हैं, जिन में से चार उत्पादन कर रही हैं। इस समय सरकार को छोटे और बड़े क्षेत्रों में शेविंग ब्रुश बनाने वाली आठ फर्मों की सूचना प्राप्त है। देश में बनाये गये शेविंग ब्रुशों का स्तर भी संतोषजनक है।

दिल्ली विश्वविद्यालय में नाभिकीय भौतिक-शास्त्र में अनुसंधान

†*१४४०. **श्री नेक राम नेगी :**
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्री बहादुर सिंह :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री हेम बरुआ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में नाभिकीय भौतिक-शास्त्र में कुछ अनुसन्धान हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह केन्द्रीय योजना है;

(ग) कुल अनुमानित व्यय कितना होगा; और

(घ) योजना कितने समय के लिये मूजंर की गई है ?

†**प्रधान मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) और (ख). जी, हां। आण्विक शक्ति विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय के भौतिक-शास्त्र विभाग के रीडर डा० बी० भौमिक के अधीन "नकली ढंग से तैयार किये गये मूल (प्रारम्भिक) अंशों के गुणों सम्बन्धी अन्वेषण" शीर्षक अनुसन्धान परियोजना के लिये वित्त की व्यवस्था कर रहा है।

(ग) तथा (घ). इस परियोजना पर कार्य १९५८ में प्रारम्भ हुआ था और प्रगति पर है। निम्न अनुदान मंजूर किये और दिये जा चुके हैं :—

वर्ष	मंजूर राशि	दी गई राशि
	रुपये	रुपये
१९५८-५९	४९,१३१	४५,८५९
१९५९-६०	४२,५८७	३०,८९१.३१
१९६०-६१	४३,३४३.५०	अभी नहीं दी गई

चूंकि यह मूलभूत अनुसंधान है, परियोजना की पूर्णता का कोई प्रश्न नहीं है, यद्यपि एक के पश्चात् एक कार्रवाई पूरी की जायेगी।

उड़ीसा टेक्सटाइल मिल्स लि०

†*१४४१. **डा० सामन्त सिंहार** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा टेक्सटाइल मिल्स लि० के प्रबन्धकों ने कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार भविष्य निधि में अपना पूर्ण अंशदान कर दिया है;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उक्त अधिनियम के लागू होने के बाद प्रबन्धकों ने कुल कितना रुपया दिया है;

(ग) १९५९ के अन्त तक का अभी कितना रुपया बकाया है; और

(घ) बकाया रकम वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) से (घ). मालिकों और कर्मचारियों के अंशदान के रूप में ३४,८६,९३२ रुपये की भविष्य निधि पहले ही प्राप्त हो चुकी है और इस सम्बन्ध में कोई बकाया नहीं है । फिर भी देर से भुगतान करने के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति की रकम वसूल करना अभी बाकी है जिसके लिए वसूली और अभियोग की कार्यवाही शुरू हो गयी है ।

कोयला खान मजदूरों को महंगाई भत्ता

†*१४४२. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री प्रभात कार :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, १९६० से कोयला खान मजदूरों के महंगाई भत्ते में वृद्धि करने का विचार है क्योंकि जुलाई-दिसम्बर, १९५९ की औसत अखिल भारतीय निर्वाह व्यय देशना के १०२ अंकों में २३ अंकों की वृद्धि हो गई है;

(ख) क्या इस मामले पर मजदूर संघों से कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ग) इस मामले में श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण का पंचाट लागू करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित सूत्र तथा अगस्त १९५८ और मई, १९५९ में आयोजित कोयला खनन हितों की त्रिदलीय बैठकों में किये गये समझौतों के अनुसार, कोयला खानों में नियुक्त कर्मचारी १ अप्रैल, १९६० से महंगाई भत्ते में वृद्धि के हकदार होते हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) कोयला खनन उद्योग के मालिकों के संगठनों ने पहले ही अपने सदस्यों को सूचित कर दिया है कि वे सम्बन्धित कर्मचारियों को १ अप्रैल, १९६० से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दे दें ।

मोनाज़ाइट रेत

†*१४४३. श्री दी० चं० शर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोनाज़ाइट के निक्षेप हाल में बिहार के रांची, पश्चिम बंगाल के पुरूलिया तथा बांकुड़ा और आन्ध्र के करनूल स्थानों में पाये गये हैं;

(ख) प्रत्येक स्थान पर अनुमानतः कितना निक्षेप है; और

(ग) उन्हें खोजने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या की जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)**: (क) मोनाज़ाइट के निक्षेप रांची (बिहार), पुरूलिया और बांकुड़ा (पश्चिम बंगाल) और करनूल (आन्ध्र) में १९५६-५७ में पाये गये थे।

(ख) रांची (बिहार) और पुरूलिया तथा बांकुड़ा (पश्चिम बंगाल) में अभी १५ लाख टन और करनूल (आन्ध्र) में १५,००० टन निक्षेप का अनुमान है।

(ग) उपर्युक्त क्षेत्रों में भूमि के अन्तर्गत प्रावेक्षणात्मक सर्वेक्षण पहले ही किये जा चुके हैं और चुने हुए क्षेत्रों में विस्तृत अनुसन्धान शुरू हो गया है। काम चल रहा है।

छंटनी में निकाले गये कर्मचारियों के लिये वैकल्पिक रोज़गार

†*१४४४. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **श्रम और रोज़गार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १५ मार्च, १९६० को छंटनी में निकाले गये कितने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के नाम पुनर्वास तथा रोजगार महा निदेशालय में वैकल्पिक रोज़गार के लिये पंजीबद्ध थे;

(ख) क्या रोज़गार निदेशालय ने छंटनी में निकाले गये कर्मचारियों को काम पर लगाने के सम्बन्ध में भारत सरकार के मंत्रालयों के प्रतिनिधियों की अब तक कोई बैठक बुलाई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) १८८१.

(ख) जी हां।

(ग) यह तय हो गया था कि अतिरिक्त कर्मचारियों को अधीनस्थ संगठनों और परियोजनाओं में रोजगार दिलाने के लिए विशेष प्रयत्न किये जायें।

समाचार-पत्रों के लिये पृष्ठानुसार मूल्य सूची

*१४४५. **श्री सरजू पाण्डेय** :
श्री आसर :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १२ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाचार-पत्रों के लिए पृष्ठानुसार मूल्य सूची लागू करने के बारे में इस बीच क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या कोई निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) से (ग). लागू की जाने वाली मूल्य सूची का ब्यौरा विधि मंत्रालय की सलाह से तैयार किया जा रहा है और आशा है कि इस सप्ताह अथवा उसके आस पास सभा की मेज पर रख दिया जायेगा और जैसा कि अधिनियम के अनुसार आवश्यक है यह समाचार-पत्रों और संस्थाओं को उनकी राय जानने के लिये भेज दिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रजी में

जम्मू सीमा के पास बम विस्फोट

†*१४४६. श्री प्र० गं० देव :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री आचार :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च १९६० के अन्तिम सप्ताह में जम्मू सीमा के पास एक बम-विस्फोट हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तानियों की ऐसी उच्छेदक गतिविधियों को रोकने के लिये क्या कार्यगाही की गई है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जम्मू-सियालकोट सीमा से किसी विस्फोट का समाचार नहीं मिला है । संभवतः आशय उन तीन विस्फोटों से है जो १५ और १६ मार्च, १९६० को मनकोट गांव, पुलिस चौकी मेन्ढर में और उस के पास हुए थे जिनके कारण पंचायतघर और एक स्कूल को कुछ नुकसान पहुंचा था ।

(ख) पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र से विध्वंसकारियों की कार्यवाहियां रोकने के लिए अधिकारीगण प्रत्येक सम्भव कार्य करते हैं ।

सीमान्त सड़क विकास बोर्ड

†*१४४७. श्री हेम बरुआ :
श्री आचार :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल में ही एक सीमान्त सड़क विकास बोर्ड बनाया है और प्रधान मंत्री उसके प्रधान हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी हां ।

(ख) बोर्ड की रचना और उसके कार्य बताने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ८७]**

(ग) यह जानकारी देना लोक-हित में नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में भूमि का अनियमित आवंटन

†*१४४८. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री ७ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में भूमि के अनियमित आवंटन की शिकायतों की जांच पड़ताल करने के लिये जो जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था क्या सरकार ने उसके प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा ?

†पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (**श्री मेहर चन्द खन्ना**) : (क) और (ख). प्रतिवेदन पर अभी विचार हो रहा है ।

आसाम में कोयला-खान मजदूर

†*१४४९. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
श्री प्रभात कार :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम के कोयला-क्षेत्रों को भी श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण पंचाट के क्षेत्राधिकार में लाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) क्या चेरापूंजी कोयला खान मजदूरों की ओर से कोई अभ्यावेदन किया गया है; और

(ग) क्या मजदूरों ने इस मामले में प्रादेशिक श्रम आयुक्त से प्रार्थना की थी, और उसने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

†श्रम उपमंत्री (**श्री आबिद अली**) : (क) और (ग). केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध यंत्र प्रणाली और आसाम सरकार की सहायता से मालिकों और कर्मचारियों के बीच समझौता हो गया है जिसके अनुसार मालिकों ने पंचाट के उपबन्धों को कार्यान्वित करना मंजूर कर लिया है ।

(ख) जी हां ।

दक्षिण अफ्रीका में पास-विरोधी झगड़े

†*१४५०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र में अफ्रीको-एशियाई दल की बैठक २४ मार्च, १९६० को इस बात पर विचार-विमर्श करने के लिये हुई थी कि दक्षिण अफ्रीका में हाल के पास-विरोधी झगड़ों में संयुक्त राष्ट्र क्या कार्यवाही कर सकता है ;

(ख) यदि हां, तो भारत का क्या मत था; और

(ग) क्या भारत ने यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी हां। अफ्रीकी-एशियाई दल की बैठक २३ मार्च, १९६० को हुई थी और उसने दक्षिण अफ्रीका संघ में बड़े पैमाने पर अफ्रीकियों की हत्या से उत्पन्न स्थिति पर विचार किया और २४ मार्च को एक दूसरी बैठक में सुरक्षा परिषद् के अविलम्ब अधिवेशन की मांग करने का निश्चय किया।

(ख) अफ्रीकी-एशियाई दल के अन्य सदस्यों के साथ साथ भारत ने भी सुरक्षा परिषद् के अध्यक्ष के नाम दिनांक २५ मार्च के पत्र पर हस्ताक्षर किये थे जिसमें सुरक्षा परिषद् की अविलम्ब बैठक बुलाने की मांग की गयी थी।

(ग) जी हां। भारतीय प्रतिनिधि ही एशियाई-अफ्रीकी राष्ट्रों में सर्वप्रथम था जो परिषद् का सदस्य नहीं था और जिसने यह मांग की थी कि परिषद् में उसकी सुनवाई हो।

छंटनी में निकाले गये कर्मचारी

†*१४५१. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने मन्त्रालयों ने पुनर्वास तथा रोजगार के महानिदेशक को १९५९–६० में भर्ती के लिये तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के छंटनी में निकाले गये कर्मचारियों के नाम भेजने के लिय लिखा है;

(ख) इस अवधि में भारत सरकार के छंटनी में निकाले गये कितने ऐसे तृतीय और चतुर्थ श्रेणीयों के कर्मचारियों को काम पर लगाया गया है;

(ग) निदेशालय में १ अप्रैल, १९६० को एसे कितने कर्मचारियों के नाम प्रतीक्षा-सूची में थे; और

(घ) इन बचे हुए कर्मचारियों को कब तक केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में काम मिलने की सम्भावना है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) तीन।

(ख) श्रेणी ३ . . १६१
श्रेणी ४ . . ६३

(ग) १,८८१

(घ) यह बताना सम्भव नहीं है।

बर्मा में भारतीय

†*१४५२. **श्री आचार :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा में भारतीयों और तामिल संघ ने उन्हें एक ज्ञापन दिया था जिसमें बताया गया था कि उन्हें बर्मा में अपनी नागरिकता तथा अन्य मामलों में क्या कठिनाइयां हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये कोई कार्यवही की है; और

(ग) यदि हां, तो इनका क्या परिणाम निकला है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) बर्मा में तामिल संघ से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग). जो बातें उठायी गयी थीं उनमें से अधिकतर सरकार और रंगून में भारतीय दूतावास को बतायी गयी थीं और जहां कहीं आवश्यक था, भारतीय दूतावास ने सम्बन्धित बर्मी अधिकारियों को लिखा भी था। आगे तामिल संघ के प्रतिनिधियों के साथ इन बातों पर और भी विचार किया गया और रंगून में भारतीय दूतावास को उचित आदेश भेज दिये गये हैं। बर्मा सरकार से जो प्रार्थना की गयी है उसके परिणाम की प्रतीक्षा करनी होगी।

अमृतसर में चित्रपट विभाग (फिल्म्स डिवीज़न) के कर्मचारियों पर प्रहार

†*१४५३. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री अ० सिं० सहगल :
श्री हेम बरुआ :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री आचार :
श्री खुशवक्त राय :
श्री वाजपेयी :
श्री दलजीत सिंह :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के चित्रपट विभाग (फिल्म्स डिवीज़न) के कर्मचारियों को, जब वे अमृतसर के स्वर्ण मन्दिर में बाकायदा अनुमति लेकर चित्र ले रहे थे, मारा पीटा गया और सामान को भी नुकसान पहुंचा;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का क्या कारण था; और

(ग) इसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). राज्य सरकार ने सूचित किया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा ४३५/४२७ के अधीन मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है।

गोआ-बम्बई स्टीमर सेवा

†*१४५४. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री पांगरकर :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** ७ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न सख्या १०१७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गोआ और बम्बई के बीच स्टीमर सेवा आरम्भ किये जाने के सम्बन्ध में इस समय स्थिति क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

---

†मूल अंग्रजी में

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं

†१९९४. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में कितनी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें काम कर रही हैं; और

(ख) १९६०–६१ में ऐसे कितने इन्स्टिट्यूट खोलने का विचार है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) दस।

(ख) दो।

काम दिलाऊ दफ्तर

†१९९५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९–६० में प्रत्येक राज्य में कुल कितने व्यक्तियों को काम दिलाऊ दफ्तरों में पंजीबद्ध किया गया ;

(ख) उसी अवधि में प्रत्येक राज्य में काम दिलाऊ दफ्तरों को कुल कितने रिक्त स्थानों की सूचना दी गयी;

(ग) उपर्युक्त अवधि में प्रत्येक राज्य में कुल कितने व्यक्तियों को वास्तव में रोजगार दिलाया गया ;

(घ) इनमें से कितनों को राज्यों में, केन्द्र में, अर्ध-सरकारी और गैर-सरकारी फर्मों में नौकरी दी गयी; और

(ङ) क्या रोजगार ढूंढ़ने वालों के लिये व्यवसायानुसार विभाजन में कोई परिवर्तन देखा गया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) से (घ). अप्रैल, १९५९ से फरवरी, १९६० तक की अवधि के लिये जानकारी संलग्न विवरण में दी हुई है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८**] मार्च, १९६० के लिये आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

(ङ) फरवरी, १९५९ और फरवरी, १९६० के अन्त तक स्थूल व्यावसायिक समुदायों के चालू रजिस्टर में प्रार्थियों की संख्या का प्रतिशत विभाजन तुलना के लिये नीचे दिया जाता है ।

व्यावसायिक समुदाय	चालू रजिस्टर पर प्रार्थियों का प्रतिशत विभाजन	
	२८-२-५९ को	२९-२-६० को
१	२	३
औद्योगिक पर्यवेक्षण	०.८	०.९
कुशल और अर्ध कुशल	७.९	७.६
लिपिक सेवायें	२६.०	२४.६
घरेलू सेवायें	३.९	३.८
शिक्षा सम्बन्धी	४.३	४.६
औज़ार	५२.५	५३.७
अन्य	४.६	४.८
जोड़	१००.०	१००.०

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में रोजगार

†१९९६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३१ मार्च, १९६० को दिल्ली के रोजगार दफ्तरों में चालू रजिस्टरों पर कितने ग्रेजुएट, इंटरमीडिएट और मैट्रीक्युलेट बेरोजगार हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : जानकारी नीचे दी जाती है :—

श्रेणी	३१ मार्च, १९६० को चालू रजिस्टर में संख्या
१	२
ग्रेजुएट . .	४,०१४
इंटरमीडियेट .	२,२०२
मैट्रीक्युलेट	२०,१६४
कुल . .	२६,३८०

राजस्थान में नमक उत्पादन

†१९९७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५७–५८, १९५८–५९ और १९५९–६० में राजस्थान में अलग अलग कुल कितने नमक का उत्पादन हुआ ;

(ख) इन तीन वर्षों में अलग अलग प्रत्येक कारखाने में कितने नमक का उत्पादन हुआ;

(ग) नमक का उत्पादन बढ़ाने के लिये विभिन्न कारखानों को इन तीन वर्षों में कितनी वित्तीय सहायता दी गयी; और

(घ) क्या राजस्थान के नमक-उत्पादन वाले क्षेत्रों में सड़कों में सुधार करने के लिये कोई वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी सहायता दी गयी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). आवश्यक जानकारी वाला विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८९]**

(ग) से (ङ). चूंकि राजस्थान में नमक का प्रायः सारा उत्पादन (फालौदी में तैयार किये गये नमक की थोड़ी सी मात्रा को छोड़ कर) नमक विभाग द्वारा या हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी लिमिटेड द्वारा जो पूर्णतः केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व की लिमिटेड कम्पनी है, चलाये गये नमक के कारखानों में होता है, इसलिये गैर-सरकारी व्यक्तियों को या राजस्थान सरकार को नमक का उत्पादन बढ़ाने के लिये राजस्थान के नमक-उत्पादन वाले क्षेत्रों की सड़कों में सुधार करने के लिये कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गयी है ।

†मूल अंग्रेजी में

कलकत्ते की गन्दी बस्तियों का हटाया जाना

†१९९८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंदी बस्तियां हटाने की योजना के सम्बन्ध में कलकत्ते के लिये कोई धनराशि मंजूर की कयी है; और

(ख) यदि हां, तो १९५९-६० में कितनी रकम मंजूर की गयी है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री** अनिल कु० चन्दा) : (क) ३८० लाख रुपये में जिस रकम तक दूसरी योजना अवधि में पश्चिम बंगाल में गंदी बस्तियां हटाने की परियोजनायें मंजूर की जा सकती हैं; ७१.०४ लाख रुपये की अनुमोदित लागत की दो परियोजनायें अक्तूबर, १९५७ में कलकत्ते के लिये मंजूर की गयी थीं और १३५.४० लाख रुपये की अनुमोदित लागत की कलकत्ते के लिये पांच और परियोजनाओं पर राज्य सरकार मंजूरी देने वाली है।

(ख) १९५९-६० में योजना के अधीन पश्चिम बंगाल के लिये नियत की गई ८१ लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता की तुलना में २०.८६ लाख रुपये की रकम दी जानी थी जो उस वर्ष मंजूर की गयी परियोजनाओं पर संभवतः होने वाले खर्च पर आधारित थी। १९५८-५९ में जो रकम ज्यादा दे दी गयी थी उसे घटा कर वास्तव में केवल ५.५१ लाख रुपये की रकम दी गयी।

बागे पंचाट

†१९९९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** १५ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बागे पंचाट के अन्तर्गत राज्य के हस्तान्तरण सम्बन्धी और क्या विस्तृत बातें तथा आंकड़े एकत्रित किये गये हैं ?]

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (जानकारी १४ मार्च, १९६० को पटल पर रखी गई थी।

ट्रैक्टर और बुलडोजर

†२०००. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९-६० में भारत में कितने ट्रैक्टर तथा बुलडोजर आयात किये गये ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : एक विवरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९०**]

आन्ध्र प्रदेश में गन्दी बस्तियों का हटाया जाना

†२००१. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६० में आन्ध्र प्रदेश के नगरों में गन्दी बस्तियों के हटाने के लिये आन्ध्र प्रदेश सरकार को कितना धन आवंटित किया गया है ;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने उपरोक्त काल में पूर्ण राशि का प्रयोग किया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) अब तक नामवार कितने नगरों तथा उपनगरों में गन्दी बस्तियों को हटाया गया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) तथा (ख). १९५९-६० में गन्दी बस्ती हटाने की योजना के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश सरकार को केन्द्रीय सहायता के रूप में २४.३० लाख रु० आवंटित किये गये थे जिन में से ५.७६ लाख रु० इस आधार पर उन्हें देय हुए कि वे उक्त वर्ष में इतना व्यय करेंगे। १९५८-५९ में योजना के अन्तर्गत किये गये अधिक भुगतान को घटा कर केवल ५.१३ लाख रु० वास्तव में दिये गये।

(ग) हैदराबाद/सिकन्दराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापटनम, गुन्टूर और चिराला के उपनगरों में गन्दी बस्तियों के निवासियों के लिये २,७५१ आवास एककों के निर्माण के लिये अब तक ५९.०५ लाख रु० की ११ गन्दी-बस्ती-हटाना परियोजनायें स्वीकार की गई हैं।

खाने का तम्बाकू

†२००२. **श्री नंजप्पा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २२ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाने का तम्बाकू किस किस देश को निर्यात होता है ;

(ख) हमारे देश में यदि तम्बाकू आयात होता है तो प्रति वर्ष कितना ; और

(ग) हमारे देश के किस किस भाग में आयात किया गया तम्बाकू प्रयोग होता है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) अदन, लंका, सिंगापुर और मलाया।

(ख) १९५९ में ५८,८८३ पौंड खाने का अनिर्मित तम्बाकू आयात हुआ।

(ग) दक्षिण भारत में, विशेषकर केरल राज्य में।

पाकिस्तान द्वारा पकड़ी गई नौकाएं

†२००३. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** १८ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७०१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जूट से भरी हुई उन तीन नौकाओं को छोड़ने की नवीनतम स्थिति क्या है जो नवम्बर, १९५८ के तीसरे सप्ताह में नूरपुरकटी (पश्चिमी बंगाल) के पास पदमा नदी में पाकिस्तानी सेना-कर्मचारियों ने पकड़ी थीं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : अब पाकिस्तान सरकार ने भारत के उच्च आयुक्त को बताया है कि न्यायालय के एक आदेशाधीन जूट का सामान सार्वजनिक नीलाम से बेच दिया गया है परन्तु उस का कितना मूल्य मिला यह नहीं बताया है। कहा जाता है कि तीन नौकाएं पूर्वी पाकिस्तान के कब्जे में हैं।

भारत सरकार पाकिस्तान में अपने उच्च आयुक्त द्वारा जूट के सामान से प्राप्त राशि के प्रेषण और तीनों नौकाओं को छुड़ाने का प्रयास कर रही है।

---

†मूल अंग्रजी में

केरल बागान की हड़ताल की जांच

†२००४. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १५ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केरल बागान हड़ताल की जांच समाप्त हो गई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) अनेक परिस्थितियों के कारण जांच नहीं की जा सकी । अब मामले में आगे कार्यवाही न करने का निश्चय किया गया है क्योंकि घटना हुए १।। बर्ष से अधिक हो गया है । फिर भी संभव है कि जांच करने से कोई लाभ न हो ।

मैंगनीज अयस्क का निर्यात

†२००५. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १५ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनन के ढंगों में सुधार अयस्क के परिवहन की अधिक सुविधाओं की व्यवस्था आदि कर के भारतीय मैंगनीज़ अयस्क के मूल्य में कमी करने की सिफारिश करने के लिये मैंगनीज़ अयस्क व्यापार संवर्धन समिति द्वारा नियुक्त की गई उपसमिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सिफारिशें की गई हैं ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ।

†**वाणिज्य मंत्री (श्री काननगो)** : (क) से (ग). राज्य व्यापार निगम द्वारा बनाई गई समिति वर्गीय हितों के कारण सारे व्यक्तियों के लिये सामान्य लाभदायिक सहयोग का उपयुक्त प्रबन्ध करने का कोई अच्छा सुझाव नहीं दे सकी । इस दृष्टि से वास्तव में समिति ने कार्य करना बन्द कर दिया है । अतः कोई औपचारिक प्रतिवेदन तैयार करने का या समिति की सिफारिशें रिकार्ड करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है ।

ढलाई और गढ़ाई का कारखाना

†२००६. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १५ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारी ढलाई और गढ़ाई का कारखाना बनाने का निश्चय करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : आशा है कि २१ नवम्बर, १९५९ को प्राप्त हुई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट शीघ्र ही स्वीकार कर ली जायेगी । हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन ने परेग के 'टेक्नोएक्सपोर्ट' से ३० मार्च, १९६० को एक ठेका किया था कि वह ८७ लाख रु० मूल्य पर 'रोल्स शाप' की स्थापना के लिये सारे मशीन औजार तथा सामान का संभरण करे । इस कारखाने में 'फिनिश मशीनिंग रोल्स' बनाने की योजना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

"बैन्जोइक एसिड"[१]

†२००७. **श्री प्र० के० देव :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ और १९५९-६० में कितना 'बैन्जोइक एसिड' भारत में आयात किया गया तथा उस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई ;

(ख) देश में इस का क्या प्रयोग होता है ;

(ग) क्या प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद में किये गये अनुसंधान के फल-स्वरूप 'बैन्जोइक एसिड' का स्वदेशीय उत्पादन वाणिज्यक आधार पर आरम्भ किया जा सकता है ;

(घ) इस के उत्पादन के लिये उद्योग स्थापित करने में कितने वित्त की आवश्यकता होगी; और

(ङ) क्या देश में इस का उत्पादन करने के लिये लाइसेंस के लिये कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है या सरकार का विचार इस का उत्पादन सरकारी क्षेत्र में करने का है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ङ). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) १९५८–५९ और १९५९–६० में बैन्जोइक एसिड निम्न मात्राओं में आयात किया गया :

वर्ष	आयात की मात्रा (हन्डरवेट में)	मूल्य ('००० रु० में)
१९५८–५९	६२९	१३५
१९५९–६० (अप्रैल-दिसम्बर, १९५९)	४४८	९२

(ख) बैन्जोइक एसिड रंगों में और एन्टीसेप्टिक, एनीपाइरेटिक तथा खाद्य परीक्षक के रूप में प्रयोग होता है ।

(ग) प्रादेशिक अनुसन्धान प्रयोगशाला, हैदराबाद ने बैन्जोइक एसिड के निर्माण के लिए अभी कोई अनुसन्धान नहीं किया है ।

(घ) $^1/_2$ टन दैनिक उत्पादन-क्षमता की समन्वित परियोजना का मूल्य लगभग तथा अस्थायी-रूप में ९ लाख रु० होगा ।

(ङ) अब तक उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत लाइसेन्स के लिए किसी भी गैर सरकारी पार्टी से कोई प्रार्थनापत्र प्राप्त नहीं हुआ है । बैन्जोइक एसिड का निर्माण राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम की मूल जीव संबंधी रसायनों तथा अन्तरपदार्थों के निर्माण की योजना में सम्मिलित है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

१ Benzoic Acid.

"बेन्जिल बेन्जोएट"[१]

†२००८. **श्री प्र० के० देव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ और १९५९-६० में कितना 'बेन्जिल बेन्जोएट' भारत में आयात किया गया तथा उस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई;

(ख) देश में इसका क्या प्रयोग होता है ;

(ग) क्या प्रादेशिक अनुसन्धान प्रयोगशाला, हैदराबाद में किये गये अनुसन्धान के फल-स्वरूप 'बेन्जिल बेन्जोएट' का स्वदेशीय उत्पादन वाणिज्यिक आधार पर आरम्भ किया जा सकता है ;

(घ) इस के उत्पादन के लिये उद्योग स्थापित करने में कितने वित्त की आवश्यकता होगी ; और

(ङ) क्या देश में इसका उत्पादन करने के लिए लाइसेंस के लिए कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है या सरकार का विचार इसका उत्पादन सरकारी क्षेत्र में करने का है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) १९५८-५९ और १९५९-६० में 'बैन्जिल बैन्जोएट' निम्न मात्रा में आयात किया गया :—

वर्ष	आयात की मात्रा (हन्डरवेट में)	मूल्य ('००० रु० में)
१९५८-५९	४४५	१६२
१९५९-६० (अप्रेल-दिसम्बर, १९५९)	५९९	२०६

(ख) बैन्ज़िल बैन्जोएट एन्टी स्पेसमोडिक[२], प्लास्टीसाइज़र[३] और मिटिसाइड[४] के रूप में प्रयोग होता है ।

(ग) प्रादेशिक अनुसन्धान प्रयोग-शाला, हैदराबाद ने 'बेन्जिल बन्जोएट' का बाणिज्यिक आधार पर उत्पादन करने के लिए कोई अनुसन्धान नहीं किया है ।

(घ) $^{१}/_{२}$ टन दैनिक उत्पादन क्षमता की समन्वित परियोजना पर अस्थायी रूप में लगभग ९ लाख रु० व्यय होंगे ।

(ङ) इस वस्तु के निर्माण के लिए किसी भी गैर-सरकारी पार्टी से उद्योग (विकास तथा (विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत लाइसेंस के लिए कोई प्रार्थना-पत्र नहीं मिला है । इस वस्तु को सरकारी क्षेत्र में बनाने की भी कोई योजना नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[१] Benzyl Benzoate.

[२] Anti-spasmodic.

[३] Plasticizer.

[४] Miticide.

"बेन्जिल एसीटेट"[१]

†२००९. श्री प्र० के० देव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ और १९५९–६० में कितना 'बेन्जिक एसीटेट' भारत में आयात किया गया तथा उस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई ;

(ख) देश में इसका क्या प्रयोग होता है ;

(ग) क्या प्रादेशिक अनुसन्धान प्रयोगशाला, हैदराबाद में किये गये अनुसन्धान के फलस्वरूप 'बैन्जिल एसीटेट' का स्वदेशीय उत्पादन वाणिज्यिक आधार पर आरम्भ किया जा सकता है ;

(घ) इस के उत्पादन के लिये उद्योग स्थापित करने में कितने वित्त की आवश्यकता होगी ; और

(ङ) क्या देश में इसका उत्पादन करने के लिए लाइसेन्स के लिए कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है या सरकार का विचार इसका उत्पादन सरकारी क्षेत्र में करने का है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ङ). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) १९५८ और १९५९ में 'बेन्जिल एसीटेट' की निम्न मात्रा का आयात हुआ:—

वर्ष	मात्रा (हन्डरवेट में)	मूल्य ('००० रु में)
१९५८ . . .	१०५०	२८३
१९५९ (जनवरी-सितम्बर) . . .	९८३	२४८

(ख) 'बेन्जिल एसीटेट' सुगंध-गृह के लिए कच्चा सामान के रूप में और विलायक के रूप में प्रयोग होता है ।

(ग) प्रादेशिक अनुसन्धान प्रयोग-शाला हैदराबाद ने 'बेन्जिल एसीटेट' का वाणिज्यिक आधार पर उत्पादन करने के संबंध में कोई अनुसंधान नहीं किया है ।

(घ) $^1/_2$ टन दैनिक क्षमता की समन्वित परियोजना पर लगभग और अस्थायी रूप में ९ लाख रु० व्यय होंगे ।

(ङ) गैर सरकारी क्षेत्र में इस वस्तु के निर्माण के लिए अब तक एक योजना का लाइसेन्स दिया गया है । सरकारी क्षेत्र में इस वस्तु का उत्पादन करने की कोई योजना नहीं है ।

"सैगर"[२]

†२०१०. श्री प्र० के० देव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ और १९५९-६० में कितने 'सैगर्स' का भारत में आयात किया गया तथा उस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई ;

(ख) देश में इसका क्या प्रयोग होता है ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

१ Benzyl Acetate.

२ Saggars.

(ग) क्या सेंट्रल ग्लास एण्ड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, कलकत्ता में किये गये अनुसन्धान के फलस्वरूप "सैगर्स" का स्वदेशीय उत्पादन वाणिज्यिक आधार पर आरम्भ किया जा सकता है ;

(घ) इसके उत्पादन के लिए उद्योग स्थापित करने में कितने वित्त की आवश्यकता होगी; और

(ङ) क्या देश में इसका उत्पादन करने के लिए लाइसेन्स के लिए कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है या सरकार का विचार इसका उत्पादन सरकारी क्षेत्र में करने का है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) 'सैगर्स' का आयात नहीं होता ।

(ख) भट्टी की गैसों के जहरीले असर से बचाने के लिए मिट्टी के बर्तन आदि पकाने के लिये डिब्बों के रूप में ।

(ग) तथा (घ). मिट्टी के बर्तन के कारखाने पहिले से ही "सेगर" बना रहे हैं । उन के उत्पादन की कोई टैक्निक नहीं है । सेंट्रल ग्लास एण्ड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, कलकत्ता ने प्रयोग होने वाली टैक्निक और पदार्थ में सुधार करने पर प्रयोग किया था। किसी विशिष्ट परिणाम से लाभ उठाने का कोई प्रश्न नहीं है और न ही यह कार्य पेटेन्ट किया गया है ।

(ङ) कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है और न ही सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र में उत्पादन करने का है ।

ऊष्मसह ईंटें [१]

†२०११. **श्री प्र० के० देव** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ और १९५९–६० में उष्मसह ईंटों का भारत में कितना आयात किया गया तथा उस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई ;

(ख) देश में इसका क्या प्रयोग होता है ;

(ग) क्या राष्ट्रीय धातुकार्मिक प्रयोगशाला, जमशेदपुर में किये गये अनुसन्धान के फलस्वरूप ऊष्मसह ईंटों का स्वदेशीय उत्पादन वाणिज्यिक आधार पर आरम्भ किया जा सकता है ;

(घ) इस के उत्पादन के लिए उद्योग स्थापित करने में कितने वित्त की आवश्यकता होगी ; और

(ङ) क्या देश में इसका उत्पादन करने के लिये लाइसेंस के लिए कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है या सरकार का विचार इसका उत्पादन सरकारी क्षेत्र में करने का है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९१]**

(ख) उच्च ताप की भट्टियों तथा प्रतिक्रिया पात्रों में परत लगाने के पदार्थ के रूप में ।

(ग) सभी प्रकार की ऊष्मसह ईंटों का निर्माण देश में अनेक स्थानों पर वाणिज्यिक आधार पर हो रहा है । राष्ट्रीय धातु कार्मिक प्रयोगशाला, जमशेदपुर द्वारा बनाई गई

---

†मूल अंग्रेजी में

१ Refractories

चार प्रक्रियायें नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया को बताई गई हैं ताकि वह उन्हें वाणिज्यिक प्रयोग के लिये कारखानों को बता दें। इन में व्यानाइट से 'मुलाइट रिफ्रैक्टरीज'१ बनाने की प्रक्रिया वाणिज्यिक प्रयोग के लिय धनबाद कम्पनी को बता दी गई है ? नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया अन्य ऊष्मसह ईंटें बनाने के प्रबन्धों पर विचार कर रहा है ।

(ङ) उपरोक्त भाग (ग) में उल्लिखित प्रक्रिया के वाणिज्यिक प्रयोग के लिए लगभग ८ से २५ लाख रु० तक की आवश्यकता होगी परन्तु यह इस बात पर निर्भर होगा कि ऊष्मसह ईंटों का कारखाना कैसा होगा और उसकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी । २०,००० टन की वार्षिक क्षमता के एक स्टेन्डर्ड रिफ्रैक्टरीज प्लान्ट पर लगभग ४० लाख रु० व्यय होंगे ।

(च) सरकार ने लाइसेंस के लिये अनेक प्रार्थना पत्रों पर विचार किया है और कई लाइसेंस दिये हैं। इस्पात कारखानों के लिए विशेष प्रकार की ऊष्मसह ईंटें बनाने के लिए सरकारी क्षेत्र में कुछ कारखाने स्थापित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

पाकिस्तानी राष्ट्रजन

†२०१२. **श्री पांगरकर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने पाकिस्तानी राष्ट्रजन १ दिसम्बर, १९५९ के बाद से जम्मू तथा कश्मीर राज्य में चले आये और गिरफ्तार किये गये हैं; और

(ख) १९५८ की इतनी ही अवधि के आंकड़ों की तुलना में यह आंकड़े कैसे बैठते हैं?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) १ दिसम्बर, १९५९ और मार्च, ३१,१९६० के बीच ७२ पाकिस्तानी राष्ट्रजन और कश्मीर के पाकिस्तान अधिकृत भाग में रहने वाले व्यक्ति जम्मू तथा कश्मीर में घुस आये थे और उन्हें पकड़ लिया गया था।

(ख) १९५८–५९ की इतनी ही अवधि में ऐसे व्यक्तियों की संख्या ५६ थी।

भारत-पाक सीमा घटनायें

†२०१३. **श्री पांगरकर** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ७ दिसम्बर, १९५९ को पिछला विवरण सभा-पटल पर रखे जाने के बाद से हुई भारत पाक सीमा घटनाओं का ब्योरा क्या है ;

(ख) जान और माल की कितनी क्षति हुई है ; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या पग उठाये हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९२**]

---

†मूल अंग्रेजी में

१Mullite Refractories.

(ग) सीमा घटनाओं का निबटारा अक्तूबर, १९५९ और जनवरी, १९६० में हुये भारत-पाकिस्तान सीमा सम्मेलन के परस्पर-सहमति से किये गये निर्णयों के अनुसार किया जाता है। प्रत्येक घटना घटने के तत्काल पश्चात् भारत के स्थानीय कमांडर और जिला अधिकारी पाकिस्तान-स्थित अपने समकक्ष पदाधिकारियों से उसका प्रश्न उठाते हैं। दोनों देशों के जिला अधिकारियों की माहवारी बैठक में भी इन घटनाओं पर चर्चा की जाती है। अधिक गम्भीर घटनाओं की ओर पाकिस्तान की प्रांतीय सरकारों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। सीमा-सम्मेलनों के बाद से इन घटनाओं की गम्भीरता और संख्या घट गयी है।

व्यापार प्रतिनिधिमंडल

२०१४. **श्री पद्म देव :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५९ में विदेशों से कितने व्यापार प्रतिनिधिमंडल भारत आये और कितने व्यापार प्रतिनिधिमंडल भारत से विदेश गये ?

वाणिज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द कानूनगो): दो विवरण पटल पर रखे जाते हैं, जिनमें १९५९ में भारत आये विदेशी व्यापारिक शिष्ट मंडलों तथा विदेशों को गये भारतीय व्यापारिक शिष्ट मंडलों का ब्योरा दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९३]**

स्थायी श्रम समिति

†२०१५. **श्री तंगामणि** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १८वीं स्थायी श्रम समिति ने, जिसकी बैठक ५ जनवरी, १९६० को दिल्ली में हुई थी, मजूरी बोर्डों की स्थापना के संबंध में निर्णय लिये हैं ;

(ख) इस वर्ष कितने मजूरी बोर्डों की स्थापना की जायेगी ;

(ग) क्या यह सच है कि समिति ने फरवरी, १९६० में अपनी बैठक जारी रखी है ; और

(घ) यदि हां, तो इन बैठकों की तारीख और स्थान क्या हैं ?

†**श्रम उप-मंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी नहीं।

(ख) सरकार ने ऐसा कोई निश्चय नहीं किया है।

(ग) और (घ). जी हां, समिति की बैठक १० और ११ मार्च, १९६० को हुई थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

गुदमा उत्पादन केन्द्र

२०१६. **श्री पद्म देव :**
श्री हेम राज :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में गुदामों का उत्पादन केन्द्र कहां पर स्थापित किया गया है और इस वर्ष इस केन्द्र द्वारा कितने गुदमें तैयार किये गये ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : यह केन्द्र अभी तक स्थापित नहीं किया गया है । लेकिन राज्य सरकार ने इसे महासू जिले की चिनी तहसील के सुनाम नामक स्थान में स्थापित करने का निश्चय कर लिया है। इसके शीघ्र ही चालू हो जाने की संभावना है।

ऊनी वस्त्रों का आयात

†२०१७. **श्री भंज देव :**
श्री मानवेन्द्र शाह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५९–६० में कुछ निर्यात करने के अनुबन्ध[1] पर कुछ व्यक्तियों को ४१.९५ लाख रुपयों के ऊनी वस्त्रों का आयात करने के लाइसेंस दिये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो इस आयात के बदले कितना निर्यात किया गया ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) कुछ निर्यात करने के अनुबन्ध पर अक्तूबर, १९५८ से जुलाई, १९५९ के बीच लगभग २४.१८ लाख रुपयों के ऊनी वस्त्रों के आयात के लिये लाइसेंस दिये गये थे ।

(ख) दिये गये लाइसेंसों पर कितना निर्यात किया गया इसके आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि निर्यात के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य देने की अन्तिम तारीख अप्रैल, १९६० है।

इंडियन आक्सीजन एण्ड एसिटिलीन कम्पनी

†२०१८. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आक्सीजन एंड एसिटिलीन कम्पनी ने भविष्य निधि योजना अपने सभी कर्मचारियों के लिये लागू नहीं की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया था और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Stipulation

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) इस कम्पनी ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना, १९५२ को लागू करने से छूट देने के लिये आवेदन किया था। उसने अब छूट देने का आवेदन वापस ले लिया है और वह अब इस योजना को क्रियान्वित कर देगी।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

औषध फार्मों सम्बन्धी प्रविधिक समिति

२०१९. **श्री भक्त दर्शन :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १७ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १७९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषध (ड्रग) फार्मों के संबंध में जो प्रविधिक समिति नियुक्त की गई है, उसके सदस्यों के नाम और पद क्या क्या हैं ; और

(ख) उस समिति को कब तक अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) औषध (ड्रग) फार्मों के संबंध में नियुक्त की गयी प्रविधिक समिति के सदस्यों के नाम तथा पद इस प्रकार हैं :—

१. डा० जी० पी० काणे, वरिष्ठ औद्योगिक सलाहकार (रसायन) विकास शाखा। . . . . अध्यक्ष

वैकल्पिक

श्री एन० श्री निवासन, औद्योगिक सलाहकार, विकास शाखा

२. श्री पी० एम० नाबर, अफसर इंचार्ज, आयोजना एवं औषध वाले पौधे, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक गवेषणा परिषद्, नई दिल्ली . . . . . सदस्य

३. श्री सी० आर० रंगनाथन, कार्यकारी निर्देशक फर्टिलाइजर असोशियेशन आफ इंडिया, ८५, सुन्दर नगर, नई दिल्ली . सदस्य

४. डा० बी० मुखर्जी, निर्देशक, केन्द्रीय औषत गवेषणा संस्थान, लखनऊ . . . . . सदस्य

५. डा० बी० शाह, विकास अफसर (औषध), विकास शाखा . सचिव

(ख) यह समिति यथा शीघ्र अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी।

राज्य व्यापार निगम

†२०२०. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम ने अब तक कुल कितने परिमाण में वस्तु विनिमय के सौदे किये हैं ; और

(ख) ये सौदे किन किन देशों के साथ किये गये हैं, आयात और निर्यात की वस्तुयें क्या हैं और उनकी कीमतें कितनी हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख) तीन विवरण सभा-पटल पर रखे जाते हैं। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९४]**

राज्य व्यापार निगम

†२०२१. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने सरकारी क्षेत्र के तीनों इस्पात के कारखानों को लौह अयस्क का संभरण करने का एकाधिकार मेसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी को दे दिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति क्या है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी नहीं।

(ख) राज्य व्यापार निगम द्वारा बड़ाजमदा क्षत्र के प्रायः एसे सभी खान मालिकों से खरीद की जाती है जो इस्पात के कारखानों को लौह अयस्क का संभरण करने के लिये राजी हो गये हैं और रेलवे को स्वीकार्य लोडिंग-स्टेशनों पर इसे लादने की स्थिति में हैं।

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति

†२०२२. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्वी पाकिस्तान के उन विस्थापित व्यक्तियों के दण्डकारण्य परियोजना में नये सिरे से फिर से बसाने के आवेदन पत्रों पर विचार करेगी जो आजकल ऐसी बस्तियों में रह रहे हैं जिनमें जीवकोपार्जन करना उनके लिये ऐसे कारणों से संभव नहीं जिन पर उनका कोई वश नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रक्रिया अपनायी जायेगी ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) पश्चिम बंगाल के शिविरों में रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों को छोड़ कर अन्य स्थानों में रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों को दण्डकारण्य क्षेत्र में बसाने के प्रश्न पर केवल तभी विचार किया जा सकता है जब कि शिविरों में रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों की आवश्यकतायें पूरी हो जायेंगी।

(ख) यह प्रश्न इस समय उत्पन्न नहीं होता।

दण्डकारण्य में परिवहन कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

†२०२३. { **श्री अरन्विद घोषाल** :
श्री बी० दास गुप्त :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बस्तर जिले में दण्डकारण्य परियोजना के परिवहन कर्मचारियों ने मार्च, १९६० के पहले हफ्ते में हड़ताल कर दी थी ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ?

†पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी हां । परिवहन कर्मचारी एक दिन की हड़ताल पर थे ।

(ख) परिवहन कर्मचारियों ने एक ड्राइवर की, जिसकी आक्रमण के मामले में खोज की जा रही थी, गिरफ्तारी के विरोध में हड़ताल कर दी थी ।

दिल्ली के किंग्सवे कैम्प में विस्थापित व्यक्ति

†२०२४. { श्री स० मो० बनर्जी :
श्री ब्रज राज सिंह :

क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के किंग्सवे कैम्प की रीड्स लाइन्स की बारकों में रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों से बारकें खाली करने के लिये कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो बदले में उनके लिये किस स्थान की व्यवस्था की जायेगी ?

†पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख). किंग्सवे कालोनी की रीड्स लाइन्स के मकानों में रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों को बदले में उन मकानों में जगह दी जायेगी जो माल रोड पर बनाये जा रहे हैं । लेकिन मंत्रालय उन विस्थापित व्यक्तियों के लिये कुछ भी निर्माण कार्य नहीं कर रहा है जिन्होंने रीड्स लाइन्स की कुछ बारकों पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है । इस मसले पर दिल्ली नगर निगम विचार करेगा ।

कर्मचारी राज्य-बीमा निगम

†२०२५. श्री एन्थनी पिल्ले : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम कर्मचारी फेडरेशन ने श्रम सम्बन्धी अनुचित आचरण के जो आरोप लगाये थे क्या उस सम्बन्ध में शिकायतों की कोई जांच की गयी थी ;

(ख) क्या रिपोर्ट की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ;

(ग) जांच की मुख्य उपपत्तियां क्या हैं ; और

(घ) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): (क) से (ग). सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त वरिष्ठ अफसर ने सामान्य प्रकार की विभागीय जांच की थी । रिपोर्ट की प्रति सभा पटल पर रखने का विचार नहीं है । सरकार विभागीय जांच की उपपत्तियों और उन पर की गयी कार्यवाही को प्रगट करना उचित नहीं समझती ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय सूचना सेवा का गठन

†२०२६. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जगदीश अवस्थी :

क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सूचना सेवा के गठन होने पर जो लोग क्रम २ के पदों पर कार्य कर रहे थे, उन्हें पदवनत करके क्रम तीन के पदों पर कर दिया गया है ;

(ख) क्या जो लोग क्रम ३ के पदों पर काम कर रहे थे उन्हें क्रम २ पर स्थायी कर दिया गया है और वे क्रम १ के पदों पर अस्थायी रूप से कार्य कर रहे है ; और

(ग) यदि हां, तो इस असंगत बात को ठीक करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

† **सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) से (ग). केन्द्रीय सूचना नियम १९५९ के नियम ५ के अन्तर्गत निर्धारित ढंग के अनुसार ही केन्द्रीय सूचना सेवा का गठन किया गया है। नियमों के अनुसार विभिन्न क्रमों के पदों के लिये विभागीय उम्मीदवारों को ही चुना जाता है। अतः पदोन्नति अथवा अवनति का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। जिन अधिकारियों का पद स्थायी नहीं होता तो उन्हें अस्थायी पद पर काम करना ही होता है और वह पद क्रम में नीचा होता है।

पत्रकारिता तथा प्रचार सम्बन्धी पदों पर लोगों का स्थायीकरण

†२०२७. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जगदीश अवस्थी :

क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने का प्रयत्न करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा जो सामान्य सेवा नियम बनाये गये है, उनके अनुसार जो लोग सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में पत्रकारिता तथा प्रचार सम्बन्धी पदों पर काम कर रहे है, स्थायी कर दिये गये है ;

(ख) क्या ऐसे लोगों को भी स्थायी किया गया है जिनकी अपेक्षित अर्हतायें केन्द्रीय सूचना सेवा के गठन के समय नहीं थीं ; और

(ग) क्या यह ठीक है कि लम्बी सेवा वाले लोगों को पीछे छोड़ दिया गया ?

†**सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) से (ग). केन्द्रीय सूचना सेवा के गठन के समय संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर जो केन्द्रीय सूचना सेवा नियम (५) २ १९५७ के अन्तर्गत, प्राप्त हुई थीं अधिकारियों को स्थायी किया गया था। तत्सम्बन्धी नियमों का वित्त और गृह-कार्य मंत्रालय और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श बनाये गये थे। सारी बातों को देखते हुये जो सिद्धान्त स्वीकार किया गया था उसके अनुसार ही अधिकारियों की नियुक्तियां की गयी थीं। उसका कोई मापदण्ड प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। नियमों में सेवा अर्हता या स्वीकृत सेवा जैसा कोई सिद्धान्त नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय सूचना सेवा के गठन के समय अधिकारियों का स्थायीकरण

†२०२८. { **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री जगदीश अवस्थी :

क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सूचना सेवा के गठन के समय कुछ ऐसे लोगों को विशेष क्रम में स्थायी कर दिया गया जिनकी उस पद के लिये अपेक्षित अर्हतायें नहीं थीं ;

(ख) क्या ऐसे लोगों को पीछे छोड़ दिया गया जो इन पदों के लिये अपेक्षित योग्यता रखते थे ;

(ग) यदि हां, तो ऐसा किये जाने के क्या कारण थे ; और

(घ) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

†**सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) से (ग) केन्द्रीय सूचना सेवा नियम १९५९ गृह-कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और केन्द्रीय लोक सेवा आयोग के परामर्श से बनाये गये थे । सब बातों को देखते हुये जो सिद्धान्त निर्धारित किया गया था उसके आधार पर ही केन्द्रीय सूचना सेवा के अधिकारियों की नियुक्तियां की गयी थीं । अतः इसके बाद कोई और कार्यवाही करने की आवश्यकता ही नहीं थी ।

भारत सेवक समाज

†२०२९. **श्री अ० मु० तारिक :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० में भारत सेवक समाज को जम्मू तथा काश्मीर राज्य में खर्च करने के लिये अनुदान के रूप में कितनी राशि दी गई है ;

(ख) जिस काल के लिये अनुदान दिया गया है उसके दौरान क्या कार्य किया गया है ; और

(ग) जम्मू तथा काश्मीर राज्य में भारत सेवक समाज की शाखाओं की संख्या क्या है ?

†**श्रम, रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा सचिव (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) योजना आयोग ने जम्मू तथा काश्मीर राज्य के लिये तीन लोक कार्य क्षेत्र स्वीकार किये हैं । इस कार्य के लिये १९५९–६० में भारत सेवक समाज के केन्द्रीय कार्यालय को ५००० रुपये प्रति क्षेत्र वार्षिक अनुदान दिया गया है ।

(ख) १९५९–६० में इन क्षेत्रों में क्या कार्य हुआ इस सम्बन्ध में भारत सेवक समाज के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है ।

(ग) योजना आयोग के पास जम्मू तथा काश्मीर में काम कर रही भारत सेवक समाज की शाखा के आन्तरिक संगठन की कोई जानकारी नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सिक्किम के भारतीय राजनीतिक अधिकारी

†२०३०. **श्री हेम बरुआ :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सिक्किम के भारतीय राजनीतिक अधिकारी के कार्यालय से भ्रष्टाचार तथा बकायदगियों की शिकायतें उपलब्ध हुई हैं ;

(ख) क्या यह भी ठीक है कि राजनीतिक अधिकारी के कार्यालय से ऐसे व्यापारियों को आयात और निर्यात के 'परमिट' दिये गये जो कि देश के हित के विरुद्ध काम करते रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या इन आरोपों के विरुद्ध जांच की गयी ; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) और (ख). भारतीय व्यापारियों ने राजनीतिक अधिकारी सिक्किम के कार्यालय के तथा भारतीय व्यापार ऐजेन्ट यातुंग के कार्यालय के कुछ अज्ञात व्यक्तियों से मिल कर बेकायदगियां कीं, इस सम्बन्ध में शिकायतें १९५८ में प्राप्त हुई थीं । इन शिकायतों का सम्बन्ध भारत-तिब्बत व्यापार से था ।

(ग) और (घ). इस मामले में अभी जांच पूर्ण नहीं हुई ।

नई दिल्ली की सरकारी बस्तियों के पार्क व स्क्वायर

†२०३१. **श्री राम गरीब :** क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विनय नगर तथा अन्य सरकारी बस्तियों के पार्कों व स्क्वायरों की पूरी हिफाजत नहीं की जा रही ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार उन्हें ठीक और घास से हराभरा रखने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**निर्माण, आवास तथा संभारण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) :** (क) और (ख). विनय नगर तथा अन्य सरकारी बस्तियों के पार्कों व स्क्वायरों का पूरा ध्यान रखा जाता है । परन्तु सभी प्रकार के लोग काफी संख्या में इन बागों को अपने मनोरंजन के लिये प्रयोग करते हैं। अतः इन पर काफी बोझ पड़ता है । ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि इन विभिन्न बस्तियों में कच्चे पानी का सम्भरण बढ़ाया जाये । इससे इन पार्कों में भी काफी सुधार होगा ।

बैंकांक में एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग की बैठक

†२०३२. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने बैंकाक में हुई एशिया तथा सुदूरपूर्व के लिये आर्थिक आयोग की बैठक में भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो भारत के व्यापार और वाणिज्य के बारे में उस सम्मेलन में क्या चर्चा हुई ; और

(ग) उस पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) यथापूर्व भारत ने अन्तर्क्षेत्रीय व्यापार प्रोत्साहन वार्ताओं के दूसरे दौर में भाग लिया । एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग समिति के तीसरे अधिवेशन में भी भाग लिया और उसके १६वें मुख्य अधिवेशन में भी भाग लिया जो कि ५ से १४ जनवरी, १८ से २५ जनवरी और ९ से २१ मार्च, १९६० तक बैंकाक में हुआ ।

(ख) एशिया तथा सुदूरपूर्व के क्षेत्रों के देशों में व्यापार को प्रोत्साहन देने के बारे में छानबीन करने के बारे में बातचीत होती रही, परन्तु किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं किया गया । अन्य दो बैठकों में तो भारत के व्यापार अथवा वाणिज्य का मामला कार्यक्रम में सम्मिलित ही नहीं था । जो भी बातचीत हुई वह इस क्षेत्र के सामान्य मामलों पर थी । उदाहरण के लिये व्यापार समिति में व्यापार के विकास और विभिन्न देशों की व्यापार सम्बन्धी नीतियों का पुनरीक्षण किया गया और उन पर ध्यान देने का निर्णय किया गया । जहाजरानी तथा समुद्री भाड़े की दरों के मामलों का भी परीक्षण किया गया । वाणिज्य मध्यस्थता, सीमा शुल्क, राज्य व्यापार सम्बन्धी प्राविधिक मामलों पर भी चर्चा की गयी । समिति के तीसरे अधिवेशन पर भारतीय प्रतिनिधि मंड़ल के प्रतिवेदन की प्रतिलिपी १ अप्रैल, १९६० को लोक सभा सचिवालय के पुस्तकालय में भेज दी गयी थी । मुख्य अधिवेशन सम्बन्धी प्रतिवेदन तैयार हो रहा है और यथाशीघ्र उसे पुस्तकालय में भेज दिया जायेगा ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

पंजाब में सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना

†२०३३. **श्री दलजीत सिंह** : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पंजाब के विभिन्न औद्योगिक केन्द्रों में केन्द्रीय सरकार की सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत बनायें गये और बनाये जाने वालों घरों की संख्या क्या है । केन्द्रों के लिये कितनी राशि और प्रक्रम निर्धारित है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : पंजाब सरकार द्वारा दिये गये ३१ दिसम्बर १९५९ तक के प्रतिवेदन के अनुसार बनाये गये और बनाये जाने वाले घरों के बारे में तथा पंजाब के विभिन्न नगरों में प्रत्येक परियोजना के अन्तर्गत बनाये गये घरों का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९५]

एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग

†२०३५. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया तथा सुदूरपूर्व के लिये आर्थिक आयोग की समिति ने यह सुझाव दिया है कि इस क्षेत्र के देशों के शीघ्र औद्योगीकरण के लिये संयुक्त उद्योग स्थापित किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार की इस पर प्रतिक्रिया क्या है, और इस प्रस्थापना पर शीघ्र क्या कार्यवाही की जायेगी ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) और (ख). जी हां । इस प्रस्थापना का एशिया तथा सुदूरपुर्व के लिये आर्थिक आयोग के सचिवालय द्वारा अभी सविस्तार अध्ययन किया जाना है । उसके परिणाम पर सरकार भी यथा समय विचार करेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सूडान के भारतीय

†२०३६. **श्री बासुमतारी : क्या प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूडान में भारतीय परिवारों की संख्या क्या है ;

(ख) क्या वे सूडान के नागरिक बन गये हैं ;

(ग) क्या उन्होंने, राजदूत के द्वारा भारत सरकार को कोई अभ्यावेदन भेजा है कि उनके बच्चों के लिये भारतीय भाषाओं में शिक्षा देने की विशेष व्यवस्था की जाये ; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (ग) और (घ). अपेक्षित जानकारी इस समय भारत सरकार के पास नहीं है। इसे प्राप्त किया जा रहा है, प्राप्त होते ही उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड

†२०३७. **श्री सामन्त सिंहार :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटिड ने भिलाई, दुर्गापुर, तथा राउरकेला में अपने कारखानों को कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर कराने के लिये संबंधित सरकारों को आवेदन पत्र दिया ;

(ख) क्या राउरकेला का कारखाना उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर है ; और

(ग) उपरोक्त स्थानों के प्रत्येक कारखाने में श्रम कल्याण संबंधी योजनाओं की क्या स्थिति है ?

†**श्रम उप मंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां।

(ख) नहीं जी ।

(ग) सविस्तार विवरण नीचे दिया जाता है :—

१. भिलाई

दो अस्पताल हैं, उनमें १५० पलंग हैं, ५ दवाघर हैं और चार प्राथमिकता चिकित्सा केन्द्र हैं ।

दस प्राइमरी स्कूल हैं, एक मिडिल स्कूल है और एक हायर सैकेंडरी स्कूल है। सभी कर्मचारियों के बच्चों को १४ वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा मिलती है।

मजदूरों के ५०० बच्चों और बीमार माताओं को मुफ्त दूध वितरण करने वाले ६ केन्द्र हैं ।

रेलवे विभागीय शिविर में बच्चों का एक शिशुगृह है।

---

†मूल अंग्रेजी में

२. दुर्गापुर

कल्याण कार्यों के बारे में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

३. राउरकेला

नगर में २५० पलंगों वाला एक सामान्य अस्पताल है । कर्मचारियों का क्लब है तथा कर्मचारी समुदाय केन्द्र भी आरम्भ कर दिया गया है जहां विभिन्न प्रकार की शिक्षा, संस्कृति तथा मनोरंजन संबंधी सामग्री उपलब्ध हो जाती है ।

बिहार और राजस्थान म यूरेनियम[1]

†२०३८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह ठीक है कि बिहार और राजस्थान में यूरेनियम की खानों का विकास किया जा रहा है ;

(ख) इससे देश की अणुशक्ति की कितनी मात्रा बढ़ जाने की आशा है ; और

(ग) इस दिशा में विकास की प्रगति क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) बिहार के जादूगुडा और राजस्थान के उमरा स्थान पर ही अभी हाल में यूरेनियम का बड़ी तीव्रता से विकास किया जा रहा है ।

(ख) जैसा कि अणु शक्ति विभाग के १९५९–६० के संक्षेप प्रतिवेदन में कहा जा चुका है कि जादूगुडा के निक्षेपों से २८ लाख टन अयस्क मिलने का अनुमान है । उमरा (राजस्थान) के निक्षेपों से २० टन तक यूरेनियम आक्साइड प्राप्त होने की आशा है ।

(ग) छिद्रण इत्यादि का कार्य तथा भूमिगत विकास का कार्य बड़ी तीव्रता से प्रगति कर रहा है । जादूगुडा में ५५१६ फुट तथा उमरा में ९०७ फुट तक विकास हो चुका है ।

नारियल जटा उद्योग

†२०३९. **श्री आचार** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय नारियल जटा बोर्ड द्वारा निकट भविष्य में नारियल जटा उद्योग का सांख्यिकीय सर्वेक्षण करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो मुख्यतः किस प्रकार के आंकड़े इस सर्वेक्षण में संकलित किये जायेंगे ; और

(ग) जिन राज्यों और क्षेत्रों में यह सर्वेक्षण होगा, उनके नाम क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). विवरण प्रस्तुत किया जाता है ।

विवरण

नारियल बोर्ड, नारियल जटा उद्योग के संबंध में आर्थिक तथा सांख्यिकीय सर्वेक्षण कर रहा है । यह कार्य बोर्ड द्वारा मार्च १९६० के तीसरे सप्ताह में आरम्भ भी कर दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Uranium

सर्वेक्षण के मुख्य अंग यह है :—

(१) इस उद्योग में लगे हुये लोगों की सामाजिक और आर्थिक दशा का जैसे इस उद्योग में लगी पूंजी ; कच्चे माल की खपत, उत्पादन और बिक्री के बारे में अध्ययन करना ।

(२) रोजगार और मजूरी सम्बन्धी व्यवस्था क्या है, इसका भी अध्ययन किया जायेगा ।

(३) नारियल जटा सूत का उत्पादन और उससे अन्य बनायी जाने वाली चीजों की स्थिति क्या है ।

(४) इस उद्योग में लगे हुये परिवारों और लोगों की संख्या क्या है ।

यह सर्वेक्षण, केरल, मैसूर, मद्रास, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बम्बई और पश्चिमी बंगाल राज्यों में किया जायेगा । केरल और मद्रास के कन्या कुमारी जिले में यह सर्वेक्षण नमूना सर्वेक्षण होगा । इसके अन्तर्गत हाथ करघा और उद्योग का निर्माण विभाग भी आ जायेगा । दूसरे क्षेत्रों में पूर्ण रूप से सर्वेक्षण किया जायेगा ।

'कुकरों' का आयात

†२०४०. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष आयात किये गये (१) बिजली के तथा (२) अन्य प्रकार के 'कुकरों' की संख्या क्या है ;

(ख) आयात कौन-लोग करते हैं और

(ग) तटागत मूल्य पर लगने वाला शुल्क तथा जिस दाम पर ये बेचे जाते हैं उसकी राशि क्या है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) इन चीजों के आयात संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि किसी भी व्यापारिक वर्गीकरण में इसे विशेष रूप से बताया नहीं गया । फिर भी १–१–१९५७ को जो वर्गीकरण लागू किया गया है उसके अनुसार गत तीन वर्षों का इस संबंधी आयात निम्न प्रकार है :—

वर्ष	मात्रा (संख्या)
१९५७	१३१८
१९५८	६६०
१९५९	९८

(ख) इस संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि आयात व्यापार नियंत्रण अनुसूची में इसके लिये कोई अलग व्यवस्था नहीं ।

†मूल अंग्रेजी में

[1]Cookers.

(ग) तटागत मूल्य और बेचने के दाम भी हमें मालूम नहीं। शुल्क के संबंध में विवरण निम्न प्रकार से है :—

चीज का नाम	शुल्क का प्रामाणिक दर	शुल्क का प्राथमिक दर
बिजली के कुकर . . .	मूल्य का ४० प्रतिशत	मूल्य का ३० प्रतिशत
प्रेसर कुकर (बिजली के बिना चलने वाले)	,,	,,
गैस कुकर	मूल्य का ५० प्रतिशत	— .

पुनर्वास मंत्रालय के कर्मचारी

२०४१. **श्री पहाड़िया :** क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय की पश्चिमी शाखा को १ अप्रैल, १९६० से बन्द कर देने के बारे में सरकार के निर्णय को लागू करने के परिणाम स्वरूप मंत्रालय के कितने कर्मचारियों के बेरोजगार हो जाने की सम्भावना है ;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के हैं ; और

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों को और कोई रोजगार दिलाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) से (ग). मंत्रालय के पश्चिमी शाखा को १ अप्रैल से बन्द नहीं किया जा रहा है । बन्द करने का काम अब शुरू हुआ है और यह धीरे-धीरे होता रहेगा। मंत्रालय के अनावश्यक कर्मचारी जो कि चीफ सेटिलमेन्ट कमिश्नर की संस्थाओं के कर्मचारियों से विभिन्न हैं और जिन में अनुसूचित और अनुसूचित आदिम जाति के कर्मचारी भी शामिल हैं, अन्य मंत्रालयों में नौकरी पा रहे हैं ।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

†**अध्यक्ष महोदय :** सभा पटल पर रखे गये पत्र ।

†**श्री हेम बरुआ (गोहाटी) :** क्या मैं एक स्पष्टीकरण मांग सकता हूं ? मैं ने चीन के अन्तिम टिप्पण के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है और मैं ने कुछ महत्वपूर्ण बात उसमें उठाई हैं, जिन पर चर्चा होनी है । यह टिप्पण.....

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं बता चुका हूं इस मामले पर स्थगन प्रस्ताव द्वारा चर्चा नहीं हो सकती । मैं ने माननीय सदस्य को लिख दिया था कि यदि वह चाहते हैं कि चीन व भारत के प्रधान मंत्रियों के बीच बातचीत होने से पहले सभा इस बात पर चर्चा करे ताकि सरकार को सभा के विचारों का पता लग जाय, तो इसके लिए अन्य उपाय भी हो सकते

---

†मूल अंग्रेजी में

हैं। फिर भी उन्होंने स्थगन प्रस्ताव की बात उठा दी। उन्हें चाहिए था कि वह मुझे लिखित रूप में देते कि इस विषय पर चर्चा के लिए कुछ समय आवण्टित कर दिया जाय। तो मैं देखता कि कैसे समय दिया जा सकता है।

†**श्री हेम बरुआ :** मेरा सुझाव है कि इस स्थगन प्रस्ताव को प्रधान मंत्री के वापस आने तक के लिए स्थगित रखा जाय और जब वह आ जाय, तो चर्चा हो।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस बात का कोई अर्थ नहीं है कि माननीय सदस्य स्थगन प्रस्ताव रखते जायं और मैं उन्हें स्थगित करता जाऊं। स्थगन प्रस्ताव का प्रयोग तो अन्तिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए। सामान्यतः चर्चा करने के लिए अन्य तरीके हैं। चर्चा के लिए समय की मांग की जा सकती है।

†**श्री हेम बरुआ :** यदि यह एक महत्वपूर्ण मामला नहीं है ...

†**अध्यक्ष महोदय:** मैं इस मामले पर आगे चर्चा नहीं करना चाहता।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग नियमों में संशोधन और भारतीय हस्तशिल्प विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** मैं निम्न पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, १९५६ की धारा २६ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग नियम, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १९ मार्च, १९६० की अधिसूचना जी० एस० आर० ३३० की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गई ; देखिये संख्या एल० टी २०८/४६०]

(क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत भारतीय हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड का वर्ष १९५८-५९ का वार्षिक रिपोर्ट लेखा-परीक्षित लेख और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) उक्त निगम की कार्य प्रणाली की सरकार द्वारा समीक्षा।

[पुस्तकालय म रखी गई ; देखिये संख्या एल० टी० २०८५/६०]

कर्मचारी भविष्य निधि योजना में संशोधन

†**श्रम उप मंत्री (श्री आबिद अली) :** मैं कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि योजना, १९५२ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २ अप्रैल, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३७४ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई ; देखिये संख्या एल० टी० २०८६/६०]

---

†मूल अंग्रेजी में

सदस्य द्वारा पद त्याग

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे सभा को सूचित करना है कि आसाम के भाग ख आदिम जाति क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिये नामजद किये गये सदस्य, श्री चौखामून गोहेन ने १५ अप्रैल, १९६० से लोक-सभा को सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया है ।

समिति के लिए निर्वाचन

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोक-सभा के सदस्य केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम १९४८ की धारा ४ की उप-धारा (३) के खण्ड (ग) के अनुसरण में, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, ३१ मई, १९६० से आरम्भ होने वाली अवधि के लिये उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से चार सदस्य चुने ।"

†**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है :

"कि लोक-सभा के सदस्य केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम १९४८ की धारा ४ की उप-धारा (३) के खण्ड (ग) के अनुसरण में, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, ३१ मई, १९६० से आरम्भ होने वाली अवधि के लिये उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से चार सदस्य चुने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अनुदानों की माँगें

पुनर्वास मंत्रालय

†**अध्यक्ष महोदय :** अब सभा पुनर्वास मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा करेगी । श्री च० का० भट्टाचार्य अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य :** (पश्चिमी दीनाजपुर) । कल मेरे भाषण के समय माननीय मंत्री व्यर्थ ही उत्तेजित हो गये थे । मेरा मंशा उन पर कोई आरोप लगाने का नहीं था, बल्कि यह था कि समाचार-पत्रों के जरिये उन पर जो आरोप लगाये गये हैं वह उनका स्पष्टीकरण कर दें । मैं ने जिस आरोप का उल्लेख किया था, वह बड़ा गम्भीर है । वह आरोप जिस समाचार-पत्र में प्रकाशित हुआ था, वह बड़ा प्रभावशाली है और उसका मालिक पश्चिमी बंगाल के कांग्रेसी मंत्रिमंडल का ही एक मंत्री है । वह समाचार ४ अप्रैल के अंक में प्रकाशित हुआ था । मैं ने उसका उल्लेख इसीलिए किया था कि अभी तक उसका कोई भी उत्तर नहीं दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पुनर्वास तथा अल्प संख्यक कार्य-मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** मैं कल उसका उत्तर दे चुका हूं ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य :** उस समाचार में स्पष्ट आरोप लगाया गया है कि सिद्धार्थ राय ने विधान सभा के सामने जिस गुप्त कार्यवाही का हवाला दिया था वह उन्हें श्री खन्ना ने ही दी थी ।

इसका स्पष्टीकरण आवश्यक है, क्योंकि केन्द्रीय मंत्रियों पर खुले आम ऐसे आरोप लगने से जनता का विश्वास डिग जाता है । इससे पहले भी एक समाचार यह प्रकाशित हुआ था कि भूतपूर्व पुनर्वास मंत्री, श्री अजित प्रसाद जैन वर्तमान पुनर्वास मंत्री के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं। ऐसे आरोपों का उत्तर सार्वजनिक तौर पर दिया जाना चाहिये ।

पश्चिमी बंगाल की विधान सभा ने एक संकल्प पारित किया था कि जब तक दण्डकारण्य और अन्य स्थानों में शरणार्थियों को बसाने का पूरा-पूरा प्रबन्ध न कर लिया जाये तब तक पुनर्वास मंत्रालय का काम बन्द न किया जाये, और दण्डकारण्य योजना को कार्यान्विति में पश्चिमी बंगाल सरकार को और अधिक योग देने दिया जाये । उसके लिये ऐसे अधिकारी चुने जायें जिन्हें पूर्वी बंगाल की भाषा और संस्कृति का अच्छा ज्ञान हो । और, तृतीय योजना में राज्य के सामान्य विकास का उद्देश्य यह रखा जाये कि विस्थापितों को राज्य की अर्थ-व्यवस्था में खपा लिया जाये ।

दण्डकारण्य योजना के बारे में मेरा सुझाव यह है कि मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के प्रारम्भिक क्रम को पूरा किया जाये ।

दण्डकारण्य योजना से सम्बन्धित अधिकारियों में ही आपस में इतनी चरम्चरा चल रही है, और इतनी अनियमितायें हो रही हैं कि उनकी जांच की जानी चाहिये । इस गलतफहमी को दूर करना चाहिये कि पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति दण्डकारण्य में नही जाना चाहते ।

मैं सदा से इस योजना का समर्थक रहा हूं । पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित भी वहां जाकर बसने के लिये पूरी तौर से तैयार हैं यदि वहां आदमियों के रहने लायक परिस्थितियां पैदा की जायें ।

समाचारपत्रों के अनुसार, मंत्रालय दण्डकारण्य में ६,००० विस्थापितों के भेजने के लिये तैयार था , लेकिन पश्चिमी बंगाल सरकार के कारण नहीं भेज सका । लेकिन यह समाचार बिलकुल गलत है । सही बात तो यह है कि अभी दण्डकारण्य में ६,००० व्यक्तियों को बसाने लायक परिस्थितियां पैदा नहीं की जा सकी हैं । माननीय मंत्री चाहें तो इसका खण्डन करें ।

अभी कुछ दिन पहले दण्डकारण्य प्राधिकार के सभापति ने बताया था कि वहां कुल ७२ कैम्पों का निर्माण किया जा रहा है, जिन में से ३० तैयार हो चुके हैं और इन तीस में से भी १४ में १,४०० विस्थापितों को बसाया जा चुका है । इसलिये शेष १६ कैम्पों में १,६०० या २,००० से अधिक विस्थापितों को नहीं बसाया जा सकता ।

इसलिये ६,००० विस्थापितों को बसाने का समाचार निराधार है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री च० का० भट्टाचार्य]

समाचारपत्रों में अक्सर निधियों के अपव्यय, विस्थापितों की अमानवीय परिस्थितियों और अधिकारियों की अनियमितताओं, इत्यादि की शिकायतें आती रहती हैं । इनका स्पष्टीकरण किया जाना चाहिये ।

एक बड़ी त्रुटि यह भी है कि दण्डकारण्य में जो गांव बसाये जा रहे हैं वे काफी दूर-दूर बसाये जा रहे हैं——एक-दूसरे से पचास–पचास मील दूर । उनको पास-पास बनाना चाहिये । हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि ये विस्थापित इन क्षेत्रों से परिचित नहीं हैं । उन्हें एक-दूसरे से सटे हुए क्षेत्रों में बसाना चाहिये । वैसे भी मार्च, १९६१ तक १८० गांवों का निर्माण पूरा हो जाना चाहिये था, लेकिन अभी तक कुल ५——१० का निर्माण ही हो पाया है । और इन में से कुछ गांव तो दूसरों से १५० मील की दूरी पर स्थित हैं । इस तरह उन का सामाजिक जीवन विकसित नहीं हो सकता ।

एक शिकायत यह भी है कि ड्राइवरों या क्लीनरों के काम विस्थापितों को नहीं दिये जाते । इन क्षेत्रों में जाने पर विस्थापितों की दशा और भी खराब हो जाती है । पहले उनसे मंत्रालय ने जो वायदे किये हैं, वे पूरे नहीं किये जाते ।

एक समाचार यह भी है कि मंत्रालय के सचिव, श्री धर्मवीर ने प्रधान मंत्री को प्रतिवेदन दिया है और उसमें वहां की कार्य-प्रणाली की कुछ आलोचना की है ।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** मैं इसका खंडन करता हूं । श्री धर्मवीर ने न तो प्रधान मंत्री और न मुझे ही ऐसा कोई प्रतिवेदन दिया है । विरोधी दल के पत्रों का यह समाचार गलत है ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य :** इस मामले में तो कम्युनिस्ट दल ने इस बार माननीय मंत्री का साथ दिया है । यदि कम्युनिस्ट दल साथ देता, तो मंत्री के विरुद्ध विधान सभा में अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाता । जो भी हो, यदि श्री धर्मवीर ने कोई प्रतिवेदन दिया हो, तो उसे पटल पर रख दिया जाये ।

†**श्री हो० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता——मध्य) : मैं तो यह समझता हूं कि पुनर्वास एक ऐसा विषय है कि जिसके बारे में सभी दलों को एकराय होकर परस्पर सहयोग करना चाहिये । इसीलिये हम पुनर्वास मंत्री को अधिक से अधिक शक्ति देने को तैयार रहे हैं । लेकिन पुनर्वास मंत्री ने इन शक्तियों का उपयोग अपने राजनीतिक पुनर्वास के लिये किया है, विस्थापितों के पुनर्वास के लिये नहीं ।

माननीय मंत्री ने मंत्रालय के प्रतिवेदन में कहा है कि वह अपने काम की सफलता के बिलकुल समीप हैं । लेकिन वास्तविकता यह है कि पुनर्वास मंत्रालय अभी अनिवार्य की सम्पन्नता से कोसों दूर है । अभी तो पश्चिमी जोन के विस्थापितों का पुनर्वास ही पूर्ण नहीं हो पाया है । पंडित ठाकुर दास भार्गव ने इसके बारे में काफी कुछ कहा है ।

दूसरी ओर पुनर्वास मंत्रालय के ७,००० कर्मचारियों की छंटनी का खतरा सामने है । हमें उनके साथ सहानुभूति है, और आशा है कि सरकार उन्हें अन्य विभागों में खपा लेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पश्चिमी जोन की समस्याओं का तो कोई हल हुआ नहीं है, और पूर्वी जोन की पुनर्वास सम्बन्धी समस्याओं के हाल का कोई ठिकाना नहीं है । फिर भी, माननीय मन्त्री को लग रहा है कि वह सफलता के समीप पहुंच चुके हैं ।

पूर्वी जोन की दुःखान्त कहानी सभी जानते हैं । मिकिर के पर्वतीय क्षेत्र में हाथियों द्वारा किस प्रकार विस्थापितों की झोंपड़ियों और धान की खड़ी फसलें रौंदवाई गईं, सभी जानते हैं । माननीय मंत्री कह सकते हैं कि यह उनके क्षेत्राधिकार की बात नहीं है । यही तो मेरी शिकायत है । विस्थापितों से सम्बन्धित सभी कार्यों में सहकार्य पैदा करना इसी मंत्रालय का काम है । यदि इन शरणार्थियों में कुछ बुरे लोग घुस आये हैं, तो उनको छांट देना चाहिये । उसके लिये सभी शरणार्थियों को तो दण्डित नहीं करना चाहिये । यह अनैतिकता है । मंत्रालय को शरणार्थियों के साथ कोई वास्तविक सहानुभूति नहीं है । इसीलिये तो उड़ीसा में विस्थापितों का कैम्प बन्द कर दिया गया है । उसी के परिणामस्वरूप वहां पुलिस का दमन हुआ था । यदि मंत्रालय थोड़ी भी सहानुभूति और समझदारी से काम लेता तो बात इतनी बढ़ ही नहीं पाती ।

इसी प्रकार कलकत्ता में भी शरणार्थी विद्यार्थियों के कुछ प्रदर्शन हुए थे, शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं में कमी कर दी जाने के कारण । मैं मानता हूं कि शरणार्थियों में जो अवांछनीय तत्व घुस आये हैं उनका पता लगाया जाना चाहिये, और अपव्यय रोका जाना चाहिये, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है । श्री भट्टाचार्य ने एक समाचार पत्र का उल्लेख किया था । मैं पश्चिमी बंगाल के ऐसे ढेरों समाचार पत्रों का उल्लेख कर सकता हूं--कांग्रेस के समर्थक और विरोधी, दोनों ही प्रकार के सममाचारपत्रों का । सभी एक स्वर से मंत्रालय की अक्षमता की बात करते हैं । माननीय मंत्री को यथाशीघ्र पूर्वी जोन के इन शरणार्थियों की बस्तियों को नियमित करार देना चाहिये और उसके बाद उनके कैम्पों की परिस्थितियों की विशेष जांच करानी चाहिये ।

मंत्रालय की अक्षमता के लिये विरोधी दलों को दोष देना गलत है । मैं तो चाहता हूं कि कांग्रेस दल के चुने हुए कोई भी दस सदस्य पश्चिमी बंगाल, आसाम और त्रिपुरा में जाकर अपनी आंखों से परिस्थिति को देखें ।

†**अध्यक्ष महोदय :** चौधरी रणवीर सिंह समेत, कई माननीय सदस्य उन क्षेत्रों में गये थे और उन्होंने इस बात का खंडन किया था कि वहां अकाल की सी परिस्थितियां हैं ।

†**श्री प्रभातकार** (हुगली) : वे खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में गये थे ।

†**श्री हो० ना० मुकर्जी :** इन समस्याओं का हल करने के मार्ग में जितनी भी राजनीतिक और अन्य प्रकार की बाधायें हैं, उन पर हमें पार पाना ही पड़ेगा । यदि दस संसद्-सदस्यों की एक ऐसी समिति बनाई जाये, तो उसका परिणाम अच्छा ही निकलेगा ।

ताहिरपुर बस्ती की हालत यह है कि वहां आधी बनी इमारतें छोड़ दी जाने के कारण अब खंडहर ही खंडहर दिखाई पड़ते हैं ।

श्री प्रभातकार ने स्वयं देखा है कि वहां तालाब, वगैरह खुदवाने के लिये अस्सी वर्ष के बूढ़ों तक से काम लिया गया है । इस प्रकार की सहायता से विस्थापितों का कोई भला नहीं होगा । वे भिखारी बना दिये जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

सहायता इस ढंग से दी जानी चाहिये कि उससे उत्पादक सक्रियता बढे । इसके लिये योजना आयोग और सरकार के सभी विभागों में सहकार्य होना चाहिये । अभी तो दिल्ली में बैठे नौकरशाहों को पता ही नहीं चल पाता कि कैम्पों की वास्तविक परिस्थिति क्या है ।

माननीय मंत्री कई बार कह चुके हैं कि विस्थापित लोग भिखारियों की भांति झोली फैलाये घूमते हैं । वे भिखारियों की भांति झोली नहीं फैलाना चाहते, लेकिन आप उन्हें रोजगार तो दीजिये । यदि उनकी यही दशा बनी रही, तो पूरे देश की परिस्थिति बिगड़ने का खतरा है ।

पश्चिमी बंगाल में पुनर्वास के लिये औद्योगिक विकास करने के लिये, श्री जी० डी० बिड़ला के सभापतित्व में एक समिति की नियुक्ति भी की गई थी । लेकिन उसका कोई भी परिणाम नहीं निकला । एक सूती कपड़ा मिल की संस्थापना के लिये कुछ उद्योगपतियों को धन भी दिया गया था, लेकिन फल कुछ नहीं निकला ।

बेलियाघाट में शरणार्थियों के लिये बड़े अच्छे मकान बनवाये गये हैं, । लेकिन उससे कोई लाभ नहीं, क्योंकि वे उनका किराया तक नहीं दे सकते ।

इन छोटी मोटी समस्याओं के अतिरिक्त , एक सब से बड़ी समस्या तो दण्डकारण्य परियोजना की है । कुछ समय पहले माननीय मंत्री ने सभा में वायदा किया था कि दण्डकारण्य में बसाये जाने वाले शरणार्थियों को मकान, चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार की सुविधायें दी जायेंगी । पर यह वायदा पूरा नहीं किया गया है । अब माननीय मंत्री हीले-हवाले कर रहे हैं ।

दण्डकारण्य में होने वाले अपव्यय और अधिकारियों की अनियमितताओं के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है ।

पिछली बार मांग की गई थी कि दण्डकारण्य की परिस्थितियों की जांच संसद् की ओर से कराई जाये । तब इस मांग को इसलिये रोक लिया गया था कि प्राक्कलन समिति उसकी छानबीन कर रही थी । लेकिन अभी तक प्राक्कलन समिति के निष्कर्ष भी हमें नहीं बताये गये और परिस्थिति बिगड़ती ही जा रही है ।

मंत्रालय के सचिव ने इसी बीच दण्डकारण्य योजना के प्रभारी अधिकारी श्री फ्लैचर को एक अभियोग-पत्र दे दिया और उसकी जांच करके एक अपना प्रतिवेदन भी तैयार कर दिया है । लेकिन हमें न तो अभियोग-पत्र बताया गया और न वह प्रतिवेदन ही । ये ज्ञापन हमें बताये जाने चाहिये ।

हमें दण्डकारण्य परियोजना की वास्तविक परिस्थिति जानने समझने का अवसर ही नहीं दिया जाता । अभी हाल में एक सर्वोदयी नेता, श्री सुशीलकुमार बनर्जी ने इस सम्बन्ध में कुछ शिकायतें की हैं । माननीय मंत्री को उनका उत्तर देना चाहिये ।

श्री बनर्जी ने स्टेट्समैन समाचार-पत्र के जरिये अपनी आवाज उठाई है । उन्होंने बताया है कि निर्धारित क्रमिक कार्यक्रम के अनुसार, उसका पहला क्रम १९६० के अन्त तक पूरा हो जाना चाहिये था । उसके मुताबिक ७०,००० एकड़ भूमि का कृषयकरण होना चाहिये, लेकिन अभी तक कुल १०,००० एकड़ का ही कृष्यकरण हो पाया है ।

कार्यक्रम के अनुसार, शरणार्थियों को संस्पर्शी क्षेत्रों में बसाया जाना था। इसलिये कि दण्डकारण्य के अनजान और वनीय प्रदेश में लोगों को पास-पास ही बसाना चाहिये। यह भी नहीं किया गया। वहां न तो सिंचाई की सुविधायें हैं और न पीने के पानी की। माननीय मंत्री को चाहिये कि कम से कम इस प्रथम क्रम को पूरा करने का प्रयास तो करें।

पश्चिमी बंगाल की जनता इससे बड़ी विक्षुब्ध है। विधान सभा में भी इस पर काफी गरमागरम बहस चल चुकी है। उसने सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया है। माननीय मंत्री हमेशा यही कह देते हैं कि विरोधी दल अपने राजनीतिक हित के लिये जनता में विक्षोभ पैदा कर रहे हैं। कम्युनिस्ट दल ने पश्चिमी बंगाल विधान सभा में इसीलिये अपने संशोधन पर आग्रह नहीं किया था कि वह संकल्प सर्वसम्मति से पारित हो जाये। हमारे संशोधन में मांग की गई थी कि पुनर्वास मंत्री को हटा दिया जाये। हमारी भावना तो यही है। और हमने कभी भी अपनी भावनाओं को छिपाया नहीं है। लेकिन अब तो पूरे पश्चिमी बंगाल की जनता पुनर्वास मंत्री के विरुद्ध हो गई है। बंगाल की जनता ने श्री खन्ना का, पुनर्वास मंत्री के रूप में, इसलिये स्वागत किया था कि वह स्वयं एक विस्थापित व्यक्ति हैं इसलिये उन्हें विस्थापितों से सहानुभूति होगी। अब उनकी नीति के कारण, बंगाल की समूची जनता उनके विरुद्ध हो गई है। शरणार्थियों ने इतने कष्ट झेले हैं, इतने आंसू बहाये हैं कि अब उनके पास आंसू तक नहीं रहे।

इसीलिये पश्चिमी बंगाल की विधान सभा ने सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया है कि विधान सभा के नेताओं को दण्डकारण्य जाकर अपनी आंखों से वहां की दशा देखनी चाहिये। पुनर्वास मंत्री को इतने से ही चेत जाना चाहिये। लेकिन हमें आशा नहीं है कि पुनर्वास मंत्री अपने काम में कोई भी सुधार करेंगे। पूर्वी जोन में वह बिलकुल असफल रहे हैं, फिर भी प्रतिवेदन में कहते हैं कि सफलता के बिलकुल समीप हैं। ऐसे व्यक्ति को मंत्रिपद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।

सभा को इन मामलों पर सावधानी से विचार करना चाहिये। मैं जानता हूं कि हमें पर्याप्त मत नहीं मिल सकते सभा में, फिर भी मैं पुनर्वास मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह अपने अन्तःकरण को टटोल कर देखें। दण्डकारण्य के मामले की जांच संसद् की ओर से की जानी चाहिये।

†**श्रीमती रेणुका राय** (मालदा) : यह स्पष्ट है कि पूर्वी क्षेत्र में पुनर्वास समस्या अभी सुलझाई नहीं जा सकी है। काफी पैसा खर्च किया गया है परन्तु उससे विस्थापितों को समुचित लाभ प्राप्त नहीं हुआ। राज्य सरकार की यह प्रार्थना केन्द्रीय सरकार ने स्वीकार नहीं की कि ऐसे स्थानों के निर्माण पर धन व्यय किया जाना चाहिये जहां शरणार्थी स्थायी प्रकार से रह सकें। मेरी राय में केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार के कार्य में अनुचित हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये। शिविरों में रहने वाले और शिवरों से बाहर पड़े हुए विस्थापितों से एक सा व्यवहार नहीं किया जा रहा। इस दिशा में भेदभाव की नीति को ठीक नहीं कहा जा सकता। आखिर सरकार को उन विस्थापितों की देखभाल और पुनर्वास का भी ध्यान रखना होगा जो कि शिविरों से बाहर पड़े हैं। पश्चिमी बंगाल में कुल आये विस्थापितों में से ७॥ लाख शिविरों में गये हैं परन्तु उनके लिये ही सारी शक्ति लगाई जा रही है। जो लोग १९४९, १९५० और १९५१ में आये हैं वे अभी तक पुनर्वास की प्रतीक्षा ही कर रहे

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती रेणुका राय]

हैं परन्तु जून १९५४ के बाद से आये लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है । इस नीति को उचित नहीं कहा जा सकता । शिविरों में न रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिये ८० करोड़ रुपया की और आवश्यकता बताई गयी थी, परन्तु इस दिशा में कुछ नहीं किया जा रहा । मैं यह नहीं कह रहा हूं कि पुनर्वास मंत्रालय को रहने दिया जाये । बल्कि मेरा तो कहना है कि इसकी जो पश्चिमी बंगाल की शाखा का सचिवालय है उसे समाप्त कर दिया जाये । जब उससे अपेक्षित लाभ ही प्राप्त नहीं हो रहा तो वह क्यों जारी रहे। परन्तु एक बात बड़ी स्पष्ट है कि शविरों में न रहने वाले विस्थापितों की समस्या जिस प्रकार हल की जा रही है, उस ढंग से वह कदापि हल नहीं हो सकती । इन लोगों के साथ ठीक व्यवहार नहीं हो रहा । इन लोगों में तपेदिक तेजी से फैल रहा है उसको रोकने का भी कोई उपाय नहीं किया जा रहा । इसके अतिरिक्त शिविर में रहने वालों से भी अन्याय हो रहा है । व्यवस्था यह थी कि उन्हें राज्य से बाहर जब भी भेजा जायेगा तो उसके लिये पूर्व व्यवस्था की जायेगी और काफी संख्या में लोगों को एक जगह भेजा जायेगा । इस प्रकार उनका सांस्कृतिक तालमेल बना रहेगा । परन्तु ऐसा हुआ नहीं है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

दंडकारण्य योजना का विचार १९५६ के अन्त में सर्वप्रथम हमारे सामने आया । सदन के समक्ष इसे १९५७ में रखा गया और १९५८ में कार्य आरम्भ किया गया । वहां की सब से बड़ी कठिनाई यह है कि वहां पीने के लिये पानी नहीं है । जो नलकूप वहां हैं वे भी ठीक तरह से काम नहीं करते। यही कारण है कि पश्चिमी बंगाल सरकार भी यह समझती है कि यहां पर विस्थापितों का पुनर्वास किया जाना ठीक नहीं रहेगा। पूर्वी बंगाल के विस्थापित तो बेचारे अन्दमान जाने को तैयार थे, दंडकारण्य न जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । उनकी तो यही इच्छा थी कि उनका शीघ्रताशीघ्र पुनर्वास हो जाय। बंगालियों की भावनायें पुनर्वास मंत्री के विरुद्ध बिल्कुल नहीं हैं, वह हमेशा ही उनका व्यक्तिगत तौर पर आदर करते रहे हैं । परन्तु यह तो कहना ही पड़ेगा कि पूर्वी बंगाल के विस्थापितों के पुनर्वास का कार्य पूरा नहीं हुआ है । इस दिशा में जो कुछ भी किया गया है वह बेदिली से किया गया है। दंडकारण्य के बारे में मेरा निवेदन है कि इस परियोजना को प्रधान मंत्री के हवाले कर देना चाहिये । उनके नियंत्रण में शायद इसके दोष दूर किये जा सकें।

श्री अचिंत राम (पटियाला) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आज इस काम को चलते हुए १३ वर्ष हो गये, और आज यह बात खुशी से कही जा सकती है कि हम ने रिफ्यूजी प्राब्लेम पर काबू पा लिया है । यह जो गवर्नमेंट का स्टेंड है मैं उस के साथ एक हद तक सहमत हूं । यह अलाहदा बात है अगर यह कहा जाये कि हम ने इस प्राब्लेम को साल्व नहीं किया, जब कि सरकार की ओर से यह कहा जाता है कि हम ने वेस्ट पाकिस्तान की प्राब्लेम तो हल कर ली है, मगर यह जरूर है कि हम ने इस पर काबू जरूर पा लिया है । ईस्ट बंगाल के रिफ्यूजीज के मुतालिक यह ख्याल था मिनिस्टर साहब का कि उन्होंने उस पर काबू पा लिया है । एक हद तक काबू पाया भी । इस बारे में जो मुश्किल गवर्नमेंट की या मिनिस्टर साहब की है, उसे हम रिअलाइज कर सकते हैं । अभी चन्द दिन हुए यह खबर निकली कि एक हजार के करीब रिफ्यूजी हर महीने अब भी आ रहे हैं । हम ने समझा था कि मामला खत्म हो गया, लेकिन इतने वर्षों के बाद भी मामला चल रहा है, तो उन के बस की क्या बात है ? और इसीलिये प्राब्लेम बढ़ती जा रही है ।

इस रिपोर्ट में एक बात और लिखी गई है कि जिम्मेदार आफिसर्स जो थे उन में टेम्परामेन्टल डिफरेंस हो गया है। मुझे इस का तो पता नहीं कि क्या टेम्परामेन्टल डिफरेंस हो गया, लेकिन उस का नतीजा यह हुआ कि काम में अड़चन पड़ने लगी और एक तरह से रुकावट पैदा हो गई। एक बात और हम ने रिपोर्ट के अन्दर देखी। बंगाल के २५,००० रिफ्यूजियों को दंडकारण्य में लाने की स्कीम थी। उस में सिर्फ ८,००० ही पहुंचे। प्लैन कुछ बनाया गया और बात कुछ बनी। इसके लिये मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट की नुक्ताचीनी करना तो आसान है, लेकिन जो मुश्किलें हैं उन का ख्याल कर के फिर राय बनाना ज्यादा मुनासिब होगा। कम से कम मैं तो ऐसा समझता हूं। अभी दंडकारण्य की काफी बातें कही गईं, लेकिन एक बात मैं जरूर बड़े अदब से कहना चाहूंगा कि मैं महसूस करता हूं कि दंडकारण्य की स्कीम बड़ी अच्छी है, तरह तरह की बातें हैं, वहां अच्छे आदमी जायें, सब बातों का ख्याल आप रक्खें, लेकिन एक बड़ी बात जो होती है वह यह है कि वहां हजारों एकड़ जमीन मिल रही है, उस जमीन पर काश्त कैसे हो ? मुझे खुशी इस बात की है कि आप वहां पर टैंक बना रहे हैं, ट्यूबवेल बना रहे हैं, साथ ही यह खुशी की बात है कि आप वहां डैम बना रहे हैं। लेकिन हम को भाखरा डैम का तजुर्बा है कि उस में कितने वर्ष लगे। मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि आपकी भले ही नुक्ताचीनी हो लेकिन **डान्ट माइन्ड** कोई भी फिक्र करने की बात नहीं है। जब अन्दर रोटी पड़ जाती है तो सारा क्रिटिसिज्म खत्म हो जाता है। इस डैम को आप कामयाब बना दें। ढाई करोड़ की स्कीम है। मैं समझता हूं कि दो तीन इस तरह के डैम आप बना दें तो इस प्राब्लेम को हल कर देंगे। मेरा हम्बल सजेशन यह है कि इस तरफ तवज्जह दी जाये, बाकी सब ठीक है।

अब मैं वेस्ट पाकिस्तान के बारे में चन्द अल्फाज अर्ज करना चाहता हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि वेस्ट पाकिस्तान के मुताल्लिक गवर्नमेंट ने यह पोजीशन ले ली कि अब हम अपनी मिनिस्ट्री को एक साल के लिये और बढ़ायेंगे। उन्होंने जो आब्जेक्टस रक्खे हैं वह मकासिद भी ठीक हैं। लेकिन यह काम अभी गैरमुकम्मिल है। उन्होंने कहा कि कम्पेंसेशन का मामला है। कम्पेंसेशन के रजस्ट्रेशन को काम, क्लेम्स का काम, प्रापर्टी को मिलाने का काम, यह तमाम काम आप को करने हैं। हम देखते हैं कि कम्पेंसेशन के मुताल्लिक खासी अमाउंट पे करने के लिये बाकी है। अभी १२८ करोड़ रुपया पे किया गया, दो या सवा दो अरब के करीब रुपया देना था अभी काफी काम है। मैं उसे कम नहीं समझता। इस रिपोर्ट में लिखा गया कि गवर्नमेंट कामों को बांट रही है, हेल्थ मिनिस्ट्री में बांट रही है, लेबर में बांट रही है, नेगोशिएशन्स का काम बांट रही है। मैं बड़ा हैरान था कि क्या जरूरत पड़ गई काम बांटने की। मुझे तो यह पता नहीं कि कोई और ज्यादा काम्पिटेंट आदमी इस काम को करने के लिये है और आप लेस काम्पिटेंट हैं। मैं समझता हूं कि इस नेगोशिएशन्स के मामले में अगर किसी स्टेज पर कोई मिनिस्टर कामयाब हो सकता है तो हमारे यही मिनिस्टर कामयाब हो सकते हैं, वह लेस काम्पिटेंट नहीं हैं। लेकिन मरना कभी हो, पर पहले से लंगोटी लगा कर कब्र खोद लेना, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। काफी काम करना बाकी है। रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ था कि हम इस वक्त करीब ३९ लाख स्टेन्डर्ड एकड़ जमीन छोड़ कर आये और यहां पर हमें २४ लाख स्टेन्डर्ड एकड़ मिली है। इस का मतलब है कि १५ लाख स्टेन्डर्ड एकड़ जमीन कम मिली। अगर कुल जमीन की कीमत के हिसाब से अन्दाजा लगाइये तो चार सौ करोड़ रु० और ६७ करोड़ रु०, यह कुल करीब ५६७ करोड़ रु० की प्रापर्टी हुई, जिस में से १०० करोड़ रु० मिला, ४६७ करोड़ रु० पड़ा है। जब इतना रु०, के करीब पड़ा है तो मुझे पता नहीं है कि उस के बारे में क्या हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं

[श्री अचित राम]

कि क्या आपने कोई रिमाइन्डर दिया ? पूछा कि क्या हो रहा है ? आखिरकार कोई बातचीत हुई, कोई कीमत तय की गई ? बहरहाल यह मानी हुई बात है कि हम ३९ लाख स्टेंडर्ड एकड़ जमीन छोड़ कर आये हैं, उस में न कुछ बढ़ सकती है और न कुछ घट सकती है । इसलिये सिर्फ बकाया तय करने की बात रह जाती है । मेरी गुजारिश इस बारे में यही है कि आप सब मामलात को जानते हैं इसलिये कम्पेंसेशन के मामलात को छोड़िये नहीं। मैं तो यह भी कहूंगा कि हमारे देसाई साहब अभी गये हुए थे डिफेंस के मुताल्लिक बात करने के लिये । कोई ५० करोड़ रु० का लेना देना है इस बारे में । आप को भी इसी तरह से कुछ तय करना चाहिये ।

क्लेम्स के बारे में तय किया गया था कि हम इंडिविजुअल क्लेम्स को प्रिफरेंस देंगे । रिफ्यूजियों का कोई ५ अरब रु० अटका पड़ा है, जिसमें से ५०, ६० या ७० करोड़ रुपया जमीन का है । अगर यह रुपया मिल सकता है तो मैं स्पीकर साहब को वसातत से कह सकता हूं कि ५० करोड़ रु० आप इस तरफ दे दीजिये । बाकी तय करते रहियेगा कि और रुपये का क्या होगा । जब ५ अरब रु० आयेगा तो एडजस्ट कर लीजियेगा । इसलिये मैं मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि अभी कम्पेन्सेशन का मामला पड़ा हुआ है । इस ५ अरब रु० में से मिला क्या ? १ अरब रु० हुआ । जो कि हमने प्रापर्टी छोड़ी उसमें क्या हुआ ? हमारे क्लेम जो थे वह १ रु० के क्लेम ८ आ० में बिके, इसका मतलब यह हुआ कि ५ अरब में से मिला ५० करोड़ रु०, और वह भी मिला नहीं । ८० करोड़ रु० बाकी है जो मिलेगा । उसमें से कितना आपने ले लिया ? इस वास्ते मैं अर्ज करूंगा कि इन तमाम बातों का ख्याल करते हुये आप अपना प्रोग्राम बनाइये । आपने एक साल रक्खा है, मैं कहता हूं कि कल बन्द कर दीजिये, दो महीने बाद बन्द कर दीजिये, लेकिन अपना काम खत्म करके बन्द कीजिये । इसमें हमें कोई एतराज नहीं है ।

इन्डो पाकिस्तान मुआहदा हुआ, उसमें कुछ गांव दिये गये । शायद पांच गांव दिये गये, मुआहदा हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ । लेकिन उन पांच गांवों में रिफ्यूजी बसे हुये थे, मैं उनके लिये कोई इन्तजाम नहीं देखता, मैं समझता हूं कि उनका कुछ इन्तजाम करने की बहुत जरूरत है ।

कल पंडित ठाकुर दास भार्गव ने मकानात के मुताल्लिक और किंग्सवे कैम्प के मुताल्लिक कहा था । मैं उनसे बेहतर इस चीज को नहीं कह सकता, लेकिन यह मैं जरूर कह सकता हूं कि यह गलत बात है कि मेरे दिल में मिनिस्टर साहब की बनिस्बत ज्यादा दर्द है । मैं गलत बात कहना नहीं चाहता । उनके अन्दर भी काफी दर्द है । लेकिन मैं कहता हूं कि जब रुपया गवर्नमेंट को लगाना है और जमीन भी आपके पास है तो फिर आप यह क्यों कहते हैं कि कारपोरेशन यह काम करे। मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर कारपोरेशन इस काम को पांच या दस वर्ष में कर सकता है तो आप दो वर्ष के अन्दर कर सकेंगे । आपको देखना चाहिये कि रिफ्यूजीज का इन्टरेस्ट किस में है । आपको इस काम का तजुर्बा है, आपने लाखों मकानात देखते देखते बना दिये, इसलिये आप इस काम को उन पर मत छोड़िये । आपके अन्दर रिफ्यूजियों का ख्याल है । वहां से कुछ रुपया मिलेगा ही, अगर जमीन की कीमत लगायेंगे तो कुछ और रुपया मिलेगा । इसलिये काटने की बात नहीं है । अब मैं किंग्सवे कैम्प की बात कहता हूं । जिस्म कितना ही अच्छा हो,कपड़े वगैरह अच्छे पहने हुए हो,तन्दुरुस्ती हो, लेकिन अगर किसी के मुंह पर एक फोड़ा हो तो उस सारे चेहरे को देख कर आदमियों का क्रिटिसिज्म होगा कि कैसा बदसूरत आदमी है । रिहैबिलिटेशन महकमे ने लाखों आदमियों को बसाया लेकिन किंग्सवे कैम्प का फोड़ा जो उसके मुंह पर है उसे जब कोई आदमी देखता है तो कहता है कि

भले ही कुछ काम रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट ने किया हो, लेकिन यह काम उसकी बदनामी की बात है । इसमें आपको समझाने की कोई बात नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा भी क्या, आप सब कुछ जानते हैं । इसके अलावा मैं समझता हूं कि गुड़ की मंडी का मामला पड़ा हुआ है, पर्दा गार्डन का मामला पड़ा हुआ है, आप इन चीजों को किन पर छोड़ कर जायेंगे । यह सब आपके बच्चे हैं क्या आप अपने बच्चों को दूसरों के हवाले कर जायें ? पर्दा गार्डन की बात है, अंगूरी बाग है जोकि आपने पुराने किले वालों के लिये अलाट कर दिया है, उसको आप डेवेलप कर रहे हैं । आखिरकार यह सब काम कौन करेगा ? आप त्याग में आकर, वैराग में आकर इस काम को दे देंगे हाउसिंग मिनिस्ट्री को । लेकिन उसके मुताल्लिक आपको सोचना चाहिये । हस्पताल, स्कूलों और मन्दिरों के वास्ते आपने उनको जमीन दी उनकी निस्बत आज तक किसी ने बारा तक नहीं पूछी कि कितने स्कूल बने, कितने मन्दिर बने । मैं किसी मिनिस्टर को बुरा नहीं कहता, लेकिन जिसका काम है उसी को साजे । यह सब आपका काम है ।

मैंने ऊपर मकानात की बात कही, अब मैं हैल्थ की बात कहता हूं । जब तक हमारी मिनिस्ट्री चलती थी, हम मर तो नहीं गये, जिन्दा ही हैं । सब कुछ इकट्ठा करते थे । टी० बी० के पेशेन्ट्स को, जब टी० बी० पेशेन्ट को जरूरत पड़ती थी उसकी फैमिली को ग्रान्ट दी जाती थी और यही मिनिस्ट्री देती थी । अब अगर हम हैल्थ मिनिस्ट्री से कहते हैं तो वह कहते हैं कि हमारे पास रुपया नहीं है । अब क्या किया जाय ? जो आपके पुर्सा हाल थे वह दुनिया से चले गये, हमारे पास जब रुपया है ही नहीं, तो हम कहां से दें ? इसी तरह से एजुकेशन की बात लीजिये । बहुत से लड़के पढ़ रहे हैं उनको कुछ ग्रान्ट्स हम लोग दे रहे हैं, लेकिन जिनकी तालीम दरम्यान में ही रह गई, उनको कैसे आप कुछ देंगे ? मैं कहता हूं कि यह जो मिनिस्ट्री है उसको लोगों को हैल्थ का खयाल करना चाहिये रिहैबिलिटेशन का खयाल करना चाहिये, रिफ्यूजीज के कम्पेन्सेशन का खयाल करना चाहिये ।

उसके बाद ट्रस्ट की बात आती है । उन्होंने तय किया कि हम इंडिविजुअल को पे करेंगे ट्रस्ट को नहीं देंगे । यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि क्या वह कोई अपवित्र काम है, नाजायज काम है, पब्लिक इंटरेस्ट उसमें नहीं है । हमारे यहां सर गंगाराम ट्रस्ट बनाया गया जिसका इवैल्यूएशन हुआ । उनका वरिफाइड क्लेम १ करोड़ ७५ लाख का था । सर गंगाराम ट्रस्ट का वैरीफाइड क्लेम १ करोड़ ७५ लाख रुपये का था लेकिन उनको बड़ी मुश्किल से १ लाख, २ लाख, ३ लाख कहते कहते १० लाख मिला । अब मिनिस्टर साहब यह सारा काम किस के हवाले करके जाना चाहते हैं ? यह काम कौन करेगा ? अब आप तो पीठ मोड़ लें कि हम तो भाई गंगा जी को चलते हैं लेकिन पीछे उनके इस काम को कौन करेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप उनको गंगा जी जाने से रोकते हैं तो आप पाप करते हैं ?

लाला अचित राम : मिनिस्ट्री के फूल डालने के लिये उनको गंगाजी जाने की बात मैंने कही है उनके खुद गंगा जी जाने की बात मैं नहीं कहता, मिनिस्ट्री के फूल डाल आने के वास्ते मैंने कहा है । अब दुनिया में काम तो कभी रुकता नहीं है और अगर यह मिनिस्ट्री वाइंड अप हो जाय तो इसके कामों को दूसरी मिनिस्ट्रीज करेंगी लेकिन बेहतर यह होगा कि जो दरअसल में इसका काम है और अभी बाकी रह गया है उसको हमारे मिनिस्टर साहब ही खत्म करें ।

अब मेरे कुछ भाई कहने लगे कि वहां पाकिस्तान में ग्रेन सिंडीकेट का २० लाख रुपया पड़ा है । अब उन्होंने शर्त यह लगाई है कि जब वहां के डी० सी० उस पर दस्तखत कर देंगे तब वह हमारा रुपया रिलीज होगा । अब वह रुपया यहां आ गया है और पंजाब नेशनल बैंक, सैंट्रल बैंक के पास हमारा वह सिक्योरिटी मनी पड़ा हुआ है लेकिन वह कहते हैं कि जब डी० सी० दस्तखत करेंगे तब वह रुपया मिलेगा । अब मेरी समझ में यह एक मामूली बात है और शायद मिनिस्टर साहब के पास

[लाला अचिन्त राम]

यह केस आया भी होगा। वैसे यह बड़ा सिम्पल केस है। २० लाख रुपया उनको पे करना है और उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। अभी तक एक रती और एक पैसा भी उनको पे नहीं किया गया है और मैं चाहता हूं कि मिनिस्टर महोदय उसके लिये कोई मुनासिब इंतजाम करें ताकि उनको वह रुपया मिल जाये। अब यह और इसी तरह के कितने ही काम करने को पड़े हैं और अगर आप अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। आपके लिये कार्फा काम अभी भी करने को पड़ा हुआ है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि मैं पाकिस्तान गया था तो पाकिस्तान जाकर मुझे वहां एक नई बात मालूम हुई और मुझे यह कहने में कोई शक नहीं कि अय्यूब साहब का रवैय्या अच्छा है और लोगों के दिलों के अन्दर ऐसा असर है कि यह एक अच्छा चेंज आया है। जब मैं वहां लोगों से मिला जो कि अब पक्के पाकिस्तानी नेशनल बन गये हैं तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर इस स्टेज पर एक्सचेंज आफ प्रापरटी की इजाजत हो जाय तो ठीक रहेगा क्योंकि मैं जानता हूं कि हिन्दुस्तान के कई ऐसे असहाब हैं जो कि यहां अपनी प्रोपरटी छोड़ कर वहां जाना पसन्द करेंगे और इसी तरह पाकिस्तान में कितने ही लोग ऐसे हैं जो कि अपनी प्रापरटी छोड़ कर वहां से यहां हिन्दुस्तान में आना पसन्द करेंगे। मुझे आपकी डिफीकल्टीज का पता नहीं है लेकिन वैसे यह कोई बहुत बड़ी प्राबलम नहीं है। मैंने एक सुझाव आपको इस बारे में दे दिया है कि अगर ऐसा बन्दोबस्त हो सके तो बेहतर रहेगा और इसको जरूर कर लिया जाय। एक्सचेंज आफ प्रापरटीज कोई मास स्केल पर तो होनी नहीं है, हां इंडिविजुअल बेसिस अगर यह एक्सचेंज करने की इजाजत हो जाय तो ठीक रहेगा।

आखिर में मैं एक बात कहूंगा कि अगर आप को कुछ शक हो कि हम ऐसी बात कहते हैं जो कि सही और मुनासिब नहीं है तो आप साफ तौर से उस के बारे में हमें बतलाइये। अब जो इवैलुएशन कर लेते हैं कि कितना काम अभी करने को बाकी है, कितना ट्रस्ट्स का मामला है और कितना रिहैब्लिटेशन का मामला है अगर आपको दिखे कि वाकई यह काम अभी करने को पड़े हैं तो फिर इस मिनिस्ट्री को वाइंड अप क्यों किया जा रहा है और आप क्यों नहीं हमारे ट्रस्टी के बतौर अपने मुख्य धर्म का पालन करते? जब मैं कहता हूं कि हमारे मिनिस्टर महोदय को अभी हमारी तरफ से पीठ नहीं मोड़ लेनी चाहिए और हमें बेसहारा नहीं छोड़ देना चाहिए तो ऐसा मैं कोई उनकी खुशामद में नहीं कहता हूं और जैसा कि कुछ लोगों का खयाल है कि मैं मिनिस्टर साहब का सुलतानी गवाह हूं तो वह भी बात नहीं है क्योंकि जब मैं जरूरत समझता हूं तो उन के बरखिलाफ कहने में भी दरेग नहीं करता। मैं महसूस करता हूं कि हमारे मिनिस्टर महोदय में वह सेवा की भावना, इनीशिएटिव और काम को भले ही वह कितना ही मुश्किल क्यों न हो अंजाम देने की ऐसी काबलियत है कि उनकी जरूरत देश को हमेशा रहेगी लेकिन जो आपका मुख्य धर्म है उसको निबाहिये बाकी अन्य धर्म भी निभ जायेंगे। देश को आपकी जरूरत सदा बनी रहेगी। मेरे दिल में मंत्री महोदय के लिए सच्ची इज्जत है और ऐसा मैं किसी डर के बायस नहीं कहता और न ही ऐसा है। ईस्ट बंगाल या वैस्ट पंजाब को ध्यान में रखते हुए कह रहा हूं। आपने न सिर्फ वेस्टर्न पंजाब के लोगों की इन पांच सालों में काफी खिदमत की बल्कि ईस्टर्न बंगाल के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा काम किया और आज भी जो इस दिशा में वे अपने फरायज को अदा कर रहे हैं उनको मैं वैलकम करता हूं। ईस्ट पंजाब और वैस्ट बंगाल के इंटरेस्ट्स में आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। आपके कामों का मूल्यांकन बाद में होगा और आप के जाने के बाद होगा। बस मैं और अधिक न कह कर समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि मैंने जो चन्द गुजारिशात की हैं उन पर मुनासिब खयाल किया जायेगा।

†श्री बिमल घोष (बैरकपुर) : पुनर्वास मंत्रालय के कार्यों को देखा जाये तो यही कहा जायेगा कि इसे किसी भी काम में सफलता प्राप्त नहीं हुई। जहां तक कि पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों का सम्बन्ध है उन के साथ तो बहुत अन्याय हुआ है । १९५६ में यह निर्णय किया गया था कि पूर्वी बंगाल से किसी को नहीं आने दिया जायेगा और १९५८ में यह निर्णय हुआ था कि इस के बाद आने वाले विस्थापितों को सरकार द्वारा पुनर्वास की कोई सुविधा प्रदान नहीं की जायेगी। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि विभाजन के समय पूर्वी बंगाल के अल्पसंख्यकों को यह आश्वासन दिया गया था कि उन के हितों का पूरा ध्यान रखा जायेगा । सरकार के ये निर्णय उन दिये गये आश्वासनों के बिलकुल विपरीत जाते हैं।

यदि यह मान लिया जाय कि ५० लाख विस्थापित पश्चिमी बंगाल में आये हैं तो लगभग ८ लाख लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सरकार से कुछ नहीं मांगा। २१ या २२ लाख लोगों ने सरकार से बड़ी साधारण सहायता प्राप्त की। इन लोगों पर खर्च की गयी राशि का यदि हिसाब लगाया जाय तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए लगभग ३५० रुपये फैलता है । क्या इस से कुछ पुनर्वास होता है ? लगभग दो लाख लोग शिविरों में हैं जिन के लिए बहुत शोर हो रहा है। परन्तु उन की भी बड़ी मनोरन्जक कहानी है । १९५८ में यह निर्णय किया गया कि ३५,००० परिवारों को बंगाल से बाहर भेजा जायेगा, दंडकारण्य में अथवा कहीं और, १०,००० परिवारों को पश्चिमी बंगाल सरकार बसायेगी । कुल मिला कर यह ४५,००० परिवार थे। यदि औसतन ५ व्यक्तियों का परिवार मान लें तो विस्थापितों की कुल संख्या २,२५,००० फैलती है । मैं पूछना चाहता हूं कि जिन १० हजार परिवारों को बसाने का उत्तरदायित्व पश्चिमी बंगाल सरकार ने लिया था, क्या उन्हें शिविरों से निकाल लिया गया है और शिविरों में रहने वालों को सारी ज़िम्मेदारी अब केन्द्र की है ? आज शिविरों में १,३०,००० लोग हैं। हमें बताया जाना चाहिए कि उन लोगों का क्या हुआ है सारे तथ्य पुनर्वास मंत्री महोदय को सदन के समक्ष रखने चाहिएं।

जो लोग शिविरों में नहीं हैं उन का कुछ भी ध्यान नहीं किया जा रहा । मेरा निवेदन है कि जब आप शिविरों में रह रहे विस्थापितों को दण्डकारण्य अथवा अन्य स्थानों पर ले जा रहे हैं, तो पहले आपको शिविरों में न रहने वाले लोगों की ओर ध्यान देना चाहिए। आखिर इन लोगों को बसाने का उत्तरदायित्व भी तो पुनर्वास मंत्रालय का ही है ।

†श्री मेहर चन्द खन्ना : माननीय सदस्य की बात स्पष्ट नहीं है । क्या आपका यह अर्थ है कि जो लोग पश्चिमी बंगाल में शिविरों में हैं उन्हें दंडकारण्य में या कहीं और बसा कर फिर पश्चिमी बंगाल के पूरी तरह न बसे हुए लोगों को वहां ले जाया जाय ?

†श्री बिमल घोष : जो लोग वहां जाना चाहें और जो शिविरों में नहीं है, उन्हें वहां ले जाना चाहिए। दण्डकारण्य भी एक महान रहस्य बना हुआ है । दोनों सरकारें भी इस योजना के बारे में पूर्णतः सहमत नहीं । इस के बारे में पुनर्वास मंत्री बहुत लम्बे चौड़े दावे करते हैं परन्तु वास्तविकता यह है कि इस दिशा में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है । इस मामले में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार में जो मतभेद है उसे भी मंत्री महोदय को सभा के समक्ष रखना चाहिए। दंडकारण्य परियोजना के सम्बन्ध में स्थिति क्या है इस पर भी उन्हें प्रकाश डालना चाहिए ।

†श्री मेहर चन्द खन्ना : कोई मतभेद नहीं है ।

---

†मूल अंग्रजी में

†श्री बिमल घोष : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो ८००० लोगों को दण्डकारण्य ले जाया गया है, उनका क्या हुआ है । अन्तिम जानकारी यह है कि अब तक केवल ६० परिवारों को खेती के लिये भूमि दी जा सकी है । लगभग ७००० एकड़ भूमि को ही खेती योग्य बनाया गया है । और इस में से केवल ७६ एकड़ भूमि आदिम जाति लोगों को दी गयी है । यदि यह अवस्था है तो दंडकारण्य में गये परिवारों को वहां बसाना सम्भव नहीं होगा। पुनर्वास मंत्री ने यह बात स्वयं भी मानी है कि शिविरों में रहने वाले अधिकांश लोगों का व्यवसाय कृषि ही है । अतः पुनर्वास मंत्री को दंडकारण्य परियोजना की प्रगति के विविध अंगों पर प्रकाश डालना चाहिए। कहा जाता है कि वहां की स्थिति बहुत शोचनीय है और लोगों को पीने का पानी तक भी उपलब्ध नहीं हो रहा । मुझे यह भी आशा नहीं कि दंडकारण्य में जून के अन्त तक ६,००० एकड़ भूमि खेती योग्य हो जायेगी। हमारे मंत्री महोदय की कठिनाई यह रही है कि वह लम्बे चौड़े दावे कर लेते हैं और बाद में उन्हें कार्यान्वित नहीं कर पाते । यदि वह ऐसा न करते तो स्थिति खराब न होती। सरकार की असफलता का एक कारण यह भी है कि इसका इस समस्या के सम्बन्ध में अपनाया गया दृष्टिकोण भी गलत था। सरकार को अपनी नीति में मूल परिवर्तन करना होगा। मंत्री महोदय को एक निश्चित तिथि निर्धारित कर देनी चाहिए। और उस दिन तक पुनर्वास का सारा कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए। अतः शिविरों को बन्द करने पर ज़ोर न दे कर हमें पुनर्वास के कार्य को शीघ्र ही समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। पश्चिमी बंगाल सरकार ने एक संकल्प में कहा है कि पुनर्वास मंत्रालय को ३१ मार्च, १९६१ को बन्द नहीं करना चाहिए । इस से स्पष्ट है कि उन्हें यह विश्वास है कि तब तक पुनर्वास कार्य पूरा नहीं हो सकेगा।

पूर्वी बंगाल के विस्थापित पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापितों की अपेक्षा काफी घाटे में रहे हैं । उन्हें अपनी सम्पत्ति का मुआवजा नहीं मिल सका । सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और यदि सम्भव हो तो ज़मीन बेचने संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था उन के लिए भी करनी चाहिए। मैं इस बात पर भी जोर दूंगा कि पुनर्वास मंत्रालय को समाप्त करने अथवा उस के कार्य को कम करने से पूर्व कर्मचारियों के लिये नौकरी की व्यवस्था भी उचित प्रकार से कर दी जानी चाहिए ।

†श्री अ० चं० गुह (बारसाट) : उपाध्यक्ष महोदय, पुनर्वास मंत्रालय की जब से स्थापना हुई है तभी से मैं उस के समस्त प्रशासन की आलोचना करता रहा हूं । पिछले वर्ष कुछ सुधार के चिह्न दृष्टिगोचर हुए थे परन्तु इस वर्ष फिर पुरानी जैसी स्थिति दिखाई देती है । मेरा विचार है कि आज मंत्री जी को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उसका कारण सरकार का अवास्तविक दृष्टिकोण है । शरणार्थी कैम्पों के बन्द करने का निर्णय और दण्डकारण्य योजना संबंधी लक्ष्य अवास्तविक एवं अबुद्धिमत्तापूर्ण थे । परन्तु उस के लिये केवल मंत्री जी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वे निर्णय समस्त केबिनेट द्वारा किए गए थे । यह निर्णय अत्यन्त अवास्तविक था कि अमुक तारीख तक दण्डकारण्य के वनों को साफ कर के भूमि को कृषि योग्य बना दिया जाएगा। प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि ७०,००० एकड़ भूमि में से केवल ३२,००० एकड़ भूमि संबंधित सरकारों से मिल सकी है । जहां तक शरणार्थियों के भेजे जाने का प्रश्न है मार्च, १९६० के अन्त तक पश्चिमी बंगाल सरकार को ५६३२ परिवारों को भेजना था परन्तु वास्तव में केवल १४६४ परिवार भेजे गये हैं । इसका कारण यह है कि पश्चिमी बंगाल सरकार यह चाहती है कि शरणार्थियों को सामूहिक रूप से वहां न

---

†मूल अंग्रेजी में

भेजा जाय वरन् धीरे धीरे भेजा जाय ताकि वे अच्छी तरह खपाए जा सकें। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब इतने शरणार्थियों को वहां खपाया नहीं जा सकता था तो फिर उन्हें नोटिस क्यों जारी किए गए ?

इस के अतिरिक्त वहां छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए कुछ भी नहीं किया गया है । ढेंकी उद्योग ऐसा नहीं है जिस से जीविकोपार्जन किया जा सके । केवल २० स्वचालित करघे स्थापित किए गए हैं और कुछ नहीं किया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस संबंध में सरकार की कोई योजना है ?

जहां तक भूमि का संबंध है, कृषि योग्य बनाई गई ७१३२ एकड़ भूमि में से १७९० एकड़ भूमि आदिवासियों को देकर ५,३४२ एकड़ भूमि बचेगी जो १७८५ परिवारों को वितरित की जायगी । इस प्रकार प्रति परिवार को ३ एकड़ भूमि मिलेगी जबकि लक्ष्य कम से कम ७ एकड़ भूमि देने का था। अभी जितने शरणार्थी वहां भेजे गये हैं उनको भी भूमि पर बसाना संभव नहीं है। सरकार की उनके पुनर्वास के संबंध में क्या योजना है ?

दण्डकारण्य योजना के संबंध में बड़ी गम्भीरता से कार्य किया जाना चाहिये क्योंकि वह केवल पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के लिये ही नहीं वरन् पश्चिमी बंगाल के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिये भी आवश्यक है। पश्चिमी बगाल की जनसंख्या चरम सीमा पर पहुंच गई है अतः वहां पर अधिक लोगों का बसाया जाना संभव नहीं है। इसलिये मैं श्री घोष की इस मांग का समर्थन करता हूं कि दण्डकारण्य की सुविधायें केवल कैम्प के शरणार्थियों तक ही सीमित नहीं रखी जानी चाहिये। लगभग ८ लाख शरणार्थी एसे हैं जिन्होंने अभी तक सरकार से कोई सहायता नहीं ली है। यदि वे दण्डकारण्य जाना चाहते हैं तो उन्हें इस अवसर से वंचित नहीं रखा जाना चाहिये।

फिर मैं उन शरणार्थियों का निर्देश करना चाहता हूं जिनको पूरी तरह नहीं बसाया जा सका है। मैं कई बार यह कह चुका हूं कि उनको मकान बनाने के लिये जो राशि दी गई थी वह छोटी छोटी किश्तों में दी गई थी जिससे वह उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। इस प्रकार की दोषपूर्ण योजनाओं के लिये शरणार्थियों को दण्डित नहीं किया जाना चाहिये। इन लोगों के पुनर्वास के संबंध में भी सरकार को विचार करना चाहिये।

जहां तक दण्डकारण्य योजना का प्रश्न है उसके संबंध में मैं पश्चिमी बंगाल की विधान सभा के संकल्प का निर्देश करना चाहता हूं। उसके पहले भाग में यह कहा गया है कि पुनर्वास मंत्रालय १९६१ में बन्द नहीं किया जाना चाहिये। मैं भी इस मांग का समर्थन करता हूं। दूसरी बात यह है कि दण्डकारण्य विकास परियोजना में पश्चिमी बंगाल सरकार को अधिक निकटतया सम्बद्ध किया जाना चाहिये। तीसरे दण्डकारण्य में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज सेवाओं संबंधी अधिकारी ऐसे होने चाहिये जिन्हें पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों की भाषा और सस्कृति की समुचित जानकारी हो। प्रशासन और शरणार्थियों के बीच मनोवैज्ञानिक एकता होनी चाहिये। इस प्रकार की मनोवैज्ञानिक एकता के बिना पुनर्वास कार्य ठीक तरह नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार को पश्चिमी बंगाल सरकार को पर्याप्त धन आवण्टित करना चाहिये। पांचवीं बात यह है कि पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री को अपना मामला केन्द्रीय सरकार के सामने पेश करना चाहिये। इस प्रकार मैं समझता हूं कि उस संकल्प में कोई भी बात ऐसी नहीं है जो संघ सरकार अथवा मंत्री जी के विरूद्ध हो।

दण्डकारण्य योजना के संबंध में मेरा सुझाव है कि वहां जिन शरणार्थियों को ले जाया जाय उन्हें उनकी कार्यक्षमता के अनुसार विकास कार्यों में लगाया जाना चाहिये। उनसे ऐसा काम नहीं कराया

[श्री अ० चं० गुह]

जाना चाहिये जिसे करने में वे असमर्थ हों। फिर जो ठेके दिये जाते हैं वे शरणार्थियों को ही दिये जाने चाहियें। बड़े ठेके, जिनमें विशेष योग्यता और पूंजी की आवश्यकता हो, भले ही उन्हें न दिये जायें पर छोटे छोटे ठेके अवश्य दिये जाने चाहियें। खरीदें भी यथासंभव शरणार्थियों के उत्पादों में से ही की जानी चाहियें। परन्तु मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि उड़ीसा और मध्य प्रदेश वालों को उनके हक से वंचित किया जाय। पहला हक तो उन्हीं का होना चाहिये तथा उनके बाद बंगाल के शरणार्थियों को अधिमान्यता दी जानी चाहिये।

३ मार्च को माननीय मंत्री ने ट्रेक्टरों के संबंध में एक वक्तव्य दिया था। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में अच्छे ट्रेक्टर लेने के संबंध में अधिक ध्यान दिया जायेगा। अभी जो ट्रेक्टर लिये गये हैं वे अच्छे नहीं साबित हुये हैं। संभवतः भूमि को कृषि योग्य बनाने में इसी कारण देर हुई है।

†श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय सदस्य ने कहा कि जिन शरणार्थियों को कोई भी पुनर्वास लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें भी दण्डकारण्य ले जाया जाना चाहिये। दूसरी चीज उन्होंने उन परिवारों के संबंध में कही जो पूरी तरह नहीं बसाये जा सके हैं। क्या वह उनका अनुमान बता सकते हैं ?

†श्री अ० चं० गुह : जिन २१ या २२ लाख लोगों के बसाये जाने का दावा किया जाता है मेरा विचार है कि वे सभी ऐसे हैं जो पूरी तरह बस गये नहीं कहे जा सकते हैं। सरकार को यह निर्धारण करना चाहिये कि उनमें से कितनों का उचित पुनर्वास हुआ है। मेरा सुझाव है कि श्री अचिन्त राम और पंडित ठाकुर दास भार्गव वहां जाकर इसका निर्धारण करें। यदि उनका आर्थिक पुनर्वास नहीं हुआ है तो माननीय मंत्री को उनका भार संभालना चाहिये।

फिर मैं पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के संबंध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। उन्हें कोई प्रतिकर नहीं मिला है। जब प्रतिकर अधिनियम पारित किया गया था उस समय की परिस्थितियां भिन्नथीं। अब पूर्वी बगाल से अल्पसंख्यकों को निकाला जा रहा है। वे अपनी सम्पत्ति छोड़कर आ रहे हैं। इस चीज के संबंध में सरकार को विचार करना चाहिये।

यह कहा जाता है कि २२ लाख शरणार्थियों के पुनर्वास पर लगभग ६६ करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं। अर्थात् प्रत्येक शरणार्थी पर ३०० रुपये व्यय हुये हैं। यह राशि पुनर्वास के लिये पर्याप्त नहीं कही जा सकती है। इसलिये या तो उनकी आस्तियों के पाकिस्तान से मंगाये जाने का प्रबन्ध किया जाना चाहिये या भारत सरकार को कोई कदम उठाने चाहियें। इस संबंध में यह आवश्यक है कि उन्होंने जो ऋण लिये हैं वे माफ अथवा कम कर दिये जाने चाहियें। शरणार्थियों को यह महसूस होना चाहिये कि वे भारत के सम्मानित नागरिक हैं। यह ऋण का भार उन पर से हटा दिया जाना चाहिये।

अन्त में मेरा निवेदन है कि सीमांत पर आने जाने पर रोक लगाने के संबंध में भी पुनर्विचार किया जाना चाहिये। अभी भी बहुत से लोग आ रहे हैं। उन्हें कम्पों में भले ही न खपाया जा सके परन्तु उनके सबंध में कोई उपबन्ध अवश्य किया जाना चाहिये।

†श्री अरविन्द घोषाल : (उलुबेरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, पुनर्वास मंत्रालय के कार्य के संबंध में हमें जो आंकड़े दिये जाते हैं व सही स्थिति के द्योतक नहीं हैं। चाहे कहा कुछ भी जाये पर पुनर्वास कार्य की गति बहुत मन्द रही है। जब माननीय मंत्री न १९५७ में कार्यभार संभाला

†मूल अग्रजी में

था तो पश्चिमी बंगाल में ५०,००० शरणार्थी परिवार थें। १९५९ के अन्त तक उनमें से केवल १३००० का पुनर्वास किया जा सका। जहां तक भूमि का संबंध है, १९५७ में माननीय मंत्री ने यह घोषणा की थी कि उनके पास १०,०२,००० एकड़ कृषि योग्य भूमि है। परन्तु अब उनके आंकड़ों से ज्ञात होता है कि वह केवल ५०,००० एकड़ के लिये योजनायें तैयार कर सके हैं।

फिर जहां तक कैम्पों से बाहर रहने वाले शरणार्थियों की बस्तियों का संबन्ध है, माननीय मंत्री ने १९५७ में उनको कानूनी मान्यता दिलाने का वचन दिया था। पिछले तीन वर्षों में १४० बस्तियों में से केवल ८० को कानूनी मान्यता दी गई है। इसी प्रकार उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि ९००० व्यक्तियों के रोजगार का प्रबन्ध कारखानों को वित्तीय सहायता देकर किया जायेगा। परन्तु केवल २००० शरणार्थियों को ही रोजगार दिया जा सका है।

यही नहीं, जो ४४१ पुनर्वास केन्द्र प्रारम्भ में खोले गये थे उनमें से केवल ४४ केन्द्रों का पूर्ण विकास हो सका है और २४ बस्तियों का आंशिक विकास हुआ है। शेष ३७३ बस्तियों को सरकार ने कोई सहायता नहीं दी है और वे आदमियों के रहने लायक नहीं हैं। इन ३७३ बस्तियों के विकास के लिये दो योजनायें पेश की गईं थीं परन्तु केवल १८ बस्तियों को मंजूरी दी गई है और ३५५ को विकास अनुदान देने से इन्कार कर दिया गया है। जिन २४ बस्तियों को आंशिक सहायता देने की मंजूरी दी गई थी उनमें से केवल १३ बस्तियों को ही वह राशि मिल सकी है, शेष को वह अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है।

मार्च, १९५९ तक कैम्प के शरणार्थियों पर ४३,७१,००,००० रुपये व्यय किये गये हैं। इतनी राशि व्यय करने के बाद सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि ७० प्रतिशत शरणार्थी पुनर्वास लाभ के हकदार नहीं हैं। कैम्पों में रहने वाले शरणार्थियों के अतिरिक्त भी लगभग १ लाख शरणार्थी पश्चिमी बंगाल में यत्रतत्र फैले हुये हैं जो बेरोजगार हैं। कैम्पों में रहने वाले ३५,००० परिवारों में से भी माननीय मंत्री केवल १२,००० परिवारों का पुनर्वास कर सकेंगे।

इसके बाद मैं दण्डकारण्य परियोजना पर आता हूं। यह योजना १९५७ में शुरू की गई थी। हमें यह देखना है कि अब तक क्या प्रगति हुई है। जनवरी, १९५७ में कैबिनेट की पुनर्वास उप-समिति ने यह निर्णय किया था कि दण्डकारण्य क्षेत्र में पूर्वी पाकिस्तान के २० लाख शरणार्थियों तथा उतने ही आदिवासियों को बसाया जायेगा। उसने यह भी निर्णय किया था कि दण्डकारण्य के लिये एक प्राधिकार का निर्माण किया जायगा जिसमें केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे और यह क्षेत्र प्रशासकीय प्रयोजन के लिये संघीय पुनर्वास मंत्रालय के अधीन रहेगा।

इस प्रकार दण्डकारण्य में पश्चिमी बगाल के २० लाख शरणार्थियों को बसाया जाना था। परन्तु बाद में मन्त्रालय न अपना उद्देश्य २० लाख लोगों को बसाने के बजाय २ लाख लोगों को बसाने का बना लिया। फिर १९५८–५९ में यह लक्ष्य केवल ५०,००० लोगों के बसान का रह गया। परन्तु खेद है कि यह लक्ष्य भी पूरा नहीं किया जा सका है। वास्तव में मार्च, १९६० तक केवल १५०० परिवारों को दण्डकारण्य ले जाया जा सका है। ये १५०० परिवार भी भूमि पर नहीं बसाये जा सके हैं। उनमें से अधिकांश कैम्पों में रह रहे हैं। और उनसे वनों की सफाई का काम लिया जा रहा है।

दण्डकारण्य में शरणार्थियों के लिये गांवों का निर्माण करने की योजना भी थी। १९५८–५९ में २८ गांवों का निर्माण किया जाना था परन्तु एक भी गांव का निर्माण पूरा नहीं हो सका। इसी प्रकार १९५९-६० का लक्ष्य भी पूरा नहीं हो सका है। अब १९६०–६१ में ९५ गांवों के निर्माण का लक्ष्य निश्चित है कि यह लक्ष्य भी पूरा नहीं हो सकेगा।

[श्री अरबिन्द घोषाल]

प्रारम्भ में यह कहा गया था कि दण्डकारण्य क्षेत्र में १,४३,००० एकड़ भूमि कृषि योग्य बनाई जायेगी। बाद में यह लक्ष्य ७५,००० एकड़ कर दिया गया। परन्तु वास्तव में अभी तक ४,००० एकड़ भूमि कृषि योग्य बनाई गई है और ६००० एकड़ भूमि के पेड़ काटे जा सके हैं। इसी प्रकार प्रारम्भ में कुटीर उद्योगों की स्थापना का निर्माण भी किया ग या था। विभिन्न उद्योगों में ३०,००० व्यक्तियों को रोजगार मिलने का अनुमान लगाया गया था। इस प्रयोजन के लिये निदेशालय की स्थापना में ही १८ महीने लग गये हैं और जो एकमात्र लकड़ी काटने का कारखाना खोला गया है वह बन्द किये जाने की स्थिति पर पहुंच गया है।

जहां तक रोजगार देने की नीति का संबंध है, यह निर्णय किया गया था कि शरणार्थियों और आदिवासियों को अधिमान्यता दी जायेगी। परन्तु खेद है कि शरणार्थी कर्मचारियों का प्रतिशत केवल १२ है और आदिवासियों का प्रतिशत नहीं के बराबर है। इस प्रकार दण्डकारण्य योजना की प्रगति अत्यन्त दयनीय है।

जो शरणार्थी अन्य राज्यों को भेजे गये हैं उनकी थिति भी इसी प्रकार है। उड़ीसा में जो ३५०० शरणार्थी भेजे गये थे वे पुनर्वास मंत्रालय के कुप्रबन्ध के कारण वहां नहीं रह सके। अधिकांश शरणार्थी वहां से लोट आये हैं और जो लोग वहां रह रहे हैं उनका अभी तक पुनर्वास नहीं किया जा सका है। डा० मेहताब ने कहा है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान बन्द कर दिया जाने के कारण शरणार्थियों के पुनर्वास का कार्य रूक गया है। इसी प्रकार बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में भी शरणार्थियों का पुनर्वास नहीं किया जा सका है।

इसलिये मैं यह पूछता हूं कि इस गड़बड़ के लिये कौन जिम्मेदार है? शरणार्थियों के पुनर्वास के नाम पर जनता का धन बरबाद किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि इस सबकी जिम्मेदारी हमारे माननीय मंत्री पर है। सभी राजनैतिक दलों ने माननीय मंत्री की कड़ी आलोचना की है। इसलिये मैं पश्चिमी बंगाल के शरणार्थियों की ओर से उनसे त्यागपत्र दे देने की मांग करता हूं।

इसके अतिरिक्त वे यह भी चाहते हैं कि दण्डकारण्य विकास प्राधिकार का पुनर्गठन किया जाय तथा उसमें पश्चिमी बंगाल और आंध्र के तीन प्रतिनिधि हों। प्राधिकार की शक्तियां भी बढ़ाई जानी चाहिये तथा शरणार्थियों और आदिवासियों को अधिक रोजगार दिया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त आदिवासियों और शरणार्थियों को मिलकर रहना चाहिये तथा उनमें कटुता उत्पन्न करने का जो प्रयत्न किया जा रहा है वह निन्दनीय है। जब तक पानी की व्यवस्था न हो जाय तब तक शरणार्थियों को वहां नहीं भेजा जाना चाहिये। वर्तमान शिविरों के स्थान पर झौंपड़ियों का निर्माण किया जाना चाहिये और जो भूमि दी जा रही है उसका लगान न बढ़ाने का आश्वासन दिया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त पुनर्वास सामूहिक रूप से किया जाना चाहिये ताकि उनका सांस्कृतिक एवं सामाजिक जीवन भंग न हो। जब तक वहां समुचित प्रबन्ध न हो जाय तब तक शरणार्थियों को पश्चिमी बंगाल में ही बना रहने देना चाहिये और जब तक समस्त शरणार्थियों का पुनर्वास न हो जाय तब तक कोई भी कैम्प बन्द नहीं किया जाना चाहिय। अन्तिम मांग यह है कि बैनानामा योजना पुनः लागू की जानी चाहिये। यदि माननीय मंत्री इन मांगों को पूरा करें तो हम सब दण्डकारण्य योजना को सफल बनाने में उनका समर्थन करेंगे।

†श्री शोभा राम (अलवर) : मैं केवल पश्चिमी क्षेत्र के शरणार्थियों की समस्याओं के संबंध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। सर्वप्रथम मैं गैरदावेदार खेतिहर विस्थापित व्यक्तियों को आवण्टित भूमि पर उनके हक की समस्या का निर्देश करूंगा।

जैसा कि हम सब जानते हैं, खेतिहर विस्थापित व्यक्तियों को भूमि का आवण्टन पुनर्वास आधार पर किया गया था, इस विचार से नहीं कि उनके पास पाकिस्तान में भूमि थी या नहीं। जो विस्थापित व्यक्ति राजस्थान के अलवर और भरतपुर जिलों में बसाये गये हैं उनके संबंध में दो प्रश्न उत्पन्न होते हैं। क्या उनको बिना कुछ भुगतान किये खातेदारी के अधिकार दे दिये जायेंगे क्योंकि उनको आवण्टन पुनर्वास के आधार पर किये गये थे ? दूसरे, क्या वे उस समय तक काश्तकार ही बने रहेंगे जब तक कि वे भूमि के मूल्य का १५ किश्तों में भुगतान करके स्वामित्व के अधिकार न प्राप्त कर लें ?

पहले मैं दूसरे प्रश्न को लूंगा। इन जिलों के विस्थापित व्यक्तियों में यह गलत धारणा पैदा कर दी गई है कि उन्हें भूमि के मूल्य का भुगतान करना ही होगा चाहे वे स्वामित्व के अधिकार न भी प्राप्त करना चाहते हों जबकि विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ के नियम ६३ के अन्तर्गत विस्थापित व्यक्ति को यह वरणाधिकार दिया गया है कि यदि वे स्वामित्व के अधिकार प्राप्त करना चाहते हों तभी उन्हें भूमि के मूल्य का भुगतान करना होगा अन्यथा नहीं। इसलिये मैं चाहता हू कि माननीय मंत्री इस आशय का एक परिपत्र जारी करें कि उन जिलों में बसे हुये विस्थापित व्यक्ति बिना भूमि के मूल्य का भुगतान किये ही उस भूमि पर काबिज रहेंगे परन्तु यदि वे स्वामित्व के अधिकार प्राप्त करना चाहते हों तो उन्हें भूमि के मूल्य का भुगतान करना होगा।

जहां तक स्वामित्व के अधिकारों का प्रश्न है यह ठीक है कि उन्हें भूमि के मूल्य का भुगतान करना होगा। परन्तु यदि वे मालिक न हों तब इन आवण्टीयों की उन जिलों में क्या स्थिति रहेगी ? राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, १९५५ के अन्तर्गत प्रत्येक काश्तकार को कुछ अधिकार प्राप्त हैं। मैं चाहता हूं कि इन आवण्टीयों को भी कुछ अधिकार दिये जायें। इस संबंध में राजस्थान पुरुषार्थी सम्मेलन के सभापति के ज्ञापन के उत्तर में पुनर्वास मंत्रालय ने यह कहा था कि आवण्टीयों की स्थिति खातेदारों से खराब नहीं कही जा सकती है। उन्हें स्वामित्व के अधिकार प्राप्त किये बिना भी भूमि से बेदखल नहीं किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि पुनर्वास मंत्रालय यह घोषणा करे कि गैर-दावेदार खेतिहर आवण्टीयों को भूमि के संबंध में वही अधिकार प्राप्त होंगे जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत खातेदारों को प्राप्त हैं।

इसके बाद मैं अर्जित निष्क्रांत सम्पत्ति के प्रबन्ध के संबंध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। प्रशासन की शक्तियां केन्द्रीय सरकार के प्रबन्ध संगठन में विनिहित हैं। परन्तु उसके पास इतने कर्मचारी नहीं हैं कि तहसील और ग्राम स्तर के प्रशासन को देखरेख की जा सके। इसलिये अर्जित निष्क्रांत भूमि का प्रबन्ध राज्य सरकार को सौंप दिया जाना चाहिये। अनेक मामलों में केन्द्रीय संगठन के अधिकारियों ने राज्य सरकार के राजस्व अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही पर आपत्ति की है। यह दोहरी व्यवस्था समाप्त की जानी चाहिये। इसलिये शक्तियों का प्रत्यायोजना यथाशीघ्र किया जाना चाहिये। प्रबन्ध अधिकारियों की शक्तियां तहसीलदारों को दी जानी चाहिये और सेटिलमेंट आफिसरों की शक्तियां अपने क्षेत्राधिकारों में कलक्टरों को दी जानी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री शोभा राम]

अन्त में मैं मेव बिस्वेदारों के संबंध में कुछ शब्द निवेदन करना चाहता हूं। विभाजन के समय उनके पास जो भूमि थी उसके प्रतिकर के संबंध में कोई उपबन्ध नहीं किया गया है। राज्य सरकार कहती है कि वह भूमि उसके कब्जे में नहीं है इसलिये वह प्रतिकर नहीं दे सकती है। केन्द्रीय सरकार कहती है कि वह निष्क्रांत सम्पत्ति है इसलिये प्रतिकर नहीं दिया जा सकता। यह ठीक नहीं है। मेव बिस्वेदार प्रतिकर पाने के हकदार हैं और केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को इसके संबंध में निर्णय करना चाहिये।

†**श्री जगन्नाथ राव** (कोरापट) : मेरा जिला कोरापट दण्डकारण्य क्षेत्र में ही है, और मैं अभी अभी ३० मार्च को वहां गया था।

मैं यह मानने के लिये तयार नहीं कि दण्डकारण्य परियोजना बिल्कुल असफल रही है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से जो देखा है वह मैं आप के सामने रखता हूं।

मैं ३० मार्च को उमरकोट गया था। वहां छः गांवों का निर्माण जारी है, जिनमें से तीन मैंने स्वयं देखे हैं। वहां विस्थापित लोग अपने मकान खड़े कर रहे हैं। कुछ मकानों की तो नींव डाली जा चुकी है। वे लोग वहां से वापस नहीं लौटना चाहते। वे चाहते हैं कि उन्हें शीघ्र ही जमीनें दे दी जायें। ९,००० एकड़ भूमि का कृष्यकरण किया जा चुका है और मेढ़ें बनाई जा रही हैं। हर परिवार को सात एकड़ भूमि दी जायेगी—मार्च के अन्त तक। और आशा है कि जून तक वे खेती शुरू कर देंगे। उनकी सब से बड़ी चिन्ता यही है कि उन्हें जमीन कब मिलेगी।

दण्डकारण्य योजना को इसलिये असफल बताया जा रहा है कि जितने परिवारों को वहां बसाने का हमारा लक्ष्य था वह पूरा नहीं हुआ। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि इसमें कठिनाइयां कितनी हैं। उस वनीय क्षेत्र में न तो संचार के साधन हैं, न मशीनें और न जन-शक्ति। फिर भी काम आगे बढ़ता रहा है। मानसून आने से पहले कई कैम्प बस जायेंगे।

मुझे तो पूरी उम्मीद है कि इस वर्ष हम अपना लक्ष्य पूरा कर लेंगे। इसकी पूरी संभावना है। विस्थापित व्यक्तियों को काम जुटाया गया है। वे तालाबों, सड़कों, कुओं, इत्यादि के निर्माण में लगे हैं। इसकी उन्हें मजूरी भी मिलती है।

वे थोड़ा बहुत व्यापार भी करते हैं। कुछ तो छोटे मोटे ढंग की ठेकेदारी भी करते हैं। उनको जमीन की खुदाई और धातु इकट्ठी करने के छोटे मोटे ठेके दिये गये हैं।

और यही उचित है। बाहर से ठेकेदारों को वहां लाना गलत होगा। ठेकेदारी का काम स्थानीय आदिवासियों और विस्थापितों को ही दिया जाना चाहिये।

दण्डकारण्य क्षेत्र में चलते फिरते चिकित्सालय हैं। इस संबंध में मेरी एक शिकायत है। परियोजना के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कुछ प्रशिक्षित नर्सों की आवश्यकता थी। कोरापट के सिविल सर्जन उनको २० प्रशिक्षित दाइयां देने के लिये तैयार थे। लेकिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कलकत्ता से नर्सें लेना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि कोरापट में सुलभ ५—१० दाइयों को तो वहां खपाया ही जा सकता था।

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरी बात यह है कि उस क्षेत्र में अभी तक अस्पताल नहीं बने हैं। उमरकोट में छः पलंगों का एक अस्पताल है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता। उस अस्पताल का विस्तार किया जाना चाहिये। वहां अधिक दवायें भेजी जानी चाहिये। डाक्टर को विस्थापितों की ही नहीं, स्थानीय लोगों की चिकित्सा भी करनी चाहिये।

इन्जीनियरिंग निर्माण कार्यों की प्रगति से हमें सन्तोष नहीं है। चीफ इंजीनियर जनता के साथ सहयोग नहीं करते। वह और अधिक कठिनाइयां पैदा करते जा रहे हैं। यदि यही हाल रहा तो प्रशासक श्री जॉनसन का वही हाल होगा, जो श्री फ्लैचर का हुआ है। माननीय मंत्री को इस की ओर ध्यान देना चाहिये।

आदिवासियों के विकास की भी एक योजना है। कोरापट में आदिवासियों को, १,५०० एकड़ भूमि आवण्टित की गई है। लेकिन इतना काफी नहीं है। उनको भी, विस्थापितों की भांति, मकान जुटाये जाने चाहिये।

पश्चिमी बंगाल के माननीय सदस्यों को मेरी सलाह यही है कि व इसके बारे में इतने चिंतित न हों। दण्डकारण्य को स्थानीय जनता इन विस्थापितों को कोई कष्ट नहीं होने देगी।

†**श्री महन्ती** (ढेंकनाल) : विस्थापितों की समस्या वास्तव में एक राष्ट्रीय समस्या है, किसी एक राज्य या मंत्रालय की नहीं। मानवीय दृष्टि से इसका बड़ा महत्व है।

हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि ये शरणार्थी हमारी स्वतंत्रता की आधारशिला हैं। हमें उनके साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिये।

१९५६ में दण्डकारण्य प्राधिकार का गठन जिस प्रकार किया गया था, उससे यह स्पष्ट था कि यह परियोजना असफल रहेगी। हमने इस प्राधिकार को इतनी अधिक सहायता दे दी थी कि वह मंत्री या संसद् से पूछे बिना ही ४० लाख रुपये तक की परियोजनाओं की मंजूरी दे सकता है। वह कोई अनुमति लिये बिना ही २,००० रुपये प्रति माह तक के वेतन वाले पद बना सकता है। उसे संसदीय नियंत्रण से सर्वथा स्वतंत्र रखा गया और कभी कोई नियम उसके लिये नहीं बनाय गये। फिर ऐसे अधिकारियों को हमने १०० करोड़ रुपये सौंप दिये। अब समय आ गया है कि हम इस प्राधिकार को एक संविहित आधार पर पुनर्गठित करे।

इस स्वायत्त निकाय पर मंत्रालय का भी पूरा नियंत्रण नहीं है। १ नवम्बर, १९५९ से ३१ मार्च, १९६० तक दण्डकारण्य में ५,६३२ परिवार बसाने का लक्ष्य निर्धारित हुआ था। लेकिन अभी तक कुल १,४६४ परिवार ही वहां भेजे गये हैं। अभी तक ४९,००० एकड़ के स्थान पर, कुल ७,१३२ एकड़ भूमि का कृष्यकरण हुआ है। इसका क्या कारण है ?

छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास का यह हाल है कि अभी तक चावल कूटने की ढांकियां ही वहां प्रयुक्त होती है।

इस असफलता का दायित्व दण्डकारण्य परियोजना के अधिकारियों पर ही सब से ज्यादा है। उन्होंने सूझबूझ, उत्तरदायित्व की भावना और सहानुभूति से काम नहीं किया। इन अधिकारियों ने इस मानवीय समस्या को प्रशासकीय ढंग से हल करने का प्रयास किया है। इसीलिये वे इसमें असफल रहे हैं। इमारतों, इत्यादि के निर्माण के लिये कुल अनुमित लागत ८७,२४,००० रुपये थी। इसका अधिकांश भाग अधिकारियों और कर्मचारियों के आवास पर खर्च हुआ है। विस्थापितों की दशा पहले जैसे ही बनी हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री महन्ती]

दण्डकारण्य में ६ नये पैसे की माचिस १२ नय पैसे में बिकी है। उन लोगों को जो ठेके दिये गये हैं, उनके जरिये तो और भी अधिक शोषण किया जाता है।

हमने अभी तक इस समस्या पर मानवीय दृष्टि से सहानुभूतिपूर्वक विचार ही नहीं किया। हमने शरणार्थियों को भीख मांगना और अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाना ही सिखाया है। हमने उन्हें अपनी मेहनत के बल पर जीना सिखाया ही नहीं। यह बिल्कुल सही है कि पूर्वी बंगाल से आने वाले शरणार्थियों के साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया है। मार्च, १९५९ तक उन्हें ४३.७१ करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। और इतना खर्च करने के बाद पता यह चला कि इन शरणार्थियों में से ७० प्रतिशत को सहायता पाने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन बिना अधिकार के लोगों को इतना रुपया देने का दायित्व किस पर है? बंगाल के मुख्य मंत्री को इसका उत्तर देना चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि असल शरणार्थियों को कुल कितना रुपया मिला है?

शरणार्थियों के लिये हम सभी कुछ करने को तैयार हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि दण्डकारण्य के लिये आन्ध्र, मध्य प्रदेश, और उड़ीसा से लिये गये ८०,००० वर्ग मील के क्षेत्र में केवल पूर्वी बगाल के शरणार्थी ही बसाये जायें, और सारी सेवायें तथा व्यापार उनके ही हाथों में रहे। मैं इसे नहीं मानता।

अब इस मंत्रालय के विघटन की बात चल रही है। इसलिये इस मंत्रालय के कर्मचारियों को अन्य सरकारी विभागों में खपाने की योजना संसद् को बनानी चाहिये। संसद् और मंत्रिमण्डल को इस पर विचार करना चाहिये।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** (लुधियाना) : गत वर्ष जब पुनर्वास मंत्रालय के पश्चिमी विभाग को बन्द करने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही थी, तब मैंने यह कहा था कि यह समस्या इतनी विशाल है कि इस तरह इसका हल नहीं होगा। तब मैंने सुझाव रखा था कि पश्चिमी विभाग की सफलताओं के मूल्यांकन के लिये एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये, जो इसकी जांच करके यह पता लगाये कि कितना काम अभी शेष रह गया है। माननीय मंत्री ने तब कहा था कि इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्रियों के पास पत्र भेजे जा चुके हैं और इसके लिये श्रीनगर में एक बैठक भी होगी। आशा है कि अब तक उन्होंने इस सम्बन्ध में कुछ निष्कर्ष निकाल लिये होंगे। अब पश्चिमी विभाग का कितना काम शेष रह गया है? मंत्रालय के विघटन के बारे में मुख्य मंत्रियों की क्या राय है?

प्रतिवेदन में कहा गया है कि कुल ४.८५ लाख दावेदारों में से ४.४४ लाख को दिसम्बर, १९५९ के अन्त तक प्रतिकर अदा किया जा चुका है। १०० करोड़ रुपये की निष्क्राम्य संचित सम्पत्ति में से ५०.५३ करोड़ रुपये की सम्पत्ति दी जा चुकी है। अर्थात्, उसमें से ४९.४७ करोड़ रुपये की सम्पत्ति अभी शेष है। लेकिन इससे ३६,००० दावेदारों को प्रतिकर कैसे दिया जायगा? इसलिये ये आंकड़े सही नहीं हैं।

दिल्ली को ही देखिये। यहां प्रतिकर के लिये कुल ८९,००० प्रार्थना-पत्र आये थे, जिनमें से १४,००० के बारे में अभी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। लगभग १५,००० प्रार्थियों के लेखों का विवरण दिया गया है। १०,००० प्रार्थियों के दावों का आंशिक रूप से निबटारा हो चुका है, और ५०,००० प्रार्थियों को लेखा-विवरण दिया जा चुका है, उनके मामलों में तो कार्यवाही अब शुरू होगी। इससे स्पष्ट है कि अभी आधा काम बाकी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मंत्रालय के विघटन के मामले में जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिये ।

प्रतिवेदन में कहा गया है कि पंजाब से बाहर के शरणार्थियों को भी स्थायी अधिकार दिये जायेंगे । इस सफलता के लिये मैं मंत्रालय को बधाई देता हूं ।

इस सम्बन्ध में एक बात और है । देश के विभाजन के समय और उसके बाद पश्चिमी पाकिस्तान से लगभग ४७ लाख शरणार्थी आये हैं और पूरे देश में फैल गये हैं । उनमें से कुछ लोग उत्तर प्रदेश में भी जाकर बस गये हैं अपनी मेहनत और सूझ बूझ के बल पर । उत्तर प्रदेश के नैनीताल, पीलीभीत, बिजनौर और रामपुर जिलों में इन शरणार्थियों के लगभग २०,००० परिवार बसे हैं । उन्होंने सरकारी बंजर जमीनों का कृष्यकरण किया है । वे उस सरकारी भूमि पर १२ साल से खेती कर रहे हैं । लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकारी भूमि (बेदखली और हानि) अधिनियम, १९५९ पारित कर दिया है, जिसके अनुसार इन शरणार्थियों को उन जमीनों से बेदखल कर दिया जायेगा । आपने उसे रुकवाने की कोशिश की है, पर उत्तर प्रदेश सरकार उस पर सहमत नहीं हुई ।

इस सम्बन्ध में हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि ये विस्थापित हैं और इन पिछले बारह वर्षों में इन्होंने इन जमीनों के कृष्यकरण पर काफी धन और श्रम लगाया है । पुनर्वास मंत्रालय की नीति यही है कि ऐसे स्वामित्व को नियमित कर दिया जाये । फिर मंत्रालय की नीति के विरुद्ध कार्यवाही क्यों की जा रही है ?

दूसरी विचारणीय बात यह है कि ये शरणार्थी भूमि हीन हैं । इन्होंने अपने हाथों से कृष्यकरण किया है ।

तीसरी चीज़ यह कि शरणार्थियों की समस्या किसी एक राज्य की नहीं, सारे देश की है । इसलिये उत्तर प्रदेश सरकार को अलग से कोई नीति नहीं बनानी चाहिये ।

लगभग ५,५०० प्रार्थना-पत्र ऐसे लोगों के पड़े हुये हैं जिनके पास ठिकाने के लिय कोई मकान नहीं है । उनको कोई वित्तीय सहायता भी नहीं दी जाती ।

अन्त में, मैं पूर्ववक्ताओं की इस मांग का समर्थन करता हूं कि पुनर्वास मंत्रालय के विघटन के बाद मंत्रालय के कर्मचारियों को अन्य सरकारी विभागों में खपाया जाना चाहिये । सरकार को फरीदाबाद के मकानों के मूल्य-निर्धारण के प्रश्न पर फिर से विचार करना चाहिये । मैं मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं केवल दो कटौती प्रस्तावों को लेता हूं । पहला दण्डकारण्य में मंत्रालय की असफलता, और दूसरा छंटनी किये गये कर्मचारियों को दूसरा काम जुटाने से सम्बन्धित है ।

लगभग ३०० कर्मचारियों की छंटनी हो चुकी है, और मंत्रालय के विघटन के साथ ही लगभग ७,००० कर्मचारी बेरोजगार हो जायेंगे । बन्दोबस्त विभाग में २८० गज़टेड अधिकारी हैं, जिनमें से ४० प्रथम श्रेणी के हैं और २४० द्वितीय श्रेणी के । अभी तक प्रतिरक्षा मंत्रालय में केवल ८७ या ९० लोअर डिवीजन क्लर्कों को काम मिल सका है । पुनर्वास मंत्रालय को इस पर विचार करना चाहिये । अभी छः महीने तक तो पुनर्वास मंत्रालय में ही काम काफी है । तब तक उन्हें अन्य विभागों में काम देने की व्यवस्था की जा सकती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स० मो० बनर्जी]

दिल्ली में ही विक्रय-योग्य निष्क्राम्य सम्पत्तियां ५,८६५ हैं, जिनमें से १,९९२ के बारे में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है । प्रधानतया मुस्लिम बस्तियों में ये सम्पत्तियां १,४७६ ह, जिनमें से १,३८२ के बारे में अभी कोई कार्यवाही नहीं हुई है । आवंटन योग्य ५,१३६ सम्पत्तियों में से २,५५९ का आवंटन नहीं हुआ है। अभी तक १,९०० का मूल्य निर्धारण नहीं किया गया है। निष्क्राम्य सम्पत्तियों के कुल १६,४६४ मामलों में से ९,९३० के बारे में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है ।

इससे स्पष्ट है कि मंत्रालय के पास अभी काफी काम पड़ा हुआ है । अध्यक्ष महोदय ने जो संसदीय समिति इस सम्बन्ध में नियुक्त की थी, उसने सर्वसम्मति से सिफारिश की है कि सम्बद्ध कार्यालयों के कर्मचारियों को सचिवालय के अन्य कार्यालयों में नियुक्त करने पर गृह-कार्य मंत्रालय को कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिये । माननीय मंत्री ने इस दिशा में क्या प्रयास किया है ?

दण्डकारण्य योजना के अधिकारियों के काम का ढंग ऐसा है कि उस से अत्यधिक अपव्यय हो रहा है। भय तो यह है कि इसमें भी कोई बड़ा गोलमाल न हो जाये ।

दण्डकारण्य में निधियों का दुरुपयोग किया जा रहा है । वहां ७० से ८० लाख रुपयों का दुरुपयोग किया गया है । इस सम्बन्ध में एक भूतपूर्व क्रांतिकारी, श्री सुशील कुमार बनर्जी ने प्रधान मंत्री को तीन बार लिखा है। वह प्रधान मंत्री के सामने सारे तथ्य पेश करने के लिये तैयार हैं ।

माननीय मंत्री को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये । ऐसा न हो कि, उनकी अक्षमता के कारण, जनता को उनके त्याग-पत्र की मांग करने के लिये विवश होना पड़े । दण्डकारण्य में वह बिल्कुल असफल रहे हैं ।

भूतपूर्व वित्त मंत्री को १,२५,००,००० रुपये के एक सौदे के मामले के लिये त्याग-पत्र देना पड़ा था । दण्डकारण्य में १०० करोड़ रुपयों का मामला है । इसलिये पुनर्वास मंत्री को अपने पद से त्याग-पत्र दे देना चाहिये ।

क्या माननीय मंत्री पश्चिमी बंगाल विधान सभा के विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों द्वारा लगाये गये आरोपों का उत्तर देने के लिये तैयार हैं ? वहां माननीय मंत्री किसी भी दल का समर्थन प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं । इसलिये उन्हें त्याग-पत्र दे देना चाहिये । वह अपने काम में बुरी तरह असफल रहे हैं। यदि वह अपनी ओर से त्याग-पत्र दे देंगे, तो उसमें एक शालीनता रहेगी ।

श्री ब्रज राज सिंह (फ़िरोज़ाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो बातें कहना चाहता हूं । पहली बात तो यह है कि पुनर्वास मंत्रालय के खात्मे पर इस के जो कर्मचारी बेकार होने वाले हैं उन के बारे में सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए । अगर यह स्थिति होती कि उन के लिए कहीं कोई स्थान न होता, तो सम्भवतः इतनी चिन्ता की बात नहीं थी । लेकिन हम सुनते हैं कि रेलवे मंत्रालय दस पंद्रह हज़ार आदमियों को अभी भर्ती करने वाला है । इस मंत्रालय से इन लोगों को की सेवायें खत्म हो रही हैं और रेलवे मंत्रालय नई भर्ती करने वाला है । यह बात मेरी समझ में नहीं आती। पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर ने यह बात कही थी कि हमारे मंत्रालय अलग अलग साम्राज्य बन गए हैं, अलग अलग एम्पायर्ज़ बन गए हैं । यह कितने आश्चर्य की बात है कि इन मंत्रालयों में इस तरह की दीवार हो कि एक मंत्रालय के कर्मचारी दूसरे में नहीं जा सकते हैं । मैं समझता हूं कि पूरा मंत्री-मण्डल इस प्रश्न पर

गंभीरतापूर्वक विचार करेगा और इस मंत्रालय के कर्मचारियों को जो बेकार हो रहे हैं, उन को रेलवे मंत्रालय में या रक्षा मंत्रालय में, जहां भी जगह है, ज़रूर जगह दिलवाई जायगी।

दूसरी बात मैं दण्डकारण्य अथारिटी के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। ऐसा लगता है कि दण्डकारण्य अथारिटी खुद ही एक साम्राज्य बन गई है। उस अथारिटी के निर्माण के बारे में पार्लियामेंट को पता नहीं है और उस के बारे में मंत्री-मंडल का कोई निश्चय नहीं है। कहा जाता है कि प्लानिंग कमीशन बनाया गया, उस के लिए मंत्री-मंडल ने निश्चय कर लिया। वह पार्लियामेंट में आया नहीं और प्लानिंग कमीशन बना दिया गया, जो कि एक सुपर-कैबिनेट की तरह काम करता है। उस से भी आगे बढ़ कर दण्डकारण्य अथारिटी के बारे में कोई रेज़ोल्यूशन नहीं है। चालीस लाख रुपए तक के वह काम कर सकता है, दो हज़ार रुपए तक तन्ख्वाह के नौकरों को भर्ती कर सकता है और मिनिस्टरों को उस के बारे में पता तक नहीं। मेरी समझ में नहीं आता कि इस तरह की अथारिटी बना दी गई है, जिसे अस्सी हज़ार वर्ग मील क्षेत्रफल का विकास करना है, लेकिन उस के लिए कोई कानून नहीं है। मिनिस्टर साहब ने इस बारे में जो अन्तिम नोट सर्कुलेट किया है, उस में बताया गया है कि इस अथारिटी ने ग्यारह वर्ग मील क्षेत्र में फैली ७,१३२ एकड़ ज़मीन को तोड़ा है। इस के लिए १०१ ट्रैक्टर काम कर रहे हैं। जब से यह अथारिटी बनी है, ये ट्रैक्टर काम कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि १०१ ट्रैक्टर ७,१३२ एकड़ ज़मीन को तोड़ने में लगे रहे हैं। अगर हम हिसाब लगायें कि एक ट्रैक्टर ने कितनी ज़मीन तोड़ी है, तो हम पाते हैं कि सत्तर एकड़ ज़मीन एक ट्रैक्टर ने तोड़ी है और वह १९५६ से लेकर ३१ मार्च, १९६० तक तोड़ी है। मैं नहीं समझता कि हिन्दुस्तान इस तरह की फ़िज़ूलखर्ची के लिए तैयार है। हमारा मुल्क ग़रीब है। इस में अगर तीन साढ़े तीन साल में एक ट्रैक्टर सिर्फ़ सत्तर एकड़ ज़मीन को तोड़ेगा, तो क्या होगा? हम अपने मुल्क में करोड़ों एकड़ ज़मीन को तोड़ने का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। दण्डकारण्य में हम जो कुछ कर पाये हैं, उस से उस प्रोग्राम को बड़ी ठेस लगेगी। अगर इसी परफ़ार्मन्स से देखना है, तो न तो ट्रैक्टर से कुछ काम हो सकेगा और न बुलडोज़र से कुछ काम हो सकेगा। दण्डकारण्य अथारिटी की यह असफलता, हमारे देश में जो ज़मीन पड़ी हुई है, जिस में खेती हो सकती है और जहां खेती नहीं हो रही है, उस के संदर्भ में भविष्य में हमारे देश के लिये कलंक बन जायेगी। आज समय आ गया है कि दण्डकारण्य अथारिटी की वर्तमान शक्ल को खत्म कर देना चाहिए। हम रोज़ देखते हैं कि फलैचर साहब और दूसरे अधिकारियों में मतभद है। अब कहा जाता है कि श्री जानसर्न और दूसरे अधिकारियों में मतभेद हो सकता है। इस प्रकार के मतभेदों से वहां काम में बड़ी रुकावटें आती हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह अथारिटी हिन्दुस्तान की ग़रीब जनता के पैसे से बनाई गई है। यह एक असह्य स्थिति है कि कुछ अफ़सर आपस के मतभेद को ले कर झगड़े करते रहें और वहां पर कोई काम न हो। समय आ गया है कि इस अथारिटी का काम ऐसे पब्लिक वर्कर को दिया जाये, जो इस काम को अच्छी तरह करे, बिना किसी पैसे के करे और वहां पर जो धन व्यय किया जा रहा है, उस को उस क्षेत्र के विकास और शरणार्थियों के पुनःसंस्थापन में लगाया जाये। जो करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं उन से कोई काम नहीं हो रहा है।

वहां पर जो डिस्प्लेस्ड फ़ैमिलीज़ गई हैं, उन में से हर एक फ़ैमिली को सात एकड़ ज़मीन देने का विचार किया जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि उस का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। वह सरकार नहीं देगी। ७,१३२ एकड़ ज़मीन में से, १,७९० एकड़ आदिवासियों के लिए है। उन को कितनी ज़मीन देंगे? यह अफ़सोस की बात है कि यह तय किया गया था कि

[श्री बृजराज सिंह]

बंगाल से ५,६३२ फ़ैमिलीज़ दण्डकारण्य जायेंगी और जाती हैं सिर्फ़ १,४६४ फ़ैमिलीज़ । ऐसा क्यों होता है ? कौन इसका ज़िम्मेदार है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि इस के लिए पुनर्वास मंत्रालय ज़िम्मेदार है या पश्चिमी बंगाल सरकार ज़िम्मेदार है, पश्चिमी बंगाल सरकार और केन्द्रीय सरकार में कोई झगड़ा हो रहा है, या पश्चिमी बंगाल सरकार और उड़ीसा सरकार में कोई झगड़ा हो रहा है । इस तरह की बात देश के विकास में बाधक होगी ।

इस नोट में कहा गया है कि वहां के कर्मचारियों में कुछ परसेंटेज बंगालियों का है । मैं नहीं समझता कि यह भावना क्यों पदा की जा रही है कि इतने बंगाली हैं और इतने नान बंगाली हैं । मैं नहीं जानता कि मिनिस्टर महोदय यह बात सफ़ाई में कह रहे हैं या किसी और कारण से । अगर इस तरह का क्लेम किया जाता है कि दण्डकारण्य में सब बंगाली होंगे, तो देश के भविष्य के लिए यह बात बहुत खतरनाक होगी । यह नहीं होनी चाहिए । जो क्षेत्र खास कर आदिवासियों के लिए है, जहां आदिवासी बसे हुए हैं, हमारा सब से पहला कर्तव्य यह है कि हमें देखना चाहिए कि उन के हितों की रक्षा होती है या नहीं । मैं समझता हूं कि इस विषय में कुछ नहीं किया जा रहा है । मैं समझता हूं कि समय आ गया है कि दण्डकारण्य अथारिटी को समाप्त किया जाये और किसी दूसरे तरीके से इस क्षेत्र का विकास किया जाये और पूर्वी बंगाल के विस्थापितों का पुनर्संस्थापन वहां पर किया जाये ।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : श्रीमान्, मैं ने कल शाम से माननीय सदस्यों के भाषणों को बड़े ध्यान और सम्मान से सुना है । मेरे बारे में कुछ विचार प्रकट किये गये हैं पर मैं उन के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता । यह बात भी आरोपित की गयी है कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों की नीतियों में महान अंतर है । मैं अपने बारे में केवल इतनी सी बात कह सकता हूं कि मेरा गत १२ वर्ष से इस मंत्रालय से सम्बन्ध जुड़ा हुआ है ; चाहे यह सलाहकार के रूप में रहा चाहे मंत्री के रूप में । श्री जवाहर लाल नेहरू के अतिरिक्त कोई दूसरा मंत्री केन्द्र में नहीं है जिसका संबंध अपने मंत्रालय के साथ उतना पुराना हो । उनका सम्बन्ध अपने मंत्रालय से निस्संदेह ज्यादा पुराना है ।

जिस दिन से मैं ने इस पद का भार संभाला है उसी दिन से मेरी सच्ची इच्छा यही रही है कि इन अभागे लोगों को, जो विभाजन का शिकार हुए, और जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व लुटा दिया, फिर से बसाया जाय । शुरू से ही मैं यह देख कर चला हूं कि क्या मैं ईमानदारी और सद्भावना से इस काम को पूरा कर सकूंगा या नहीं ? कोई मंत्री किसी पद पर रहे या न रहे इसका कोई महत्व नहीं, वास्तविक महत्व तो उसकी नीति का होता है । हम नीति की ही आलोचना या प्रशंसा कर सकते हैं ।

आज से दस बारह वर्ष पहले हमने पुनर्वास के काम बड़े ही सीमित पैमाने पर, अनेक कठिनाइयों के बीच शुरू किये थे । तदनंतर हम पूर्ण सफल हुए । संभवतया हमारा काम पश्चिमी क्षेत्र में पूर्वी क्षेत्र की अपेक्षा ज्यादा अच्छा रहा ; कारण चाहे इस के कुछ भी हों । लेकिन देखने की बात तो यह है कि क्या सरकार धन व्यय कर या दूसरे तरीके से विस्थापितों का पुनर्वास करने में कोई कमी की है । जब कभी भी मुझे इस सभा के किसी सदस्य से बात चीत करने का असवसर मिला है तभी मैं बड़ी प्रसन्नता से उन्हें मिला हूं, क्योंकि हमारी इच्छा सदा यही रही है कि किसी न किसी तरह से थोड़े अर्से में ही विस्थापितों के दुख दूर हो जायें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मानव के दुखों तथा बलिदानों को रुपये पैसे से नहीं तोला जा सकता। इसलिये मैं यह बात कदापि नहीं कहूंगा कि हमने पाकिस्तान से आये विस्थापितो पर ३५० करोड़ रुपया खर्च किया है । हमारे देश की आर्थिक स्थिति और सामान्य गरीबी को देखते हुए यह रकम हमें काफी ज्यादा प्रतीत हो सकती है, किन्तु इन लोगों के बलिदान और दुख का अंदाज लगाकर हम यह कह सकते हैं कि यदि इन पर और ज्यादा भी खर्च कर दिया जाता तो अच्छा होता । किन्तु हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए और वह यह है कि योजनाओं का निर्माण तथा इनकी क्रियान्विति राज्य-सरकारों द्वारा ही की जाती है । हमारा काम केवल रुपया मुहैया करना था ।

जहां तक पूर्वी क्षेत्र का सम्बंध है, सहायक अनुदानों तथा ऋणों के रूप में जो धन भी उन्हें मिलता है वह सारे का सारा केन्द्र की ओर से ही दिया जाता है। शत प्रतिशत हानि भी केन्द्र ही उठाता है। चाहे उन ऋणों का कोई फल निकले या न, हानि सहन करने का उत्तरदायित्व भारत सरकार पर होता है और पुनर्वास मंत्री को संसद् के सामने उत्तरदायी होना पड़ता है । वह लेखापरीक्षा तथा लोक लेखा समिति का भी सामना करता है ।

मैं इस जिम्मेदारी से दूर नहीं भगाता । मैं तो सभा के समक्ष यही बात रखना चाहता हूं कि मंत्री चाहे कैसा भी जोरदार क्यों न हो, वह संविधान के अधीन काम करता है ; चाहे वह सारे धन का प्रबन्ध भी करे तो भी एक सीमा तक ही वह जा सकता है ।

आज पूर्वी क्षेत्र अर्थात् उड़ीसा, बिहार, त्रिपुरा, आसाम तथा पश्चिमी बंगाल में ४०·८१ लाख विस्थापित हैं । उड़ीसा में केवल १२,००० विस्थापित हैं । दो या तीन वर्ष पहले हमने वहां चारबतिया में एक कैम्प खोला था । उसमें ६००० व्यक्ति थे । अब वहां पर कोई कैम्प नहीं है । हमने १२,००० व्यक्तियों पर उस राज्य में २·५८ करोड़ रुपया व्यय किया है । यदि आप मुझे कहें कि हमें ऋण दे दिये जायें तो यह बात नहीं हो सकती । किसी व्यक्ति विशेष को ऋण नहीं दिया जा सकता । एक राज्य में विस्थापितों के पुनर्वास के लिये सहायता दी जा सकती है ।

एक या दो महीने पूर्व मैंने राज्य-सरकार की मार्फत अवशिष्ट समस्या का अन्दाज लगवाया था ; पता चला है कि अभी १८/२० लाख रुपये के व्यय से समस्या का हल होगा । हम यह रुपया भी राज्य सरकार को दे रहे हैं; पर देते समय अब उनसे स्पष्ट कहा जायगा कि आपके शेष काम के लिये यह रकम दी जा रही है और अब विस्थापितों को समस्या का हल करने की जिम्मेदारी आप लोगों पर ही होगी ।

बिहार राज्य में ६६,००० विस्थापित हैं । उनमें से २८,००० बेतिया कैम्प में थे । अब विस्थापितों की संख्या १००० और १५०० के बीच है । सबको पुनः बसाया जा चुका है । अब तक हमने बिहार में ६·१० करोड़ रुपये खर्च किये हैं ।

करीब एक महीना पहले मैं बिहार गया था और वहां के पुनर्वास मंत्री से मिला था । मैंने उन्हें कहा था कि शेष काम पर जितना रुपया आपका लगे उतना हमें लिख कर दे दीजिये और रुपया आपको मिल जायगा । मैंने यह भी कहा कि अब बिहार में कैम्प भी नहीं हैं और पहले की सी विकट स्थिति भी नहीं है । पता लगा है कि अनुमान आगामी दो मास तक हमें प्राप्त हो जायेगा । जब हम बिहार को यह रकम दे देंगे तो उस सम्बन्ध में कोई समस्या हमारे लिये न बचेगी क्योंकि यह रकम हम अन्तिम समस्या के समाधान के लिये ही दे रहे हैं । शेष चीजें राज्य सरकार स्वयं करेगी ।

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

त्रिपुरा में कुल विस्थापित ३,७४,००० थे । ४३,००० लोग कैम्पों में थे और अब कैम्पों में एक व्यक्ति भी नहीं है । १० मास पहले वहां सारे कैम्प बन्द कर दिये गये थे । उस क्षेत्र में हमने १२·७७ करोड़ रुपये खर्च किये हैं । यहां भी हम बाकी काम पर आने वाले खर्च का अनुमान लगवा रहे हैं ।

आसाम में काफी अर्से से कैम्प बन्द हो चुके हैं । वहां कुल विस्थापित ४,८७,००० हैं । १०·२० करोड़ रुपया खर्च हो चुका है । पिछले महीने मैंने अपने सचिव को वहां के मुख्य मंत्री से बातचीत करने के लिये भेजा था । पश्चिमी बंगाल से भिन्न एक और राज्य के मुख्य मंत्री ने मुझे बताया कि वहां पर पुनर्वास विभाग आज से पांच वर्ष पहले ही बन्द किया जा सकता था । शिलांग में बातचीत हुई और बाकी का काम आंक लिया गया है । अब हमें यह अंदाज लगा रहे हैं कि उस काम पर कितना व्यय होगा और वह कितने अर्से में पूरा हो जायेगा। अतः हमारी इच्छा सम्पूर्ण समस्या को हल करने की है । जब एक बार हमें काम का अन्दाज लग जाता है तब हम इसको पूर्ति के समय और इसके खर्च का अनुमान लगा लेते हैं ।

इन राज्यों में विस्थापितों की कुल संख्या ९,३९,००० है । कैम्पों में ७७,००० लोग हैं । बिहार में कुछ लोगों को छोड़ कर शेष सारे विस्थापितों का पुनर्वास हो चुका है और इस काम पर ३२ करोड़ रुपया खर्च आया है । बाकी काम पर २/३ करोड़ का खर्च आयेगा जो मामूली बात है । मैं ईमानदारी से इस बात पर विश्वास करता हूं कि जहां हमने अब तक इतना रुपया खर्च किया है, वहां थोड़ा बहुत और खर्च करते हुये हमें डरना नहीं चाहिये । इस स्थान पर मैं सभा को यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि संसद् द्वारा स्वीकृत धन में से एक पैसा भी व्यर्थ नहीं गवांया जाता ।

मैं यह बात मानता हूं कि कुछ महीनों से बंगाल के अखबारों में मेरी कटु आलोचना हुई है । यह आलोचना मेरी ही है, मेरी नीतियों की नहीं । इस सम्बन्ध में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं ।

आज पश्चिमी बंगाल में ३१,४२,००० विस्थापित हैं । उनके पुनर्वास तथा सहायता कार्यों पर १२० करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। आज से २ या २ $^{१}/_{२}$ वर्ष पहले बंगाल के कैम्पों में २ $^{१}/_{२}$ लाख विस्थापित थे परन्तु अब भी १,१०,००० विस्थापित शिविरों में हैं । बंगाल में विस्थापितों के तीन दौर आये । पहला दौर १९४८–४९ में था । उस समय आने वाले लोगों के ७·८ प्रतिशत भाग ने ही कैम्पों में दाखिला लिया । १९५० में आने वाले लोगों के २२·८ प्रतिशत भाग ने ही कैम्पों में दाखिला लिया । अर्थात् ४ आदमियों में से १ आदमी कम्प में दाखिल हुआ । किन्तु १९५५–५६ में आने वाले विस्थापितों के ५३ प्रतिशत भाग ने केम्पों में दाखिला लिया ।

कैम्पों को खोलने का काम और सारा करने का दुसरा काम राज्य सरकार का है । दाखिला भी राज्य सरकारें ही देखती हैं । चलो चारवेतिया और वेतिया की जिम्मेदारी मेरे ऊपर सही, पर पश्चिमी बंगाल के बारे में तो कहा जा सकता है कि वहां केन्द्रीय सरकार ने एक भी कम्प नहीं खोला । वहां ३२ लाख विस्थापितों में से ८ लाख केम्पों में जा चुके हैं । यह काफी बड़ी समस्या थी ।

अभी हाल ही में पश्चिमी बंगाल के विरोधी दलों के नेताओं से मेरी बातचीत हुई । वहां पर यह प्रश्न उठा कि क्या इन लोगों को बंगाल ही में बसाया जा सकता है या फिर उन्हें बाहर बसाया जाय ? वहां के पुनर्वास मंत्री ने तो मुझे यह कह दिया है कि कृषक विस्थापितों को बंगाल से बाहर बसाया जाय क्योंकि उनके लिये भूमि नहीं है ।

मुझे इस बात का भी पता चला है कि १९५४ में इस प्रकार का भी कोई निर्णय किया गया था कि जो विस्थापित १९५४ के जून मास के बाद वहां आयें, उन्हें राज्य से बाहर ही बसाया जाय ।

पर मेरे मित्रों ने मेरी निन्दा की है। वे अप्रत्यक्ष रूप से यह तो चाहते हैं कि यह मन्त्रालय बना रहे—पंडित ठाकुर दास तथा श्री अचिंत राम आदि भी ऐसा ही चाहते हैं। मैं समझता हूं कि पश्चिमी बंगाल विधान-सभा ने भी एकमत होकर यह संकल्प पारित किया है कि मंत्रालय को समाप्त न किया जाय। इन बातों का श्रेय मैं अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। बंगाल के विरोधी दलों के नेताओं ने मुझे यह कहा कि वे श्री पी० सेन की इस बात से सहमत नहीं हैं कि बंगाल में और कृषि योग्य भूमि नहीं है।

इस सम्बन्ध में, मैं भी अपनी राय खुले तौर पर दूंगा। डा० सुरेश बैनर्जी ने मुझे बताया बंगाल में भूमि उपलब्ध है। मैंने उन्हें यही कहा था कि विस्थापितों को चाहे बंगाल में बसाया जाय चाहे दण्डकारण्य में, खर्च का सारा रुपया केन्द्रीय सरकार को देना होगा। अतः मेरे लिये इसमें कोई अन्तर नहीं कि किस को कहां बसाया जाता है। मैंने उन्हें यही बताया था कि इस मामले का निर्णय राज्य सरकार के हाथ में है। इसलिये जब मेरे साथी, बंगाल के पुनर्वास मन्त्री यह कहते हैं कि बंगाल में भूमि हासिल करने की ज्यादा गुंजाइश नहीं है तो मैं भी यही समझता हूं कि अब बंगाल में और लोगों को बसाने की गुंजाइश नहीं है। वस्तुतः गुंजायश तो काफी पहले ही खत्म हो चुकी थी।

मैं सभा के सामने केवल यह बात रखना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति यह न समझे कि भारत सरकार विस्थापितों को बंगाल से बाहर निकालना चाहती है या हम उन्हें जबरदस्ती बाहर निकाल रहे हैं।

मैं तो स्पष्ट रूप से यह कहता हूं कि यदि इन विस्थापितों को पश्चिमी बंगाल में बसाया जा सकता है तो बंगाल सरकार योजनायें बनाये और हमें बताये कि उन्हें कितनी रकम इस कार्य के लिये चाहिए। वे हमें यह भी बता दें कि इस सारी समस्या का पूरा हल किस समय तक किया जा सकता है। उदाहरणार्थ आज पश्चिमी बंगाल में २५,००० कृषक परिवार हैं और यह कहा जाता है कि १०,००० परिवारों को उसी राज्य में बसाया जा सकता है। बन नाम योजना में प्रति परिवार ३००० से ४००० रुपये तक का खर्च होगा। इसे १०,००० से गुणा करने पर लगभग १० करोड़ की रकम बैठती है। वे यह रकम हम से ले लें। मैं किसी राज्य की योजना नहीं बनाता।

इस के बाद आप यह कहें कि हम इन परिवारों को एक वर्ष से अधिक समय में बसा सकते हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि एक मास में १००० परिवार बसाये जा सकते हैं। तो उस महीने के लिये १०,००० के लिए पूरी सहायता ले, फिर ९००० के लिए और तीसरे महीने ८००० के लिए—इस प्रकार धन ले लो और हमारा भार हल्का करो। किन्तु कार्यक्रम पक्का होना चाहिए; इसका समाधान होना आवश्यक है।

आखिर कैम्पों में ८/१० वर्ष से विस्थापित बैठे हुए हैं। उन पर अब तक ५५ करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, जो बहुत बड़ी रकम है। इस पर भी मुझ पर आरोप लगाया जाता है कि मैं विस्थापितों को कैम्पों से बाहर फिकवा रहा हूं। जब हमने इस कार्यक्रम को आरम्भ किया था, उस समय कैम्पों में २,६४,००० व्यक्ति थे। उस समय भारत सरकार तथा राज्य सरकार के पदाधिकारियों को मिली जुली समिति ने कैम्प दर कैम्प जाकर जांच की थी और पता लगाया था कि २,६४,००० व्यक्तियों में से केवल १२०००/१५००० व्यक्ति कैम्पों के योग्य थे। पर भारत सरकार ने शेष २,५०,००० व्यक्तियों की जिम्मेदारी सम्भाली। आपको बता दूं कि कैम्पों में कैसे कैसे आदमी थे। कैम्प में काम करने वाले सुपरिन्टेंडेंट के बच्चे भी कैम्प से सहायता लेते थे। ऐसे लोग भी थे जिन्हें परिवहन विभाग में प्रशिक्षण दिया गया था। मैं एक बस्ती का नाम नहीं लूंगा पर वहां के ३००-४०० परिवार, जिन्हें अच्छी खासी आमदनी थी, भी कैम्पों से ही अपने घरानों का खर्चा चलाते थे। भूमि के मूल्य के बारे में भी थोड़ा झगड़ा है। मालिक करीब ६०,००० चाहता है परन्तु राज्य सरकार शायद ३० से ३५ हजार

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

रुपये तक देने को तैयार हैं । उच्च-न्यायालय में भी उन्होंने दरख्वास्त दे रखी है । पिछले चार वर्ष में भारत सरकार को, इन कैम्पों के लिये करीब १६ लाख रुपये की अदायगी करनी पड़ी । इस लिये यदि आवश्यक हो तो ३०००/४००० ज्यादा दे दिया जाय । समस्या का हल करना ही ठीक है । जहां तक कैम्पों में रहने वाले विस्थापितों का सवाल है, उन्हें कहां बसाया जायगा, इस समस्या का समाधान राज्य सरकार स्वयमेव करेगी । भारत सरकार तो आवश्यक धन ही दे सकती है ।

दण्डकारण्य हमारी एक महत्वपूर्ण योजना है । हमने उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, धर्मजागा और अम्बिकापुर में हजारों विस्थापित परिवा ों को बसाया है । श्री हीरेन मुकर्जी यह देखेंगे कि जहां इन लोगों को बसाया गया है वहां से ये लोग भाग कर वापस बंगाल नहीं गये । उसका कारण यह है कि हमने प्रत्येक परिवार को गुजारे लायक जमीन दी है और यह कोशिश की है कि उनके लिये उनकी बिरादरी और भाई चारे का निर्माण किया जाय ।

दण्डकारण्य योजना १२ सितम्बर, १९५९ में शुरू हुई और इसका प्रबन्ध एक प्राधिकारी को सौंपा गया जिसे संसद् ने काफी अधिकार दिये थे । जैसे तैसे ट्रैक्टर, केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के पास उपलब्ध थे, उन्हें मैंने लिया । वे करीब करीब समाप्त हो चुके थे । किन्तु काम शुरू करना था इस कारण पुराने ट्रैक्टरों के अच्छे अच्छे पुर्जों से नये ट्रैक्टर बनवाये गये । हमने इन ट्रैक्टरों के साथ काम शुरू किया । किन्तु फिर हमें और ज्यादा ट्रैक्टरों की जरूरत हुई । हम सोचने लगे कि क्या हम ट्रैक्टरों को पश्चिम की ओर से मंगवायें या फिर पू ' की ओर से । मैं वस्तुतः विनिमय, मशीनरी या मुद्रा सम्बन्धी विषयों का विशेषज्ञ नहीं हूं । इन विषयों की थोड़ी सी जानकारी जो थी वह १९४७ से पूर्व थी । भारत में आने के बाद से मैंने कभी वित्त आदि की परवा नहीं की है; मेरे रुपये पैसे की परवा दूसरे ही करते हैं । मुझे अपने राजनीतिक पुनर्वास के बारे में भी ज्यादा पता नहीं है. क्योंकि यदि कांग्रेस में रहने के कारण मुझे इस पद की प्राप्ति हुई है तो मैं कांग्रेस का आभारी हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया । मैं यह नहीं बताना चाहता कि विस्थापित होने से पहले, मैं अपने प्रान्त में भी कुछ था । ये सब पुरानी बात हो चुकी हैं और मामूली बातें हैं । हजारों लोगों ने अपनी जाने दे दी हैं, पद की बात तो व्यर्थ की बात है । मैं तो जीवित हूं और मन्त्री के पद पर हूं और उस मन्त्रालय का प्रभारी हूं जिसमें यश की अपेक्षा अपयश ही अधिक मिलता है ।

जहां तक दण्डकारण्य का सम्बन्ध है, वहां सबसे पहले उन विस्थापितों को बसाया जायेगा जो कैम्पों में हैं ।

†श्रीमती रेणुका राय : क्यों ?

†श्री मेहर चन्द खन्ना : आप दूसरों के घर, दूसरों की जमीनें, उनके जंगल और उनके खनिज पदार्थ लेते हो । मैं उन लोगों को ज्यादा देने के लिये हो तो कह सकता हूं । बलपूर्वक उनसे कुछ छीन तो नहीं सकता । अतः आज सर्वप्रथम कैम्पों में बसने वाले लोगों तथा आदिम जातियों के पुनर्वास की समस्या है । यदि कल राज्य सरकार विस्थापितों को दण्डकारण्य ले जाना चाहे तो उनके लिये दरवाजे खुले हैं । इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा की सरकारों और वहां के मित्रों ने मुझे हर प्रकार का सहयोग दिया है ।

दण्डकारण्य योजना एक बुनियादी विचार पर आधारित है और वह आधार यह है कि हम अपने मकान, सड़कें, गांव स्वयं बनायेंगे और निर्माण कार्य में विस्थापित व्यक्तियों का पूरा पूरा सहयोग

---

†मूल अंग्रेजी में

प्राप्त किया जायगा। विस्थापितों और सरकार के बीच तीसरा आदमी न होगा। इसी कारण हमने पश्चिमी बंगाल के अनेक विस्थापितों को बुलाया है ताकि वहां पर सम्बन्धात्मक संगठन बन जायें।

मैं आज मुश्किल में हूं। यदि यह काम मैं बाहर वालों को दे दूं तो योजना का आधार ही बदल जायेगा और और लोग मुझ पर यह आरोप लगायेंगे कि मैंने वहां पंजाबी बुला लिये हैं। बंगाल वालों के बिना काम नहीं चल सकता। आज से चार छः महीने पहले इस योजना की स्थिति अच्छी नहीं थी। तब मैंने एक काम किया ठीक उसी तरह का जैसा कि श्री महन्ती ने कहा था, "आप एक ऐसा निकाय बनाइए जिसे ४० लाख तक के ठेके देने का अधिकार हो। उन्हें १५००/२००० रुपये मासिक वेतन तक के कर्मचारी रखने का भी अधिकार होना चाहिये।" चुनांचे पूरी सद्भावना के साथ मैंने ऐसा ही काम कर दिया। मेरे सामने उस समय दो चीजें थीं और वह यह कि यदि कैम्प जारी रखे जाये तो उन पर व्यर्थ व्यय होगा क्योंकि अब तक भी हम ५५ करोड़ रुपया सहायता कार्यों पर व्यय कर चुके हैं और दूसरे कैम्पों में विस्थापितों का जीवन भी अच्छी तरह नहीं गुजर रहा। इसलिये हमें दण्डकारण्य योजना में होने वाली थोड़ी बहुत हानि की कोई परवा नहीं थी। यद्यपि उस निकाय को पूरे अधिकार दिये गये थे परन्तु गलत काम हुए। दण्डकारण्य की सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं। मैंने ही वहां काम करने के लिये आदमी चुने थे।

मैं अब यह नहीं कहता कि हमने वहां अपार प्रगति की है केवल यही कह सकता हूं कि अब हम अच्छी प्रगति कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि योजना में खराबी पैदा हो जाने के समय कोई भी नहीं बोला, पर अब जबकि प्रगति हो रही है, मेरी आलोचना की जा रही है। मैंने पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री को निमन्त्रण दिया है कि वे अपने सचिवों सहित मेरे साथ दण्डकारण्य चलें और उस स्थान की प्रगति अपनी आंखों से देख लें। मैंने पश्चिम बंगाल की विधान-सभा के सभी दलों के सदस्यों को भी साथ चलने के लिये आमंत्रित किया है। लगभग १२ सदस्य २ मई को मेरे साथ जा रहे हैं। मैं अपने साथ वहां बंगाल के प्रमुख पत्रों अर्थात् अमृत बाजार पत्रिका तथा स्टेट्समैन आदि के सम्वाद-दाताओं को भी ले चलूंगा। इनके अलावा दूसरे पत्रों के प्रतिनिधि तथा श्री सी० के० भट्टाचार्य भी हमारे साथ जायेंगे।

कल ही मैंने पुनर्वास मन्त्रालय की सलाहकार समिति के सदस्यों को भी निमन्त्रण भेजा है। मैं इस अवसर पर इस सभा के प्रत्येक सदस्य को भी खुला निमन्त्रण देता हूं कि जिनकी इच्छा हो वे मेरे साथ चलें। मैं वहां अपना काम दिखाने उन्हें नहीं ले जा रहा हूं वरन् अपनी असफलतायें दिखाने के लिए तथा उनकी सलाह और उनके सुझाव प्राप्त करने के लिए उन्हें वहां ले जा रहा हूं। मेरी इच्छा है कि दण्डकारण्य योजना कामयाब हो। इससे मध्य प्रदेश और उड़ीसा की जनता को भी फायदा पहुंचेगा। दोनों राज्य इस योजना के लाभालाभ से परिचित हैं।

मैंने उड़ीसा और मध्य प्रदेश की सरकारों से भीख मांगी है। मुझे कहा गया था कि उड़ीसा आदि राज्यों की भी तो आबादी है। यह भी कहा गया कि क्या केन्द्र की यह कार्यवाही उचित है कि बाहर वालों को ही इस योजना का सारा फायदा मिले जबकि व्यय केन्द्र कर रहा है। मैंने उनसे मानवता के नाम पर भीख मांगी और कहा कि यह विस्थापित हमारे भाई हैं। आप भी इनकी सहायता करें।

एक राज्य के लोक-निर्माण विभाग के मन्त्री ने मुझ से पूछा था, "जब आप बाहर के लोग हमारे यहां ला रहे हैं और जब हमें योजना की क्रियान्विति की इजाजत थी तो यह काम अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं। क्या इससे स्थानीय जनता को हानि न होगी?" मैंने उत्तर दिया है कि ये सारी बातें ठीक हैं।

[श्री मेहरचन्द खन्ना]

उमरकोट में हम २०,००० एकड़ भूमि को खेती के योग्य बना रहे हैं और परालकोट में हम ३०,००० या ३५,००० एकड़ भूमि दे रहे हैं जिसमें से १५ या २० हजार एकड़ भूमि का कृष्यकरण किया जायेगा । यह सारी भूमि साथ लगते क्षेत्र में है ।

इसके अतिरिक्त हम पचास पचास परिवारों के छोटे छोटे गांव बनायेंगे और उन्हें ४०० एकड़ भूमि प्रति गांव देंगे । इसका यह तात्पर्य नहीं कि गांव दूर दूर होंगे । पर यह भी नहीं समझना चाहिये कि हम उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश की सारी भूमि पर ही कब्जा कर रहे हैं । हमने आंध्र में भी कुछ जंगल और जमीन ली है ।

माननीय मित्र श्री गुह ने पश्चिमी बंगाल विधान-सभा द्वारा पारित संकल्प का जिक्र किया । संकल्प के प्रथम भाग द्वारा उन्होंने कहा है कि पुनर्वास मन्त्रालय समाप्त न किया जाय; इसके लिये मैं उनका आभारी हूं । दूसरे भाग में उन्होंने कहा है कि विस्थापितों की भाषा तथा संस्कृति को अक्षुण्य रखने के लिये उनकी भाषा जानने वाले लोग ही योजना से सम्बद्ध किये जाये । इस बारे में प्रार्थना है कि दण्डकारण्य योजना के कर्मचारियों में से ४४ प्रतिशत लोग बंगाली ही हैं । किन्तु शिक्षा, चिकित्सा आदि विभागों में जो कि विस्थापितों के सांस्कृतिक जीवन से सीधा सम्बन्ध रखने वाले विभाग हैं, बंगालियों की संख्या बहुत ही ज्यादा है । चिकित्सा विभाग के १८२ लोगों में से १४० बंगाली हैं । शिक्षा विभाग में ५४ व्यक्तियों से ५१ बंगाली हैं । परिवहन संगठन ३१८ पदों में से १६९ पद बंगालियों से भरे गये हैं । इसी तरह बंगाली अफसरों की संख्या भी काफी है । तत्सम्बन्धी आंकड़े अभी हाल में मैंने बंगाल के मुख्य मन्त्री को दिये थे । यह आंकड़े कल मैं सदस्यों को पहुंचा दूंगा । वहां भी औसत प्रतिशत लगभग ४४ है । यदि इनमें उड़ीसा और मध्यभारत के बंगालियों को ले लिया जाय, क्योंकि वहां भी बोस या बसु हैं, तो इनकी प्रतिशत संख्या ४६ बैठेगी ।

हां, तो मैं कह रहा था कि कैम्पों को अनिश्चित समय तक जारी नहीं रखा जा सकता । आज कैम्पों में रहने वाले विस्थापितों की संख्या १,१०,००० हैं । हमें प्रत्येक व्यक्ति पर एक महीने में २५ रुपया खर्च करने पड़ते हैं । इसलिये मैं चाहता हूं कि अब इन लोगों को बसा ही देना श्रेयस्कर है । जितने लोगों को पश्चिमी बंगाल में बसाया जाय उतनों को वहां रख लिया जाय शेष को बसाने का उत्तरदायित्व हमारा होगा । हम उन्हें दण्डकारण्य ले जायेंगे ।

दण्डकारण्य में चार बड़े कार्यपालक अफसर हैं : अर्थात् (१) मुख्य प्रशासक, (२) इंजीनियरिंग विभाग का सदस्य, (३) वित्तीय सदस्य तथा (४) कृषि सदस्य । इनमें से एक है श्री वंध्योपाध्याय, एक दूसरे अफसर श्री सेन गुप्त को मैं वहां भेज रहा हूं । इस तरह चार बड़े अफसरों में यह दो बड़े अफसर बंगाली होंगे ।

दण्डकारण्य योजना की कठिनाइयों पर सोच विचार करने के लिये हमने एक समिति बनाई जिसमें तीनों राज्यों के मुख्य मन्त्री शामिल हैं । श्री राय ने सुझाव दिया कि इस समिति की बैठक तीसरे महीने दण्डकारण्य में होनी चाहिये। राय साहिब केवल महान् नेता ही नहीं वरन् हमें प्रेरणा भी प्रदान करते हैं । चाहे मैंने आज तक कितनी भी गलतियां क्यों न की हों पर बंगाली विस्थापितों के पुनर्वास के मामले में मैंने सदा ही उनसे परामर्श किया है ।

दण्डकारण्य विकास प्राधिकार में उड़ीसा और मध्यभारत राज्यों के मुख्य सचिव भी शामिल हैं । ये लोग हमारी सामान्य कठिनाइयों को दूर करते हैं । मैंने डा० राय से भी कहा था, "आप जिस तरह से इस समिति में शामिल होना चाहें उसका ठीक ठीक बोध मुझे करवा दीजिएगा ताकि मैं वैसा ही काम कर दूं क्योंकि इस योजना की सफलता के लिये मैं उनका आशीर्वाद चाहता हूं ।" यद्यपि

मैं इस योजना के बारे में किसी प्रकार के लक्ष्यों का निर्धारण नहीं करूंगा परन्तु फिर भी यह अवश्य कहूंगा कि थोड़ी कोशिश करने पर यदि हम २००० परिवारों को भी एक महीने में वहां बसायें तो ६-७ मास में ही, अर्थात् ३१ दिसम्बर से पहले पहले उनको वहां बसा सकेंगे—जो लोग वहां जाना चाहें, वहां चलें और जो लोग बंगाल ही में रहना चाहें वह जुलाई १९५८ के निर्णय के अनुसार ६ मास की सहायता लेकर वहां पर अपना कारोबार चलायें। जुलाई १९५८ के निर्णय का उल्लेख अनेक बार हुआ है; इसको डा० राय श्री प्रफुल्ल सेन, श्री अशोक सेन, श्री मोरारजी देसाई तथा मैंने सम्पन्न किया था। जब तक काम खत्म न हो तब तक तो मन्त्रालय कायम रहना चाहिये पर काम की समाप्ति के बाद उसे रखना भी उचित न होगा।

एक मित्र ने आंशिक रूप से बसाये गये विस्थापितों की बात कही। उनके लिये इस वर्ष हमने राज्य सरकार को ३ करोड़ रुपये देने की मंजूरी दी है। मैं पश्चिमी बंगाल के माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे अपनी सरकार के साथ बैठ कर यह मालूम करें कि पुनर्वास का कितना काम बाकी रह गया है और फिर उसे लिख लें। क्या मेरे सचिवालय के बन्द होने से पूर्व मुझे बाकी काम की जानकारी प्राप्त करने का हक नहीं है? उसके पश्चात् यह अनुमान लगाया जाय कि इस सारे कार्यक्रम पर कुल कितना खर्च होगा। यदि उसके बाद भी मैं अपनी जिम्मेदारी से टलना चाहूं तो मेरी भरसक निन्दा कीजिए। पर बाकी काम जानने का हक तो मुझे है ही।

†**श्रीमती रेणुका राय :** यही जवाब पहले भी दिया गया था।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** माननीय मेरी सहयोगिनी रह चुकी हैं। उनके शब्दों से मुझे बड़ा दुःख हुआ है। पहले कभी उन्होंने यह बात न कही।

†**श्रीमती रेणुका राय :** मैं यह समझती रही कि बाकी काम शीघ्र समाप्त हो जायगा परन्तु आशातीत समय इसमें लग रहा है।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना:** मैं आशा करता था कि मेरी यह बहन मुझे ठीक सलाह देगी और मैं इनके अनुभव से लाभ उठाऊंगा।

श्री ही० ना० मुकर्जी ने भी कुछ बातें कहीं। मुझे उनकी अलंकृत भाषा बड़ी प्रिय लगती है। जब वे बोलते हैं तो यदि ध्यान से न सुना जाय उनकी बातों में कोई भी आ सकता है। पर जब गौर से उनका भाषण पढ़ो तो उसमें कुछ भी सार नहीं होता।

उन्होंने विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने तथा क्षयरोगियों के बारे में कुछ बातें कहीं। लगभग ६ हजार क्षय रोगी हैं जिनमें से १ हजार कैम्पों में हैं और शेष पांच हजार बाहर हैं। ६०० बिस्तरों के अलावा जिन्हें हमने उनके लिये रिजर्व रखा हुआ है, हम कैम्पों वाले क्षय रोगियों को ७५ रुपया मासिक तथा बाहर वालों को ५० रुपया मासिक दे रहे हैं। हमें यह भी पता चला है कि इनमें से बहुत सों को क्षय रोग नहीं है। यदि पहले कभी यह रोग था भी तो अब तक उनका इलाज हो चुका है।

पश्चिमी बंगाल सरकार ने क्षय रोग विशेषज्ञों का एक दल नियुक्त किया था। श्री पी० के० सेन तथा श्री अलखधारी भी इस दल में सम्मिलित थे। मैं उन लोगों को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता। प्रत्येक रोगी के एक्सरे के लिये हमसे तीन लाख रुपये का अनुदान मांगा गया था। इस प्रयोजन के लिये बंगाल सरकार को ३ लाख रुपये का अनुदान दिया गया। विशेषज्ञों के प्रतिवेदन से हमें पता चला है कि उनमें से ४२ प्रतिशत लोग सहायता पाने के लिये अर्ह नहीं हैं। हम अपनी तरफ से किसी की सहा-

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

यता को नहीं रोकते पर यदि बंगाल सरकार के विशेषज्ञ ही यह कह दें कि इतने व्यक्ति निरोग हैं तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं। मैंने किसी क्षय रोगी को सहायता देना बन्द नहीं किया है। मैंने तो यह वक्तव्य दिया है कि यदि पश्चिमी बंगाल सरकार को किसी सच्ची बात का पता चलता है तो वह उसकी सूचना हमें दे दें। हम इस पर पुनः विचार करेंगे। तीन चार सौ मामलों में हमने सहायता को फिर से जारी किया है।

छात्रवृत्तियां लेने वाले विद्यार्थियों का मामला १९५० में शुरू हुआ। हम तभी से यह सहायता दे रहे हैं। दो वर्ष पहले दारजीलिंग में एक सम्मेलन हुआ था। श्रीमती रेणुका रे वहां नहीं थीं। उसमें बंगाल के सभी पुनर्वास मन्त्री शामिल थे। उस समय यह निर्णय किया गया था कि धीरे धीरे छात्र-वृत्तियों की रकमों में २० प्रतिशत की कटौती की जाय। दस बारह वर्ष के बाद विस्थापित को वह स्थिति नहीं रहती जो भारत आने के बाद होती है। उस समय ७०/८० लाख रुपया प्रतिवर्ष दिया जाता था। उसके बाद हमने २० प्रतिशत की कटौती शुरू की। गत वर्ष कुछ कटौती हुई फिर इस वर्ष कटौती की गयी। दोनों का फर्क १४ लाख रुपया है। इसके बाद डा० राय मुझे मिला और हमने एक निर्णय किया है कि जो भी लड़का, चाहे वह स्कूल में हो या कालेज में, यदि वह पढ़ने में अच्छा है, छात्र-वृत्ति प्राप्त करता रहेगा। उसके अध्ययन में बाधा नहीं डाली जायगी। यदि आवश्यक हुआ तो मैं १४ लाख तक की कमी को भी पूरा कर दूंगा। किन्तु इस कारण से कि यह योजना स्थायी न बने और अब इसका अन्त हो जाय, हम अब से नये विद्यार्थियों को सूचियों में शामिल नहीं करेंगे।

पूर्वी बंगाल के विस्थापितों की समस्या पर कुछ कहने के बाद मैं पांच मिनट तक पश्चिमी बंगाल के विस्थापितों के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। यह ठीक है मैं पहले ही काफी समय ले चुका हूं। और आप लोग भी थक गये हैं। परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं एक ऐसी नीति का अनुसरण कर रहा हूं जिस पर चल कर हम निश्चित समय के भीतर सारी समस्या को हल कर सकते हैं। समस्या चाहे कम्प में रहने वालों की हो या दूसरों की इसका अंदाजा लगाना आवश्यक है। उसके बाद जितना रुपया उनको क्रियान्वित करने के लिये चाहिएगा, उतना हम देंगे। पर राज्य सरकारों को इन योजनाओं की क्रियान्विति की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकारों को लेनी चाहिये। दण्डकारण्य योजना के बारे में मेरा निवेदन है कि जो माननीय सदस्य इसे देखने के इच्छुक हैं वे इसे देख लें और हमें सुझाव दें कि वे इसको ठीक तरह से पूर्ति कैसे चाहते हैं। यदि बंगाल सरकार इसके सम्बद्ध होना चाहती है तो हमें बता दिया जाय कि वह किस रीति से सम्बद्ध होना चाहती है। हम वैसा प्रबन्ध कर देंगे। यदि उनका कोई प्रतिनिधि वहां रहेगा तो हमारे विरुद्ध जितने अन्यत्र पत्र आदि भेजे जाते हैं वे तो नहीं भेजे जायेंगे। हमारी निन्दा तो न होगी।

मैं अपने बंगाली मित्रों से एक बात अवश्य कहूंगा। कुछ लोग मेरे पास आये और कहने लगे, "कृपया आप घोषणा कीजिये कि इस क्षेत्र में कभी कोई गैर-बंगाली नहीं बसाया जायगा।"

†**श्री अ० चं० गुह** : यह ठीक नहीं है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : यह बात आपत्तिजनक है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय सदस्य महसूस करते हैं कि यह बात सच है तो हमें उन्हें नहीं रोकना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ही० ना० मुकर्जी : माननीय मंत्री को कुछ आदमियों के कारण सारे बंगालियों को ऐसा नहीं बताना चाहिये था। उनका यह तरीका आपत्तिजनक है।

†उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ वह कहना चाहते थे कह चुके।

†श्री मेहर चन्द खन्ना : इस बात से विवाद नहीं उठना चाहिये, जो कुछ मैंने कहा है उसे मैं वापस लेने को तैयार हूं। खैर यह परियोजना, राष्ट्रीय परियोजना है। इसकी जिम्मेदारी सब के ऊपर है। इसका फायदा भी सभी को पहुंचेगा चाहे कोई पश्चिमी बंगाल का है या उड़ीसा का। जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैं पूर्वी बंगाल के विस्थापितों को सबसे अधिक फायदा पहुंचवाऊंगा।

पश्चिमी विस्थापितों के सम्बन्ध में दो या तीन समस्यायें हैं : एक तो छंटनी की है, दूसरी किंग्सवे बस्ती की और तीसरी है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, १९५९ के बारे में।

छंटनी के सम्बन्ध में मुझे बड़ा दुख है। यह खुशी की बात नहीं है कि जिन लोगों ने मेरे मन्त्रालय में १०-१२ वर्ष तक काम किया है उन्हें आज घर बिठा दिया जाय। मैंने तो सदा ही यह कहा है कि इस मन्त्रालय के किसी कर्मचारी का जीवन, चाहे वह छोटा क्लर्क है या बड़ा अफसर, सुखद नहीं है। मंत्री की स्थिति देख कर ही आप अन्य लोगों की स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। मानव जहां दुखी है, उसका दुख हमें बहुत आघात पहुंचाता है।

इसलिये कर्मचारियों की सहायता करने का एक तरीका है कि आप इस सभा में एक संकल्प पारित करें कि जब तक इस मन्त्रालय के कर्मचारी, चाहे वे बंगाल आसाम तथा त्रिपुरा के हों, न बसाये जायें तब तक इस मन्त्रालय को समाप्त न किया जाय।

हम लेखा परीक्षा और लोक लेखा समिति से कैसे छूट पा सकते हैं? कल मुझे लोक लेखा समिति प्राक्कलन समिति तथा लेखा परीक्षकों को इस बात का जवाब देना होगा कि ४८५,००० दावों में से केवल २५००० या ३०००० दावों के शेष रह जाने पर और एक मास में ८००० या १०००० दावों का निबटारा करते हुए जब काम ही दो या तीन मास का रह गया था तब विभाग को जारी रखने की क्या आवश्यकता थी।

हमने ३० प्रतिशत कर्मचारियों को नोटिस दे दिये हैं। मास दो मास के बाद शेष २० प्रतिशत लोगों को नोटिस दे दिये जायेंगे। अगले ६/८ महीनों तक ७०० प्रतिशत कर्मचारी कम कर दिये जायेंगे। अधिक से अधिक हम श्रम मन्त्री की मार्फत इन कर्मचारियों के नामों को रोजगार दफ्तरों में दर्ज करा सकते हैं। मैं रोजगार दफ्तरों का निदेशक रह चुका हूं। हम यह कोशिश करेंगे कि जिन लोगों की छंटनी हो उन्हें नौकरी पर दोबारा लगा लिया जाय।

मैं गृह मंत्री से भी मिल चुका हूं। उन्होंने एक परिपत्र निकाल दिया है कि जिन मन्त्रालयों में रिक्त पद हों उन्हें इसी विभाग के कर्मचारियों द्वारा भरा जाय। किन्तु इस समय की वास्तविक स्थिति यह है कि खाली पद थोड़े हैं, इसलिये पूरी कोशिश करने के बाद भी हम समस्त कर्मचारियों को शायद नौकरी न दे सकें।

जिन लोगों ने यह काम किया है वे हमारे ही हैं। यदि हम में थोड़ी सी मानवता हो तो हम कभी उन्हें दुखी न होने दें। जो कुछ सम्भव होगा हम उनके लिये करेंगे। पर इस समय ऐसा लग रहा है कि उन सब को शायद न खपाया जा सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या १५४१ मतदान के लिये रखा गया । लोक-सभा में मत विभाजन हुआ ; पक्ष में २८ तथा विपक्ष में १२८ ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या १५४२, १६८१ तथा १६८४ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं शेष कटौती प्रस्तावों को मतदान के लिये रक्खूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा शेष कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा पुनर्वास मन्त्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गयीं तथा स्वीकृत हुईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
७१	पुनर्वास मन्त्रालय . .	३०,९०,०००
७२	विस्थापित व्यक्तियों तथा अल्पसंख्यकों पर व्यय	. १८,५९,१६,०००
१२७	पुनर्वास मन्त्रालय का पूंजी व्यय . . .	. २०,३२,४८,०००

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्रालय की अनुदानों की मांग संख्या ६३ से ६५ और १२४ व १२५ पर चर्चा करेगी ।

जो माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहें वे १५ मिनट के अन्दर उनकी संख्या सभा पटल पर दे दें ।

वर्ष १९६०–६१ के लिये सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गयीं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
६३	सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय	२२,३३,०००
६४	बहुप्रयोजनीय नदी योजनायें	२,०५,०८,०००
६५	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय	१,६९,५२,०००
१२४	बहुप्रयोजनीय नदी योजना पर पूंजी व्यय .	२,४७,६९,०००
१२५	सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय का अन्य पूंजी व्यय . .	२,९७,०७,०००

†मूल अंग्रेजी में

सरदार इकबाल सिंह (फीरोजपुर) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इस मिनिस्ट्री ने अब तक जो काम किये हैं और अगले साल के लिय जो उन के प्रोग्राम हैं, में उन का समर्थन करता हूं । लेकिन साथ साथ मैं इस मिनिस्ट्री की वर्किंग की तरफ भी कुछ तवज्जह दिलाना चाहता हूं । पिछले कई सालों से इस हाउस में इस डिमान्ड को दोहराया गया है कि जो माइनर इर्रिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं वह भी इर्रिगेशन ऐंड पावर मिनिस्ट्री में शामिल करने चाहियें । यह इसलिए कि जहां तक माइनर इर्रिगशन प्रोजेक्ट्स का ताल्लुक है वह इस वक्त मिनिस्ट्री आफ फूड ऐंड ऐग्रिकल्चर के मातहत आती है । लेकिन उन पर जितना कम काम होता है, और जितना समय उन पर लगता है, उस की वजह से लोगों को कितनी तकलीफें होती हैं इस का अन्दाज़ा आप कर सकते हैं । हर साल इस हाउस में इस बात को दोहराया जाता है कि चूंकि मिनिस्ट्री आफ फूड ऐंड ऐग्रिकल्चर के पास न तो टेकनिकल नो हाऊ है और न वह इन प्रोजेक्ट्स को ठीक से एग्जामिन कर सकती है, न उन पर काम कर सकती है, इसलिये यह माइनर प्रोजेक्ट्स जो हैं वह मिनिस्ट्री आफ कम्यूनिटी डेवेलपमेंट के पास चली जायें, और जो उन से बड़ी प्रोजेक्ट्स हैं, कम से कम ५०,००० रु० से ऊपर की, वह मिनिस्ट्री आफ इर्रिगेशन ऐंड पावर के पास चली जायें । अगर ऐसा किया जायेगा तो चाहे वह स्टेट्स के मातहत हों, चाहे उन का सुपरविजन सेन्टर के पास हो, उन का जो लैप्स रेशियो है वह बहुत कम हो जायेगा । आज उन का लैप्स रेशियो १५ परसेन्ट से लेकर ६५ परसेन्ट तक है । अगर १०० कामों में से ६५ काम कहीं पर न हों, तो आप जान सकते हैं कि लोगों पर उस का क्या असर हो सकता है । इसलिये सब से पहले मैं यही कहना चाहता हूं कि जो माइनर इर्रिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं अगर वह ५०,००० रु० से ऊपर की हों तो उन को इस मिनिस्ट्री के नीचे रहना चाहिये ताकि उन पर ठीक से काम हो सके । अगर १० लाख रु० की भी प्रोजेक्ट हो तो भी वह इर्रिगेशन ऐंड पावर मिनिस्ट्री के अन्दर होनी चाहिए क्योंकि १० लाख रु० की स्कीम बहुत बड़ी स्कीम होती है । उस के जरिये कई हजार एकड़ जमीन का पानी देना होता है, उस में इंजीनियर्स की जरूरत होती है, जो कि दूसरी मिनिस्ट्री के पास नहीं होते । न उन के पास किसी प्रोजेक्ट को टेकनिकली एग्जामिन करने का इन्तजाम होता है और न वह उस को एग्जिक्यूट कर सकती हैं । खास तौर पर वह इलाके जहां पर माइनर इर्रिगेशन का काम आज कल हो रहा है, आज जहां पर उन की प्रोजेक्ट्स चल रही हैं, वहां पर काम ऐसे ढंग से हो रहा है कि मालूम होता है कि बहुत कम काम हुआ है । मैं यह मान सकता हूं कि जो छोटे छोटे तालाब वगैरह हैं, जो कि आज-कल किसी इलाके में चल रहे हैं वह मिनिस्ट्री आफ कम्यूनिटी डेवेलपमेंट को दिये जायें, लेकिन जो बड़े बड़े काम हैं, वह तो इसी मिनिस्ट्री के पास होने चाहियें ताकि उन कामों पर ज्यादा तवज्जह दी जा सके और उन कामों से ज्यादा लोगों का लाभ हो सके । जहां तक सेकेन्ड फाइव इयर प्लैन के टार्गेट का सवाल है, ४० लाख एकड़ के करीब माइनर इर्रिगेशन प्रोजेक्ट्स का टार्गेट है । लेकिन इस सिलसिले में कागजी कार्रवाई चाहे जितनी हो, वह ५ या ७ लाख एकड़ से ज्यादा जमीन को पानी नहीं दे सकेंगे ।

इस के बाद मैं कुछ सेंट्रल वाटर ऐंड पावर कमिशन के बारे में कहना चाहता हूं । सेंट्रल वाटर ऐंड पावर कमिशन ने जो काम इस देश में किया है वह सराहना और तारीफ के काबिल है । उन्होंने जिस ढंग से हिन्दुस्तान की तमाम प्रोजेक्ट्स को एग्जामिन किया है, जितनी इम्पार्शली इस काम को किया है, उन के टेकनिकल विंग ने जितनी राय दी है, या जितनी प्रोजेक्ट्स पर काम हुआ है, हिन्दुस्तान के भीतर ही नहीं, बाहर भी उस की तारीफ हुई है । लेकिन जिस तरह से इस मिनिस्ट्री का काम बढ़ता जाता है, उस के साथ यह लाजिमी है कि सेंट्रल वाटर ऐंड पावर कमिशन को और मजबूत किया जाय ताकि यह सब काम जल्दी हो सकें, यह सब काम अच्छे ढंग से हो सकें, हर प्रोजेक्ट्स अच्छे ढंग से एग्जामिन हो सके और अगर उन में किसी खास किस्म के नुक्स हों तो वह निकल सकें, जिन प्रोजेक्ट्स का इम्प्लिमेंटेशन हो उन की निगरानी अच्छे ढंग से

[सरदार इकबाल सिंह]

हो सके। उस को मजबूत भी करना चाहिए और उस के साथ साथ उस को दो तीन हिस्सों में तकसीम करना चाहिए। उन में से एक हिस्सा प्लैनिंग के साथ डील करे। आप जानते हैं कि आजकल हिन्दुस्तान में कितनी प्रोजेक्ट्स चल रही हैं। उन को पहले एक सूबे में बनाने के लिए तजवीज किया गया, फिर उस के बाद दूसरे सूबे की सरकार ने यह कहा कि वहां के बजाय वहां इस को बनना चाहिए, फिर तीसरी स्टेट ने कहा कि नहीं यहां के बजाय यहां बनना चाहिए, इसलिए प्लैनिंग का जो हिस्सा हो उस को और ज्यादा मजबूत करना चाहिए। इस समय जो टेकनिकल एग्जामिनेशन होता है उस को भी सेंट्रल वाटर ऐंड पावर कमिशन करता है, उसी में कुछ डाइरेक्टर्स बढ़ा कर तमाम स्कीम्स को अच्छे ढंग से एग्जामिन होना चाहिए, इस के लिए भी इस विंग को ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है।

दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है वह इन्स्पेक्शन की है। आप जानते हैं कि आजकल कहीं पर भी ठीक इन्स्पेक्शन नहीं हो पाता है। अगर कोई स्कीम्स बनती हैं और उन में नुकायस रह गये तो उन पर रिपेअर रेशियो बहुत ज्यादा आता है और रिपेअर की कास्ट भी ज्यादा आती है। आज इसकी बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं। स्कीमों का ठीक से इन्स्पेक्शन न होने की वजह से उन में नुक्स रह गये और उन से बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो सका। पंजाब में एक ऐसी मिसाल हुई थी। भाखरा की नहर जिस दिन निकली, उस के नीचे का एक साइफन उसी दिन टूट गया, यह कोई पांच या छः साल पुराना किस्सा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सेंट्रल वाटर ऐंड पावर कमिशन के अन्दर इन्स्पेक्शन अच्छा हो इस के लिए उस के मातहत एक इन्स्पेक्शन सेल या डाइरेक्टोरेट होना चाहिए। एक ऐसा इंडेपेन्डेन्ट विंग होना चाहिये जो देखे कि जो भी काम होता है वह स्टैन्डर्ड के मुताबिक होता है, वह ठीक ढंग से होता है। आज इन्स्पेक्शन का काम भी उन इंजीनियर्स के पास है जिस के मुताल्लिक कहा गया कि एग्जिक्यूशन वालों के साथ उसे नहीं होना चाहिए। आज जो एग्जिक्यूशन का काम है वह भले ही सूबे की सरकारों के पास हो, लेकिन जो इन्स्पेक्शन का काम है वह सेंट्रल वाटर ऐंड पावर कमिशन के पास होना चाहिए और उस के इन्स्पेक्शन विंग को मजबूत कर के उस के पास रखना चाहिए। आज हिन्दुस्तान में कोई अदाद शुमार रिपेअर्स के बारे में नहीं मिल सकते। लेकिन इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि पहले के बजाय आज जो रिपेअर रेशियो है जो नये बने हुए डैम्स हैं, नये बने हुए पुल हैं, नई बनी हुई नहरें हैं, उन पर बहुत ज्यादा है। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि रिपेअर रेशियो को कम करने के लिए इस मिनिस्ट्री को और साधन ढूंढने चाहियें ताकि इस देश का जो रुपया है वह ठीक ढंग से खर्च हो, फाल्स एकानमी में खर्च न हो। यह न हो कि किसी इंजीनियर ने एक साल में कुछ रुपया बचा दिया है लेकिन उस से बड़ा नुकसान हो जाय ५ या ६ लाख का। इस तरह से कोई फायदा देश का नहीं हो सकता है। इसलिए रिपेअर रेशियो पर इस मिनिस्ट्री को हर साल डिफरेंस प्रोजेक्ट्स के बारे में फिगर्स देने चाहियें ताकि यह पता चल सके कि इस बारे में किस किस्म का काम किया गया है।

इसके बाद जो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं वह कैनाल वाटर डिस्प्यूट के बारे में है। इस वक्त दुनिया में और हिन्दुस्तान में कम से कम यह असर है कि कैनाल वाटर डिस्प्यूट हल होने को है। सब की यही ख्वाहिश है कि यह हल हो जाय ताकि जिन हिन्दुस्तान के लाखों, करोड़ों इन्सानों की जिन्दगी वाटर डिस्प्यूट के हल होने पर निर्भर करती है, उन की जिन्दगी में बेहतर दिन आ सकें। लेकिन जहां मैं यह आशा करता हूं वहां प्रैक्टिकल बात को देखते हुए मुझे आस्मान

पर बादल नजर आते हैं। हिन्दुस्तान का केस मुझे इस किस्म का केस नजर आता है जैसे कि वह जहाज जो कि तूफान में हो और जिस के लंगर कट चुके हों, जिस को आगे नजर आता हो और न पीछे नजर आता हो। जिन बातों पर हम अपने देश को मजबूत कर रहे हैं, सन् १९४८ का जो एग्रिमेंट था, मैं नहीं कहता कि हम ने उसे छोड़ दिया, लेकिन उस के बजाय और बातें हिन्दुस्तान के सामने, वर्ल्ड बैंक के सामने और उस डिस्कशन में कुछ ज्यादा हुईं। हिन्दुस्तान का जो केस था वह अच्छे ढंग से पुट नहीं किया जाता। जो इतना मजबूत ऐग्रिमेंट था, जिस में इतनी मजबूत बातें थीं और जिन पर पाकिस्तान की सरकार के चलाने वालों के दस्तखत थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर के दस्तखत थे, उन के गवर्नर जेनरल के दस्तखत थे, आज उन बातों को छोड़ दिया गया है। आज हम बिल्कुल एक नई दुनियां में चलते हैं। मुझे आशा है कि ऐग्रिमेंट कामयाब हो जायेगा, लेकिन उस में मुझे कुछ शक नजर आता है। जिस ढंग से पाकिस्तान ने बंगलिंग की है इस कैनाल वाटर डिस्प्यूट में उस से मुझे नजर आता है कि वह लोग इस को दिल से हल नहीं करना चाहते। इसलिए हल नहीं करना चाहते कि उन की सरकार को चलाने वाले जो लोग हैं वह इसी बात पर निर्भर करते हैं कि वह कश्मीर के मामले को, कैनाल वाटर डिस्प्यूट के मामले को चलाते रह कर अपने राज्य को कायम रख सकें। इसलिए नहीं कि उन को पाकिस्तान के लोगों से कुछ प्यार है, बल्कि इसलिए कि वह इस तरह के साइकालाजिकल ऐटमास्फिअर के ऊपर जिन्दा रहना चाहते हैं। पहले यह चीज़ ६० करोड़ से शुरू हुई थी, लेकिन आज हिन्दुस्तान में और दुनियां में खबरें छपती हैं कि वह ८१ करोड़ तक पहुंच चुकी है। आज पाकिस्तान ने कुछ कदम तय कर लिये हैं। मेरी ख्वाहिश है कि यह मामला हल हो जाय, लेकिन फिर भी मुझे जल्दी हल होते नजर नहीं आता। इस मामले में मैं एक बात जरूर चाहता हूं। जिस ढंग से हमारे पाटिल साहब ने दो साल पहले इस ऐवान में कहा था कि हम सन् १९६२ के बाद उन को पानी नहीं देंगे, आज मोहतरम हाफिज साहब की तरफ से भी यह डिक्लरेशन होना चाहिए। आज जब कि तमाम दुनियां में शक की निगाहें इस सिलसिले में उठ रही हैं, तो उन की तरफ से इस का ऐलान होना जरूरी है। वाजे किस्म का एक एलान होना चाहिये। अब इन बातों में जो एक सीक्रेंसी होती है तो मैं उस से इंकार नहीं करता और मैं मानता हूं कि उन के सम्बन्ध में कुछ सीक्रेसी हो सकती है। लेकिन मैं पूछता हूं कि पाकिस्तान के जो सरकारी अखबार हैं उन में इन के बारे में ज्यों की त्यों खबरें दी हुई हैं और इस के अलावा दुनिया के दीगर अखबारों में भी वे तमाम चीजें निकलती हैं। लंदन एकोनामिस्ट सारी की सारी स्कीम्स को पबलिश कर देता है लेकिन हिन्दुस्तान के अखबारों में वह तमाम चीजें और स्कीम्स यह कह कर शाया नहीं की जाती हैं कि इस में सीक्रेसी एनवौलव्ड है। अब मैं इस से इन्कार नहीं करता कि जो वाकई में सीक्रेट स्कीम्स और चीजें हों उन को अखबारों में शाया न करें लेकिन इतना जरूर चाहता हूं कि इस केनाल वाटर डिस्प्यूट के सिलसिले में इस बात को हमारी सरकार को ध्यान में रखना चाहिये कि इस के बारे में जहां हमारे लोगों की यह जबर्दस्त ख्वाहिश है कि यह नहरी पानी विवाद पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बीच जो चल रहा है यह शीघ्र सुलझे लेकिन उसी के साथ उन की यह भी ख्वाहिश है कि यह विवाद ऐसे ढंग से हल हो जिस में कि हिन्दुस्तान के लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला हो और उन के हितों को किसी तरह की आंच न पहुंचे। पाकिस्तान सरकार के साथ इस बारे में समझौता करने के लिये गवनमेंट आफ इंडिया को किसी किस्म की कमजोरी नहीं दिखानी चाहिये क्योंकि इस बारे में हिन्दुस्तान का स्टेण्ड बिलकुल सही और इन्साफ पर मबनी है। उस का स्टेण्ड मजबूत है और इसलिये उस को इस बारे में किसी किस्म की कमजोरी नहीं दिखानी चाहिये। अब किसी जगह पर पोलिटिकल लेविल पर भले ही कोई अन्य फैसला हो जाय लेकिन जहां तक इंसाफ का ताल्लुक है और हमारे स्टेण्ड का ताल्लुक है वह चूंकि सही है इसलिये उसी आधार पर इस बारे में फैसला होना चाहिये और अन्य कोई फैसला हो नहीं सकता।

[सरदार इकबाल सिंह]

इसी सिलसिले में मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि अगर इस नहरी पानी विवाद का फैसला हो जाता है तो जो पानी बचेगा उसे काम में लाने के लिये कम से कम गवर्नमेंट आफ इंडिया को जल्दी से जल्दी ऐसी स्कीमें बनानी चाहियें ताकि उस पानी को हम जल्दी से जल्दी इस्तेमाल कर सकें। सरहिन्द कैनाल फीडर को जल्दी से जल्दी मुकम्मिल करना चाहिये। इसी तरह राजस्थान कैनाल को भी जल्दी ही मुकम्मिल करना चाहिये। इस के अलावा व्यास और थीन डैम्स को भी जल्दी से जल्दी मुकम्मिल करना चाहिये। यह सब काम करने सिर्फ इसीलिये जरूरी नहीं हैं कि हमारे हिस्से में जो पानी आये उस का फायदा हिन्दुस्तान के लोगों को ज्यादा से ज्यादा पहुंचे बल्कि इसलिये भी यह काम जल्दी पूरे किये जाने चाहियें कि अगर उन स्कीमों पर हम इस नहरी पानी विवाद के फैसले के बाद काम करना शुरू करेंगे तो वह काम हल नहीं हो सकेगा और उस में बहुत अधिक साल लग जायेंगे और इस तरह उस फैसले का हमें काफी लाभ नहीं हो सकेगा।

अब पंजाब और राजस्थान में बहुत छोटी छोटी स्कीमें हैं जिन को कि मुकम्मिल किया जाना बहुत जरूरी है और जैसे कि मैंने बताया सरहिन्द कैनाल फीडर और दादरी की स्कीमें हैं। उन तमाम स्कीमों पर और ज्यादा तेजी के साथ काम करना चाहिये ताकि जिस दिन भी इस बारे में फैसला हो तो जो पानी हमारे हिस्से में आये उस पानी का हम अधिक से अधिक इस्तेमाल कर सकें और लोगों की बेहतरी के लिये उसे इस्तेमाल में लाया जा सके।

इस के बाद मैं पंजाब की वाटर लौगिंग के सिलसिले में कुछ कहना चाहता हूं। जिस दिन पाकिस्तान और हिन्दुस्तान बने थे तो पंजाब में ७ लाख एकड़ के करीब वाटर लौगिंग का इलाका था और जोकि हर साल २, ३ लाख एकड़ के करीब बढ़ता ही चला गया और आज पोजीशन यह है कि ३५ लाख के करीब वाटर लौग्ड एरिया है और ९, १० लाख एकड़ के करीब ऐसा इलाका है जहां पर कि पानी का लेविल ५ फुट से ले कर १० फुट तक है और हालत यह है कि बरसात के दिनों में वहां पर पानी का लेविल एक एक फुट और कहीं कहीं पर तो तीन तीन फुट तक हो जाता है और उस इलाके में फिर किसी किस्म की खेती नहीं हो सकती। इस तरह मैं समझता हूं कि पंजाब में कोई ४०, ४५ लाख एकड़ का इलाका वाटर लौग्ड है और जब तक कि आप इस मसले को मजबूती और तेजी से हल नहीं करेंगे तब तक पजाब के उस वाटर लौग्ड एरिया को रिलीफ नहीं मिल सकेगी। अब पंजाब में पांच प्रोजेक्ट्स मंजूर हुए हैं, फाजिलका, जीरा, हांसी और तरनतारन और इन प्रोजेक्ट्स पर केन्द्रीय सरकार को ज्यादा से ज्यादा रुपया देना चाहिये लेकिन खाली यह प्रोजेक्ट्स से ही सारा मामला हल होने वाला नहीं है। जब तक पंजाब के बाकी इलाके की वाटर लैविल आप दस फुट से नीचे नहीं लायेंगे तब तक वह इलाका खती करने के लायक नहीं हो सकेगा। यह वाटर लौग्ड एरिया हर साल बढ़ता जाता है और इस के लिय मेरी गुजारिश है कि पंजाब गवर्नमेंट को ज्यादा रुपया देना चाहिये। एक बात यह भी है कि वाटर लौगिंग की स्कीमों को फ्लड्स कंट्रोल के साथ शामिल नहीं करना चाहिए क्योंकि यह मसला ही मुख्तलिफ है। इस मसले की बैकग्राउन्ड ही मुख्तलिफ है। अब जो यह फ्लड्स आते हैं तो ५, १० या २० दिन के लिय लोगों को बहुत मुसीबत हो जाती है और वह मसला खत्म हो जाता है लेकिन वाटर लौगिंग का मसला एक परमानेंट मसला है। मैं खुद जानता हूं कि फीरोजपुर, अमृतसर, लुधियाना, हिसार और संगरूर में एसी जगहें हैं जहां कि ५, ५ और ६, ६ साल से फसलें नहीं हुईं। आप जान सकते हैं कि उन इलाकों के लोगों की क्या हालत होगी और उन की एकोनामिक कंडीशन किस किस्म की होगी। उन में भी सैंकड़ों किस्म के तकावी लोन हैं। कुछ खन्ना साहब के हैं और कुछ पंजाब गवर्नमेंट के हैं। फर्टिलाइजर्स के लोन्स हैं अब हमारी कपेसिटी टु पै नहीं है तो हम दे तो कहां से। जिस इलाके में पिछले ३, ४ या ६ सालों

से फसल नहीं हुई तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि उन के पास पसा कहां से आ सकता है। में चाहता हूं कि इस वाटर लौगिंग के मसले को हल करने के लिये भविष्य की स्कीमे बनानी चाहिएं और जो नहरें निकालनी हैं उनमें एसे ढंग से पानी निकालना चाहिय कि वाटर लौगिंग का कम से कम खतरा हो। में भी कहता हूं कि जो आप राजस्थान कैनाल निकालने लग हैं उस से खतरा है कि जिस इलाके से राजस्थान कैनाल जायगी उस इलाके में १० साल से लेकर १५ साल के अर्से में वाटर लेविल १५, २० फुट के पास हो जायगा। आज की एकोनामी को छोड़ कर अगर आप फ्यूचर के लिये उस नहर को प्लान नहीं करेंगे तो हालांकि वह नहर हिन्दुस्तान के बहुत से हिस्सों के लिय फायदेमन्द साबित हो सकती है लेकिन इस वाटर लौगिंग की वजह से उन इलाकों में जहां कि वह जायगी लाभ के स्थान पर नुकसान अधिक होने का खतरा बना रहता है। इसलिय में चाहता हूं कि जो नहरें हैं वे फ्यूचर के लिये इस तरह से प्लांड हों कि हमारे इंजीनियस जोकि मिश्र में गये हैं उन्हों ने वहां पर देखा है कि मिश्र में दो किस्म की नहरें होती हैं। वहां पर डबल चैनल वाली नहरें होती हैं एक चैनल से पानी आता है और दूसरी चैनल ड्रेन औफ करने के लिए होती है। में चाहता हूं कि यहां पर भी कुछ उस तरह का बन्दोबस्त किया जाय और इस तरह की डबल चैनल्स बनाई जांय ताकि एक से तो होकर खतों को पानी जाय और दूसरी चनल से वह ड्रैन औफ हो सके और अगर वे ऐसी वाटर चैनल्स नहीं बनायेंगे और कनाल्स के ड्रेनेज के लिए और कोई जरिया नहीं निकालेंगे तो वह इलाका १०, १५ साल के बाद वाटर लौग्ड हो जायगा और उस इलाके के लोग यह कहेंगे कि यह नहर हमारे फायदे के लिये लाई गई थी लेकिन अब हमें इनकी जरूरत नहीं क्योंकि इनसे नुकसान अधिक हो रहा है और आप इन्ह उठा कर ले जाओ। ऐसे इलाके मौजूद हैं जहां पर कि लोग यह कहते हैं कि इस नहर की हमें कोई जरूरत नहीं है और इस नहर को बन्द कर दीजिये और इस नहर को उठा लीजिये। इसलिये में यह चाहता हूं कि वाटर चैनल्स और वाटर लौगिंग की चनल्स साथ साथ खोदी जाये जिससे कि पानी की सीपेज अच्छी तरह हो सके और पानी की जो लेविल है वह नीची रहे। इस तरह उस इलाके की खुशहाली भी कायम रक्खी जा सकती है और उस इलाके के लोगों वाटरलौगिंग का भी खतरा नहीं हो सकता है। अब पंजाब गवनमेंट को फ्लड्स कंट्रोल और वाटर लौगिंग के सिलसिले में पांच सालों में ३ करोड़ ६५ लाख रुपया मिला है। वह रुपया तकरीबन उन्होंने खच कर लिया है। पिछले साल एक करोड़ रुपया मिला था वह इस साल तक दिया जायगा और कुछ रुपया उन को और मिलेगा जो कि शायद ६ महीने में पहुंचना था। परमानेंट बेसिस पर पंजाब को ज्यादा से ज्यादा ग्रांट देनी चाहिये। इस तरह की एडहौक ग्रांट्स से इन को पूरा फायदा नहीं हो सकता। एक स्कीम चलती है पांच, दस साल में वह चैनल्स बन्द हो जाती हैं। अगली बरसात में वह चैनल्स की चैनल्स खराब हो जाती हैं और उन का कोई फायदा नहों हो सकता। उस पर बहुत सा खर्चा आता है। कहीं पर पुल बनाने होते हैं, कहीं पर नहर के पुल बनाने होते हैं, कहीं नहर के नीचे से, कहीं नहर के ऊपर से पुल बनाने होते हैं। कहीं रेल की पटरी के पुल बनाने होते हैं। वह नहीं बन पाते। बहुत जगह हमने देखा है कि इन एड हाक ग्रान्ट्स से नुकसान ज्यादा हुआ है। इसलिए इस के वास्ते परमानेंट स्कीम होनी चाहियें और पंजाब गवर्नमेंट को परमानेंट ग्रांट देनी चाहिये। जब तक आप तीसरी प्लान में पंजाब को दो करोड़ या तीन करोड़ की परमानेंट ग्रान्ट नहीं देंगे तब तक पंजाब का वाटर लागिंग का मसला हल नहीं हो सकता।

इसके अलावा में फ्लड कंट्रोल के सिलसिले में कुछ कहना चाहता हूं। एक तो में यह कहना चाहता हूं कि डिफरेंट हैड्स होने चाहियें। इन की स्कीमों का अलाहिदा अलाहिदा एग्जीक्यूशन होना चाहिये, पंजाब को या दूसरे सूबों को जो रुपया फ्लड कंट्रोल के लिये मिलता है, अगर प्लानिंग कमीशन को कट लगाना होता है तो सब से पहले इस किस्म की स्कीमों पर कट लगाया जाता है। इस सिलसिले में में मिनिस्ट्री से यह कहना चाहता हूं कि उसको प्लानिंग कमीशन के आगे अपने केस

[सरदार इकबाल सिंह]

को मजबूती के साथ प्लीड करना चाहिये कि इस स्कीम पर कट न लगाए जायें और जो कट हुआ है उसको रेस्टोर होने के बाद थर्ड प्लान में इस काम के लिये पूरा रुपया मिलना चाहिये, ताकि जिन इलाकों में फ्लड का खतरा रहता है वहां हमेशा के लिये कोई न कोई बन्दोबस्त किया जा सके ।

इसके बाद मैं बिजली के सिलसिले में कुछ कहना चाहता हूं । पंजाब में और बहुत सी स्टेटों में आपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाये हैं । म समझता हूं यह ठीक काम है । लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को डील करना होता है लोगों के साथ । लेकिन अगर आप किसी मैशिनरी को बिल्कुल ब्यूरोक्रेटिक बना देते हैं और सिर्फ यही देखते हैं कि इससे कितना पैसा आता है, तो उस मैशिनरी से आम लोगों को पूरा फायदा नहीं पहुंच सकता । आप यह कह सकते हैं कि हम ने ५ पर सेंट नफा दिखाया, या १० पर सेंट नफा दिखाया या ६ पर सेंट या ७ पर सेंट नफा दिखाया, लेकिन आम लोगों के साथ उसका रिश्ता अच्छा नहीं हो पाता । और दूसरी बात यह है कि जो स्टेटों के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं उनमें यह रिवाज होता चला जाता है कि वह बड़ी बड़ी फैक्टरियों में से किसी एक को बल्क सप्लाई कर देते हैं और उनको इकट्ठा पैसा मिल जाता है । वह यह देखना गवारा नहीं करते कि इस देश में गांव हैं, छोटे छोटे काम करने वाले हैं, छोटे छोटे दस्तकार हैं । अगर यही बिजली उनको दी जाये तो हजारों आदमियों को एम्पलायमेंट मिल सकता है । हजारों घरों में रोशनी हो सकती है । इसके बजाये वह यह करते हैं कि जैसे पंजाब में नंगल फरटीलाइजर फैक्टरी को और उत्तर प्रदेश में रिहन्द एल्यूमीनियम फैक्टरी को बिजली दे देते हैं ताकि प्लानिंग कमीशन को कह सकें कि पंजाब को जो ३० करोड़ रुपया मिला उस पर हम ने ५ परसेंट नफा किया, या ४० करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश को मिला उस पर हम ने इतने पर सेंट नफा किया । मैं मानता हूं कि ये चीजें जरूरी हैं, लेकिन इनसे ज्यादा जरूरी वह हैं जो छोटी छोटी दस्तकारी करने वाले आदमी हैं, उनको ज्यादा बिजली मिलनी चाहिए और यह तभी हो सकता है जब कि स्टेटो के जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं इनमें कुछ तबदीली की जाये । इस वक्त ये पूरी तरह से ब्यूरोक्रेटिक हैं, ये किसी के नीचे नहीं हैं, इन पर पबलिक ओपीनियन का कोई असर नहीं होता, इनको सलाह देने के लिए कोई एडवाइजरी बाडी नहीं है, एम० एल० एज़ को कंसल्ट नहीं किया जाता । यह एक डिपार्टमेंट है जो कि कम्पनी की तरह बनकर रह गया है । मैं यह समझ सकता हूं कि अगर हिन्दुस्तान मशीन टूल फैक्टरी काफी मशीन टूल न बनाय तो हिन्दुस्तान को नुकसान होगा, लेकिन जो बिजली का मुहकमा है उससे लोगों का काम पड़ता है । आप जानते हैं कि आज कितने गांव इस बात पर आशा लगाय बैठ हैं कि कब हमारे गांव में बिजली आयेगी, कितने किसान हैं जो कि इस बात पर आशा लगाये बैठे हैं कि उन्हें बिजली मिलेगी और उनके ट्यूब वैल चलेंगे, उनकी खेती अच्छी होगी और इस तरह से उनकी आमदनी बढ़ेगी । कितने आदमी इस बात पर आशा लगाए बैठे हैं कि उनके दस्तकारी के छोटे छोटे काम बिजली से चलेंगे । ये लोग इस ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी में कहीं एडजस्ट नहीं हो पाते । उनको उसमें कहीं जगह नहीं मिल पाती । वह कहते हैं कि इस गांव में बिजली तब लायी जायेगी जब पांच पर सेंट मुनाफा मिले । इसलिए मैं चाहता हूं कि आप स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ पबलिक ओपीनियन को शामिल करें । और जो रूरल इलेक्ट्रिसिटी स्कीम्स हैं और जिनके लिए सेंटर ग्रांट देता है, उसमें आप देखें कि गांवों को ज्यादा से ज्यादा बिजली मिले । देहात के आदमी बिजली, पानी और सड़क पर आशा रखते हैं । अगर उनको ये तीन चीजें नहीं मिलतीं तो स्वराज्य की आशाएं उनके दिल में कमजोर हो जाती हैं और वह निराश हो जाते हैं । इसलिए मैं चाहता हूं कि जो रूरल इलेक्ट्रिसिटी की स्कीम्स हैं उनके साथ हर जगह पबलिक एडवाइजरी बाडीज़ को शामिल किया जाये और एक ही बड़े कारखाने को या एक ही आदमी को ज्यादा तादाद में बिजली देने की टेंडेंसी को रोका जाये ।

आप पंजाब की बात जानते हैं। हमें आशा थी कि पंजाब में इतनी ज्यादा बिजली होगी लेकिन आज जो बिजली पंजाब में पैदा होती है उसमें से ज्यादा तर बिजली दिल्ली को और राजस्थान को चली जाती है। राजस्थान के लिए हमें कोई ऐतराज नहीं क्योंकि उनको भी हमारी तरह जरूरत है। लेकिन दिल्ली तो अमीर है। उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट मिल सकती है मैं कहता हूं कि पंजाब के आदमियों को बिजली की कितनी शार्टेज है उतनी और किसी सूबे में नहीं है। इसका एक ही हल है कि आप भाखरा डैम पर एक और पावर हाउस बनायें और कोटला और गंगूवाल में जल्दी से जल्दी बिजलीघर लगायें। इसका तीसरा हल यह है कि पंजाब में न्यूकिलियर पावर स्टेशन जरूर बनाना चाहिए। पंजाब के लोग मेहनती हैं और छोटी दस्तकारी वहां फैले इसके लिए जरूरी है कि आप वहां ज्यादा बिजली दें। वहां बड़े कारखाने जैसे भिलाई और रूरकेला तो लग नहीं सकते लेकिन वहां छोटे कारखाने तो लग सकते हैं। वहां जो छोटे मेहनती आदमी हैं, उनको आप जब तक ज्यादा बिजली नहीं देंगे तब तक पंजाब कभी खुशहाल नहीं हो सकता। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो स्कीमें मैं ने बतलायी हैं उनको आप हाथ में लें। सके अलावा व्यास लिंक की स्कीम है, उस पर भी जल्द काम शुरू किया जाना चाहिए। जितनी बिजली व्यास लिंक की स्कीम से पैदा होगी उतनी हिन्दुस्तान में किसी एक स्कीम से नहीं होगी। इसलिए इस स्कीम को आप हाथ में लें। मैं इसमें आप से इत्तिफाक कर सकता हूं कि इसको हिस्सों में लें, किसी हिस्से को पांच साल में बनावें, दूसरे को आयन्दा पांच साल में बनावें। लेकिन इसको सेंक्शन करके इस पर जल्द काम शुरू होना चाहिए ताकि पंजाब को ज्यादा से ज्यादा बिजली मिल सके।

आजकल हिन्दुस्तान में यह हो रहा है कि जहां आपकी नहरें जाती हैं वहां किसान पानी लेने के लिए तैयार नहीं होते। इसका एक ही हल है। पंजाब के भाई इस चीज को जानते हैं क्योंकि वह उस इलाके से आते हैं जहां नहरों का सिस्टम बहुत सालों से है। जब तक आप नहरों से चैनल बना कर किसान के खेत तक पानी ले जाने का इन्तिजाम नहीं करेंगे तब तक किसान इस पानी को नहीं लेगा क्योंकि वह दूर से पानी लाने के लिए चैनल अपने आप नहीं बना सकता। पंजाब में तो चालीस पचास साल से इर्रीगेशन का काम हो रहा है, लेकिन अगर किसी आदमी को ५०० गज चैनल ले जाना हो तो वह नहीं ले जा सकता। यह हालत तो पंजाब की है जहां कि लोग यह जानते हैं इस पानी से उनकी खेती की कितनी बेहतरी हो सकती है। तो आप जब तक चैनल्स का इन्तिजाम नहीं करेंगे तब तक आपका सिंचाई का टारगेट पूरा नहीं हो सकता।

आखिरी बात मैं ट्यूब वैल्स के सिलसिले में कहना चाहता हूं। आपने जो ट्यूबवैल लगाये उनमें से बहुत से चल नहीं सके। पंजाब में भी नहीं चले और यू० पी० में भी नहीं चले। प्लानिंग कमीशन ने इस सिलसिले में एन्क्वायरी करने के लिए एक कमेटी बनायी है। आप सुनकर हैरान होंगे कि यू० पी० में कुछ ट्यूब वैल साल में डेढ़ दिन चले और पंजाब में कुछ साल में पांच सात दिन चले, कोई १६ दिन चले, कोई २५ दिन चले। इसका डिफरेंट डाटा उस रिपोर्ट में दिया गया है, पता नहीं वह अभी पबलिश हुई या नहीं। इसकी वजह यह है कि ट्यूब वैल्स की प्लानिंग गलत की गयी। जब तक आप ट्यूब वैल्स के लिए पक्की चैनल्स नहीं बनायेंगे तब तक उनसे फायदा नहीं हो सकता। ट्यूबवैल्स इसलिए भी ज्यादा फायदेमन्द हैं कि वे वाटर-लैवल को नीचे लाते हैं। अगर ट्यूब वेल्स को एक इकानोमिक प्रापोज़ीशन के तौर पर सोचेंगे, तो वे बहुत कामयाब नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो ट्यूबवेल गवर्नमेंट लगाती है, वे बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। प्राइवेट एन्टरप्राइज़र या किसान अपने तौर पर ट्यूबवैल बहुत सस्ता लगा सकता है। इस लिए गवर्नमेंट को सबसिडी देनी चाहिए औरट्यूबवैल्स के सिलसिले में एक अच्छी स्कीम बनानी चाहिए, जिस के मुताबिक ट्यूब वैल सब्सीडाइज्ड रेट पर लगाये जा सकें, ताकि वाटर-लैवल नीचे लाया जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं मिनिस्ट्री की डिमांड्ज़ की हिमायत करता हूं।

†श्री हाल्दर (डायमण्डहार्बर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा समझा जाता है कि सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय ऐसा काम करेगा जिससे घर घर में बिजली का प्रकाश हो जायेगा तथा इतनी सिंचाई की व्यवस्था करदी जायेगी जिससे देश की खाद्य समस्या हल हो जायेगी। परन्तु खेद की बात है कि इस मंत्रालय ने सभी आशाओं पर तुषारापात कर दिया है। सभी जानते हैं कि दामोदर घाटी निगम तथा भाखड़ा परियोजनाओं में कितनी गड़बड़ हुई है।

मैं केवल दामोदर घाटी निगम के बारे में ही कुछ कहूंगा। पश्चिम बंगाल की जनता को दामोदर घाटी निगम योजना से बहुत आशायें थीं परन्तु सरकार के कामों के कारण उनको बड़ी निराशा हुई है क्योंकि इस परियोजना के द्वारा बाढ़ का खतरा कम होने के बजाये बढ़ ही गया है। आप १९५६ तथा १९५९ की बाढ़ों को देख लीजिये। दोनों बाढ़ों के परिणामों से पता लगता है १९५६ की बाढ़ से कहीं ज्यादा हानि १९५९ की बाढ़ में हुई थी। १९५६ की बाढ़ से ११ करोड़ रुपये की हानि हुई थी जबकि १९५९ की बाढ़ से १०० करोड़ रुपये की हानि का अनुमान लगाया गया है।

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि मयूराक्षी नहर से बाढ़ का पानी जितना पहले बह जाता था उतना अब नहीं बह पाता है। इसके अतिरिक्त अन्य छोटी छोटी नदियों तथा नहरों की हालत भी देखभाल न होने के कारण खराब हो गई है। और उन में काफ़ी गाद भर गई है। इसी कारण बाढ़ का पानी शीघ्रता से बह नहीं पाता और यह समस्या हल नहीं हो पाती है। इसलिए इस समस्या पर राष्ट्रीय आपातकाल की समस्या के रूप में विचार किया जाना चाहिए।

बज बज से बंगाल की खाड़ी तक का समस्त सुन्दरवन क्षेत्र १९५९ की बाढ़ में पानी से भर गया था। २४ परगना ज़िले का लगभग ३००० वर्ग मील भाग सुन्दरवन का हिस्सा है। इस बन की सभी जमीन बड़ी उपजाऊ है जहां पर चावल की बड़ी अच्छी फसल होती है। परन्तु १९५९ की बाढ़ में इस क्षेत्र की सारी फसल नष्ट भ्रष्ट हो गई और इस क्षेत्र के लिए भी खाद्यान्नों की पर्याप्त उपज नहीं हो पाई। २४ परगनों की समस्या यही है कि यहां पानी का जमाव नहीं होने दिया जाये। यह बड़ी गंभीर समस्या है, जिसकी ओर तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिए।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

कलकत्ता नगर को भी बड़ा खतरा पैदा हो गया है। नदी में गाद अधिक भरते जाने के कारण वहां समस्या खड़ी हो गई है। हाल में ही नौवहन समवायों ने संवाददाता सम्मेलन में सरकार को बताया था कि कलकत्ता बन्दरगाह की स्थिति खराब होती जा रही है और सरकार को इस बारे में कार्यवाही करनी चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व अंग्रेज़ों ने हुगली में रेत जमा होने के कारण डायमण्ड हार्बर से खिदिरपुर तक एक बड़ी नहर बनाने की योजना बनाई थी। परन्तु स्वतंत्रता के बाद हमारी सरकार ने इस योजना पर कोई ध्यान नहीं दिया है।

मुझे इस के बारे में भी आपत्ति है कि दामोदर घाटी निगम तथा हीराकुड बांध बनाने वाले मजदूरों की छंटनी की जा रही है। सरकार को ऐसी योजनायें बनानी चाहिए जिससे इन सभी मज़दूरों को रोज़गार मिले।

पिछले मौसम में पश्चिम बंगाल में भारी वर्षा हुई तथा बाढ़ आई। कुछ ऐसी नहरें थीं जिनका प्रयोग करके सरकार इस बाढ़ के पानी से सिंचाई कराने की व्यवस्था करा सकती थी परन्तु सरकार ने

---

†मूल अंग्रेजी में

ऐसा नहीं किया और इसी कारण बहुत से लोग इन क्षेत्रों से काम के लिए कलकत्ता आ रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि सरकार पश्चिम बंगाल के इन क्षेत्रों में छोटी-छोटी सिंचाई योजनायें बनायेगी जिससे भविष्य में बाढ़ के कारण इस क्षेत्र को हानि न हो।

†श्री नलदुर्गकर (उस्मानाबाद) : मैं गत १० वर्षों में मन्त्रालय द्वारा किये गये कार्यों का मूल्यांकन करना चाहता हूं। हमारे देश में ८० करोड़ एकड़ भूमि में से ७० करोड़ एकड़ भूमि ऐसी है, जिसे कृषि के काम में लाया जा सकता है। पर इस काम में मन्त्रालय की प्रगति सन्तोषजनक नहीं है। किसानों को अन्य देशों की भांति कृषि सुविधाओं का उपभोग करने के लिये बाध्य किया जाना चाहिये। नालों आदि पर छोटे-छोटे बन्ध बनवाये जाने चाहियें। मेरा कहना है कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को लिखा जाना चाहिये। यदि सारी भूमि में हम कृषि आरम्भ कर दें, तो हमारे देश का उत्पादन अन्य देशों की तुलना में कम नहीं रह जायेगा व हमें खाद्यान्नों का आयात नहीं करना पड़ेगा।

भूमि कृष्य करण कार्यक्रम के अधीन अभी तक केवल २५ लाख एकड़ भूमि का कृष्यकरण किया जा सका है। यह बहुत ही धीमी प्रगति है। इसके अतिरिक्त कुछ भूमि ऐसे व्यक्तियों को दी जाती है, जिनके पास हल-बैल आदि भी नहीं होते। स्वयं मेरे जिले में कुछ हरिजनों को कुछ भूमि दी गयी। उनके पास हल-बैल वगैरह कुछ भी नहीं था। सरकार ने उनको कोई मदद नहीं दी। अतः मेरा कहना है कि जब ऐसे लोगों को भूमि दी जाये, जिनके पास हल-बैल आदि न हों, तो सरकार को चाहिये कि वह उनकी मदद करें। तभी कार्य सफल हो सकता है। अन्यथा वे बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायतें भी बहुत कुछ कर सकती हैं।

एक और बात यह है कि हमारे देश में कृषि का रवैया पुराना ही है। जिस भूमि में किसी एक विशेष फसल पैदा की जाती है, उसके अलावा दूसरी फसल नहीं पैदा की जाती। हमारे देश में भूमि की उर्वरता का भी परीक्षण नहीं किया जाता। विदेशों में ऐसा होता है कि विशेषज्ञ भूमि की उर्वरता का परीक्षण करते हैं और वे बताते हैं कि कि अमुक भूमि में अमुक-अमुक फसलें पैदा की जा सकती हैं। हमारे देश में भी ऐसा होना चाहिये तभी कृषि की उन्नति हो सकती है। इसके अलावा किसानों को अच्छे किस्म के बीज भी दिये जाने चाहियें। इस सम्बन्ध में सामुदायिक विकास मन्त्रालय से भी बड़ी सहायता ली जा सकती है।

एक विशेष बात यह है कि प्रतिवेदन में बताया गया है कि इतनी भूमि के लिये कृषि सुविधायें उपलब्ध कराई गयीं। पर यह नहीं बताया गया है कि कितने किसानों ने उन सुविधाओं का लाभ उठाया। जब तक किसान इन सुविधाओं का लाभ नहीं उठाते, तब तक सुविधाओं के होने का कोई लाभ नहीं है। अतः किसानों को मजबूर किया जाये, कि वे इनका लाभ उठायें। यदि केन्द्र व राज्य सरकारें ऐसा करेंगी, तो मेरा विश्वास है कि देश में खाद्यान्नों की कमी नहीं रह जायेगी।

इसके अतिरिक्त सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण में बड़ी देर हो रही है। कई स्थानों पर कुछ सामान मंगाने के लिये लाइसेंस नहीं दिये गये हैं। कुछ स्थानों पर विलम्ब के कारण धन बरबाद हो रहा है और लक्ष्य भी पूरा नहीं हो रहा है। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री मेरे सुझावों को ध्यान में रखेंगे।

नहरी पानी विवाद की बात भी उठाई गई। श्री पाटिल ने, जब वह सिंचाई मन्त्री थे, सभा में कहा था कि १९६२ के बाद पाकिस्तान को पानी नहीं दिया जा रहा है। पर अब सभा में दी गयी जानकारी से पता लगता है कि हम १९६२ के बाद भी पाकिस्तान को पानी देते रहेंगे। निवेदन है कि या तो यह विवाद तय कर लिया जाये, या फिर १९६२ के बाद पाकिस्तान को पानी न दिया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नलदुर्गकर]

गांवों में बिजली पहुंचाने की योजना के सम्बन्ध में मेरा कहना है कि अभी तक केवल ८००० गांवों में ही बिजली पहुंचाई जा सकी है। यह प्रगति बहुत धीमी है। बम्बई राज्य में केवल ४६१ गांवों में बिजली पहुंचाई गई हैं। गांवों में बिजली पहुंचाने के कार्यक्रम के सम्बन्ध में ग्राम पंचायतों तथा गांव के अन्य सम्भ्रान्त व्यक्तियों को विश्वास में लेकर काम करना चाहिये। तभी इसमें ठीक उन्नति हो सकेगी।

आशा है माननीय मंत्री इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे।

श्री का० च० जेना (बालासौर-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया है, उसके लिये मैं आप को बहुत धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पहली बार बोल रहे हैं।

श्री का० च० जेना : इस स्थिति में मुझे यह बात याद आती है —

ब 'बने व्याघ्र गजेन्द्र सेवितं
न बंधुमध्ये धनहीन जीवितव्यं।

स्वतन्त्रता के बाद जिन देशों के साथ हमारी बन्धुता हुई है, हम सोचते हैं कि वे हम से धनी हैं और अगर हम सोचते हैं कि उनके साथ हम को बन्धुता करनी हो, तो हम को उन्हीं की स्थिति पर जाना होगा, नहीं तो उनके साथ हमारी बन्धुता कायम नहीं रहेगी और वे हम को ज़रा छोटा समझेंगे।

इस बात को कहने के समय मुझे यह बात याद आती है कि अगर किसी देश को आगे बढ़ना हो, धनी बनना हो, उन्नति करनी हो, तो वह बात दो ही चीजों पर निर्भर करती है। वे दो चीज़ें हैं उद्योग और कृषि। इन दोनों चीज़ों के सुधार, इनकी उन्नति का उत्तर दायित्व मिनिस्ट्री आफ इर्रीगेशन एण्ड पावर पर ज्यादा है, जिसके अनुदानों पर हम विचार कर रहे हैं। मैं खास कर एग्रीकल्चर—कृषि—की बात कहता हूं। अगर हम कृषि के सुधार की ओर ज्यादा ध्यान दें, तो अन्न के विषय में हम जल्दी आत्म-निर्भर हो सकेंगे। हम बड़ी-बड़ी योजनाओं को लेते हैं, उन पर ज्यादा रुपया खर्च करते हैं, लेकिन उनसे लाभ हमें जल्दी नहीं मिलता है। मैं यह नहीं कहता कि इससे हमारा नुकसान होता है। नुकसान कभी नहीं होता है। ये प्राजैक्ट्स मल्टी-परपज़ हैं। इनसे ज्यादा लाभ होगा, लेकिन वह लाभ जल्दी नहीं होता है। अगर हम को लाभ जल्दी प्राप्त करना हो, तो बड़े-बड़े प्राजैक्ट्स—योजनाओं—के साथ साथ छोटी छोटी योजनाओं को भी अगर हम लेंगे, तो काम जल्दी होगा और खाद्य के विषय में हम जल्दी से जल्दी आत्म-निर्भर हो सकेंगे।

मैं माननीय मंत्री जी को हीराकुड प्राजैक्ट के लिये धन्यवाद देना चाहता है, जिससे हमारी करीब चार लाख एकड़ जमीन में सिंचाई होगी। इस प्राजैक्ट से हमें जो इलैक्ट्रिसिटी मिलती है, उससे हमारा राउरकेला प्राजैक्ट चलता है और दूसरे प्राजैक्ट भी चलेंगे। माननीय मंत्री जी हर वक्त कहते हैं कि विदेशी मुद्रा की दिक्कत से हम माचकुंड योजना को व्यवहार में नहीं ला सकते हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह कोशिश करें कि इस दिक्कत को सुलझा कर माचकुंड योजना को जल्दी से जल्दी पूरा करें।

कृषि की उन्नति के लिये हम को —खास कर उड़ीसा को—पहले वन्या को कण्ट्रोल करना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि सिर्फ नदी के ऊपर डैम बनाने से वन्या कन्ट्रोल हो जायगा। वन्या

---

†मूल अंग्रेजी में

कण्ट्रोल दो तरीके का होता है—एक तो डैम के द्वारा और दूसरा ड्रेनेज के द्वारा। जैसा कि अभी मेरे भाई ने कहा है, डैम तो ज़रूर बनाये जायें, लेकिन जहां पानी ज्यादा दिन तक रह कर फ़सल को सड़ा देता है, नुकसान पहुंचा कर बरबाद कर देता है, इस बात का इन्तज़ाम करना चाहिये कि वहां से वह पानी निकाल कर कैसे समुद्र में जल्दी से जल्दी डाला जाये।

समुद्र के किनारे जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें क्या होता है कि समुद्र का पानी उमड़ते हुए ज़मीन में चला जाता है। उससे फ़सल नष्ट हो जाती है और सैलाइन वाटर की वजह से ज़मीन इतनी खराब हो जाती है, कई साल के लिये वह इतनी बरबाद हो जाती है कि वहां कोई आमदनी नहीं होती है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह जरा कोशिश करें कि सैलाइन इननडेशन को कैसे रोका जाये और इसके लिये वह प्रबन्ध करें।

अब मैं बालासौर जिले की बात कहना चाहता हूं। वहां बैतरणी नदी का डैम के लिये प्रारंभिक अनुसंधान हो रहा है। जो सालन्दी डैम बनने वाला था, वह बैतरणी पर निर्भर है, इसलिये वह रोका गया। इसी के साथ साथ बालासौर में एक इन्टरस्टेट रिवर—एक इन्टर-प्राविंशियल रिवर—सुवर्ण रेखा है, जिस से तीन सूबों का सम्बन्ध है। ये सूबे हैं, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। यह नही बिहार से निकलती हुई उड़ीसा में जा कर समुद्र में पड़ती है। यह नदी अपनी धारा को परिवर्तित करती है, लोगों को बेघरबार करती है और फ़सलों को नष्ट कर देती है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह कोई एक्सपर्ट वहां भेज कर उस नदी का अनुसंधान करायें, नहीं तो दो तीन साल में ऐसा देखा जायगा कि वह कई हज़ार आदमियों को बेघरबार कर देगी। इस सम्बन्ध में मुझे याद आता है कि पिछली दफ़ा जब मैं उड़ीसा गया था, तो देखा कि शायद दो चार सौ घर हरिजन लोग, जिन के घरबार नदी में चले गये थे, आज-कल इधर उधर पेड़ों के नीचे या किसी के बरामदे के नीचे रहते हैं जहां सरकार की ज़मीन है, वहां झोंपड़ी बना कर कुछ रोज़ ठहरते हैं। उन को वहां से यह कह कर भगा देते हैं कि तुम इधर से चले जाओ, यह हमारी ज़मीन है—सरकार की है, इसलिये गांव वालों की है। इस कारण इधर उधर घूमते फिरते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह एक्सपर्ट भेज कर नदी का कुछ अनुसंधान करायें कि क्या करने से वह अपनी गति को इतनी जल्दी परिवर्तित न करे।

मैं माननीय मंत्री जी को यह भी कहूंगा कि अगर हम देहात की उन्नति चाहते हैं, तो हम को वहां छोटे छोटे धंधे देने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आज-कल बिजली का युग है। छोटे छोटे धंधों के लिये भी इलैक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। उस ज़रूरत को पूरा करने के लिये हमें हाइड्रो-इलैक्ट्रिसिटी तो मिलेगी, लेकिन वह जल्दी नहीं मिल सकती। इसलिये हम को थर्मल स्टेशन चाहिए। अगर हम थर्मल स्टशन बनायें, तो हम को बिजली जल्दी मिल सकती है और हम छोटे छोटे धंधे खोल सकते हैं। इसलिये मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि जो एग्रीकल्चरल स्टेट्स हैं, जो एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन को छोटे छोटे धंधों में लगाने के लिये—सब समय खेती का काम नहीं होता है और जिस समय वे खाली बैठे रहते हैं, उस समय छोटे छोटे धंधों के लिये—बिजली मिल जाये, इस तरफ वह ध्यान दें।

सुवर्णरेखा के बारे में मैं ने कहा है कि उस को कैसे डैम किया जाये, इस तरफ ध्यान दिया जाये। जैसाकि मैं ने अभी कहा है, उस का सम्बन्ध तीन स्टेट्स—बिहार, बंगाल और उड़ीसा—से है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इन तीनों स्टेट्स के साथ बात-चीत कर के उस नदी को डैम करने के बारे में कार्यवाही करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस मिनिस्ट्री के अनुदानों का समर्थन करते हुए आप को धन्यवाद देता हूं।

श्री राम शंकर लाल (डुमरियागंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझ इस मिनिस्ट्री की डिमांड्स पर बोलने का अवसर दिया है। इस विभाग का खेती से बहुत बड़ा सम्बन्ध है। आप जानते ही हैं आजकल हमारे मुल्क की एक खास समस्या है, गल्ले की समस्या है, समस्या यह है कि मुल्क को खाना मिलना चाहिये और गल्ला अधिक पैदा करने के लिये सिंचाई का होना बहुत जरूरी है, और सिंचाई के लिये पानी का प्रबन्ध यह विभाग ही कर सकता है। अभी तक जो प्रयास हुआ है उससे ऐसी हालत पैदा नहीं हुई है कि हमारे मुल्क में पानी के अभाव के कारण जो सूखा पड़ता है, खास तौर से मेरे हलके में जोकि पूर्वी उत्तर प्रदेश कहलाता है, वह रुक सके। पूर्वी उत्तर प्रदेश का जहां तक ताल्लुक है, वहां की आबादी बहुत अधिक है। उस में पांच जिले आते हैं और किसी किसी जिले में एक मुरब्बा मील में एक हजार से भी अधिक की आबादी है। वहां पर रोजगार के अवसर भी अधिक नहीं हैं। वहां के लोग ज्यादातर खेती पर ही निर्भर करते हैं। खेती का वहां पर यह हिसाब है कि कभी तो बाढ़ आ जाती है और कभी सूखा पड़ जाता है और इस का नतीजा यह होता है कि बराबर वहां भुखमरी की सी हालत बनी रहती है। कभी ही कोई ऐसा मौका आता होगा जब वहां कोई हल्ला न मचता हो। हमारी खुशकिस्मती है कि उस इलाके से हमारे मंत्री महोदय अच्छी तरह से वाकिफ हैं और जो वहां की समस्या है, उस को भली भांति जानते हैं। वहां पर सिंचाई का कोई इंतिजाम नहीं हुआ है कोई छोटी छोटी योजनायें नहीं बनी हैं जिन से सिंचाई का इंतिजाम हो सके। मेरी अपनी कांस्टिट्यूएंसी में जो नेपाल बार्डर पर है, एक ही फसल होती है जो जड्डन की फसल कहलाती है, जिसे ट्रांसप्लांटिड पैडी कहते हैं। जब पानी नहीं बरसता है तो फसल सूख जाती है और साल साल भर लोगों को तकलीफ और परेशानी में गुजारना पड़ता है। वहां पर लोगों की बहुत बुरी हालत है। ढेबरुआ के इलाके में चरन्हवा नाम की योजना चार पांच बरस हुए निकाली गई थी लेकिन वह अभी तक खटाई में पड़ी हुई है। मालूम हुआ है कि नेपाल गवर्नमेंट की तरफ से एतराज हुआ है और उस योजना की काफी पैरवी नहीं की गई है। नतीजा यह है कि कुछ भी प्रगति नहीं हो पाई है। अब की बार जब सूखा पड़ा तो हालत यह हुई, जहां रुपाई होती थी, ट्रांसप्लांटेशन होता था, वह नहीं हो सका और सारे का सारा इलाका भुखमरी से परेशान है। मैं वहां पर गया हूं, यू० पी० के और भी लोग गये हैं और लोगों ने कहा है कि साहब बारह बरस आजाद हुए हो गये हैं, हमारी एक ही फसल होती है और उस के लिये भी सिंचाई का प्रबन्ध नहीं किया जा सका है। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि वहां पर अवश्य ही सिंचाई का इंतिजाम शीघ्र होना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि इस ओर माननीय मंत्री महोदय ध्यान देंगे।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में और खास तौर पर बस्ती, गोरखपुर, इत्यादि जिलों की एक बहुत बड़ी समस्या जो है वह राबती नदी की है। राबती नदी में बाढ़ आने की वजह से जो फसल है, उस को बराबर नुक्सान होता रहता है और गांव कट जाते हैं। इस का नतीजा यह होता है कि लोगों को करोड़ों रुपये की हानि प्रतिवर्ष सहन करनी पड़ती है। राबती नदी के बारे में कोई योजना बनाने के लिये और बांध बनाने के लिये बराबर कहा गया है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं आप का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि हमारे हाउस के एक मेम्बर ने इस सिलसिले में अनशन भी किया था और हमारे प्रधान मंत्री जी ने उस को लिखा था कि इस योजना को हम तीसरी योजना में लेंगे। राबती और घाघरा की योजना को इस योजना में अगर ले लिया जाये तो इस का यह लाभ होगा कि बाढ़ से जो परेशानी और बरबादी होती है, वह रुक जायगी और दूसरा इस का लाभ यह होगा कि सिंचाई के लिये पानी मिलने लग जायेगा, नहरें बन सकती हैं और जिस इलाके में एक ही फसल होती है उस इलाके को काफी राहत मिल सकेगी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने शायद इस सिलसिले में जलकुंडी की एक स्कीम आप के पास भेजी है और मैं चाहता हूं कि आप उस पर विचार करें।

जहां तक बिजली का ताल्लुक है, हम लोगों को उम्मीद थी कि रिहांड बांध बन जाने के बाद वहां के लोगों को काफी बिजली मिल सकेगी जिस से उन का कुछ धंधा चल सकेगा, उन को कुछ रोजगार के अवसर सुलभ हो सकेंगे। सन् १९४६ से काम शुरू है लेकिन अब चौदह बरस के इंतिजार के बाद मालूम हुआ है कि जो बिजली है वह कुछ तो बिड़ला एल्यूमोनियम फैक्ट्री जो है, उस को दे दी गई है और कुछ रेल वालों को दे दी गई है और वहां पर कोई बिजली नहीं मिलेगी। बस्ती, गोंडा इत्यादि को कोई बिजली नहीं मिल सकेगी। तो यह जो जलकुंडी की योजना राबर्ट्स की है, उस से ३०००० किलोवाट बिजली भी पैदा की जा सकती है, ऐसा मुझे मालूम हुआ है। अगर इस योजना को हाथ में ले लिया जाये तो बस्ती, गोंड़ा, बहराइच के जिलों को बिजली मिल सकती है और उन का काम चल सकता है। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि इस योजना को हाथ में लिया जाये।

जहां तक बाढ़ का सम्बन्ध है, मेरे जिले में और मेरे पड़ोस के जिले गोरखपुर में काफी काम हुआ है। गांव ऊंचे किये गये हैं जिस से उन लोगों को राहत मिली है। कुछ बांध भी बांधे गये हैं और उन बांधों की वजह से भी कुछ बचाव हुआ है। लेकिन जो बांध बांधे गये हैं, उनमें ऐसा देखने में आया है कि दस मील बांध एक तरफ से बांधा गया और पांच मील एक तरफ से और बीच में एक मील या दो मील, उस को छोड़ दिया गया। इस को छोड़ने का जब कारण मालूम किया गया तो पता चला कि प्लानिंग कमिशन ने जो ग्रांट दी थी उस को कम कर दिया है। इस का नतीजा यह है कि गांव के लोग समझते हैं कि सरकार की स्कीमों पर अजीब तरीके से अमल होता है, दस मील इधर से बांध लायें, पांच मील उधर से और बीच में एक दो मील छोड़ा हुआ है और इस का नतीजा यह हुआ है कि दो तीन बरस से बरसात के मौसम में जो कुछ बंधा है वह भी खराब हो रहा है। मैं चाहता हूं कि जो एक दो मील तक बांध बांधा नहीं गया है, वहां पर भी बंधवा दिया जाये जिस से जो लाखों रुपया खर्च हुआ है वह बरबाद न हो जाय और किसानों को भी लाभ पहुंच सके।

सिंचाई का जहां तक सम्बन्ध है, उस में गूलों का सवाल भी बड़ा भारी सवाल है। गूलें जो हमारे यहां बनी हुई हैं, उन के बारे में हमेशा यह शिकायत रहती है कि पानी नहीं जाता है। अब चूंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना ली जाने वाली है, उस के दौरान में जो भी अब तक ट्यूबवेल बने हैं, नहरें बनी हैं, उन में गूलें ऐसी बना दी जायें कि किसानों के खेतों तक पानी पहुंच सके। ऐसा न हो कि गूलें ऐसी हों कि पानी न छोड़ें और किसानों के खेतों तक पानी न पहुंचे। यहां पर सरकारी कागजों में तो लिखा रहता है कि इतने ट्यूबवैल बन गये हैं, नहरें बन गई हैं लेकिन वहां किसानों को जब पानी की जरूरत होती है, पानी नहीं मिलता है जिस का नतीजा यह होता है कि फसलें खराब हो जाती हैं। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि इस ओर आप ध्यान दें।

गूलों की मुरम्मत का सवाल भी पैदा होता है। किसान यह समझते हैं कि जब सरकार हम से दाम लेती है, तो गूलों की मुरम्मत करना सरकार का काम है और सरकारी अहलकार जब वहां जाते हैं तो कहते हैं कि मुरम्मत करना उन का काम नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस के बारे में भी कोई फैसला हो जाना चाहिये। या तो नहर का महकमा इस काम को करे या फिर गांव सभा गूलों की सफाई की जिम्मेदार हो। क्योंकि अगर गूलों की सफाई नहीं होती है तो इस का नतीजा यह होता है कि जब सूखा पड़ता है, और किसानों को पानी की जरूरत होती है, तो इन गूलों से पानी नहीं जाता है। इस वास्ते इस ओर भी आप का ध्यान जाना चाहिये और इस का भी कुछ उपाय होना चाहिये।

वहां पर एक गंडक की योजना भी निकली थी। अगर गंडक की कुछ नहरें ले ली जायें तो महाराजगंज की तहसील, नवगढ़ की तहसील, बांसी की तहसील में सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है और वहां पानी पहुंचाया जा सकता है। मेरा खयाल है कि माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे।

[श्री राम शंकर लाल]

मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री महोदय सब हालात से वाकिफ हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जो सुझाव मैं ने रखे हैं, उन पर वह ध्यान देंगे। इन शब्दों के साथ मैं जो डिमांड्स रखी गई हैं उन को ताईद करता हूं और आप को, मुझे समय देने के लिये, धन्यवाद देता हूं।

श्री रामजी वर्मा (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, सिंचाई और बिजली मंत्रालय के सम्बन्ध में जो मांगें पेश की गई हैं, उन के सम्बन्ध में कुछ अपने विचार इस सदन में रखने के बारे में जो मुझे अवसर प्रदान किया गया है, उस के लिये मैं आप का धन्यवाद करता हूं।

भारत कृषि प्रधान देश है और यहां की एक खास समस्या, फूड की समस्या है। इस फूड की समस्या को हल करने के लिये अलग से खाद्य मंत्रालय है लेकिन इस समस्या को हल करने की और मुल्क में खाद्यान्न की उपज बढ़ाने की, ताकि बाहर के मुल्कों से इन का आयात बन्द हो, कुंजी इस मंत्रालय के हाथ में है। और आप के महकमे की कामयाबी से मुल्क की कामयाबी है, आप की असफलता से मुल्क की असफलता है। मुझ से पहले बहुत से माननीय सदस्य बोल चुके, नहरों का सवाल आया, और सवाल आये। आजादी के बाद एक पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई, दूसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त हो रही है और तीसरी आने वाली है। हालांकि यहां सब्जैक्ट प्लैनिंग का नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि आप की प्लैनिंग में दोष है, इस प्रकार के दोषों से आप की प्लैनिंग सफर कर रही है, आप की प्लैनिंग अधूरी है। अभी हमारे पूर्व वक्ता श्री राम शंकर लाल यह कह रहे थे कि नहरों की प्लैनिंग हुई, ट्यूब वैल्स की प्लैनिंग हुई, लेकिन खेत तक पानी पहुंचाने की प्लैनिंग नहीं हुई। मुझे याद है इंडिपेंडेन्स से पहले उत्तर प्रदेश में शारदा कैनाल बनी। शारदा कैनाल की प्लैन पहले बनी, लेकिन पानी पहुंचाने के पहले उन्होंने नहरों का प्राविजिन किया, पहले नहरें जायें और नहर से खेत तक गुल बनाने का प्राविजन भी उस के साथ किया गया। लेकिन जब से मुल्क अपने हाथ में आया प्लैनिंग अपने हाथ में आई . . . . . .

एक माननीय सदस्य : रिपोर्ट में लिखा हुआ है ?

श्री रामजी वर्मा : बड़ी बड़ी प्लैनिंग होने लगीं, तब से नहर बना देने की तो प्लैनिंग है, उस के लिये प्राविजन है, लेकिन खेत तक पानी पहुंचाने की प्लैनिंग के लिए कोई ग्रान्ट नहीं है, उस के लिए कोई रकम नहीं है।

श्री त्यागी (देहरादून) : आप का मंशा रजवाहों से है या छोटी नालियों से ?

श्री रामजी वर्मा : दोनों से है। आप समझते हैं कि खेत तक पानी पहुंचाने के लिए नालियां बनाने का काम किसान खुद कर लेंगे। लेकिन आप की इन रिपोर्टों को पढ़ने से, जो कि पिछले साल की हैं, यह मालूम हुआ कि पानी पहुंचने के २० या २५ वर्ष बाद लोगों को पानी लेने का अभ्यास हुआ। इस मुल्क में पानी की जरूरत है, लोग पानी के लिए परेशान हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी स्कीम्स हैं उन से अपने खेत तक पानी ले जाने की प्रवृत्ति नहीं है।

एक माननीय सदस्य : वह चीज श्रमदान के लिए छोड़ दी गई है।

श्री रामजी वर्मा : आज टेक्सों का सवाल आता है, और चीजों का सवाल आता है, वे लोग जो खेती करते हैं वह बहुत सस्ते ढंग से करते हैं लेकिन जब उन पर टेक्स पर टेक्स लगते हैं तो इस से वह चिढ़ते हैं, और कोई सुविधा आप की लेना नहीं चाहते। इसलिए मैं कहता हूं कि जो प्लैनिंग आप करें, उस में आप भले ही रुपया बढ़ा लें, लेकिन आप खेतों तक पानी पहुंचाने का इन्तजाम करें। उस का प्राविजन आप करें तो विरोधी बैंचेज से उस का कोई विरोध नहीं करेगा।

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : श्रमदान नहीं चाहते आप ?

श्री रामजी वर्मा : श्रमदान भी करें, उस की भी योजना बनायें ।

श्री खुशवक्त राय (खेरी) : बेगार भी लीजिये ।

श्री रामजी वर्मा : बेगार भी लीजिये, सब कुछ कीजिये और इस को भी कायम रखिये । इसलिए मैं पहली बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहले पानी को खेतों तक पहुंचाने का प्राविजन होना चाहिए, दूसरी चीजों का प्रबन्ध होना चाहिए । आज गवर्नमेंट की मदद से बहुत सी चीजों की इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं । अभी किच्छा में लोगों को मदद दी गई लेकिन कई वर्ष तक उन से लगान नहीं ली गई । मैं कहता हूं कि अगर हिन्दुस्तान को लोगों की पानी लेने की प्रवृत्ति बनाने में २८ वर्ष लग जाते हैं तो चार छः वर्ष तक आप पानी मुफ्त क्यों न दें, और फिर उस के बाद उन से चार्ज करें । पानी मुफ्त देने के बाद जब लोगों को अन्दाजा हो जायेगा कि उन को फायदा हो रहा है तो वह लोग पैसा भी देने लगेंगे । जिस तरह से आज बिजली की मांग इतनी हो गई है, हालांकि वह काफी महंगी है लेकिन फिर भी सब लोगों की मांग उस के लिए हो गई है, सब कहते हैं कि हम को दीजिये, हम को दीजिये, उस से कोई डरता नहीं, जितनी पैदा होती है उससे ज्यादा की मांग है, उसी तरह से पानी के बारे में भी कुछ दिन के बाद होने लगेगा । लेकिन आज तो आप इर्रीगेशन के पोटेन्शल को बढ़ा देते हैं फिर भी वह पानी सुलभ नहीं होता किसी को । नहरों के जरिये मैं समझता हूं कि पानी फिर नदी में चला जाता होगा या समुद्र में जाता होगा । आपने समुद्र को सींचने के लिए नहरें बनाई हैं या नदियों को पानी देने के लिए । लोगों की प्रवृत्ति को बनाने के लिए आप को कुछ दिन पानी के रेट में कमी करनी होगी या बिल्कुल मुफ्त देना होगा, कुछ दिन तक यह रिस्क ली जायेगी तभी जल्दी से मुल्क को नहरों से पानी लेने का अभ्यास हो सकेगा । उस के बाद आप चार्ज कर सकते हैं और उन से पैसा ले सकते हैं । यह मेरा जो सजेशन है मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री इस पर ध्यान देंगे और खेतों तक रजवाह बनवाने का प्रबन्ध करेंगे ।

इस के बाद मैं ट्यूब वेल्स के बारे में कहना चाहता हूं । मेरे एक पूर्ववक्ता ने कहा था कि ट्यूब वेल्स छोटी सिंचाई योजना में आते हैं, बड़ी में नहीं आते । लेकिन इस मुल्क में कुछ लोगों को गुमराह करने के लिए कह यह दिया जाता है कि जो बंकवर्ड एरियाज़ हैं उन की सिंचाई के लिए यह हैं। हमारे उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी भाग है उस में ट्यूब वेल बनाये गये हैं जैसा कि श्री राम शंकर लाल जी ने बतलाया, लेकिन मैं आप से कहूं कि आप के पास हिसाब होगा, जो ट्यूब वेल्स का कमान्ड एरिया है डिस्ट्रिक्ट में, उस के पानी से सब ट्यूब वेल्स मिल कर भी उतनी सिंचाई नहीं कर सके हैं जितनी कि आम तौर से हो जाती है । वहां पर गुल नहीं हैं खेतों तक पानी जाने के लिए, उस के बारे में लोगों की प्रवृत्ति नहीं है , लेकिन टैक्स जो लगाये जाते हैं वह बहुत ज्यादा हैं । इस समय जो नये आपरेटर्स लगाये गये हैं देहातों में वे पटवारी और लेखपाल से भी ज्यादा जबर्दस्त हो गये हैं, किसी के पानी किसी के खेत में लगा देते हैं । इस तरह की आफिशलडम के कारण दूसरे आदमी का पानी दूसरे खेत में लगा दिया जाता है । इस से लोगों को बचाने के लिए भी आप को कुछ करना होगा ।

श्री त्यागी : यह राज्य सरकारों का काम है ।

श्री रामजी वर्मा : भले ही यह राज्य सरकारों का काम हो, यों तो हमारे सरदार इकबाल सिंह जी ने कहा था कि इन सिंचाई योजनाओं को आप अपने हाथ में लीजिये, लेकिन जब तक आप उन को नहीं ले सकेंगे, तब तक छोटे छोटे कुओं के अलावा किसी और तरह की सिंचाई नहीं हो सकती । आप इन चीजों को अपने हाथ में लीजिये और इन सब चीजों को देखिये । मैं आप से

[श्री रामजी वर्मा]

कहता हूं कि सारा सिंचाई का पैसा जो है वह ट्यूब वेल्स में, नहरें खोदने में, कंट्रेक्टर्स को देने में और समुद्र को सींचने में जाता है। कुछ से तो आप समुद्र को सींचते हैं और कुछ से बड़े बड़े ठेकेदारों की पाकेट सींचते हैं। किसानों के खेतों की सिंचाई नहीं हो रही है। यह शब्द भले ही कटु मालूम हों, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा इस प्रवृत्ति को दूर करने के लिए, योजना के अनुसार खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए, और अगर उस में कोई करप्शन की बातें आती हैं तो उन को दूर करने के लिए, आप कदम उठाइये। आप यह कह कर पल्ला मत छुटाइये कि यह स्टेट का विषय है। अगर ऐसा हो तो मैं समझता हूं कि किसान पानी लेंगे। यदि आप कुछ दिन तक मुफ्त पानी देने की व्यवस्था करें तो उस के बाद लोगों की प्रवृत्ति बन जायेगी और जो आप का इरिगेशन पोटेन्शल है उस के लिए यह कहने की जरूरत नहीं होगी कि लोग उसे नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं। उस के बाद आप का पानी बेकार समुद्र में नहीं जायेगा।

इस के बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद जिस तरह से बहुत से मामले खटाई में पड़ गये हैं, कश्मीर का मामला है, गोवा का मामला है, और मामले हैं, उसी तरह से जो हमारी प्रगति की कुंजी है उस का भी एक हिस्सा इन्डो-पाक केनाल वाटर डिस्प्यूट के नाम से उलझा पड़ा है। उस का एक अध्याय बन गया है। यह आप की भी बदकिस्मती है। सरदार इकबाल सिंह ने कहा कि कुछ दिन से यह मामला भी खटाई में पड़ गया है। आप के पूर्व मंत्री ने घोषणा कर दी थी कि सन् १९६२ के बाद हम पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे। अच्छा होता अगर यह मामला उस के पहले तय हो जाता, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि यह मामला कहां है और उस का क्या हो रहा है। हम चीन के मामले को तो कुछ समझते भी हैं, कश्मीर के मामले को भी कुछ समझते हैं, लेकिन यह जो वाटर डिस्प्यूट का मामला है वह मेरी समझ में नहीं आता है। उस की बैठकें कभी वाशिंगटन में होती हैं, कभी पेरिस में होती हैं और कभी लन्दन में होती हैं, और पता नहीं उस के बारे में क्या क्या होता है। कुछ पता ही नहीं चलता है। मैं समझता हूं कि मंत्री जी बतलायेंगे कि इस सम्बन्ध में क्या हो रहा है। अब यह करोड़ों आदमियों की जिन्दगी और मौत का सवाल है और अगर शीघ्र ही यह नहरी पानी विवाद हल किया जाये तो अच्छा है। अभी राष्ट्रपति श्री नासिर ने अपने एक भाषण में कहा था कि मैं इस बारे में दोनों पक्षों में समझौता कराने के वास्ते तैयार हूं और उस के बाद पाकिस्तान के जनरल अय्यूब खां ने भी फरमाया कि हम भी समझौता करने को तैयार हैं। अब अगर दोनों साहब समझौता कराने और करने के वास्ते तैयार हैं तो क्या भारत सरकार ही उसके लिए तैयार नहीं है? इससे तो यह ध्वनि निकल रही है मानों सब लोग तो तैयार हैं केवल भारत सरकार उस के लिए तयार नहीं है। मैं समझता हूं कि आप समझौता करने के वास्ते उनकी अपेक्षा अधिक उत्सुक व तैयार होंगे लेकिन मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस ओर प्रकाश डालें कि आखिर बात क्या है कि सब अपने को तैयार बतलाते हैं तो फिर वह मामला आखिर तय क्यों नहीं होता है? ऐसा क्यों है? मैं बतलाना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में हमारे श्री खुशवक्त राय एक कामरोको प्रस्ताव पार्टी की तरफ से यहां सदन में लाये थे लेकिन जैसा कि अक्सर देखने में आता है माननीय अध्यक्ष ने उस कामरोको प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और उसको भी वही हालत हुई जैसी कि अन्य कामरोको प्रस्तावों की हुआ करती है। इस कारण उस अवसर पर इस के बारे में बहस उठाने का तो मोका नहीं आया लेकिन मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इस बारे में अवश्य बतलायेंगे कि आखिर इसमें राज क्या है और यह मसला कब तक हल हो जाने वाला है?

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य दो मिनट में अपना भाषण समाप्त करें।

श्री रामजी वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं विरोधी दल से आता हूं और मुझे तो कुछ अधिक समय मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप शीघ्र समाप्त करने की कोशिश करें और दो की जगह तीन मिनट का समय ले लें।

श्री रामजी वर्मा : मैं बिजली के सिलसिले में भी कुछ बातें आप से निवेदन करना चाहता हूं। जहां बिजली उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिए है वहां सिंचाई और खेती के काम के लिए भी बिजली की काफी जरूरत होती है लेकिन जो आपकी रिपोर्टें पढ़ी हैं तो उनमें घरेलू कामों के लिए आप बिजली १६–२५ नये पैसे के हिसाब से सप्लाई करते हैं, उद्योग धंधों के लिए ४–९० नये पैसे, कृषि के लिए ६.७८ नये पैसे और अन्य कामों के लिए ७.१२ नये पैसे की यूनिट की दर से बिजली सप्लाई करते हैं।

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : यह कहां का रेट है ?

श्री राम जी वर्मा : यह सन् ५७–५८ की सेंट्रल वाटर एंड कमिशन की रिपोर्ट में दिया हुआ है। मेरा कहना यह है कि यदि आप कृषि की उन्नति करना चाहते हैं तो आप को बिजली के वर्तमान रेट को सस्ता करना चाहिये। आप बिड़ला, टाटा और अन्य बड़े बड़े उद्योग पतियों को सस्ती दर पर बिजली सप्लाई करते हैं और मंत्री जी खुद इसको बतलायेंगे कि रिहन्द डैम की बिजली बिड़ला की एलमूनियम फैक्टरी को कौस्ट प्राइस से भी कम पर दी गई है। अब यदि इन बड़े बड़े व्यवसाइयों को जब बिजली सस्ती दर पर दी जा सकती है तो फिर किसानों से बिजली का अधिक रेट क्यों लिया जाता है ? क्या इस देश के किसानों के पास उनकी अपेक्षा अधिक पैसा है जो आप उनसे बिजली का अधिक चार्ज करते हैं ? मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस चीज को साफ कर देंगे कि आखिर इन छोटे छोटे उद्योग धंधे वालों को और कृषि वालों को बिजली महगी दर पर क्यों सप्लाई की जाती है ? उनको सस्ते रेट पर बिजली क्यों नहीं सप्लाई की जाती ?

अब देश में विभिन्न प्रांतों बिजली का जो रेट कैप्टिा कजम्पसन है वह इस प्रकार है :—

बंगाल .	६५–६८
मैसूर	२३–४२
पंजाब	२०—५
बम्बई	५५–६४
केरल	२३–२४
उत्तर प्रदेश	१०–९६
मद्रास	३१–४४
बिहार	१०–८ है

इससे आपको मालूम पड़ जायेगा कि जो पिछड़े हुये इलाके उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं तो इनका कजम्पशन पर कपिटा १०–९६ पड़ता है और इसके रहते यह इलाके क्या तरक्की कर सकते हैं ? अब इसके लिये यह कहना कि उधर बिजली होती नहीं है ठीक नहीं होगा क्योंकि जो रिहान्द डम बना था तो उसकी बिजली आपने बड़े बड़े व्यवसाय वालों को दे दी और सस्ती दर पर दे दी। अब मैं आपसे यह कहना चाहता हू कि उत्तर प्रदेश की नदियों में पानी बहुत है और जिसका कि जिक्र श्री राम शंकर लाल ने किया है। राप्ती के साथ घाघरा को भी जोड़ लिया जाय

[श्री रामजी वर्मा]

और यदि आप इन प्रोजक्टों को लें तो आपको केवल सिंचाई के लिये पानी ही ज्यादा नहीं मिल सकता है बल्कि बिजली भी ज्यादा सुलभ हो सकती है और मैं समझता हूं कि उनसे इतनी अधिक बिजली पैदा होगी कि शायद सारे देश को हम पावर सप्लाई कर सकेंगे। अब इसके लिये जब कि भारतवर्ष स्वाधीन नहीं हुआ था तब से राप्ती और घाघरा के सिलसिले में जांच पड़ताल हो रही है और उसकी योजनायें और सर्वे भी काफी दिनों पहले से हो चुका है और मैं चाहूंगा कि उस प्रोजेक्ट के बनने में आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है इस पर मंत्री महोदय सदन में कुछ प्रकाश डालेंगे और इसको थर्ड फाइव ईयर प्लान में लेने की कहां तक गुंजाइश है?

इसी तरह गंडक प्रोजेक्ट की बात है। अब नैपाल की सरकार ने इसको कबूल कर लिया है तो फिर इसके बनने में देरी क्यों हो रही है? इसके अलावा उससे जो पश्चिम में गोरखपुर और बस्ती की तरफ नहर निकाली गई है तो उसको आधे ही जिलों तक दिया गया है और उसको अगर रिहान्द नदी के पार भी ले जाया जा सके तो मैं समझता हूं कि उससे हम बस्ती, गोरखपुर और देवरिया जिलों को अधिक परिमाण में सिंचाई की सुविधायें दे सकेंगे और बिजली भी सस्ते रेट पर दे सकने में समर्थ हो सकेंगे। इसलिये मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

बाढ़ के सिलसिले में भी मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। यह सवाल सबसे पहले उत्तर प्रदेश की ही बाढ़ों से उठा और माननीय खाद्य मंत्री और योजना मंत्री ने सरकार की तरफ से ऐलान किया कि बाढ़ की समस्या को हम वार फुटिंग पर लेंगे लेकिन तब से मैं देख रहा हूं कि यह बाढ़ों की समस्या बढ़ती ही चली जा रही है और बाढ़ के हमलों में भी वृद्धि ही होती जा रही है और अब यह केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश का सवाल न रह कर भारत के कोने कोने का सवाल बन गया है। अब यह वार फुटिंग पर जितने काम हम कर रहे हैं उनमें हम कहां तक सफल हो पा रहे हैं?

मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस में भी यह ठेकेदार और दूसरे स्वार्थी तत्व आने लगे हैं। पैसा तो लगाया जाता है लेकिन काम ढंग से नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बाढ़ की समस्या को हल करने के लिये गम्भीरतापूर्वक सोच समझ कर सक्रिय कदम उठायें। उत्तर प्रदेश की राप्ती और घाघरा नदियों का यदि कंट्रोल हो जाता है तो जहां सिंचाई की उत्तम व्यवस्था हो सकेगी, वहां बिजली भी अधिक पैदा होगी और यह जो बाढ़ों के कारण हर साल फसलें बर्बाद हो जाया करती हैं वे भी बर्बाद होने से बच जायेंगी। आये साल इन नदियों में बाढ़ आने से जो बर्बादी होती है उससे आप लोगों की रक्षा कर सकेंगे। मैं चाहता हूं कि जिस चीज को आपने वार फुटिंग पर लिया हुआ है उसके बारे में इतनी देरी होना आश्चर्यजनक है और आपको इस बारे में सक्रिय कदम उठाने चाहियें ताकि अब और अधिक देरी इनके पूरा होने में न लगे। मैं आशा करता हूं कि मैंने जो चन्द एक सुझाव दिये हैं उन पर मंत्री महोदय गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे और केवल इस वजह से उनकी उपेक्षा नहीं करेंगे कि यह विरोधी दल की तरफ से दिये गये हैं। मंत्री महोदय को ऐसे सब सुझावों को चाहे वे विरोधी दल की तरफ से हों अथवा सरकारी पक्ष से हों ऐसे सुझाव जो कि जनसाधारण और देश के हित और उन्नति में सहायक हों उनको सरकार को स्वीकार करने में हिचक नहीं होनी चाहिये। इस देश की करीब ७५ प्रतिशत आबादी का मुख्य धंधा कृषि है लेकिन उसके प्रति जो सरकार का उपेक्षा भाव है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। आपको कृषि के धंधे में लगे लोगों को पानी और पावर की सुविधा देनी चाहिये और यह दोनों चीजें उसको सस्ते रेट पर मिलनी चाहियें ताकि उसको खेती करके देश की उपज बढ़ाने में प्रोत्साहन मिले और ऐसा करके आप देश में अन्न का उत्पादन बढ़ाने में समर्थ हो सकेंगे जो कि आज हमारी

सब से बड़ी आवश्यकता है। आप यदि ऐसा करेंगे तो आप न सिर्फ अपने देश की उन्नति करेंगे बल्कि दुनिया की प्रगति में भी आप सहायक होंगे और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप सबके बधाई के अवश्य पात्र बनेंगे ।

†पंडित द्वा० ना० तिवारी (केसरिया) : मैं मंत्रालय द्वारा किये गये काम के लिये माननीय मंत्री को बधाई देता हूं। हमारी योजनाओं की सफलता का बहुत कुछ भाग इस मंत्रालय की योजनाओं की सफलता पर निर्भर है। इस मंत्रालय के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। यदि सिंचाई योजनायें सफल रहीं तो, खाद्य संकट कट जायेगा और यदि कृषि सफल नहीं रही, तो हमारी योजनायें सफल नहीं हो पायेंगी। हमारे देश में पानी की कमी नहीं है। पानी बहुत है, उसका समुचित उपयोग करने की आवश्यकता है ।

पानी के साधनों का ठीक उपयोग करना बहुत आवश्यक है। मैं यह नहीं कहता कि किसानों को पानी मुफ्त दिया जाये। किसान पानी का दाम देने को तैयार हैं। सिंचाई योजनाओं को व्यापारिक आधार पर चलाया जाना चाहिये, तभी हम इस दिशा में उन्नति कर सकेंगे ।

मंत्रालय के कार्य के विभाजन के संबंध में भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। बड़ी सिंचाई योजनायें इस मंत्रालय के अधीन हैं। छोटी सिंचाई योजनायें कृषि मंत्रालय के अधीन हैं।

सिंचाई के काम के ऐसे बंटवारे के कारण काम ठीक समय पर पूरा नहीं हो पाता। छोटी सिंचाई योजनाओं पर अधिक ध्यान देना चाहिये क्योंकि इनका अधिक उपयोग व लाभ होता है ।

बड़ी सिंचाई योजनाओं को पूर्ण करवाने का काम इस समय तीन मांगों में बंटा हुआ है। इससे भी काम में बड़ी गड़बड़ी पड़ती है और काम समय पर नहीं हो पाता। मेरा कहना है कि सारा काम एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया जाये। इससे गड़बड़ी भी नहीं होगी और खर्च में भी बचत होगी तथा काम भी जल्दी होगा।

कुछ परियोजनायें पूरी हो गई हैं और वहां कुछ मशीनें बेकार पड़ी हुई हैं। उन्हें अन्य परियोजनाओं में लाकर उनका उपयोग किया जाना चाहिये। बेकार पड़ी मशीनों को यों ही पड़ा रहने देना बड़ी गलत बात है ।

हमारे राज्य में इस समय तीन परियोजनायें चल रही हैं दामोदर घाटी, कोसी व गंडक। गंडक से सबसे अधिक सिंचाई का लाभ होना है, पर उसकी ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है। इस वर्ष भी उसके लिये बहुत कम उपबन्ध किया गया है। मेरा निवेदन है कि इस परियोजना की ओर माननीय मंत्री अधिक ध्यान दें। दामोदर घाटी परियोजना से बिहार को सिंचाई का अधिक लाभ नहीं होगा, हां उससे बिजली तैयार हो रही है और कुछ बिजली बिहार को भी मिल रही है ।

कोसी परियोजना भी बिहार के लिये बड़ी उपयोगी है। पर उसमें दरभंगा का भाग बेकार ही छोड़ दिया गया है। उसे सम्मिलित करने पर लगभग ३० या ४० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री इस बात का भी ध्यान रखें। यदि यह काम ठेकेदारों के बजाय भारत सेवक समाज जैसी संस्था से कराया जाये, तो ज्यादा अच्छा हो। भारत सेवक समाज ने बांध के निर्माण का काम किया है, जिसमें ३० से ३५ प्रतिशत तक खर्च में बचत हुई है। मेरा कहना है कि हमें इसी प्रकार निर्माण कार्य करवाना चाहिये। अन्य परियोजनाओं में भी इसी प्रकार काम हो, तो लाभ ही होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित द्वा० ना० तिवारी]

गंडक योजना का काम शुरू होने वाला है। मेरा निवेदन है कि उसे भी इसी तरह कराया जाये ताकि उस पर खर्च कम लगे।

बिहार में छोटी सिंचाई योजनाओं के अधीन कुएं भी खुदवाये गये थे। उन कुओं से एक एकड़ की भी सिंचाई नहीं हो पाती क्योंकि कुओं में पानी ही नहीं है। अतः उनकी मिट्टी व कीच निकाल कर उनको ठीक करने की जरूरत है। इस प्रकार कुओं का लाभ नहीं हो रहा है और उन पर खर्च किया गया धन व्यर्थ ही बरबाद हो रहा है। मेरा निवेदन है कि कुओं को ठीक करने के लिये मशीनें वगैरह देहातों में पहुचाई जायें, ताकि किसान उनका उपयोग करके कुओं को ठीक कर सकें और कुओं से सिंचाई का काम हो सके।

†श्री रामी रेड्डी (कड़पा) : श्रीमन्, आरम्भ में मैं मंत्रालय को इसके दो कामों के लिये बधाई देना चाहता हूं। एक तो यह काम उन्होंने बड़ा उत्तम किया है कि तीन परियोजनाओं में ९ करोड़ रुपये की बचत की है तथा दूसरा काम यह किया है कि १९५७ में देश की कुल सिंचाई सुविधाओं का ६४ प्रतिशत उपयोग किया जाता था उसको दो वर्ष की अवधि में बढ़ाकर ८२ प्रतिशत कर दिया गया है।

यह सभी जानते हैं कि देश के आर्थिक विकास के लिये यह आवश्यक है कि देश के गांवों का विकास हो परन्तु उसके लिये आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक गांव में बिजली की व्यवस्था की जाय। इसलिये मेरा निवेदन है कि देश के विकास के लिये बिजली लगाने पर अधिक बल दिया जाना चाहिये।

आंध्र प्रदेश में खनिज पदार्थ, पानी, कोयला खानें, मैंगनीज, अभ्रक लौह अयस्क, बहुतायत से पाये जाते हैं तथा विशाखापटनम का एक बड़ा बन्दरगाह भी है। परन्तु इतना होने पर भी यह बड़े खेद की बात है कि इस राज्य में औद्योगिक प्रगति नहीं हो रही है और इसका कारण बिजली की अपर्याप्तता है। राज्य सरकार इस बारे में केन्द्र को कई बार लिख चुकी है परन्तु केन्द्र अभी तक इसकी सहायता को तैयार नहीं हुआ है। आंकड़ों से पता लगता है कि पहली योजना की तुलना में दूसरी योजना में आंध्र प्रदेश को कम बिजली दी गई है। पहली योजना में २५.६५ करोड़ रुपये की बिजली दिये जाने की व्यवस्था थी परन्तु दूसरी योजना में इस को २१.६६ करोड़ रुपये की कर दिया गया जो बाद में हल्ला मचाने पर २४ करोड़ रुपय कर दी गई है।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जो परियोजनायें पहली योजना में आरम्भ की गई थी तथा जिनको क्रमवार बनाना था उनमें से आंध्र प्रदेश की तुंगभद्रा परियोजना भी थी। परन्तु विदेशी मुद्रा का अभाव सामने आने पर इस परियोजना को प्राथमिकता नहीं दी गई जिसके परिणामस्वरूप इसकी पांचवी इकाई अभी पूरी तरह से नहीं बन पाई है। इसलिये मेरा मंत्रालय से अनुरोध है कि तुंगभद्रा पनबिजली योजना को प्राथमिकता दें जिससे आंध्र प्रदेश को बिजली मिल सके।

अब मैं तीसरी योजना काल में आंध्र प्रदेश को बिजली के आवण्टन के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने भार सर्वेक्षण किया और उससे पता लगता है कि तीसरी तथा चौथी योजना में बिजली की बहुत कमी रहेगी। सर्वेक्षण के अनुसार आंध्र प्रदेश को तीसरी योजना में लगभग ४०० मेगावाट तथा चौथी योजना में ६०० मेगावाट बिजली की आवश्यकता होगी। परन्तु १९६०–६१ में तुंगभद्रा योजना आदि सभी साधनों

†मूल अंग्रेजी में

से लगभग २०५ मेगावाट बिजली का उत्पादन हो पायेगा और इस प्रकार लगभग २५० मेगावाट तीसरी योजना में और चाहिये। इसलिये मेरा सुझाव है कि बिजली उत्पादन के लिये और अधिक आवण्टन किये जाने की आवश्यकता है। क्योंकि उद्योगों के विकास के अतिरिक्त आंध्र प्रदेश में अब तक २६,५०० गांवों में से केवल १०८२ गांवों में ही बिजली लगाई जा सकी है।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने जो श्री सैलम परियोजना केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के विचारार्थ भेजी है उसके बहुत लाभ हैं तथा उसके निर्माण में धन भी कम व्यय होगा। मेरे विचार से तो श्री सैलम तथा सिद्धेश्वरन् दोनों योजनाओं को मिलाकर एक योजना यानी श्री सैलम योजना ही बनाई जाये क्योंकि वह सभी स्थानों से निकट है और वहां से बिजली का संभरण भी आसानी से किया जा सकेगा। मैं आशा करता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस योजना को तीसरी योजना में शामिल कर लेगी।

अब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र कड़पा के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। आंध्र प्रदेश राज्य बनने से पूर्व मद्रास राज्य में कृष्णा पेन्नार परियोजना बनाई गई थी जिससे करनूल, कड़पा, चित्तूर, बैल्लौर तथा मद्रास नगर को लाभ हो सके। परन्तु इस परियोजना को बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि कड़पा, चित्तूर जैसे पिछड़े क्षेत्रों में सिंचाई की पर्याप्त सुविधायें दी जा सकें। परन्तु अब सिद्धेश्वरन् परियोजना बनाई गई है और आंध्र प्रदेश के मुख्य इंजीनियर ने आश्वासन भी दे दिया है कि सिद्धेश्वरन परियोजना से भी वही सिंचाई सुविधायें मिल जायेंगी जो कृष्णा पेलार परियोजना से मिल सकती थीं। परन्तु कड़पा जिले के निवासियों को सन्देह है कि इस परियोजना से उतना लाभ नहीं होगा जितना कृष्णा योजना से होने की संभावना थी। इसलिये मेरा सुझाव है कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग इस योजना पर विचार करते समय इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखेगा।

जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं १९०४ की मैकेन्जी योजना में यह व्यवस्था रखी गई थी पुलीवेंदाला तालुक में लगभग १$^{१}/_{२}$ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी। १९५४ की योजना के अनुसार इस तालुका की ५५,००० एकड़ भूमि की सिंचाई की व्यवस्था की गई थी और गांडीकोटा रिजर्वोयर से लगभग १५०,००० एकड़ भूमि की सिंचाई की व्यवस्था की गई थी। परन्तु अब पुनरीक्षित कार्यक्रम में पुलीवेंदाला योजना को एकदम हटा दिया गया है और गांडीकोटा योजना के क्षेत्र में भी कमी कर दी गई है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अपील करता हूं कि इसकी ओर ध्यान दें जिससे कड़पा जिले को कोई नुकसान न हो।

†**श्री बासप्पा.** (तिपतुर) : किसी भी देश का औद्योगिक तथा कृषि विकास उस देश की सिंचाई और विद्युत् सामर्थ्य पर आधारित होता है। और इस मंत्रालय पर इन्हीं दोनों का उत्तरदायित्व है। इस कारण इस मंत्रालय का महत्व बहुत बढ़ जाता है।

दूसरी योजना की अवधि में बिजली के उत्पादन के लिये ४२७ करोड़ रुपये की व्यवस्था थी तथा सिंचाई के लिये लगभग ३८१ करोड़ रुपया की। इसका अर्थ यह हुआ कि ३५ लाख किलोवाट अतिरिक्त बिजली के उत्पादन की और १५० लाख एकड़ जमीन की सिंचाई की योजना थी। परन्तु फिर भी बिजली की देश में कमी ही है तथा सिंचाई की सामर्थ्य में भी वृद्धि नहीं हुई है। इसलिये मेरा सुझाव है कि भविष्य में देश के विकास के लिये हमें सिंचाई तथा बिजली की शक्यता बढ़ानी चाहिये और इसके लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा की भी व्यवस्था करनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बासप्पा]

सिचाई के बारे में लोगों का विचार है कि हमारा बहुत सा पानी बेकार चला जाता है। इस ओर सामुदायिक विकास मंत्रालय को ध्यान देना चाहिये।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें।

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
६३	५७५	श्री अरविन्द घोषाल	पानी जमा होने वाले क्षेत्रों में नाली बनाने की योजनाओं का क्रियान्वित न किया जाना।	१०० रुपये
६३	१२२५	श्री इग्नेस बेक	सिंचाई विकास परियोजनाओं द्वारा उत्पन्न सिंचाई शक्यता का उचित उपयोग करने में असफलता।	१०० रुपये
६३	१७३६	श्री इग्नेस बेक	दूसरी योजना में सिंचाई लक्ष्यों को पूरा करने में असफलता।	१०० रुपये
६३	१७३७	श्री इग्नेस बेक	सिंचाई की दरों के बारे में नीति का पुनरीक्षण।	१०० रुपये
६३	१७३८	श्री इग्नेस बेक	बहुप्रयोजनीय नदी घाटी परियोजनाओं के कार्य संचालन के बारे में नीति बनाने की आवश्यकता।	१०० रुपये
६३	१७९६	श्री तंगामणि	हीराकुड बांध में १ अप्रैल, १९६० को हटाये गये मजदूरों को प्रतिकर का भुगतान।	१०० रुपये
६३	१७९७	श्री तंगामणि	हीराकुड के कर्मभारित मजदूरों को निर्माण भत्ता देने में असफलता।	१०० रुपये
६३	१७९८	श्री तंगामणि	हीराकुड के उन कर्मचारियों को जिनको उड़ीसा सरकार ने नियुक्त कर लिया है, वही वेतनक्रम आदि देने की आवश्यकता।	१०० रुपये

†मूल अंग्रेजी में

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
६३	१७९९	श्री तंगामणि	दक्षिणी खंड के लिये बिजली संभरण के लिये एक ग्रिड।	१०० रुपये
६३	१८००	श्री तंगामणि	दामोदर घाटी निगम के पंचेट बांध के फालतू निर्माण मजदूरों के लिये काम की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६३	१८०१	श्री तंगामणि	केरल राज्य में प्राप्त बिजली का उपयोग करने में असफलता , ।	१०० रुपये
६३	१८०२	श्री वारियर	तीसरी योजना में शामिल करने के लिये इदिक्की परियोजना की जांच का कार्य पूरा करने की आवश्यकता।	१०० रुपये
६३	१८०३	श्री वारियर	प्रविधिक कर्मचारियों का एक केन्द्रीय पूल बनाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६३	१८०४	श्री वारियर	केरल की जल विद्युत् परियोजनाओं के लिये विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करने के लिये प्राथमिकता देने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६३	१८०५	श्री वारियर	केरल राज्य की सिंचाई और विद्युत् शक्यता के उपयोग के बारे में केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत वृहद् योजना के बारे में अन्तिम निर्णय लेने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६३	१८०६	श्री वारियर	केरल राज्य में बिजली की सस्ती उत्पादन लागत के अनुसार बिजली की दरें कम करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
६३	१८०७	श्री वारियर	तीसरी योजना में केरल राज्य के क्विलोन जिले में कल्लाडा बाढ़ नियंत्रण को शामिल करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६३	१८०८	श्री वारियर	केरल राज्य में ग्राम्य विद्युतिकरण योजनाओं को पूरा करने के लिये वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६३	१८०९	श्री वारियर	केरल राज्य में समुद्र के कटाव को रोकने के कार्य के लिये निधि की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६३	१८१०	श्री शि० ला० सक्सेना	पश्चिमी नहर को बस्ती जिले तक बढ़ाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६४	१	श्री सूपकार	उड़ीसा में बाढ़ नियंत्रण समस्या	१०० रुपये
६४	२	श्री सूपकार	तिक्केरपाड़ा और नारज बांध परियोजनाओं की जांच में धीमी प्रगति ।	१०० रुपये
६४	३	श्री सूपकार	हीराकुड बांध परियोजना के छंटनी हुये कर्मचारियों की समस्या ।	१०० रुपये
६४	३६०	श्री शि० ला० सक्सेना	तीसरी योजना में घाघरा और राप्ती नदियों के नियंत्रण की बहुप्रयोजनीय योजना को शामिल करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१२५	६	श्री सूपकार	गांवों में बिजली लगाना	१०० रुपये

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार १३ अप्रैल १९६०/२४ चैत्र, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

दैनिक संक्षेपिका

मंगलवार, १२ अप्रैल, १९६०

२३ चैत्र, १८८२ (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर . . .	५११९—४५
तारांकित प्रश्न संख्या	
१४२३ जूतों का निर्यात . . .	५११९–२०
१४२४ इंजीनियरी के सामान का निर्यात .	५१२०–२१
१४२५ टेलीफोन के तार तथा को-एक्सियल केबल . . .	५१२१–२२
१४२६ कलकत्ता में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का अस्पताल	५१२२—२४
१४२७ दिल्ली के सिनेमाओं में "मैटिनी शो"	५१२४–२५
१४२८ कपड़ा मिलों का नवीकरण . .	५१२६–२७
१४२९ पर्वतीय क्षेत्रों के लिये परामर्शदात्री समिति	५१२७—२९
१४३० भारत-चीन सीमा विवाद	५१२९—३३
१४३१ कपड़ा उद्योगों को ऋण .	५१३३—३६
१४३२ "लिंक" पत्रिका के लिये भूमि देना	५१३६—३९
१४३३ विकिरण का प्रभाव . .	५१३९–४०
१४३४ केन्द्रीय उर्वरक प्रौद्योगिकीय संस्था	५१४०—४२
१४३५ भविष्य निधि से रुपया निकालना	५१४२–४३
१४३६ आंध्र प्रदेश में उर्वरक कारखाना	५१४३—४५
प्रश्नों के लिखित उत्तर	५१४५—७६
तारांकित प्रश्न संख्या	
१४३७ एशिया तथा सुदूरपूर्व के लिये आर्थिक आयोग की बैठक	५१४५
१४३८ सरकारी उपक्रम . .	५१४५–४६
१४३९ शेव के ब्लेडों और ब्रुशों का आयात . .	५१४६–४७
१४४० दिल्ली विश्वविद्यालय में नाभिकीय भौतिक शास्त्र में अनुसंधान	५१४७
१४४१ उड़ीसा टैक्सटाइल मिल्स लि० .	५१४७–४८
१४४२ कोयला खान मजदूरों की मंहगाई भता	५१४८

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

१४४३	मोनाजाइट रेत	५१४८–४९
१४४४	छंटनी में निकाले गये कर्मचारियों के लिये वैकल्पिक रोजगार .	५१४९
१४४५	समाचार-पत्रों के लिये पृष्ठानुसार मूल्यसूची .	५१४९
१४४६	जम्मू सीमा के पास बम विस्फोट .	५१५०
१४४७	सीमांत सड़क विकास बोर्ड .	५१५०
१४४८	पंजाब में भूमि का अनियमित आवंटन	५१५१
१४४९	आसाम में कोयला खान मजदूर .	५१५१
१४५०	दक्षिण अफ़्रीका में पास विरोधी झगड़े .	५१५१–५२
१४५१	छंटनी में निकाले गये कर्मचारी . .	५१५२
१४५२	बर्मा में भारतीय	५१५२–५३
१४५३	अमृतसर में चित्रपट विभाग (फिल्म्स डिवीजन) के कर्मचारियों पर प्रहार . . .	५१५३
१४५४	गोआ-बम्बई स्टीमर सेवा . .	५१५३

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१९९४	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें . .	५१५४
१९९५	काम दिलाऊ दफ्तर	५१५४
१९९६	दिल्ली में रोजगार . .	५१५५
१९९७	राजस्थान में नमक उत्पादन . .	५१५५
१९९८	कलकत्ते की गन्दी बस्तियों का हटाया जाना ..	५१५६
१९९९	बागे पंचाट .	५१५६
२०००	ट्रैक्टर और बुलडोजर . .	५१५६
२००१	आंध्र प्रदेश में गन्दी बस्तियों का हटाया जाना	५१५६–५७
२००२	खाने का तम्बाकू . .	५१५७
२००३	पाकिस्तान द्वारा पकड़ी गई नौकायें	५१५७
२००४	केरल बागान की हड़ताल की जांच .	५१५८
२००५	मैंगनीज अयस्क का निर्यात	५१५८
२००६	ढलाई और गढ़ाई का कारखाना .	५१५८
२००७	बैन्ज़ोइक एसिड . . .	५१५९

विषय पृष्ठ

प्रश्नो के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या		
२००८	बेन्जिल बेंजोएट	५१६०
२००९	बेन्जिल एसीटेट	५१६१
२०१०	सैगर	५१६१–६२
२०११	उष्मसह ईंटें	५१६२–६३
२०१२	पाकिस्तानी राष्ट्रजन	५१६३
२०१३	भारत-पाक सीमा घटनायें	५१६३–६४
२०१४	व्यापार प्रतिनिधिमंडल	५१६४
२०१५	स्थायी श्रम समिति	५१६४
२०१६	गुदमा उत्पादन केन्द्र	५१६५
२०१७	ऊनी वस्त्रों का आयात	५१६५
२०१८	इंडियन आक्सीजन एंड एसिटिलीन कम्पनी	५१६५–६६
२०१९	औषध फार्मों संबंधी प्रविधक समिति	५१६६
२०२०	राज्य व्यापार निगम	५१६६–६७
२०२१	राज्य व्यापार निगम	५१६७
२०२२	पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति	५१६७
२०२३	दण्डकारण्य में परिवहन कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	५१६७–६८
२०२४	दिल्ली के किंग्सवे कैम्प में विस्थापित व्यक्ति	५१६८
२०२५	कर्मचारी राज्य बीमा निगम	५१६८
२०२६	केन्द्रीय सूचना सेवा का गठन	५१६९
२०२७	पत्रकारिता तथा प्रचार संबंधी पदों पर लोगों का स्थायीकरण	५१६९–७०
२०२८	केन्द्रीय सूचना सेवा के गठन के समय अधिकारियों का स्थायीकरण	५१७०
२०२९	भारत सेवक समाज	५१७०
२०३०	सिक्किम के भारतीय राजनीतिक अधिकारी	५१७१
२०३१	नई दिल्ली की सरकारी बस्तियों के पार्क व स्क्वायर	५१७१
२०३२	बैंकॉक में एशिया तथा सुदूरपूर्व के लिये आर्थिक आयोग की बैठक	५१७१–७२
२०३३	पंजाब में सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना	५१७२
२०३५	एशिया तथा सूदूरपूर्व के लिये आर्थिक आयोग	५१७२
२०३६	सूडान के भारतीय	५१७३

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर---(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२०३७	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड	५१७३–७४
२०३८	बिहार और राजस्थान में यूरेनियम	५१७४
२०३९	नारियल जटा उद्योग	५१७४–७५
२०४०	कुकरों का आयात	५१७५–७६
२०४१	पुनर्वास मंत्रालय के कर्मचारी	५१७६
सभा पटल पर रखे गये पत्र		५१७७

(१) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, १९५६ की धारा २६ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग नियम, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १९ मार्च, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३३० की एक प्रति ।

(२) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :---

(क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत भारतीय हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड का वर्ष १९५८–५९ का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उक्त निगम की कार्य-प्रणाली की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(३) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि योजना, १९५२ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २ अप्रैल, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३७४ की एक प्रति ।

सदस्य द्वारा पद त्याग		५१७८

अध्यक्ष महोदय ने लोक-सभा को बताया कि श्री चौखामून गोहेन ने १५ अप्रैल, १९६० से लोक-सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया है ।

समिति के लिये निर्वाचन		५१७८

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) ने प्रस्ताव किया कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये लोक-सभा के सदस्यों में से चुनाव किया जाय । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विषय पृष्ठ

अनुदानों की मांगें ५१७८--५२३६

पुनर्वास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई। मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुईं।

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

बुधवार १३ अप्रैल १९६०/२४ चैत्र, १८८२ शक के लिए कार्यावलि

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा तथा निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर भी चर्चा।

GMGIPND—277 (Ai)LSD—31-5-60—135.